उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल-जून, 2013

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उत्तराखंड राज्य **बनाम** दीपू दास और एक अन्य	185
कुरुविला **बनाम** साथी राजन और एक अन्य	191
जटाधर झा और अन्य **बनाम** बिहार राज्य	239
पी. टी. अब्दुल रहमान **बनाम** केरल राज्य	211
मति रात्रे और एक अन्य **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	225
यामिनी एस. भगवानजी (श्रीमती) **बनाम** भारत संघ	247
रघुबीर **उर्फ** छोटू **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	338
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** कांति ग्रोवर और अन्य	275
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** रतन लाल	282
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** राजेश कुमार	361
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सिधुमल	330

लेख

मोटर दुर्घटना और प्रतिकर : प्रावधान एवं प्रक्रिया – एक अवलोकन	(1) – (4)

अप्रैल-जून, 2013 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 – चैक का अनादरण – चैक पर दो आड़ी रेखाएं खींचकर "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिखे जाने से चैक की परक्राम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए यदि चैक पाने वाला व्यक्ति चैक पर आगे पृष्ठांकन करता है तो पृष्ठांकिती को चैक के अनादरण की दशा में चैक के लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।

कुरुविला बनाम **साथी राजन और एक अन्य** 191

पृष्ठ संख्या 185 – 384 **(2013) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अप्रैल-जून, 2013 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 185 – 384)

संपादक-मंडल

श्री पी. के. मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्री एन. एल. मीना,
अपर सचिव (प्रशा.), विधायी विभाग

श्री आर. डी. मीना, संयुक्त सचिव,
राजभाषा खंड

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव,
राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह, जसवन्त सिंह और बी. के. भटनागर

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2013 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

पृष्ठ संख्या

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13)

– धारा 4 और 7 – सम्पत्ति का समपहरण – भारत से प्रस्थान के समय अघोषित विदेशी मुद्रा का पाया जाना – अघोषित विदेशी मुद्रा का सम्पत्तियों की खरीद की बाबत आय के स्त्रोतों का प्रकटन न किया जाना – यह विश्वास किए जाने का पर्याप्त आधार है कि याची द्वारा उक्त सम्पत्तियों में दूषित राशि का विनिधान किया गया, अतः सम्पत्तियों का समपहरण न्यायोचित था ।

यामिनी एस. भगवानजी (श्रीमती) बनाम **भारत संघ** 247

– धारा 6 और 21 – सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही – कब्जे से अघोषित विदेशी करेंसी का अभिग्रहण – विदेशी मुद्रा का मोचन किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी और 1974 के विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम के अधीन पारित निरोधादेश सरकार द्वारा प्रतिसंहृत कर दिया गया था, का यह अर्थ नहीं है कि याची के विरुद्ध सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

यामिनी एस. भगवानजी (श्रीमती) बनाम **भारत संघ** 247

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 161 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – पुलिस के समक्ष कथन – मृत्युकालिक कथन – जहां विपदग्रस्त ने पुलिस के समक्ष चिकित्सक के इस प्रमाणपत्र के अभाव में, कि वह कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में है, कथन किया हो किंतु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख से ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता हो कि वह कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में नहीं थी, वहां उसकी मृत्यु

पृष्ठ संख्या

के पश्चात् ऐसे कथन को मृत्युकालिक कथन मानकर की गई दोषसिद्धि उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **राजेश कुमार** 361

– धारा 188 – भारत से बाहर किए गए अपराध का संज्ञान – यदि मजिस्ट्रेट द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए उक्त संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी के बिना जांच/विचारण की कार्यवाही आरंभ की गई है, तो अपराध का आगे अन्वेषण करने के अनुरोध पर किए गए आदेश पर की गई चुनौती पर, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न केवल आगे अन्वेषण करने वाला आदेश बल्कि पूर्व जांच/विचारण भी अविधिमान्य हो जाएगा ।

पी. टी. अब्दुल रहमान बनाम **केरल राज्य** 211

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 146 और 353 – बल्वा और लोक-सेवक के कार्य में बाधा डालना – जहां 1400-1500 लोगों की उत्तेजित भीड़ ने इत्तिला देने वाले के मकान को तोड़ा, पत्थरबाजी की और शांति भंग किया तथा पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में बाधा डाला वहां मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को गोली चलाने का आदेश देने के परिणामस्वरूप छः लोगों की मृत्यु होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

जटाधर झा और अन्य बनाम **बिहार राज्य** 239

– धारा 304 भाग 2 – अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी के भोंथरे भाग की ओर से सिर पर क्षतियां पहुंचाना – मृत्यु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से दर्शित होता है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था किंतु उसने क्षतियां इस ज्ञान के साथ पहुंचाई कि ऐसी क्षतियों से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, इसलिए,

पृष्ठ संख्या

अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन अपराध का दोषी ठहराए जाने का दायी है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **राजेश कुमार** 361

– धारा 304ख – दहेज मृत्यु – जहां अभियोजन दहेज मृत्यु के मामले में परिस्थितियों और साक्षियों के साक्ष्यों से दहेज की मांग के लिए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार या तंग किए जाने के बारे में साबित करने में असफल रहता है वहां अभियुक्त को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना न्यायोचित और युक्तिसंगत नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **रतन लाल** 282

– धारा 306 और 498-क – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहने पर कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए किसी भी प्रकार से उकसाया था या सहायता पहुंचायी थी या अभियुक्त द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कार्य मृतका को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की प्रकृति का था, अभियुक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

रघुबीर उर्फ **छोटू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 338

– धारा 363, 366 और 376 – व्यपहरण और बलात्संग – जहां अभियोजन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि पीड़िता अप्राप्तवय थी और उसका व्यपहरण किया गया तथा अभियुक्त ने उसके साथ सहमति के बिना मैथुन किया, वहां अभियुक्त को व्यपहरण और बलात्संग के अपराध से दोषसिद्ध करना

पृष्ठ संख्या

न्यायोचित नहीं है ।

उत्तराखंड राज्य बनाम **दीपू दास और एक अन्य** 185

– धारा 420 – छल और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने का उत्प्रेरण – नकली सोने का बेचा जाना – जहां अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि अभियुक्त द्वारा नकली सोने के बेचे जाने का कार्य आपराधिक मनःस्थिति, जानबूझकर और आशयपूर्वक किया था, वहां अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में उक्त धारा के अधीन दंडित किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सिधुमल** 330

– धारा 460 और 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – प्रच्छन्न गृह अतिचार और हत्या – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – घटना रात्रि के 1.00 बजे से 4.00 बजे के बीच होने और साक्षी की वृद्धावस्था के कारण सायंकाल के पश्चात् दिखाई न पड़ने से परिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, अतः परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक, अकाट्य और निश्चित न होने के कारण दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत नहीं है ।

मति रात्रे और एक अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 225

दंडात्मक प्रणाली

– दंड की मात्रा – व्यस्त राजमार्ग पर आपराधिक अभित्रास/बल का प्रयोग किया जाना – दंडात्मक प्रणाली का लक्ष्य अपराधियों से बदला लेना नहीं बल्कि समाज का संरक्षण करना भी है, इसलिए, दंडादेशों को क्रमशः भुगते जाने का आदेश दिया जाना सामाजिक हित और दंड की पर्याप्तता की दृष्टि से उचित होने के

पृष्ठ संख्या

कारण न्यायसंगत और उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **कांति ग्रोवर और अन्य** 275

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 – चैक का अनादरण – चैक पर दो आड़ी रेखाएं खींचकर "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिखे जाने से चैक की परक्राम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए यदि चैक पाने वाला व्यक्ति चैक पर आगे पृष्ठांकन करता है तो पृष्ठांकिती को चैक के अनादरण की दशा में चैक के लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।

कुरुविला बनाम **साथी राजन और एक अन्य** 191

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – प्रथम मृत्युकालिक कथन में सास को फंसाया गया और पिता से मिलने के पश्चात् पश्चात्वर्ती मृत्युकालिक कथन में पति को भी फंसाया गया इसलिए, अभियुक्त से तनावपूर्ण संबंध होने के कारण सिखाने-पढ़ाने और मिथ्या फंसाने की संभाव्यता वाले दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता होने पर मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **रतन लाल** 282

———

मोटर दुर्घटना और प्रतिकर : प्रावधान एवं प्रक्रिया – एक अवलोकन

डा. सुरेन्द्र कुमार*

देश की आबादी में पिछले दशकों में हुई बेतहाशा वृद्धि, उसी अनुपात में वाहनों का सड़कों पर दौड़ना तथा सामान्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों का सीमित दायरे में विस्तार एवं रख-रखाव, मोटर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं । आज सड़कों पर भीड़ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वाहनों की गति भी तेज होती जा रही है । अतः मोटर दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं । दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है । भारत एक कल्याणकारी देश है जो प्रत्येक व्यक्ति, आम या खास, के कल्याण की बात सोचता है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसका परिवार किसी भी प्रकार की तुरंत सहायता की अपेक्षा रखता है या भविष्य में उस परिवार के भरणपोषण का प्रश्न हो, तब ऐसी दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है ।

मोटर यानों से संबंधित मुख्य कानून मोटर यान अधिनियम, 1988 है । इसी में मोटर दुर्घटनाओं के लिए प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था है । इस अधिनियम के अनुसार सड़क पर मोटर से चलने योग्य बनाया गया प्रत्येक वाहन मोटर यान है । अतः, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड व सड़क कूटने वाला इंजन तक इसके अन्तर्गत आते हैं । इनसे होने वाली दुर्घटना मोटर दुर्घटना मानी जाती है और उसके लिए प्रतिकर दिलाया जाता है ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दो प्रकार से हो सकती है :–

(1) ऐसी दुर्घटना जिसमें यह मालूम न हो पाए कि दुर्घटना किस मोटर यान से हुई । दुर्घटना कारित करने के तुरंत बाद ही मोटर यान चालक उस यान को दुर्घटना स्थल से भगा ले जाता है तथा वहां उपस्थित व्यक्तियों को यह मालूम नहीं हो पाता है कि दुर्घटना किस मोटर यान से घटित हुई ।

(2) ऐसी दुर्घटना जिसमें यह मालूम हो कि दुर्घटना किस मोटर यान से हुई । यह तभी संभव है जब दुर्घटना के पश्चात् दुर्घटना

* प्रधानाचार्य, दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान, दिल्ली-82

कारित करने वाला यान क्षतिग्रस्त हो जाए अथवा लोग चालक को यान सहित पकड़ लें अथवा चालक स्वयं को पुलिस के हवाले कर दे ।

दूसरे प्रकार की दुर्घटनाओं को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है :–

(क) ऐसी दुर्घटनाएं मोटर यान के चालक की किसी गलती के कारण, जैसे लापरवाही या उतावलेपन से मोटर यान चलाना, कारित हुई या गाड़ी की हालत ठीक न होने के कारण घटित हों ।

(ख) ऐसी दुर्घटना जिसमें चालक की कोई गलती या लापरवाही नहीं होती । दुर्घटना अकस्मात ही हो जाती है । कभी-कभी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की गलती या लापरवाही से भी कारित हो जाती है ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए प्रतिकर की अलग-अलग व्यवस्था है :–

(i) 'हिट एण्ड रन' मामले में प्रतिकर की व्यवस्था सरकार द्वारा तोषण निधि स्कीम, 1989 के अन्तर्गत उस स्थिति में की जाती है जब यह मालूम न हो कि मोटर दुर्घटना किस मोटर यान से कारित हुई, इस परिस्थिति में एक निश्चित प्रतिकर की राशि दिलाने की व्यवस्था की गई है । इस तोषण निधि स्कीम की व्यवस्था जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन द्वारा संचालित की जाती है । अज्ञात मोटर यान से दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को तथा गंभीर चोट के मामले में पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप 1, 2 तथा 5 भरना होगा और उस क्षेत्र के एस. डी. एम. अथवा तहसीलदार को देना होगा । जांच के बाद संस्तुति दावा निपटान आयुक्त (जिलाधिकारी) को 15 दिन के अन्दर भेजी जाएगी । दावा निपटान आयुक्त द्वारा 15 दिन के भीतर नामनिर्दिष्ट बीमा कम्पनी को स्वीकृत आदेश भेजा जाएगा तथा बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रतिकर की राशि पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को भेज दी जाएगी । प्रतिकर का निर्धारण दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की अवस्था में या घोर उपहति की स्थिति में ही होता है अन्य किसी अवस्था में नहीं ।

इस प्रकार की दुर्घटना में प्रतिकर भी थोड़ी ही राशि का दिलाया जाता है । मृत्यु की दशा में यह राशि 25,000/- रुपए है और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500/- रुपए है, यदि यान का रजिस्ट्रेशन

नम्बर ज्ञात नहीं है । यदि यान का रजिस्ट्रेशन नम्बर पता है उस स्थिति में प्रतिकर 50,000/- रुपए मृत्यु होने पर तथा 25,000/- रुपए गंभीर चोट आने पर दिलाया जाता है । यदि उसी दुर्घटना के बारे में किसी अन्य प्रकार से प्रतिकर मिलता है तो तोषण निधि से लिया गया प्रतिकर वापस करना होगा । इसलिए इस निधि से प्रतिकर लेते समय उस बात के लिए एक बंधपत्र भरना होता है ।

(ii) द्वितीय परिस्थिति वह है जहां दुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान की पहचान हो जाए परन्तु उस यान के चालक की कोई गलती न हो । मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि ऐसी दुर्घटना में जिसमें यह तो मालूम हो कि दुर्घटना किस मोटर यान से हुई किन्तु उसमें मोटर यान के स्वामी की कोई त्रुटि न हो । प्रतिकर की देनदारी मोटर यान स्वामी और उसकी बीमा कम्पनी पर होगी और उसे इस बात का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा कि दुर्घटना कारित होने में उसकी कोई त्रुटि नहीं थी या सम्पूर्ण गलती पीड़ित पक्ष की थी । केवल इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या वास्तव में दुर्घटना उसी मोटर यान से कारित हुई या नहीं ।

इस उपबंध में प्रतिकर केवल मृत्यु कारित होने पर अथवा स्थायी निःशक्तता की दशा में दिलाया जाएगा । स्थायी निःशक्तता तभी मानी जाएगी जब उस निःशक्तता का निवारण संभव न हो । इस उपबंध में प्रतिकर की राशि नियत है । प्रतिकर की राशि 50,000/- रुपए मृत्यु होने की दशा में तथा 25,000/- रुपए स्थायी निःशक्तता की स्थिति में है ।

(iii) तृतीय अवस्था वह है जहां दुर्घटना ज्ञात मोटर यान द्वारा कारित हुई हो तथा गलती भी उसी मोटर यान चालक की हो । मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163ए में इसका उल्लेख है । यदि दुर्घटना यान के स्वामी या चालक की गलती से होती है तो उसके लिए प्रतिकर का आवेदन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना स्थल आता है । प्रतिकर के लिए आवेदन दस रुपए न्यायालय शुल्क के साथ दुर्घटना से छह मास के अन्दर देना होगा । आवेदन करने की अवधि को उचित कारण बताते हुए तथा दावा अधिकरण की सहमति से छह मास और बढ़ाया जा सकता है । प्रतिकर के लिए आवेदन मृत्यु के मामले में विधिक

प्रतिनिधि या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति दे सकता है । मोटर यान अधिनियम के अधीन ऐसे आवेदन में मोटर यान चालक व मोटर यान के मालिक दोनों को पक्षकार बनाना होता है तथा संबंधित बीमा कम्पनी को भी पक्षकार बनाना आवश्यक है ।

दावा अधिकरण स्वयं या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से जिसे आवेदन सुनने का अधिकार है, संक्षिप्त सुनवाई करता है जिसके अधीन यह साबित करना होता है कि दुर्घटना अमुक मोटर यान से हुई तथा संपूर्ण गलती उसी मोटर यान के स्वामी की है और आहत पक्ष को जो हानि हुई, वह भी साबित करनी होती है ।

प्रतिकर का निर्धारण अलग-अलग परिस्थितियों, अलग-अलग मापदंडों द्वारा किया जाता है । मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों और आश्रितों की किस प्रकार की हानि हुई जिसकी क्षतिपूर्ति होनी है, उसी आधार पर प्रतिकर की राशि नियत की जाएगी । सम्पत्ति की हानि के मामले में छह हजार तक की सम्पत्ति की हानि के लिए दावा अधिकरण में आवेदन किया जाता है, इसके ऊपर सम्पत्ति की हानि का दावा दीवानी न्यायालय में करना होगा । गंभीर चोट लगने के मामले में मुख्य आधार स्थायी प्रभाव के कारण शेष जीवन में होने वाली असुविधा और हानि का भी प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था है । प्रतिकर की राशि सामान्यतया बीमा कम्पनी द्वारा ही चुकाई जाती है ।

उत्तराखंड राज्य

बनाम

दीपू दास और एक अन्य

तारीख 20 दिसंबर, 2012

मुख्य न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 363, 366 और 376 – व्यपहरण और बलात्संग – जहां अभियोजन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि पीड़िता अप्राप्तवय थी और उसका व्यपहरण किया गया तथा अभियुक्त ने उसके साथ सहमति के बिना मैथुन किया, वहां अभियुक्त को व्यपहरण और बलात्संग के अपराध से दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं है ।

गुमशुदा रिपोर्ट मातवर लाल, पट्टी पटवारी सितौनस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा तारीख 16 अगस्त, 2003 को लिखी गई थी । गुमशुदा रिपोर्ट में इत्तिलाकर्ता द्वारा यह लिखा गया था कि उसकी पुत्री सीता जिसकी आयु 17 वर्ष है मीना देवी और दीपू दास के साथ तारीख 31 जुलाई, 2003 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्थानीय बाजार में घरेलू सामान खरीदने गई थी । यद्यपि मीना देवी अपने मकान पर वापस लौट आई, सीता और दीपू दास वापस नहीं आए । इत्तिलाकर्ता मातवर लाल ने यह आशंका जताई कि दीपू दास सीता को भगा ले गया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 376, 366 और 363 के अधीन अपराध सं. 01/2003 पट्टी सितौनस्यूं में दर्ज किया गया तथा मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया विक्रम सिंह गगवारी संबंधित पट्टी का पटवारी है । उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और पीड़िता को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया । इसके पश्चात् अन्वेषण का कार्य गणेश चन्द्र डौंडियाल को अंतरित कर दिया गया जिसने पीड़िता को बरामद किया और इस संबंध में बरामदी ज्ञापन तैयार किया । अभि. सा. 6 ने पीड़िता के कथन लिए और अभियुक्त प्रत्यर्थी यानी दीपू दास और सोना दास को पीड़िता के साथ चिकित्सा

परीक्षा के लिए भेजा और अंततः इस तथ्य का समाधान हुआ कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी यानी दीपू दास और सोना दास ने अपराध किया है और इस बारे में उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । जब विचारण प्रारंभ हुआ तो अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को प्रकट किया और अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376, 363 और 366 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सोना दास के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । छह अभियोजन साक्षियों की अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा करवाई गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के समक्ष अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य रखा गया जिसमें उन्होंने इनकार किया और यह अभिकथन करते हुए यह कहा कि उन्हें मिथ्या रूप से मामले में फंसाया गया है । प्रतिरक्षा में एक साक्षी किशोरी लाल की अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् परीक्षा कराई गई । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास और सोना दास को उनके विरुद्ध लगाए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान सरकार ने यह अपील फाइल की । राज्य उत्तराखंड द्वारा 2003 के सेशन विचारण सं. 50 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 31 मई, 2007 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध वर्तमान सरकारी अपील फाइल की गई जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास को दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोपों से दोषमुक्त किया गया और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सोना दास को दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 2 ने अपने कथन में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपने साथ अभिकथित मैथुन किए जाने की बात कहीं भी नहीं कही गई है । यद्यपि उसने यह कहा है कि विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 उस पर दबाव डाला था किंतु उस बात का अभि. सा. 2 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । दूसरे शब्दों में अभि. सा. 2 द्वारा यह अभिकथन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उसके साथ मैथुन किया था । चिकित्सा अधिकारी ने हड्डी परीक्षण करने के पश्चात् यह राय व्यक्त की है कि

पीड़िता की आयु 17-18 के बीच थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध न तो बलात्संग का अपराध बनता है और न बलात्संग किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध षड्यंत्र का अभिकथन भी साबित नहीं किया गया । इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों को साबित करने में असमर्थ हुआ है । (पैरा 8)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की सरकारी अपील सं. 321.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

राज्य/अपीलार्थी की ओर से श्री ए. एस. गिल, सरकारी अधिवक्ता
साथ में सहायक सुश्री शिवाली जोशी

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति यू. एस. ध्यानी ने दिया ।

न्या. ध्यानी – राज्य उत्तराखंड द्वारा 2003 के सेशन विचारण सं. 50 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल द्वारा 31 मई, 2007 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध वर्तमान सरकारी अपील फाइल की है जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास को दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोपों से दोषमुक्त किया गया था और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सोना दास को दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया था ।

2. गुम रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) जिसे मातवर लाल, पट्टी पटवारी सितौनस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा तारीख 16 अगस्त, 2003 को लिखी गई थी । गुम रिपोर्ट में इत्तिलाकर्ता द्वारा यह लिखा गया था कि उसकी पुत्री सीता जिसकी आयु 17 वर्ष है मीना देवी और दीपू दास के साथ तारीख 31 जुलाई, 2003 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्थानीय बाजार में घरेलू सामान खरीदने गई थी जबकि वीना देवी अपने मकान पर वापस लौट आई जबकि सीता और दीपू दास वापस नहीं आए । इत्तिलाकर्ता मातवर लाल ने यह आशंका जताई कि दीपू दास सीता को भगा ले गया ।

3. उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 376, 366 और 363 के अधीन अपराध सं. 01/2003 के रूप में पट्टी सितौनस्यूं में रजिस्ट्रीकृत की गई थी तथा मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया

गया विक्रम सिंह गगवारी (अभि. सा. 5) संबंधित पट्टी का पटवारी है, उसने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-9) तैयार किया और पीड़िता को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया । इसके पश्चात् अन्वेषण का कार्य गणेश चन्द्र डौंडियाल को अंतरित किया गया था जिसने पीड़िता को बरामद किया और उस संबंध में बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-10) तैयार किया । अभि. सा. 6 ने पीड़िता के कथन लिए और अभियुक्त प्रत्यर्थी यानी दीपू दास और सोना दास को पीड़िता के साथ चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा और अंततः इस तथ्य से समाधान हुआ कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी यानी दीपू दास और सोना दास ने अपराध किया है और इस बारे में उनके विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श क-11) प्रस्तुत किया गया ।

4. जब विचारण प्रारंभ हुआ तब अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को प्रकट किया और अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376, 363 और 366 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सोना दास के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । छह अभियोजन साक्षी अर्थात् मातवर लाल (अभि. सा. 1), कुमारी सीता (अभि. सा. 2) डा. नीता जैन (अभि. सा. 3), संजू दास (अभि. सा. 4), विक्रम सिंह गगवारी (पटवारी) (अभि. सा. 5) और गणेश चन्द्र डौंडियाल (अभि. सा. 6) (पटवारी) की अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा करवाई गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के समक्ष अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य रखा गया था जिसमें उन्होंने इनकार किया और यह अभिकथन करते हुए यह कहा कि उन्हें मिथ्या रूप से मामले में फंसाया गया है । प्रतिरक्षा में एक साक्षी किशोरी लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् परीक्षा कराई गई थी । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी दीपू दास और सोना दास को उनके विरुद्ध लगाए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान सरकार ने यह अपील फाइल की थी ।

5. मातवर लाल (अभि. सा. 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में गुम रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) साबित की जब उसकी पुत्री को बरामद किया गया था और अभि. सा. 1 (पिता) की सुपुर्दगी (अभिरक्षा) में उसकी पुत्री को दिया गया था । सुपुर्दगी नामा (प्रदर्श क-2) जिसे तैयार किया गया था । संजू दास

(अभि. सा. 4) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभि. सा. 5 (प्रथम अन्वेषक अधिकारी) विक्रम सिंह एक औपचारिक साक्षी है जिसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-7), साधारण डायरी की प्रविष्टि (प्रदर्श क-8) और घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-9) साबित की । अभि. सा. 6 (दूसरा अन्वेषक अधिकारी) ने पीड़िता की बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-10) तथा आरोप पत्र (प्रदर्श क-11) साबित की ।

6. कुमारी सीता (अभि. सा. 2) (पीड़िता) ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने की कोशिश की परंतु प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि वह दीपू दास, संजू दास, वीना देवी और लक्ष्मी के साथ 10-15 दिन ऋषिकेश में रुकी थी वहां पर अभि. सा. 2 सीता, दीपू दास, मीना देवी, संजू दास और लक्ष्मी के साथ बाजार के आस-पास घूमा करता था । अभि. सा. 2 ने भी आटोरिक्शा से ऋषिकेश से देहरादून इन लोगों के साथ यात्रा की थी । वे बस स्टैंड पर उतरा करते थे जहां कई यात्री एकत्रित होते हैं । वह एक दिन के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थी के साथ देहरादून में रुकी और अगले दिन वे ऋषिकेश वापस लौट आए । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऋषिकेश के मंदिर में सतपड़ी का अनुष्ठान किया । इस प्रकार अभि. सा. 2 के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से अभियुक्त के संग स्वतंत्र रूप से भ्रमण किया । सीता (अभि. सा. 2) कुमार श्वेता पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है "(मेरा) विवाह (दीपू दास के साथ) 17 अगस्त, 2003 को हुआ था । विवाह के पश्चात् (दीपू दास) मुझे श्रीनगर पर सोनू दास के कमरे में ले गया । दीपू दास ने विवाह के पश्चात् मुझे बाध्य किया ।" यद्यपि अभि. सा. 2 ने यह कहा है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उस पर दबाव डाला पर क्यों ? उस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । उसने कहीं भी अपने कथन में यह नहीं कहा है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उसके साथ मैथुन किया था ।

7. अब यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या वह घटना की तारीख को वयस्क या अप्राप्तवय थी ? डा. नीता जैन (अभि. सा. 3) ने तारीख 26 अगस्त, 2003 को 5.45 बजे अपराह्न पीड़िता की परीक्षा की । आंतरिक परीक्षा करने पर चिकित्सा अधिकारी ने उसके गुप्तांग भाग पर कोई क्षति नहीं पाई । योनिच्छद फटा हुआ था और योनी में दो अंगुलियां प्रवेश कर सकती हैं । उसने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) में यह बताया है कि मैथुन के संबंध में कोई राय नहीं दी जा सकती, शुक्राणु की पुष्टि के लिए दो

स्लाइड लिए गए थे और आयु के सत्यापन के लिए कलाई और कोहनी संधि का एक्सरे लिया गया था । उस संबंध में पूरक रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) डा. अरुण कुमार, विकिरण चिकित्सक, जिला अस्पताल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा दी गई है । विकिरण चिकित्सक ने यह निष्कर्ष निकाला कि दाहिनी कोहनी के एक्सरे में उनकी अस्थियों में सभी केन्द्रों (सेन्टर) में गलन पाया गया । गोग विज्ञिन रिपोर्ट (प्रदर्श क-6) में वक्ष के एक्सरे के दोनों भागों के निचले छोर के केन्द्र पर गलन पाया गया था । योनिक धब्बे में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था । रिपोर्ट नकारात्मक थी ।

8. अभि. सा. 2 ने अपने कथन में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपने साथ अभिकथित मैथुन किए जाने की बात कहीं भी नहीं कही गई है । यद्यपि उसने यह कहा है कि विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 उस पर दबाव डाला था किंतु उस बात का अभि. सा. 2 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । दूसरे शब्दों में अभि. सा. 2 द्वारा यह अभिकथन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उसके साथ मैथुन किया था । चिकित्सा अधिकारी ने हड्डी परीक्षण करने के पश्चात् यह राय व्यक्त की है कि पीड़िता की आयु 17-18 के बीच थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध न तो बलात्संग का अपराध बनता है और न बलात्संग किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध षड्यंत्र के अभिकथन को भी साबित नहीं किया गया है । इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों को साबित करने में असमर्थ हुआ है ।

9. निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है । अतः, तारीख 31 मई, 2007 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई सरकारी अपील को खारिज किया जाता है । तद्नुसार अपील खारिज की गई ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

कुरुविला

बनाम

साथी राजन और एक अन्य

तारीख 19 सितम्बर, 2012

न्यायमूर्ति एन. के. बालकृष्णन्

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 – चैक का अनादरण – चैक पर दो आड़ी रेखाएं खींचकर "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिखे जाने से चैक की परक्राम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए यदि चैक पाने वाला व्यक्ति चैक पर आगे पृष्ठांकन करता है तो पृष्ठांकिती को चैक के अनादरण की दशा में चैक के लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त-याची ने चित्रभानु नामक व्यक्ति को "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखकर क्रास करते हुए एक चैक जारी किया था । उक्त व्यक्ति ने इस चैक को आगे शिकायतकर्ता को सौंप दिया । इस तथ्य का पता चलने पर अभियुक्त-याची ने ऊपरवाल बैंक को सूचना जारी की कि चैक का भुगतान न किया जाए, हालांकि उसके खाते में पर्याप्त धन उपलब्ध था । चैक का अनादर होने पर शिकायतकर्ता ने अभियुक्त-याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोट्टयम के न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी की गई । अभियुक्त ने परिवाद तथा न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस मामले में चैक को क्रास किया गया है और इस पर "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखा गया है । इस प्रकार, इसके आगे परक्रामण को अपवर्जित या अवरुद्ध किया गया है और इसलिए पाने वाला लिखत को इस मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में पृष्ठांकन नहीं कर सकता था जिससे कि वह लेखीवाल के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए हकदार या सशक्त हो सके । निस्संदेह, इससे

पृष्ठांकक को अभियोजित करने के लिए पृष्ठांकिती का अधिकार प्रभावित नहीं होता है । यह स्पष्ट है कि यदि धारा 50 में उल्लिखित अनुसार लिखत की परक्राम्यता को निर्बंधित किया गया है, तो पाने वाला लिखत का पृष्ठांकन अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है । इसलिए याची की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील की पुष्टि धारा 50 और 51 से भी होती है कि चैक को क्रास करने के पश्चात् "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिख देने से लिखत की परक्राम्यता अवरुद्ध हो जाएगी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को इन उपबंधों के प्रकाश में भी समझा जाना चाहिए । यद्यपि चैक के मुख पर विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि "परक्राम्य नहीं है", तो भी इस तथ्य से, कि चैक को क्रास किया गया था और क्योंकि इस पर "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखा गया था, कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शिकायतकर्ता, जो कि क्रास किए गए चैक का मात्र पृष्ठांकिती है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन शिकायत कायम नहीं कर सकता है । इसलिए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि क्रास किए गए ऐसे चैक का पृष्ठांकिती, जिस पर विनिर्दिष्ट रूप से यह लिखा था कि "केवल पाने वाले के खाते में देय", परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाही कायम नहीं कर सकता है । (पैरा 30, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 1 : **आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड** बनाम **एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड** ;	28
[2009]	(2009) 8 एस. सी. सी. 1 : **सुधीर शांति लाल मेहता** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	26
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 367 : **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **रविन्द्र और अन्य** ;	26
[1994]	(1994) 5 एस. सी. सी. 213 : **कार्पोरेशन बैंक** बनाम **डी. एस. गौड़ा और एक अन्य** ;	26

[1991] (1991) 1 के. एल. टी. 125 :
मुथुट्टु चिट्टी फंड बनाम **लुकोस** ; 23

[1990] (1990) 1 के. एल. टी. 133 :
एम. जार्ज एंड ब्रदर्स बनाम **चेरियन** ; 22

[1965] (1965) 2 आल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 98 :
यूनिवर्सल गारंटी प्रा. लि. बनाम **नेशनल बैंक आफ आस्ट्रेलिया लि.** ; 17

[1963] ए. आई. आर. 1963 कलकत्ता 3 (वी 50 सी 11) :
मैसर्स टेलर्स प्रिया बनाम **मैसर्स गुलाब चंद धनराज** ; 20

[1952] ए. आई. आर. (39) 1952 इलाहाबाद 590 :
दुर्गा शाह मोहन लाल बैंकर्स बनाम **गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल** । 18

दांडिक (प्रकीर्ण) अधिकारिता : 2005 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 424.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याचिका की ओर से श्री सनल कुमार, श्रीमती भावना येलायुधन, श्री एम. आर. अरुण कुमार और श्रीमती टी. जे. सीमा

शिकायतकर्ता की ओर से सर्वश्री एम. एस. कालेश, आर. एस. कालकुरा, श्रीजीत वी. एस., लोक अभियोजक, बेचू कुरियन थॉमस (न्याय-मित्र) और जीजो पॉल (न्याय-मित्र)

न्यायमूर्ति एन. के. बालकृष्णन् – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह याचिका परिवाद तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोट्टयम के न्यायालय के 2004 के सेशन विचारण सं. 624 में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर पारित आदेश को अभिखंडित करने के लिए फाइल की गई है । वह परिवाद याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का अभिकथन करते हुए फाइल किया गया था । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने शपथ पर कथन अभिलिखित करने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका

जारी की ।

2. याची ने यह दलील दी कि उसके द्वारा चैक चित्रभानु नामक व्यक्ति को जारी किया गया था और उसके द्वारा चैक को "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखकर क्रास किया गया था । याची के अनुसार, उक्त चैक को कभी भी परक्रामित किए जाने का आशय नहीं रहा था । उपाबंध ए-3 उस चैक की प्रति है । अभियुक्त ने यह दलील दी कि चित्रभानु द्वारा चैक को निदेशों के प्रतिकूल शिकायतकर्ता को सौंपा गया था । वास्तविकता का पता चलने पर उसने ऊपरवाल बैंक को सूचना जारी की कि चैक का भुगतान न किया जाए । यह भी दलील दी गई है कि चैक का भुगतान करने के लिए याची के खाते में पर्याप्त धन था ।

3. याची द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चैक के आर-पार दो समानान्तर आड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं और जब यह लिख दिया जाता है कि "केवल पाने वाले के खाते में देय", तब क्या वह चैक परक्राम्य होता है और क्या ऐसे पाने वाले को पृष्ठांकन का प्राधिकार मिल जाता है ताकि पृष्ठांकिती को चैक के लेखीवाल को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए अभियोजित करने का हकदार बना सके । चूंकि अंतर्वलित प्रश्न सार्वजनिक महत्व का पाया गया है, इस न्यायालय द्वारा श्री बेचू कुरियन को न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया गया । श्री बेचू कुरियन और दोनों पक्षकारों की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने विस्तापूर्वक अपनी दलीलें दीं ।

4. विभिन्न निबंधन, जो विचार करने के लिए सुसंगत हैं, को समझने के लिए यह बेहतर है कि उन सुसंगत उपबंधों को यहां उद्धृत किया जाए ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 6 में "चैक" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> "'चैक' एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और उसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और इसके अंतर्गत संक्षेपित चैक का इलैक्ट्रोनिक प्रतिरूप और इलैक्ट्रोनिक रूप में चैक भी है ।"
>
> (स्पष्टीकरण को अनावश्यक होने के कारण हटा दिया गया है)

"विनिमय-पत्र" को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 5 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

'"'विनिमय-पत्र' ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश, अन्तर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे ।

संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण 'सशर्त' नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात् एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यम्भावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो ।

देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में 'निश्चित' मानी जा सकती है, यद्यपि इसके अन्तर्गत भावी ब्याज हो या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो और यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर असंदत्त अतिशेष शोध्य हो जाएगा ।

वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निदेश दिया है या संदाय किया जाना है, इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक 'निश्चित व्यक्ति' माना जा सकेगा यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो ।"

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 7 में "लेखीवाल", "ऊपरवाल" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

'विनिमय-पत्र या चैक का रचयिता' उसका 'लेखीवाल' कहलाता है, संदाय करने के लिए तद्द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति 'ऊपरवाल' कहलाता है ।

5. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का परन्तुक (क) यह आज्ञापक बनाता है कि चैक उसके लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस धारा का परन्तुक (ख) यह आज्ञापित करता है कि यथास्थिति, चैक के पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम में धारक को चैक असंदत्त लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर चैक के लेखीवाल को लिखित में सूचना देकर

उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग की जानी चाहिए । प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इसलिए सम्यक् अनुक्रम में धारक द्वारा भी अभियोजन पूर्णतः बनाए रखने योग्य है ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

6. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 में "सम्यक् अनुक्रम में धारक" को इस प्रकार परिभाषित किया है :–

> "'सम्यक् अनुक्रम में धारक' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखे बिना कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि विद्यमान थी, उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में जिसमें वह [आदेशानुसार देय] है, उसका पाने वाला या पृष्ठांकिती हो गया है ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

विद्वान् काउंसेल ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 में वर्णित "सम्यक् अनुक्रम में धारक" की परिभाषा का और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि चैक की परक्राम्यता को निर्बंधित या कम नहीं किया जा सकता है और इसलिए पृष्ठांकिती भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) में वर्णित अनुसार "सम्यक् अनुक्रम में धारक" होना चाहिए । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118(छ) के अधीन उपधारणा यह है कि किसी परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक् अनुक्रम में धारक है । परक्राम्य अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित "परक्राम्य लिखत" से वह वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अभिप्रेत है जो आदेशानुसार देय है और जिसका ऐसे देय होना अभिव्यक्त हो या जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति को देय होना अभिव्यक्त हो और जिसमें अन्तरण को प्रतिषिद्ध करने वाले शब्द या यह आशय उपदर्शित करने वाले शब्द कि वह अन्तरणीय नहीं है, अन्तर्विष्ट न हों ।

7. श्री बेचू कुरियन, न्याय-मित्र ने यह दलील दी कि जब तक अन्तरण प्रतिषिद्ध करने वाले या यह आशय उपदर्शित करने वाले शब्द नहीं हों कि चैक अन्तरणीय नहीं है, यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चैक एक परक्राम्य लिखत है । दूसरे शब्दों में, लिखत की परक्राम्यता को केवल

मात्र इस कारण निर्बंधित नहीं किया जा सकता है कि चैक के बाएं किनारे के ऊपर दो समानान्तर रेखाएं खींची गई थीं । प्रत्यर्थी के अनुसार, उपाबंध ए-3 चैक में लिखत की परक्राम्यता को निर्बंधित करने वाले या आशय उपदर्शित करने वाले ऐसे कोई शब्द या अभिव्यक्ति नहीं हैं ।

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 14 में "परक्रामण" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> "जबकि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक किसी व्यक्ति को ऐसे अन्तरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक हो जाता है, तब वह लिखत परक्रामित कर दी गई है, यह कहा जाता है ।"

धारा 15 में "पृष्ठांकन" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> "जबकि परक्राम्य लिखत का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा, परक्रामण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुख-भाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम्य लिखत के रूप में पूर्ति किए जाने के लिए आशयित स्टाम्प-पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है तब यह कहा जाता है कि वह उसे पृष्ठांकित करता है और वह 'पृष्ठांकक' कहलाता है ।"

9. शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल के अनुसार, उपाबंध ए-3 चैक के पिछली ओर किए गए पृष्ठांकन से असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट है कि पृष्ठांकन निरंक नहीं है और श्रीमती पी. डी. सेठी, इस मामले में शिकायतकर्ता, को लिखत में वर्णित रकम का संदाय करने का विनिर्दिष्ट निदेश है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम के पाने वाले से संबंधित उपबंध आवश्यक रूप से पृष्ठांकिती (इस मामले में शिकायतकर्ता) पर लागू होंगे ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 16 में "निरंक" पृष्ठांकन और "पूर्ण" पृष्ठांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> "(1) यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकन 'निरंक' कहलाता है और यदि वह लिखत में वर्णित रकम किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदत्त करने का निदेश जोड़ देता है तो पृष्ठांकन 'पूर्ण' कहलाता है, और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति लिखत का 'पृष्ठांकिती' कहलाता है ।

(2) इस अधिनियम के जो उपबन्ध पाने वाले से संबंधित हैं वे पृष्ठांकिती को आवश्यक उपान्तरणों सहित लागू होंगे ।"

(बल देने के द्वारा रेखांकित किया गया है)

10. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का परन्तुक (ग) भी यह स्पष्ट करता है कि चैक के लेखीवाल का यह कर्तव्य है कि यथास्थिति, चैक के पाने वाले को या चैक के सम्यक् अनुक्रम में धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय करे । इसलिए परक्राम्य अधिनियम की धारा 16(2) को ध्यान में रखते हुए पृष्ठांकिती को भी वही अधिकार प्राप्त होता है जो पाने वाले को होता है । दूसरे शब्दों में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) और (ग) के प्रयोजन के लिए पृष्ठांकिती को पाने वाले के समान समझा जाना चाहिए । शिकायतकर्ता की यह दलील है कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि उपाबंध-सी की पिछली ओर किया गया पृष्ठांकन "पूर्ण" है और कतई कोई अस्पष्टता नहीं रह जाती है कि पृष्ठांकन इस मामले में के शिकायतकर्ता के पक्ष में है ।

(बल देने के द्वारा रेखांकित किया गया है)

11. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन यह उपधारणा चैक के धारक को उपलब्ध है कि उसने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है । यह दलील कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा केवल चैक के धारक को ही उपलब्ध है न कि सम्यक् अनुक्रम में धारक को, अधिनियम की धारा 118(छ) को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रखी जा सकती है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 16 के फलस्वरूप जो अधिकार पाने वाले को प्राप्त है, वही अधिकार पृष्ठांकिती को भी है और इसलिए अधिनियम की धारा 9 में यथा परिभाषित "सम्यक् अनुक्रम में धारक" भी उसी उपधारणा का हकदार है । भले ही परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध नहीं है, फिर भी "पाने वाला", जिसके अंतर्गत "सम्यक् अनुक्रम में धारक" भी है, यह सिद्ध कर सकता है कि चैक के मूल धारक ने इसे किसी वैध रूप से वसूलीय ऋण या दायित्व का उन्मोचन करने के लिए प्राप्त किया था और यदि ऐसा है तो सम्यक् अनुक्रम में धारक को केवल अन्य बिंदु यह सिद्ध करना चाहिए कि पृष्ठांकन अधिनियम की धारा 16(2) में अनुध्यात अनुसार है ।

12. उचित रूप से समझने के लिए धारा 123 और 124 नीचे उद्धृत की जा रही हैं :–

धारा 123 में यह उपबंध है –

"साधारणतः क्रास किया हुआ चैक – जहां कि चैक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समानान्तर आड़ी रेखाओं के बीच 'और कम्पना' शब्द या उनका कोई संक्षेपाक्षर या केवल दो आड़ी रेखाएं 'परक्राम्य नहीं ह' शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दी गई हैं वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जाएगा और वह चैक साधारणतः क्रास किया हुआ समझा जाएगा ।"

धारा 124 में यह उपबंध है –

"विशेषतः क्रास किया हुआ चैक – जहां कि चैक पर उसके मुख भाग को काटते हुए बैंककार का नाम 'परक्राम्य नहीं है' शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह चैक विशेषतः क्रास किया गया है और उस बैंककार के पक्ष में क्रास किया गया है ।"

13. उपाबंध ए-3 से यह दर्शित होता है कि दो आड़ी रेखाओं के बीच में "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखा हुआ है । इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि क्रास करने का तात्पर्य बैंककार को यह निदेश देना है कि चैक का संदाय काउंटर के बाहर न किया जाए अपितु इसका संदाय केवल किसी बैंककार को ही किया जाए, जो या तो ऊपरवाल बैंक हो सकता है या कोई भिन्न बैंक । यह बताया गया कि ऐसा करने से यह चैक के स्वामी को एक संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि किसी बैंककार के माध्यम से संदाय प्राप्त करने से आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी खाते द्वारा या फिर किस खाते में धन संदत्त किया गया था । याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सनल कुमार ने यह दलील दी कि यद्यपि आड़ी रेखाओं के बीच में "परक्राम्य नहीं है" शब्द नहीं लिखे गए हैं और चूंकि "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिखे गए हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चैक को क्रास करना, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसकी परक्राम्यता को अवरुद्ध करता है । किंतु प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि चूंकि धारा 14 में परक्रामण को अनुज्ञात किया गया है और जब लिखत के पिछली ओर परक्रामण के प्रयोजन के लिए पृष्ठांकन किया जाता है, तब

वह व्यक्ति जिसके पक्ष में इसे पृष्ठांकित किया जाता है, पृष्ठांकिती बन जाता है, क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 16(2) के फलस्वरूप परक्राम्य लिखत अधिनियम के पाने वाले से संबंधित उपबंध पृष्ठांकिती को भी लागू होते हैं ।

14. यह भी दलील दी गई है कि "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिखने की परिपाटी चैक की परक्राम्यता को निर्बंधित नहीं करती, अपितु इसका आशय किसी चोरी और हानि से लेखीवाल की संरक्षा करना है और ये शब्द प्राप्तकर्ता बैंक को केवल यह निदेश देते हैं कि लेखीवाल की यह इच्छा है कि विशिष्ट चैक का संदाय उस बैंक में किया जाए जिसमें पाने वाले का खाता है । जहां कि चैक साधारणतः क्रास किया जाता है, वहां वह बैंककार जिस पर यह लिखा हुआ है उसका संदाय बैंककार को करने के अन्यथा नहीं करेगा । इसी प्रकार, जहां कि चैक विशेषतः क्रास किया हुआ है वहां वह बैंककार, जिस पर वह लिखा हुआ है, उसका संदाय उस बैंककार को जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है या संग्रह करने के लिए उसके अभिकर्ता को करने से अन्यथा नहीं करेगा ।

15. किसी परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन और तत्पश्चात् परिदान होने पर उसमें की सम्पत्ति पृष्ठांकिती को आगे के परक्रामण के अधिकार सहित अन्तरित कर देता है । यदि किसी ऐसी लिखत की परक्राम्यता निर्बंधित या अपवर्जित नहीं की गई है, तो लिखत का रचयिता या पृष्ठांकिती लिखत पर पृष्ठांकन कर सकता है और परक्रामित कर सकता है । कोई परक्राम्य लिखित उसके रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिगृहीता द्वारा परिपक्वता पर या के पश्चात् केवल उसके संदाय या तुष्टि पर परक्रामित की जा सकेगी, किंतु ऐसे संदाय या तुष्टि के पश्चात् नहीं ।

16. धारा 126 में यह उपबंध है कि जहां कि चैक साधारणतः क्रास किया हुआ है, वहां वह बैंककार, जिस पर वह लिखा गया है, उसका संदाय किसी बैंककार को करने से अन्यथा नहीं करेगा । जहां कि चैक विशेषतः क्रास किया हुआ है, वहां वह बैंककार, जिस पर वह लिखा गया है, उसका संदाय उस बैंककार को जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है, या संग्रह करने के लिए उसे अभिकर्ता को करने से अन्यथा नहीं करेगा ।

17. **यूनिवर्सल गारंटी प्रा. लि.** बनाम **नेशनल बैंक आफ आस्ट्रेलिया लि.**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि "परक्राम्य

[1] (1965) 2 आल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 98.

नहीं है" शब्द चैक को परक्रामित करने से निवारित नहीं करते, अपितु इसका अभिप्राय यह है कि चैक के धारक के पास उस धारक से, जिससे उसने चैक अभिप्राप्त किया, से बेहतर हक नहीं हो सकता और उससे बेहतर हक देने के लिए समर्थ नहीं है तथा "पाने वाले के खाते में देय" या "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द जोड़ देना चैक में नामित पाने वाले को निर्दिष्ट करता है, न कि चैक के प्रस्तुतीकरण के समय धारक को निर्दिष्ट करता है, किंतु वे विधि की दृष्टि में चैक को आगे परक्रामित करने से नहीं रोकते । यह दलील दी गई है कि यथा पूर्वोक्त शब्द संग्रहकर्ता बैंक के लिए केवल मात्र इस चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि यदि वह चैक के आगमों का संदाय किसी अन्य के खाते में करता है और जांच होती है तो उसे किसी प्रतिरक्षा का अवलंब लेने में कठिनाई हो सकती है । उक्त विनिश्चय कॉमनवेल्थ आफ आस्ट्रेलिया के विनिमय-पत्र अधिनियम, 1909-58 की धारा 86, 87 और 88 के उपबंधों पर विचार करते समय दिया गया था ।

18. **दुर्गा शाह मोहन लाल बैंकर्स** बनाम **गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल**[1] वाले मामले के विनिश्चय को भी यहां निर्दिष्ट किया गया है । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "चैक विधि के अधीन एक परक्राम्य लिखत है । इसकी परक्राम्यता को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है यदि इसके मुख पर 'परक्राम्य नहीं है' लिख दिया जाता है और इसकी परक्राम्यता चाहे साधारणतः या विशेषतः क्रास किए जाने पर समाप्त नहीं होती है । जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 126 में उल्लिखित है, चैक को क्रास करने का प्रभाव केवल यह है कि यदि चैक साधारणतः क्रास किया हुआ है तो ऊपरवाल बैंक किसी बैंककार से अन्यथा उसका संदाय नहीं करेगा, या यदि चैक विशेषतः क्रास किया हुआ है तो विशिष्ट बैंककार से अन्यथा उसका संदाय नहीं करेगा । क्रास करने का कोई प्रभाव नहीं है । कारलोन **बनाम** आयरलैंड [(1856) 25 एल. जे. क्यू. बी. 113] वाले मामले में न्यायमूर्ति कोलरिज़ ने पृष्ठ 114 पर यह मत व्यक्त किया है –
>
> > 'यह हो सकता है कि क्रास करने का आशय इसे लेने वाले व्यक्ति से यह सतर्कता बरतने की अपेक्षा करना और उस

[1] ए. आई. आर. (39) 1952 इलाहाबाद 590.

पर यह साबित करने की बाध्यता डालना है कि उसने इसे सद्भावपूर्वक लिया था और इसका मूल्य दिया है, किंतु लिखत की परक्राम्यता में हस्तक्षेप किए बिना इसे आगे नहीं दिया जा सकता ।'

स्मिथ **बनाम** लंदन यूनियन बैंक [(1875) 1 क्यू. बी. डी. 31] वाले मामले में लार्ड केरन्स सी. ने पृष्ठ 34 पर यह मत व्यक्त किया है –

'क्रास करने का आशय चाहे जो भी हो, इसके द्वारा चैक की परक्राम्यता अवरुद्ध नहीं होती है ।''

19. शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में चैक की परक्राम्यता समाप्त नहीं हुई थी चूंकि चैक के मुख पर "परक्राम्य नहीं है" विनिर्दिष्ट रूप से नहीं लिखा था और इसलिए भले ही चैक क्रास किया गया था, इसकी परक्राम्यता अवरुद्ध नहीं हुई थी ।

20. **मैसर्स टेलर्स प्रिया** बनाम **मैसर्स गुलाब चंद धनराज**[1] वाले मामले में विशेष न्यायपीठ के विनिश्चय में अंग्रेजी विधि का अनुसरण करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था : –

"विधि को 'इंग्लैंड की हल्सबरी की विधि' तृतीय संस्करण, पृष्ठ 783, पैरा 3, 4, 7 में संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया गया है –

' 'पाने वाले के खाते में देय' । 'पाने वाले के खाते में देय' या 'क. ख. के खाते में' के रूप में किसी विशिष्ट खाते को चिन्हित करना विनिमय-पत्र अधिनियम, 1882 में कोई प्रमाणिकता या मान्यता नहीं है । इससे चैक की अंतरणीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता [(1891) 1 क्यू. बी. 435 देखें] । यह दलील दी गई कि न ही इससे चैक की परक्राम्यता प्रभावित होती है [(1929) 1 के. बी. 775 देखें] । विशिष्ट रूप से क्रास करने की यह परिपाटी काफी लंबे समय से प्रयोग हो रही है, और इसे संग्रहकर्ता बैंक को यह सूचना देने के लिए समझा जाना चाहिए कि चैक के आगम केवल विनिर्दिष्ट खाते में ही डाले जाएं । (1904) 2 के. बी. 465 और (1914) 3 के. बी.

[1] ए. आई. आर. 1963 कलकत्ता 3 (वी 50 सी 11).

365 सीए । इसलिए अधिकांश बैंकों द्वारा किसी अन्य खाते के लिए चैक लेने से इनकार करने की प्रथा तथा सूचना पर ध्यान न देना, संभवतः उपेक्षा करना समझा जाएगा (1960) 23 टी. एल. आर. 65) ।

(1) 'पाने वाले के खाते में देय' लिखने से चैक की परक्राम्यता प्रतिषिद्ध नहीं होती । [(1891) 1 क्यू. बी. 435 सीए] और,

(2) कोई चैक जो 'टी. सी. और अन्य या वाहक', 'पाने वाले के खाते में' देय लिखा गया है, वह वाहक को देय नहीं है, अपितु 'टी. सी. और अन्य' के खाते में जमा किया जाना चाहिए ।

(3) जहां कोई चैक 'केवल पाने वाले के खाते में देय', 'परक्राम्य नहीं है' चिह्नांकित किया जाता है और पाने वाला इसे संग्रह के लिए अपने बैंककार को पृष्ठांकित करता, वहां बैंककार चैक का धारक और पृष्ठांकिती है ।

यदि, फिर भी सग्रहकर्ता बैंककार 'पाने वाले के खाते में देय' चिह्नांकित चैक का संदाय उस खाते से भिन्न खाते में करता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है; संभाव्यतः यदि वह पाने वाले का खाता नहीं रखता है तो वह चैक के लेन-देन से इनकार कर सकता है ।"

उक्त विनिश्चय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था :–

"इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि चैक एक परक्राम्य लिखत है और पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरित या परक्रामित किया जा सकता है और पृष्ठांकिती सम्यक् अनुक्रम में धारक बन जाता है । किंतु अन्य परक्राम्य लिखतों के विपरीत, क्रास किए गए चैक की बाबत विनिर्दिष्ट उपबंध हैं । उन उपबंधों को ऊपर उल्लिखित किया गया है । यदि विशेषतः क्रास करने के साथ 'परक्राम्य नहीं है' शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तब भी यह अन्तरणीय तो होता है किंतु परक्राम्य नहीं । परक्राम्य लिखत अधिनियम में 'पाने वाले के खाते में देय' या 'केवल पाने वाले के खाते में देय' के साथ क्रास करने का विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं है । एक समय पर इंग्लैंड में यह माना जाता था कि ऐसे पृष्ठांकन का कोई विधिक प्रभाव नहीं है

> और यहां तक समझा जाता था कि ऐसा पृष्ठांकन चैक को अविधिमान्य बना देता है । तथापि, ऐसे पृष्ठांकन करने की परिपाटी बहुत ही विस्तारित है और समय के साथ-साथ बढ़ती जा रही है । अब यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे क्रास करने से चैक अविधिमान्य हो जाएगा । किंतु वास्तव में ऐसे क्रास करने के विधिक परिणामों की बाबत कोई समाधानकारी विनिश्चय नहीं है । ऊपर उल्लिखित दो मामले, जिन्हें सदैव उद्धृत किया जाता है, विनिर्दिष्टतः ऐसे पृष्ठांकनों से संबंधित नहीं हैं, सिवाय (1924) 1 के. बी. 775 वाले मामले में न्यायमूर्ति स्क्रुटन की सरसरी मताभिव्यक्तियों के ।"

21. यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि, जैसी की स्थापित है, के अनुसार आदेशानुसार या वाहक को देय और "पाने वाले के खाते में देय" या "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्दों के साथ किंतु "परक्राम्य नहीं है" पृष्ठांकन रहित क्रास किया गया चैक एक परक्राम्य लिखत है और परक्रामित किया जा सकता है, किंतु संग्रहकर्ता बैंक का यह कर्तव्य है कि धन जब संग्रह किया जाए, तो उपदर्शित पाने वाले के खाते में डाले और किसी अन्य के खाते में नहीं ।

22. **एम. जार्ज एंड ब्रदर्स** बनाम **चेरियन**[1] वाला मामला भी यहां निर्दिष्ट किया गया । यह ऐसा मामला था जहां प्रथम प्रतिवादी द्वारा उस पर शोध्य रकम के संदाय की प्रतिभूति के रूप में तृतीय प्रतिवादी को एक उत्तर-तारीख चैक जारी किया गया था । प्रतिवादी सं. 1 और 2 ने यह भी दलील दी कि चैक परक्राम्य नहीं था और वादी सम्यक् अनुक्रम में धारक नहीं है । प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा दी गई मुख्य दलील यह थी कि चैक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 13 की परिभाषा के अन्तर्गत परक्राम्य लिखत नहीं है । उस मामले में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या केवल "वाहक" शब्द लिख देने से लिखत अहस्तांतरणीय हो जाएगी और उसमें का पृष्ठांकिती सम्यक् अनुक्रम में धारक नहीं बनेगा । यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि प्रथम प्रतिवादी चैक को अपरक्राम्य बनाना चाहता था तो उसे चैक को क्रास करके और "परक्राम्य नहीं है" लिखकर अपने आशय को उपदर्शित करना चाहिए था । लेखीवाल लिखत को उसमें नामित "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखकर अपरक्राम्य बना सकता था । इस

---

[1] (1990) 1 के. एल. टी. 133.

न्यायालय द्वारा इस दलील को नकार दिया गया था और अपील खारिज कर दी गई थी ।

23. **मुथुट्टु चिट्टी फंड** बनाम **लुकोस**[1] वाले मामले में खंड न्यायपीठ द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चय का अनुसरण किया गया था । उस मामले में यह दलील दी गई थी कि जब चैक में "वाहक" शब्द लिख दिया गया था, तो इसकी परक्राम्यता समाप्त हो गई थी और इसके बाद वह परक्राम्य लिखत नहीं रह गया था । यह दलील कि "वाहक" शब्द लिख देने से दस्तावेज की परक्राम्यता का विलोप करने का रचयिता का आशय स्पष्ट होता है, खंड न्यायपीठ द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी । यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र "वाहक" शब्द लिख देना इस आशय को उपदर्शित करने वाले शब्द की विद्यमानता को प्रकट नहीं करता कि यह अन्तरणीय नहीं होगा । ऐसा नहीं है कि वाणिज्यिक क्रांति के अनुक्रम के दौरान परक्राम्य लिखत के लेन-देन में ऐसे आशय के उपदर्शन के दृष्टांत अनुपलब्ध हैं ।

24. याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि क्योंकि "पाने वाले के खाते में देय" चैकों के आगमों को अन्य ग्राहकों के खाते में जमा करके इस सुविधा का दुरुपयोग करने की शिकायतें आ रही थीं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् तारीख 30 जनवरी, 2006 को निदेश जारी किए । इस अधिसूचना सं. आरबीआई/2005-06/292यूबीडी.बीडीपी. परि. सं. 30/14.01.062/2005-06, तारीख 30.01.2006 इस प्रकार है :–

> "यह समाधान होने पर कि विधिक अपेक्षाओं और विशिष्टतः परक्राम्य लिखत अधिनियम के आशय के अनुकूल तथा अप्राधिकृत संग्रहणों से उद्भूत दायित्वों के बोझ से यू. सी. बी. की संरक्षा करने की दृष्टि से, और संदाय तथा बैंककारी व्यवस्थाओं की निष्ठा और निर्दोषिता के हित में, तथा हाल ही में ध्यान में आए विचलनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने यह आवश्यक समझा है कि बैंकों को 'पाने वाले के खाते में देय' चैक को उसमें नामित पाने वाले से भिन्न व्यक्ति के खाते में जमा करने के लिए प्रतिषिद्ध किया जाए । तद्नुसार, रिजर्व बैंक यू. सी. बी. को निदेश देता है कि वे पाने वाले के खाते में देय चैकों का संग्रह पाने वाले घटक से भिन्न अन्य व्यक्ति के खाते के लिए न करें ।
>
> (बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

[1] (1991) 1 के. एल. टी. 125.

4. जहां लेखीवाल/पाने वाला बैंक को पाने वाले के खाते से भिन्न खाते में संग्रह के आगमों को जमा करने का निदेश देता है, ऐसा निदेश 'पाने वाले के खाते में देय' चैक की आशयित अंतर्निहित प्रकृति के प्रतिकूल होने के कारण बैंक को लेखीवाल/पाने वाले को कहना चाहिए कि लेखीवाल द्वारा चैक को या उस पर के पा/खाता आदेश को वापस ले लिया जाए । यह निदेश किसी बैंक द्वारा लिखे गए किसी अन्य बैंक पर देय चैक की बाबत भी लागू होंगे ।

5. ये निदेश बैंककारी विनिमय अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं ।"

25. पूर्वोक्त निदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को पुनः यह कहते हुए परिपत्र जारी किए गए कि बैंक "पाने वाले के खाते में देय" चैकों का संग्रह पाने वाले घटक से भिन्न अन्य व्यक्ति के लिए न करे और यदि लेखीवाल/पाने वाला बैंक को पाने वाले के खाते से भिन्न किसी खाते में संग्रह के आगमों को जमा करने का निदेश देता है, तो बैंक को लेखीवाल/पाने वाले को कहना चाहिए कि लेखीवाल द्वारा चैक को या उस पर के पा/खाता आदेश को वापस ले लिया जाए । यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त निदेश किसी बैंक द्वारा लिखे गए किसी अन्य बैंक पर संदेय चैक पर भी लागू होंगे ।

26. **कार्पोरेशन बैंक** बनाम **डी. एस. गौड़ा और एक अन्य**[1], **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **रविन्द्र और अन्य**[2] और **सुधीर शांति लाल मेहता** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए याची की ओर विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारा 35-क और धारा 21-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए परिपत्रों का कानूनी बल है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेश विधिमान्य और विधिपूर्ण अभिनिर्धारित किए गए थे । ये परिपत्र/पत्र सभी बैंको के लिए थे । जब ऐसे परिपत्र बैंकों पर आबद्धकर हैं, तो ये अधिकारियों पर भी आबद्धकर होंगे । अतः बैंक के किसी प्राधिकारी या अधिकारी की ओर से

---

[1] (1994) 5 एस. सी. सी. 213.

[2] (2002) 1 एस. सी. सी. 367.

[3] (2009) 8 एस. सी. सी. 1.

किया गया कोई लोप या कार्य विधि के किसी निदेश के अतिक्रमण में कार्य करने की कोटि में आएगा । उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि का निदेश संसद या किसी विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि का ही निदेश होने की आवश्यकता नहीं है, विधि ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाई जा सकती है जिसके पास इसके लिए शक्ति है ।

27. याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब ऐसे निदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को जारी किए गए थे, वे ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं क्योंकि किसी अधिकारी द्वारा किया गया लोप या अवज्ञा इन परिपत्रों/निदेशों के अतिक्रमण में कार्य करने की कोटि में आएगा । इसलिए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यदि ऐसा निदेश बैंकों को जारी किया गया था, तब "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्दों के साथ क्रास किया गया चैक इस आधार पर अनादृत हुआ था कि वह व्यक्ति जिसने चैक प्रस्तुत किया था, उसने केवल एक "पृष्ठांकिती" या "सम्यक् अनुक्रम में धारक" होने का दावा किया था न कि "पा/खाता" अर्थात् जिसके पक्ष में चैक लिखा गया था, तब ऐसे क्रास किए गए "पाने वाले के खाते में देय" चैक का पृष्ठांकिती या सम्यक् अनुक्रम में धारक चैक के लेखीवाल के विरुद्ध कार्यवाही को कायम नहीं रख सकता है । ऊपर उल्लिखित परिपत्र में यह निदेश भी है कि यदि पाने वाले द्वारा "पाने वाले के खाते में देय" चैक की अंतर्निहित प्रकृति के प्रतिकूल निदेश दिया जाता है, तो बैंक का यह कर्तव्य है कि लेखीवाल/पाने वाले को कहे कि लेखीवाल द्वारा चैक के ऊपर से पा/खाता आदेश हटा लिया जाए । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, इस बात से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे चैक का भुगतान नहीं किया जा सकता है यदि इसे "पा/खाता" से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

28. **आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड** बनाम **एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "धारा 21 बैंककारी कंपनियों द्वारा दिए गए अग्रिमों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शक्ति से संबंधित है । धारा

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 1.

21 अग्रिमों के संबंध में कंपनियों द्वारा पालन की जाने वाली नीतियां विरचित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त करती है । इस धारा में यह भी उपबंध है कि जब एक बार ऐसी नीति बना दी जाती है, तो सभी बैंककारी कंपनियां उनका पालन करने लिए आबद्ध होंगी । धारा 21(1) भी अग्रिमों के संबंध में नीति का अवधारण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त करते हुए एक साधारण उपबंध है जबकि धारा 21(2) भारतीय रिजर्व बैंक को उसमें अर्थात् 21(2) में वर्णित मदों के बारे में बैंककारी कंपनियों को निदेश देने के लिए सशक्त करती है । धारा 21(3) के अधीन प्रत्येक बैंककारी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों का पालन, अननुपालन करने पर शास्ति अधिरोपित करने की जोखिम पर, करने के लिए आबद्ध है । धारा 35-क में यह उपबंध है कि जहां भारतीय रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि बैंककारी नीति के हित में बैंककारी कंपनियों को निदेश जारी करना आवश्यक है तो वह समय-समय पर ऐसा कर सकता है और बैंककारी कंपनियां ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध हैं । इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 और धारा 35-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि का बल रखने वाले निदेश जारी कर सकता है ।"

पूर्वोक्त विनिश्चय का अवलंब लेते हुए याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि ऊपरवाल बैंक चैक का भुगतान करने के लिए अपवर्जित था क्योंकि इसे "पृष्ठांकिती" या "सम्यक् अनुक्रम में धारक" द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन "पृष्ठांकिता" या "सम्यक् अनुक्रम में धारक" द्वारा आरंभ किया गया अभियोजन असंधार्य है । इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी शर्तें अधिकथित करने के लिए सशक्त है जिनके आधार पर बैंककारी कंपनियां कार्य करेंगी ।

29. याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रस्तुत मामले में चैक को क्रास किया गया था और इसे "पाने वाले के खाते में देय" के रूप में लिखा गया था, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लिखत की परक्राम्यता को अवरुद्ध किया गया था । इस संबंध में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 50 और धारा के साथ दिया गया दृष्टांत, जो कि सुसंगत है, को यहां निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

धारा 50 इस प्रकार है :–

"परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन तत्पश्चात् परिदान होने पर, उसमें की सम्पत्ति पृष्ठांकिती को आगे के परक्रामण के अधिकार सहित कर देता है, किंतु पृष्ठांकन अभिव्यक्त शब्दों द्वारा ऐसा अधिकार निर्बन्धित या अपवर्जित कर सकेगा अथवा पृष्ठांकिती को लिखत का पृष्ठांकन करने को या पृष्ठांकक के लिए या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए उसकी अन्तर्वस्तुएं प्राप्त करने को केवल अभिकर्ता बना सकेगा ।

दृष्टांत

ख वाहक को देय विभिन्न परक्राम्य लिखतों पर निम्नलिखित पृष्ठांकन हस्ताक्षरित करता है :–

(क) 'अन्तर्वस्तुओं का संदाय केवल **ग** को करो' ।

(ख) 'मेरे उपयोग के लिए **ग** को संदाय करो' ।

(ग) '**ख** के लेखे **ग** को या आदेशानुसार संदाय करो' ।

(घ) 'इसकी अन्तर्वस्तुएं **ग** के नाम जमा कर दो' ।

ग द्वारा आगे के परक्रामण का अधिकार इन पृष्ठांकनों से अपवर्जित है ।

(ङ) '**ग** को संदाय करो' ।

(च) 'ओरियन्टल बैंक में **ग** के खाते में इसका मूल्य जमा कर दो' ।

(छ) 'पृष्ठांकक और अन्य को **ग** ने जो समनुदेशन विलेख निष्पादित किया है उसके प्रतिफल के भागस्वरूप **ग** को इसकी अन्तर्वस्तुओं का संदाय करो' ।

ग द्वारा आगे के परक्रामण के अधिकार को ये पृष्ठांकक अपवर्जित नहीं करते ।"

(बल देने के लिए रेखाकंन किया गया है)

30. चूंकि प्रस्तुत मामले में चैक को पहले ही उपदर्शित रीति में क्रास किया गया था, इसलिए ऊपर उल्लिखित दृष्टांत (क) निश्चित रूप से लागू होगा क्योंकि लिखत अर्थात् "केवल पाने वाले के खाते में देय" पृष्ठांकन के साथ क्रास किए गए चैक को आगे परक्रामित करने का अधिकार अपवर्जित

हो जाएगा । यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस मामले में चैक को क्रास किया गया है और इस पर "केवल पाने वाले के खाते में देय" लिखा गया है । इस प्रकार, इसके आगे परक्रामण को अपवर्जित या अवरुद्ध किया गया है और इसलिए पाने वाला लिखत को इस मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में पृष्ठांकन नहीं कर सकता था जिससे कि वह लेखीवाल के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए हकदार या सशक्त हो सके । निस्संदेह, इससे पृष्ठांकक को अभियोजित करने के लिए पृष्ठांकिती का अधिकार प्रभावित नहीं होता है ।

31. धारा 51 की भी सुसंगतता है, जो इस प्रकार है :–

> "परक्राम्य लिखत का हर एकल रचयिता, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकिती या कई संयुक्त रचयिताओं, लेखीवालों, पाने वालों या पृष्ठांकितियों में से सब उसे पृष्ठांकित और परक्रामित कर सकेंगे यदि ऐसी लिखत की परक्राम्यता धारा 50 में वर्णित रूप से निर्बन्धित या अपवर्जित नहीं की गई है ।"

अतः यह स्पष्ट है कि यदि धारा 50 में उल्लिखित अनुसार लिखत की परक्राम्यता को निर्बंधित किया गया है, तो पाने वाला लिखत का पृष्ठांकन अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है । इसलिए याची की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील की पुष्टि धारा 50 और 51 से भी होती है कि चैक को क्रास करने के पश्चात् "केवल पाने वाले के खाते में देय" शब्द लिख देने से लिखत की परक्राम्यता अवरुद्ध हो जाएगी । ऊपर यथानिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को इन उपबंधों के प्रकाश में भी समझा जाना चाहिए ।

32. यद्यपि चैक के मुख पर विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि "परक्राम्य नहीं है", तो भी इस तथ्य से, कि चैक को क्रास किया गया था और क्योंकि इस पर 'केवल पाने वाले के खाते में देय' लिखा गया था, कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शिकायतकर्ता, जो कि क्रास किए गए चैक का मात्र पृष्ठांकिती है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन शिकायत कायम नहीं कर सकता है । इसलिए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि क्रास किए गए ऐसे चैक, जिस पर विनिर्दिष्ट रूप से यह लिखा था कि 'केवल पाने वाले के खाते में देय', का पृष्ठांकिती परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाही कायम नहीं कर सकता है ।

33. परिणामतः, यह याचिका मंजूर की जाती है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोट्टायम के न्यायालय के 2004 के सेशन विचारण सं. 624 में की कार्यवाहियां अभिखंडित हो जाएंगी ।

इस मामले का समापन करने से पूर्व, मैं अभिलेख पर विद्वान् न्याय-मित्र श्री बेचू कुरियन और पक्षकारों की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान् काउंसेलों की न्यायालय की सहायता करने के लिए किए गए सच्चे प्रयासों के लिए अत्यंत सराहना करना चाहूंगा ।

याचिका मंजूर की गई ।

जस.

(2013) 1 दा. नि. प. 211 **केरल**

पी. टी. अब्दुल रहमान

बनाम

केरल राज्य

तारीख 30 नवम्बर, 2012

न्यायमूर्ति एस. एस. सतीशचन्द्रन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 188 – भारत से बाहर किए गए अपराध का संज्ञान – यदि मजिस्ट्रेट द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए उक्त संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी के बिना जांच/विचारण की कार्यवाही आरंभ की गई है, तो अपराध का आगे अन्वेषण करने के अनुरोध पर किए गए आदेश पर की गई चुनौती पर, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न केवल आगे अन्वेषण करने वाला आदेश बल्कि पूर्व जांच/विचारण भी अविधिमान्य हो जाएगा ।

याची न्यायिक प्रथम वर्ग न्यायालय, ओटापल्लम फाइल के लंबित मामले का अभियुक्त है । उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन किया जा रहा है । पूर्वोक्त मामलों में, दूसरे प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'परिवादी' कहा गया है) द्वारा परिवाद पर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध दर्ज कराया गया

और वह दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए पुलिस को निर्दिष्ट किया गया । अन्वेषण के पश्चात् पुलिस द्वारा रिपोर्ट फाइल किए जाने पर पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लिया गया, अभियुक्त को समन जारी किया गया और उसके उपसंजात होने पर औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् उसके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । उस प्रक्रम पर परिवादी ने यह दलील देते हुए कि तात्विक दस्तावेजों को अन्वेषक अभिकरण द्वारा अभिग्रहण नहीं किया गया है और यह भी कि अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी अभिप्राप्त नहीं की गई है जो आवश्यक है चूंकि अपराधों का संव्यवहार विदेश में हुआ है, अपराध का और अन्वेषण किए जाने की मांग करते हुए आवेदन किया उस आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा (उपाबंध ए-5) द्वारा अनुज्ञात किया गया । उस उपाबंध में भी परिवादी का आवेदन अन्तर्विष्ट है । पूर्वोक्त अपराधों के लिए याची को फंसाते हुए मामले में पुलिस द्वारा फाइल अंतिम रिपोर्ट (उपाबंध ए-3) ऐसी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा विरचित आरोप (उपाबंध ए-4) और अतिरिक्त अन्वेषण की मंजूरी देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश (उपाबंध ए-5) को उन्हें अभिखंडित करने के लिए यह दलील देते हुए अभियुक्त द्वारा याचिका में चुनौती दी गई है कि संहिता की धारा 188 के अधीन केन्द्रीय सरकार से मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना उसके विरुद्ध आरंभ की गई अभियोजन कार्यवाहियां विधि के अधीन कायम किए जाने योग्य नहीं हैं । अत: संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

परिवादी अपने पद के साथ संयुक्त अरब अमीरात में रह रही थी । यह कहा गया है कि याची/अभियुक्त उसके पति का चाचा है । इस प्रकार जब परिवादी और वह संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे तो मिथ्या व्यपदेशन और आपराधिक न्यास भंग करके अभियुक्त ने उससे काफी रकम का छल किया जो पूर्वोक्त कथित अपराधों के लिए अभियुक्त को अभियोजित करने वाले पक्षकथन का सार है । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने 42,45,000/- रुपए की रकम के लिए मिथ्या व्यपदेशन और आपराधिक न्यास भंग करके अपराधों में उसे फंसाकर रिपोर्ट परिवादी के पद के साथ कपट किया । चूंकि अभ्यारोपित अपराधों का अभिकथित संव्यवहार आदेश के बाहर हुआ इसलिए संहिता की धारा 188 के अधीन अभियुक्त को न्यायोचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अपेक्षित है किंतु वह अब तक अभिप्राप्त नहीं किया गया है, जो

विवादित नहीं है । याची/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई चुनौती का मुख्य जोर इस बात पर है कि जहां न्यायालय ने पुलिस द्वारा फाइल रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया और लिया गया ऐसा संज्ञान दोषपूर्ण है तो न्यायालय को अपराध के आगे अन्वेषण के लिए आदेश उपाबंध ए-5 पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं है । चूंकि आरोप विरचित किए जा चुके हैं और विचारण मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना आरंभ किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आरोप कायम नहीं रखे जा सकते और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए, यह काउंसेल का अगला निवेदन है । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देने के लिए अनेक न्यायिक निर्णयों का अवलंब लिया कि उपाबंध ए-4 रिपोर्ट पर लिए गए अपराधों का संज्ञान, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना और तत्पश्चात् आगे अन्वेषण के लिए आदेश उपाबंध ए-5 का पारित किया जाना दोषपूर्ण है । उपाबंध क्योंकि यह सभी कार्य संहिता की धारा 188 के अधीन आज्ञापक अधिदेश का उल्लंघन करते हुए किए गए हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह मानते हुए कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने और उसके अपराधी को फंसाते हुए संहिता की धारा 173(2) के अधीन रिपोर्ट का फाइल किया जाना संहिता की धारा 188 के अधीन निषेध नहीं है, यह दलील दी की कि केन्द्रीय सरकार से अपराधों का संज्ञान लेने और मामले में आगे कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है । उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विचारणीय है कि क्या इस मामले में परिवादी के आवेदन को मंजूर करते हुए अपराध का आगे अन्वेषण करने का निदेश देने वाला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश उपाबंध ए-5 कायम रखे जाने योग्य है । संहिता की धारा 173(8) के अधीन किए गए आवेदन में पारित आदेश चाहे यह अन्वेषक अभिकरण या तथ्यत: परिवादी द्वारा लाया जाए और ऐसे आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने पर मामले के विचारण के सातथ्यत: के उपाय के रूप में विचार नहीं किया जा सकता । मामले के किसी प्रक्रम पर अपराध का आगे अन्वेषण का सातथ्यत: और अतिरिक्त सामग्री का संग्रहण किसी भी तरह से इस कारण निषिद्ध नहीं है कि संहिता की धारा 173(2) के अधीन रिपोर्ट पहले ही न्यायालय के समक्ष फाइल की जा चुकी है । तथापि, ऐसे मामले में जहां जांच या विचारण आरंभ किए जाने की मंजूरी अपेक्षित है किंतु ऐसी मंजूरी के बिना विचारण

का कार्य आरंभ किया गया है, मंजूरी का पश्चात्वर्ती अभिप्राप्त किया जाना और उसका अपास्त किया जाना ऐसे विचारण की अविधिमान्यता को नहीं मिटाएगा । अत: ऐसे अविधिमान्य विचारण के अनुक्रम में यदि आगे अन्वेषण किए जाने के लिए कोई आवेदन किया जाता है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं तो वे कायम नहीं रखे जा सकते । मंजूरी के बिना कोई जांच या विचारण आरंभ किए जाने पर आगे अन्वेषण करने की अनुज्ञा करने वाला मजिस्ट्रेट का कोई आदेश भी दोषपूर्ण है । जहां मंजूरी केवल जांच या विचारण के लिए अपेक्षित है किंतु अपराधी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं है वहां ऐसी जांच या विचारण आरंभ करने के पूर्व अपराध का आगे अन्वेषण करने के किसी आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण और विनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि मंजूरी की बाबत अवरोध केवल जांच या विचारण लागू है । इसके अतिरिक्त जब अकेले जांच या विचारण संज्ञान लेने के पश्चात् भी मंजूरी की कमी के कारण वर्जित है किंतु ऐसी जांच/विचारण आरंभ करने के पूर्व अपराधी को अभियोजित करने के लिए मंजूरी आदेश अभिप्राप्त और पेश किया जा सकता है । यह विचार करने के लिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या विचारण आरंभ होने के पश्चात् वाद के प्रक्रम पर आगे अन्वेषण करने का अनुरोध जो मंजूरी के बिना अविधिमान्य है, यदि उस कारण बातिल किया जाता है तो न्याय के प्रयोजन के लिए नए सिरे से मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किए जाने का निदेश दिया जा सकता है । विचारण मंजूरी के बिना आरंभ किया गया है । इस प्रकार यह इसे अविधिमान्य ठहराता है और ऐसे अविधिमान्य विचारण के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट ने आगे अन्वेषण करने का आदेश उपाबंध ए-5 पारित किया जो अविधिमान्य था । क्या विचारण की ऐसी अविधिमान्यता और आगे अन्वेषण करने और अभियुक्त के विरुद्ध सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की मांग करते हुए आगे अन्वेषण करने के आदेश को पारित किए जाने का प्रश्न विचारार्थ है । याची के विद्वान् काउंसेल ने इस्माइल वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही मंजूरी लिए बिना आरंभ की गई है वहां ऐसी कार्यवाहियां अभिखंडित किए जाने योग्य हैं । मैं सहमत नहीं हूं । जैसाकि पहले ही उल्लिखित है, मंजूरी जांच या विचारण के लिए अपेक्षित है न ही अपराध का संज्ञान लेने के लिए । संज्ञान लेने के पश्चात् जांच या विचारण आरंभ होने के पूर्व यदि यह ध्यान में लाया जाता है कि अपेक्षित मंजूरी नहीं दी गई है तो न्यायालय अभियोजन को मंजूरी अभिप्राप्त करने और पेश करने का अवसर प्रदान कर

सकता है । इसके अतिरिक्त जांच या विचारण मंजूरी के बिना आरंभ किया गया है तो वह ऐसी जांच/विचारण को ही अविधिमान्य करेगा जहां ऐसी जांच या विचारण में ऐसी अविधिमान्यता का ध्यान इस न्यायालय में लाया जाता है और कार्यवाहियां लंबित हैं वहां ऐसी जांच/विचारण की कार्यवाही को अपास्त करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है और अन्वेषक अभिकरण द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट को भी वापस किया जा सकता है जो मंजूरी आदेश के बिना पेश की गई थी । जांच/विचारण की कार्यवाहियों को अपास्त करने के पश्चात् भी अभियोजक अभिकरण को मंजूरी आदेश पेश करने का अवसर देते हुए जांच/विचारण की कार्यवाहियों में दिया जा सकता है । यदि जांच/विचारण की कार्यवाही मंजूरी के बिना आरंभ की गई है तो यह स्वयं अभियुक्त को मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नए सिरे से अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने से अलग नहीं करेगा । तथापि, यदि विचारण का अंत उसके दोषमुक्ति से होता है तो भी ऐसा विचारण दोषपूर्ण था जो संभवत: नए सिरे से विचारण के आदेश देने में उसके द्वारा भुगते जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह भी कि ऐसे दोषमुक्ति से हुई कार्यवाहियां संहिता की धारा 465 के अधीन साध्य अनियमितता नहीं थी, निश्चित रूप से नए सिरे से विचारण के लिए कोई आदेश महत्वपूर्ण नहीं होगा । इस मामले में मंजूरी के बिना अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के अलावा विचारण में आगे कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है । जब ऐसा है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने वाले आदेश और उपाबंध ए-5 आदेश के पारित किए जाने सहित विचारण के लिए संज्ञान के प्रक्रम के पश्चात् लिए गए सभी कदमों को अपास्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को तथ्यत: परिवादी द्वारा लाए गए आवेदन पर विचार करने का निदेश दिया जाना चाहिए । यद्यपि काफी विलंब से फाइल किया गया है कि क्या इस संबंध में किसी अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है । उसने एकमात्र इस आधार पर उपाबंध ए-5 आदेश पारित किया है कि कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया गया है । उस आधार पर पारित किए जाने का आदेश भी दोषपूर्ण है जो अन्यथा भी आदेश के ऊपर उपदर्शित किया गया है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है । मामले के विचारण के लिए संज्ञान पश्चात् प्रक्रम में मजिस्ट्रेट द्वारा उठाई गई कार्यवाहियां मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और मामले में प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों तथा विधि के अनुसार तथ्यत: परिवादी द्वारा आगे अन्वेषण करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने और आदेश करने के निदेश के साथ अपास्त किया

जाता है । यदि वह आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट विचारण की कार्यवाही आरंभ नहीं करेगा क्योंकि मामले के विचारण में कार्यवाही आरंभ करने के लिए अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए कोई मंजूरी आदेश पेश नहीं किया गया है । (पैरा 7, 8, 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] (2011) 3 के. एल. टी. 909 (एस. सी.) :
थोटा वेंकटश्वरलू बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 6

[2010] (2010) 2 के. एल. डी. 541 :
रियास सलीम बनाम **सी. आई. पुलिस, पटनामिट्टा और अन्य** ; 3

[2009] (2009) 1 के. एच. सी. 65 :
पदमारजन सी. वी. बनाम **केरल सरकार और अन्य** ; 3

[1999] (1999) 2 के. एल. टी. 794 (एफ. बी.) :
समारुद्दीन बनाम **सहायक निदेशक आफ इनफोर्समेंट** ; 3

[1999] (1999) के. एल. सी. 19 :
इस्माइल बनाम **केरल राज्य** ; 3

[1995] (1995) 1 के. एल. टी. 748 :
मुहम्मीद सजीद बनाम **केरल राज्य** ; 3

[1993] (1993) 1 के. एल. जे. 234 :
रेमला और अन्य बनाम **एस. पी. पुलिस और अन्य** । 3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 2708.

न्यायिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय-ओटापल्लम के मामला सं. 2061/2010 के विरुद्ध अपील ।

याची की ओर से श्री पी. जयराम

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक श्री पी. एम. सनीर

न्यायमूर्ति एस. एस. सतीशचन्द्रन – याची न्यायिक प्रथम वर्ग न्यायालय,

ओटापल्लम फाइल के लंबित मामले का अभियुक्त है । उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन किया जा रहा है । पूर्वोक्त मामलों में, दूसरे प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'परिवादी' कहा गया है) द्वारा परिवाद पर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध दर्ज कराया गया और वह दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए पुलिस को निर्दिष्ट किया गया । अन्वेषण के पश्चात् पुलिस द्वारा रिपोर्ट फाइल किए जाने पर पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लिया गया, अभियुक्त को समन जारी किया गया और उसके उपसंजात होने पर औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् उसके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । उस प्रक्रम पर परिवादी ने यह दलील देते हुए कि तात्विक दस्तावेजों को अन्वेषक अभिकरण द्वारा अभिग्रहण नहीं किया गया है और यह भी कि अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी अभिप्राप्त नहीं की गई है जो आवश्यक है चूंकि अपराधों का संव्यवहार विदेश में हुआ है, अपराध का और अन्वेषण किए जाने की मांग करते हुए आवेदन किया उस आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा (उपाबंध ए-5) द्वारा अनुज्ञात किया गया । उस उपाबंध में भी परिवादी का आवेदन अन्तर्विष्ट है । पूर्वोक्त अपराधों के लिए याची को फंसाते हुए मामले में पुलिस द्वारा फाइल अंतिम रिपोर्ट (उपाबंध ए-3) ऐसी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा विरचित आरोप (उपाबंध ए-4) और अतिरिक्त अन्वेषण की मंजूरी देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश (उपाबंध ए-5) को उन्हें अभिखंडित करने के लिए यह दलील देते हुए अभियुक्त द्वारा याचिका में चुनौती दी गई है कि संहिता की धारा 188 के अधीन केन्द्रीय सरकार से मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना उसके विरुद्ध आरंभ की गई अभियोजन कार्यवाहियां विधि के अधीन कायम किए जाने योग्य नहीं हैं । अत: संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

2. नोटिस दी गई । दूसरा प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ । मैंने दोनों पक्षकारों की ओर से काउंसेलों और विद्वान् लोक अभियोजक को भी सुना ।

3. परिवादी अपने पद के साथ संयुक्त अरब अमीरात में रह रही थी । यह कहा गया है कि याची/अभियुक्त उसके पति का चाचा है । इस प्रकार जब परिवादी और उसके संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे तो मिथ्या व्यपदेशन और आपराधिक न्यास भंग करके अभियुक्त ने उससे काफी रकम

का छल किया जो पूर्वोक्त कथित अपराधों के लिए अभियुक्त को अभियोजित करने वाले पक्षकथन का सार है । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने 42,45,000/- रुपए की रकम के लिए मिथ्या व्यपदेशन और आपराधिक न्यास भंग करके अपराधों में उसे फंसाकर रिपोर्ट परिवादी के पद के साथ कपट किया । चूंकि अभ्यारोपित अपराधों का अभिकथित संव्यवहार आदेश के बाहर हुआ इसलिए संहिता की धारा 188 के अधीन अभियुक्त को न्यायोचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अपेक्षित है किंतु वह अब तक अभिप्राप्त नहीं किया गया है, जो विवादित नहीं है । याची/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई चुनौती का मुख्य जोर इस बात पर है कि जहां न्यायालय ने पुलिस द्वारा फाइल रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया और लिया गया ऐसा संज्ञान दोषपूर्ण है तो न्यायालय को अपराध के आगे अन्वेषण के लिए आदेश उपाबंध ए-5 पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं है । चूंकि आरोप विरचित किए जा चुके हैं और विचारण मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना आरंभ किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आरोप कायम नहीं रखे जा सकते और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए, यह काउंसेल का अगला निवेदन है । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देने के लिए अनेक न्यायिक निर्णयों का अवलंब लिया कि उपाबंध ए-4 रिपोर्ट पर लिए गए अपराधों का संज्ञान, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना और तत्पश्चात् आगे अन्वेषण के लिए आदेश उपाबंध ए-5 का पारित किया जाना दोषपूर्ण है । क्योंकि यह सभी कार्य संहिता की धारा 188 के अधीन आज्ञापक अध्यादेश का उल्लंघन करते हुए किए गए हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह मानते हुए कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने और उसके अपराधी को फंसाते हुए संहिता की धारा 173(2) के अधीन रिपोर्ट का फाइल किया जाना संहिता की धारा 188 के अधीन निषेध नहीं है, यह दलील दी कि केन्द्रीय सरकार से अपराधों का संज्ञान लेने और मामले में आगे कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है । विद्वान् काउंसेल ने **रेमला और अन्य** बनाम **एस. पी. पुलिस और अन्य**[1], **मुहम्मीद सजीद** बनाम **केरल राज्य**[2], **रियास सलीम** बनाम **सी. आई. पुलिस, पटनामिट्टा**

[1] (1993) 1 के. एल. जे. 234.

[2] (1995) 1 के. एल. टी. 748.

और अन्य[1], **इस्माइल** बनाम **केरल राज्य**[2], **समारुद्दीन** बनाम **सहायक निदेशक आफ इनफोर्समेंट**[3] और **पदमारजन सी. वी.** बनाम **केरल सरकार और अन्य**[4] वाले मामलों का अवलंब लिया । क्योंकि चुनौती का समर्थन करने के लिए नजीरें याचिका में उठाया गया है ।

4. संहिता की धारा 188 इस प्रकार है :–

"188. **भारत से बाहर किया गया अपराध** – जब कोई अपराध भारत से बाहर –

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र ; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर,

किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अन्दर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है :

परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।"

5. उपरोक्त धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा 4 भी यह उल्लेख करती है कि यदि अपराध करने वाला व्यक्ति उस समय पर भारत का नागरिक है तो यदि अपराध भारत के क्षेत्र से बाहर किया गया तो भारत के न्यायालयों की अधिकारिता के बिना होगा । दोनों धाराओं के अधीन उपवर्णित नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि नागरिकों के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता अपराध के स्थान के कारण समाप्त नहीं हो जाती है । तथापि, संहिता की धारा 188 भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराधों की जांच या विचारण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने की मंजूरी पर बल देते हुए निषेधादेश देती है । मामले में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अपराधी के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का

---

[1] (2010) 2 के. एल. डी. 541.

[2] (1999) के. एच. सी. 19.

[3] (1999) 2 के. एल. टी. 794 (एफ. बी.).

[4] (2009) 1 के. एच. सी. 65.

संज्ञान लेने के पश्चात् यदि संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी के बिना अपराधी के विरुद्ध जांच/विचारण की कार्यवाही आरंभ की जाती है तो क्या वह न केवल ऐसी जांच या विचारण को बल्कि अपराध का आगे अन्वेषण करने के लिए पारित आदेश को भी अविधिमान्य करेगा ।

6. **रेमला** (उपरोक्त) वाले मामले, **मुहम्मीद सजीद** (उपरोक्त) वाले मामले और **रियास सलीम** (उपरोक्त) वाले इन तीनों मामलों में यह प्रश्न अन्तर्वलित था कि क्या भारत के बाहर किए गए अपराधों का अन्वेषण पुलिस द्वारा संहिता की धारा 188 के अधीन मंजूरी के बिना किया जा सकता है । इन सभी तीनों मामलों में लगातार यह मत व्यक्त किया गया कि अन्वेषण के लिए ऐसी किसी मंजूरी की अपेक्षा नहीं है जो इस मामले में भी विवाद का विषय नहीं है । **इस्माइल** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रश्न यह था कि क्या बाद में अभिप्राप्त की गई मंजूरी पहले ही आरंभ किए गए विचारण को विधिमान्य ठहराएगा । **समारुद्दीन** (उपरोक्त) वाले मामले में संहिता की धारा 188 के अधीन अपेक्षित मंजूरी के प्रश्न पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ऐसी मंजूरी भारत के बाहर किए गए अपराधों की बाबत भारत में आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्रारंभिक अपेक्षा है । उपरोक्त विनिश्चय और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अन्य विनिश्चयों का भी अनुसरण करते हुए **पशराजन** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस रिपोर्ट पर न्यायिक विवेक का प्रत्युत्तर और अपराधों का संज्ञान लेने का विनिश्चय करने तथा संहिता की धारा 204 के अधीन अभियुक्त के प्रति आदेशिका जारी करना 'जांच' का भाग होगा और ऐसे मामलों में जहां ऐसे अपराध भारत से बाहर किए गए हैं । ऐसी जांच तब तक वर्जित है जब तक केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता । पूर्वोक्त विनिश्चयों में व्यक्त मत कि कार्यवाहियां संस्थित करने या यह विचार करने के लिए कि क्या अपराधों का संज्ञान लिया जाए और फाइल किए गए रिपोर्ट पर भारत से बाहर किए गए अपराधों वाले मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी की जाए, पर न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने के लिए मंजूरी अपेक्षित है, **थोटा वेंकटश्वरलू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय के आलोक में अब लागू नहीं रहा है । उस विनिश्चय में इस प्रश्न का विवेचन करते हुए कि किस विस्तार तक संहिता की धारा 188 के परंतुक द्वारा अधिरोपित बाधाएं भारत के बाहर किए गए अपराधों वाले

[1] (2011) 3 के. एल. टी. 909.

मामले में लागू होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "संहिता की धारा 188 का परंतुक केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय धारा के पूर्वतर भाग में वर्णित किसी अपराध की जांच करने या विचारण करने के लिए अन्वेषक प्राधिकारियों की शक्तियों पर अवरोध है । तथापि, अवरोध तभी अधिरोपित होता है जब विचारण का प्रक्रम आरंभ होता है जो स्पष्टत: यह उपदर्शित करता है कि विचारण के आरंभ होने तक धारा 188 के निबंधनानुसार किसी मंजूरी की अपेक्षा नहीं है । भारत में अपराधी का विचारण करने की आवश्यकता महसूस करने के पश्चात् कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी विचारण आरंभ होने के पहले अपेक्षा हो, तद्नुसार संज्ञान लेने के प्रक्रम तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के परंतुक के निबंधनानुसार केन्द्रीय सरकार से किसी पूर्व मंजूरी की अपेक्षा नहीं होगी । तथापि, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान प्रक्रम से परे विचारण को आरंभ नहीं किया जा सकता ।"

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए मामले में भारत में और भारत से बाहर किए गए अपराध अन्तर्वलित थे । ऐसे मामले में यह मत अन्तर्वलित व्यक्त करते हुए कि भारत में किए गए अपराधों की बाबत भारत के न्यायालयों द्वारा विचारण आरंभ किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कार्यवाही आरंभ की और इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या ऐसे मामले जहां अपराधों का भारत से बाहर किया जाना अभिकथित है, विचारण आरंभ किए जा सकने के पूर्व अभियोजन अभिकरण द्वारा उसे पूर्व मंजूरी लिया जाना अपेक्षित है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 188 के परंतुक के अधीन आने वाले अवरोध तब अधिरोपित किए जाते हैं जब विचारण का प्रक्रम आरंभ होता है और विचारण के आरंभ होने के प्रक्रम तक किसी मंजूरी की अपेक्षा नहीं है । केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान प्रक्रम से परे विचारण आरंभ नहीं किया जा सकता । अकेले ही इस संहिता की धारा 188 के परंतुक के अधीन आने वाली अड़चन का आशय है । यथा पूर्वोक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परंतुक के स्पष्टीकरण के आलोक में भारत से बाहर किए गए अपराधों वाले रिपोर्ट को फाइल कर कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने की विधिमान्यता और वैधता पर कोई संदेह ग्रहण नहीं किया जा सकता न ही ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने और अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी

करने पर मजिस्ट्रेट की सक्षमता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता चाहे अपराधों को अभियोजित करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त न की गई हो । तथापि, संज्ञान के प्रक्रम से परे मजिस्ट्रेट से समाधान के बिना आगे कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकता कि अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी अभिप्राप्त की गई है ।

7. इस मामले में संज्ञान प्रक्रम के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया आवश्यक कदम कायम रखे जाने योग्य नहीं है । जब उसे अभियोजित करने के लिए कोई मंजूरी अभिप्राप्त नहीं की गई है और पेश नहीं की गई है, उसके विरुद्ध विरचित आरोप उपाबंध ए-4 अपास्त किए जाने योग्य है । यह विचारणीय है कि क्या इस मामले में परिवादी के आवेदन को मंजूर करते हुए अपराध का आगे अन्वेषण करने का निदेश देने वाला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश उपाबंध ए-5 कायम रखे जाने योग्य है । संहिता की धारा 173(8) के अधीन किए गए आवेदन में पारित आदेश चाहे यह अन्वेषक अभिकरण या तथ्यत: परिवादी द्वारा लाया जाए और ऐसे आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने पर मामले के विचारण के सातथ्यत: के उपाय के रूप में विचार नहीं किया जा सकता । मामले के किसी प्रक्रम पर अपराध का आगे अन्वेषण का सातथ्यत: और अतिरिक्त सामग्री का संग्रहण किसी भी तरह से इस कारण निषिद्ध नहीं है कि संहिता की धारा 173(2) के अधीन रिपोर्ट पहले ही न्यायालय के समक्ष फाइल की जा चुकी है । तथापि, ऐसे मामले में जहां जांच या विचारण आरंभ किए जाने की मंजूरी अपेक्षित है किंतु ऐसी मंजूरी के बिना विचारण का कार्य आरंभ किया गया है, मंजूरी का पश्चात्वर्ती अभिप्राप्त किया जाना और उसका अपास्त किया जाना ऐसे विचारण की अविधिमान्यता को नहीं मिटाएगा । अत: ऐसे अविधिमान्य विचारण के अनुक्रम में यदि आगे अन्वेषण किए जाने के लिए कोई आवेदन किया जाता है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं तो वे कायम नहीं रखे जा सकते । मंजूरी के बिना कोई जांच या विचारण आरंभ किए जाने पर आगे अन्वेषण करने की अनुज्ञा करने वाला मजिस्ट्रेट का कोई आदेश भी दोषपूर्ण है ।

8. जहां मंजूरी केवल जांच या विचारण के लिए अपेक्षित है किंतु अपराधी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं है वहां ऐसी जांच या विचारण आरंभ करने के पूर्व अपराध का आगे अन्वेषण करने के किसी आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण और विनिश्चित किया जा सकता है

क्योंकि मंजूरी की बाबत अवरोध केवल जांच या विचारण लागू है । इसके अतिरिक्त जब अकेले जांच या विचारण संज्ञान लेने के पश्चात् भी मंजूरी की कमी के कारण वर्जित है किंतु ऐसी जांच/विचारण आरंभ करने के पूर्व अपराधी को अभियोजित करने के लिए मंजूरी आदेश अभिप्राप्त और पेश किया जा सकता है । यह विचार करने के लिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या विचारण आरंभ होने के पश्चात् वाद के प्रक्रम पर आगे अन्वेषण करने का अनुरोध जो मंजूरी के बिना अविधिमान्य है, यदि उस कारण बातिल किया जाता है तो न्याय के प्रयोजन के लिए नए सिरे से मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किए जाने का निदेश दिया जा सकता है ।

9. विचारण मंजूरी के बिना आरंभ किया गया है । इस प्रकार यह इसे अविधिमान्य ठहराता है और ऐसे अविधिमान्य विचारण के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट ने आगे अन्वेषण करने का आदेश उपाबंध ए-5 पारित किया जो अविधिमान्य था । क्या विचारण की ऐसी अविधिमान्यता और आगे अन्वेषण करने और अभियुक्त के विरुद्ध सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की मांग करते हुए आगे अन्वेषण करने के आदेश को पारित किए जाने का प्रश्न विचारार्थ है । याची के विद्वान् काउंसेल ने **इस्माइल** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही मंजूरी लिए बिना आरंभ की गई है वहां ऐसी कार्यवाहियां अभिखंडित किए जाने योग्य है । मैं सहमत नहीं हूं । जैसाकि पहले ही उल्लिखित है, मंजूरी जांच या विचारण के लिए अपेक्षित है न ही अपराध का संज्ञान लेने के लिए । संज्ञान लेने के पश्चात् जांच या विचारण आरंभ होने के पूर्व यदि यह ध्यान में लाया जाता है कि अपेक्षित मंजूरी नहीं दी गई है तो न्यायालय अभियोजन को मंजूरी अभिप्राप्त करने और पेश करने का अवसर प्रदान कर सकता है । इसके अतिरिक्त जांच या विचारण मंजूरी के बिना आरंभ किया गया है तो वह ऐसी जांच/विचारण को ही अविधिमान्य करेगा जहां ऐसी जांच या विचारण में ऐसी अविधिमान्यता का ध्यान इस न्यायालय में लाया जाता है और कार्यवाहियां लंबित हैं वहां ऐसी जांच/विचारण की कार्यवाही को अपास्त करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है और अन्वेषक अभिकरण द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट को भी वापस किया जा सकता है जो मंजूरी आदेश के बिना पेश की गई थी । जांच/विचारण की कार्यवाहियों को अपास्त करने के पश्चात् भी अभियोजक अभिकरण को मंजूरी आदेश पेश करने का अवसर देते हुए जांच/विचारण की कार्यवाहियों में दिया जा सकता है । यदि जांच/विचारण की कार्यवाही मंजूरी के बिना आरंभ की गई है तो

यह स्वयं अभियुक्त को मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नए सिरे से अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने से अलग नहीं करेगा । तथापि, यदि विचारण का अंत उसके दोषमुक्ति से होता है तो भी ऐसे विचारण दोषपूर्ण था जो संभवत: नए सिरे से विचारण के आदेश देने में उसके द्वारा भुगते जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह भी कि ऐसे दोषमुक्ति से हुई कार्यवाहियां संहिता की धारा 465 के अधीन साध्य अनियमितता नहीं थी, निश्चित रूप से नए सिरे से विचारण के लिए कोई आदेश महत्वपूर्ण नहीं होगा । इस मामले में मंजूरी के बिना अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के अलावा विचारण में आगे कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है । जब ऐसा है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने वाले आदेश और उपाबंध ए-5 आदेश के पारित किए जाने सहित विचारण के लिए संज्ञान के प्रक्रम के पश्चात् लिए गए सभी कदमों को अपास्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को तथ्यत: परिवादी द्वारा लाए गए आवेदन पर विचार करने का निदेश दिया जाना चाहिए । यद्यपि आवेदन काफी विलंब से फाइल किया गया है कि क्या इस संबंध में किसी अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है । उसने एकमात्र इस आधार पर उपाबंध ए-5 आदेश पारित किया है कि कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया गया है । उस आधार पर पारित किए जाने का आदेश भी दोषपूर्ण है जो अन्यथा भी आदेश के ऊपर उपदर्शित किया गया है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

10. मामले के विचारण के लिए संज्ञान के पश्चात् प्रक्रम में मजिस्ट्रेट द्वारा उठाई गई कार्यवाहियां मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और मामले में प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों तथा विधि के अनुसार तथ्यत: परिवादी द्वारा आगे अन्वेषण करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने और आदेश करने के निदेश के साथ अपास्त किया जाता है । यदि वह आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट विचारण की कार्यवाही आरंभ नहीं करेगा क्योंकि मामले के विचारण में कार्यवाही आरंभ करने के लिए अभियुक्त को अभियोजित करने के लिए कोई मंजूरी आदेश पेश नहीं किया गया है ।

11. उपरोक्त निदेशों के अधीन रहते हुए दांडिक प्रकीर्ण मामला निपटाया जाता है ।

मामले का निपटान किया गया ।

पां.

मति रात्रे और एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 7 नवंबर, 2012

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 460 और 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – प्रच्छन्न गृह अतिचार और हत्या – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – घटना रात्रि के 1.00 बजे से 4.00 बजे के बीच होने और साक्षी की वृद्धावस्था के कारण सायंकाल के पश्चात् दिखाई न पड़ने से परिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, अतः परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक, अकाट्य और निश्चित न होने के कारण दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत नहीं है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 22 मई, 2008 को 1.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे पूर्वाह्न के बीच मृतक व्यक्ति तीजराम और ननबाई अपने मकान के प्रांगण में सो रहे थे जो ग्राम छोटे सिपत पर स्थित है । प्रातः लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न मृतक तीजराम और ननबाई के शव प्रांगण में पाए गए थे रक्त में डूबे हुए थे। मृतक तीजराम की गर्दन और मुंह से रक्त टपक रहा था और यह प्रकट हुआ है कि क्षतियां धारदार आयुध से कारित की गई थीं । मृतका ननबाई की गर्दन के बाईं ओर से रक्त टपक रहा था और यह प्रकट हुआ है कि क्षति धारदार आयुध से की गई थी । बरतराम द्वारा मृत्यु सूचना दी गई थी जो पुलिस थाना मल्खाराउदा में अभिलिखित की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी । अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर पहुंचा और पंचों को नोटिस प्रदर्श दिए और मृतक तीजराम और ननबाई के शवों की मृत्युसमीक्षा तैयार की । मृतक तीजराम और ननबाई के शव क्रमशः शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्खाराउदा भेजे गए थे । डा. आर. पी. कुरे ने मृतक के शवों का शवपरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट दी । उन्होंने दोनों शवों पर कई छिन्न घाव पाए थे । उसने यह राय व्यक्त किया कि मृतक-व्यक्तियों की मृत्यु का कारण और तरीका अत्यधिक रक्त-स्राव से बेहोश होने के कारण हुई थी । उनकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी । आगे अन्वेषण करने पर

अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया था और अपीलार्थी मति रात्रे के ज्ञापन कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था । उसके बताने पर रक्त-रंजित रूमाल, कंटोप, सफेद रूमाल, नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल, काली पैंट और लोहे का गंडासा के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । अपीलार्थी संजय का ज्ञापन कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था और उसके कहने पर रक्त-रंजित लोहे का आयुध, अपीलार्थी संजय के जले हुए कपड़े और जली हुई चप्पलें के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । विनय निराला के ज्ञापन कथन अभिलिखित किया गया था और उसके कहने पर रक्त-रंजित नीली पैंट, नीली टी-शर्ट के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । मृतक व्यक्तियों के कपड़े के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । अपीलार्थी मति रात्रे, संजय और विनय, निराला के नाखून के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । रक्त-रंजित मिट्टी, सादी मिट्टी और चूड़ियों के टुटे हुए टुकड़े घटनास्थल से अभिगृहीत किए गए थे । पटवारी धनदास निराला द्वारा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी शक्ति के समक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जिन्होंने बदले में मामले को सेशन न्यायालय जंजगीर-चंपा के सुपुर्द कर दिया गया जहां से इसे अपर सेशन न्यायाधीश शक्ति द्वारा अंतरित होने पर प्राप्त किया गया था और जिन्होंने मामले में विचारण किया और ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । सह-अभियुक्त विनय निराला के विरुद्ध किशोर न्यायालय में भी आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अमित शर्मा और सुश्री संगीता मिश्रा ने यह दलील दी कि यह घटना 22 मई, 2008 को 1.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे पूर्वाह्न के बीच घटित हुई है और नन्द कुंवर के कथन तारीख 25 मई, 2008 को अभिलिखित किया गया था । नन्द कुंवर ने घटना के लगभग 3 दिन बीतने के पश्चात् विलंब से कोई प्रकटीकरण देने का कोई कारण नहीं बताया है, इसलिए, उसका आचरण अप्राकृतिक और अत्यधिक संदेहास्पद है । उसका परिसाक्ष्य अविश्वासयोग्य है और उसके परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं हो सकती है । यह अपील 2008 के सेशन विचारण सं. 139 में अपर सेशन न्यायाधीश, शक्ति द्वारा तारीख 10 अप्रैल, 2009 को पारित किए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त-व्यक्तियों/अपीलार्थियों मति रात्रे और

संजय को निम्नलिखित रीति में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि का यह सुविख्यात सिद्धांत है कि किसी साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त कथन सही है और अभियोजन पक्ष का सही वृत्तांत है । न्यायालयों को विशिष्ट साक्षी के कथनों के गुणागुण को महत्व देना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किए गए साक्षियों की संख्या को तनिक भी महत्व नहीं देना चाहिए । साक्ष्य का मूल्यांकन का नियम यह है कि इसे महत्व देना चाहिए न कि उनकी गणना करनी चाहिए । साक्ष्य की विधि में यह अपेक्षित नहीं है कि वर्णित तथ्य को साबित करने के लिए कई विशिष्ट साक्षियों की परीक्षा करवाई जाए । तथापि, जहां न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि एकमात्र साक्षी का परिसाक्ष्य न तो पूर्णतः विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय है तब वर्णित तथ्यों के समूह पर सम्पुष्टि की ईप्सा की जा सकेगी । वर्तमान मामले में, बरतराम, धनेश राम और अन्य गांववासी नन्द कुंवर के मकान पर पहुंचे परंतु नन्द कुंवर ने किसी भी व्यक्ति को हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया । नन्द कुंवर पुलिस से भी मिली थी परंतु उनको घटना के बारे में नहीं बताया । हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नाम तत्काल नहीं बताए गए थे और इस बारे में नन्द कुंवर द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था । सखीराम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह बात सही है कि तीजराम की पुत्री का नाम लक्ष्मी है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे यह पता नहीं है कि लक्ष्मी का अपीलार्थी मति रात्रे से प्रेम प्रसंग चल रहा था । उसे यह भी पता नहीं है कि लक्ष्मी अपीलार्थी मति रात्रे के साथ विवाह करने की इच्छा रखती थी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तीजराम और ननबाई ने अपीलार्थी मति रात्रे के साथ लक्ष्मी के विवाह किए जाने का विरोध किया था । उसे यह भी पता नहीं है कि अपीलार्थी मति रात्रे और मृतक तीजराम के बीच संबंध तनावपूर्ण और ईर्ष्यापूर्ण थे । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि तीजराम का गांव में किसी व्यक्ति से कोई विवाद नहीं था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि उसे इस बात का संदेह था कि उक्त विवाह के विवाद के कारण अपीलार्थी मति रात्रे ने तीजराम और ननबाई की हत्या की । नन्द कुंवर ने यह अभिसाक्ष्य दिया

कि यह बात सही है कि जब उसके पुत्र और पुत्रवधू के साथ मारपीट की जा रही थी तब उजाला नहीं था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात मिथ्या है कि वह अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ अंधेरे में किसने मारपीट की वह देख नहीं सकी । उसने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी मति रात्रे ने तीजराम को पीटा था और अपीलार्थी संजय ने तीजराम की गर्दन पर धारदार काटने वाले आयुध से प्रहार किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस को धारदार आयुध के बारे में अपीलार्थी संजय द्वारा तीजराम की गर्दन पर प्रहार करने की घटना के बारे में बताया था परंतु इसे लिखा नहीं गया था, उसे इस बात का कारण पता नहीं है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 मई, 2008 को वह पुलिस से मिली और उन्हें अपना कथन दिया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दो दिन पश्चात् वह पुलिस थाने पर गई थी और उसी दिन उसने कथन भी किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात मिथ्या है कि उसने घटना की तारीख को पुलिस के समक्ष कोई कथन नहीं किया था । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि कथन करने के पश्चात् वह तारीख 24 मई, 2008 को अपना घर ग्राम छोटे सिपत को वापस लौट आई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह पुलिस थाने गई तब उसे अपीलार्थी मति रात्रे और संजय नहीं मिले । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वृद्ध अवस्था होने के कारण उसके आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सायं होने की वजह से वह कुछ भी नहीं देख सकी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि घटना रात्रि में 3.00 बजे पूर्वाह्न घटी थी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने वैसा ही अभिसाक्ष्य दिया जैसाकि अधिवक्ता श्री धृतलहरे द्वारा उसे बताया गया था । नन्द कुंवर के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह प्रकट हुआ है कि वह घटना की साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नाम का अप्रकटीकरण करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । ऐसे अप्रकटीकरण से अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर खामी प्रकट होती है जिससे नन्द कुंवर के साक्ष्य की विश्वसनीयता नष्ट हो गई है और हम उसके आचरण की वजह से उसके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लेते हैं । पूर्वगामी कारणों को देखते हुए न्यायालय का विचारित मत यह है कि अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा नन्द कुंवर के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर पूर्वोक्त अपराधों को किए जाने के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्यायसंगत नहीं था । उसका साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय नहीं है और दोषसिद्ध का आधार नहीं हो सकता है । (पैरा 6, 17, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 255 :
रंजीत सिंह और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 7

[2004] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3055 :
बच्चू नारायण सिंह बनाम **नरेश यादव और अन्य** ; 15

[1976] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2488 :
उड़ीसा राज्य बनाम **श्री ब्रह्मानन्दा** ; 14

[1971] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 804 :
बालाकृष्णा स्वैन बनाम **उड़ीसा राज्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 429.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अमित शर्मा और सुश्री संगीता मिश्रा

राज्य की ओर से श्रीमती मधुनिशा सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील 2008 के सेशन विचारण सं. 139 में अपर सेशन न्यायाधीश, शक्ति द्वारा तारीख 10 अप्रैल, 2009 को पारित किए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त-व्यक्तियों/अपीलार्थियों मति रात्रे और संजय को निम्नलिखित रीति में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया :–

"दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 460 के अधीन	आजीवन कारावास और 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 6 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन (मृतक तीजराम)	आजीवन कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन (मृतका ननबाई)	आजीवन कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 6 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश''

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन निम्न प्रकार है :–

तारीख 22 मई, 2008 को 1.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे पूर्वाह्न के बीच मृतक व्यक्ति तीजराम और ननबाई अपने मकान के प्रांगण में सो रहे थे जो ग्राम छोटे सिपत पर स्थित है । प्रातः लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न मृतक तीजराम और ननबाई के शव प्रांगण में पाए गए थे रक्त में डूबे हुए थे । मृतक तीजराम की गर्दन और मुंह से रक्त टपक रहा था और यह प्रकट हुआ है कि क्षतियां धारदार आयुध से कारित की गई थीं । मृतका ननबाई की गर्दन के बाईं ओर से रक्त टपक रहा था और यह प्रकट हुआ है कि क्षति धारदार आयुध से की गई थी । बरतराम द्वारा मृत्यु सूचना (प्रदर्श पी-1 और पी-2) दी गई थी जो पुलिस थाना मल्खाराउदा में अभिलिखित की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन प्रथन इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) भी रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर पहुंचा और पंचों को नोटिस प्रदर्श (पी-41 और पी-43) दिए और मृतक तीजराम और ननबाई के शवों का मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-42 और पी-44) तैयार की । मृतक तीजराम और ननबाई के शव क्रमशः शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के लिए (प्रदर्श पी-4 और पी-6) के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्खाराउदा भेजे गए थे । डा. आर. पी. कुरे (अभि. सा. 5) ने मृतक के शवों का शवपरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5 और पी-7) दी । उन्होंने दोनों

शवों पर कई छिन्न घाव पाए थे । उसने यह राय दी कि मृतक-व्यक्तियों की मृत्यु का कारण और तरीका अत्यधिक रक्त-स्राव से बेहोश होने के कारण हुई थी । उनकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी ।

आगे अन्वेषण करने पर अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया था और अपीलार्थी मति रात्रे का ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-18) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था । उसके बताने पर रक्त-रंजित रूमाल, कंटोप, सफेद रूमाल, नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल, काली पैंट और लोहे का गंडासा (प्रदर्श पी-21) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । अपीलार्थी संजय का ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-19) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था और उसके कहने पर रक्त-रंजित लोहे का आयुध अपीलार्थी संजय के जले हुए कपड़े और जली हुई चप्पलें (प्रदर्श पी-22 और पी-23) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । विनय निराला के ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-20) अभिलिखित किया गया था और उसके कहने पर रक्त-रंजित नीली पैंट, नीली टी-शर्ट (प्रदर्श पी-24) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । मृतक व्यक्तियों के कपड़े (प्रदर्श पी-30) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । अपीलार्थी मति रात्रे, संजय और विनय, निराला के नाखून (प्रदर्श पी-31) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । रक्त-रंजित मिट्टी, सादी मिट्टी और चूड़ियों के टुटे हुए टुकड़े घटनास्थल से (प्रदर्श पी-4) के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । पटवारी धनदास निराला (अभि. सा. 13) द्वारा घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-38) तैयार किया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं रासायनिक परीक्षा के लिए (प्रदर्श पी-19) के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे ।

अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, शक्ति के समक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जिन्होंने बदले में मामले को सेशन न्यायालय, जंजगीर-चंपा के सुपुर्द कर दिया गया जहां से इसे अपर सेशन न्यायाधीश, शक्ति द्वारा अंतरित होने पर प्राप्त किया गया था और जिन्होंने मामले में विचारण किया और ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । सह-अभियुक्त विनय निराला के विरुद्ध किशोर न्यायालय में भी आरोप पत्र फाइल किया गया ।"

3. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अमित शर्मा और

सुश्री संगीता मिश्रा ने यह दलील दी कि यह घटना 22 मई, 2008 को 1.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे पूर्वाह्न के बीच घटित हुई है और नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के कथन तारीख 25 मई, 2008 को अभिलिखित किया गया था । नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने घटना के लगभग 3 दिन बीतने के पश्चात् विलंब से कोई प्रकटीकरण देने का कोई कारण नहीं बताया है, इसलिए, उसका आचरण अप्राकृतिक और अत्यधिक संदेहास्पद है । उसका परिसाक्ष्य अविश्वासयोग्य है और उसके परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं हो सकती है ।

4. राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् पैनल वकील श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह निवेदन किया है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश पर इस न्यायालय द्वारा किसी तरह हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है ।

5. हमने विस्तृत रूप से विद्वान् काउंसेल को सुना और सेशन विचारण सं. 139/2008 के अभिलेख का भी परिशीलन किया । अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य पर आधारित है ।

6. विधि का यह सुविख्यात सिद्धांत है कि किसी साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त कथन सही है और अभियोजन पक्ष का सही वृत्तांत है । न्यायालयों को विशिष्ट साक्षी के कथनों के गुणागुण को महत्व देना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किए गए साक्षियों की संख्या को तनिक भी महत्व नहीं देना चाहिए । साक्ष्य का मूल्यांकन का नियम यह है कि इसे महत्व देना चाहिए न कि उनकी गणना करनी चाहिए । साक्ष्य की विधि में यह अपेक्षित नहीं है कि वर्णित तथ्य को साबित करने के लिए कई विशिष्ट साक्षियों की परीक्षा करवाई जाए । तथापि, जहां न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि एकमात्र साक्षी का परिसाक्ष्य न तो पूर्णतः विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय है तब वर्णित तथ्यों के समूह पर सम्पुष्टि की ईप्सा की जा सकेगी ।

7. **रंजीत सिंह और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"17. ..... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 255.

अधीन विश्वासयोग्य साक्ष्य जिसे एकल साक्षी द्वारा दिया गया है अभियुक्त-व्यक्ति को दोषिसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा, जहां पर साक्ष्य आधे दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया है जो विश्वसनीय नहीं है उसके आधार पर दोषसिद्धि को कायम रखा जाना पर्याप्त नहीं होगा । निःसंदेह यह बात सही है ; परंतु जहां कोई दांडिक न्यायालय अपराध के कारित किए जाने के बारे में साक्ष्य पर विचार करता है जिसमें कई अधिक अपराधी तथा कई अधिक पीड़ित सम्मिलित हैं तो वहां पर प्रायः ऐसी कसौटी को अंगीकृत करना चाहिए कि दोषसिद्धि केवल कायम की जा सकती है यदि इसकी दो या तीन या उससे अधिक साक्षियों द्वारा पुष्टि होती है जिन्होंने घटना के संगत कारणों को बताया है । ऐसी किसी संवेदना में कसौटी तकनीकी रूप में वर्णित हो सकती है ; परंतु इस बात पर विचार करना कठिन है इसे अविवेकी या अयुक्तियुक्त कैसे माना जा सकता है ।'

18. मुत्थु नाइकेर और अन्य **बनाम** तमिलनाडु राज्य (ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1647) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह कहते हुए पूर्वोक्त निर्णय का स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी स्थिति में जहां किसी साक्षी पर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों जिसमें कई व्यक्ति हैं द्वारा हमला किया गया है, न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करने में सावधानी बरतनी चाहिए । जहां न्यायालय का यह मत है कि ऐसे किसी साक्षी का परिसाक्ष्य मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं है तब यह आग्रह किया जाना चाहिए कि ऐसे परिसाक्ष्य को किसी एक या एक से अधिक अन्य साक्षियों द्वारा इससे पूर्व सम्पुष्टि की जानी चाहिए तब न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

19. ..... "साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी दोषसिद्धि का आधार तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि कतिपय साक्षियों की न्यूनतम संख्या द्वारा विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में विशिष्ट अभियुक्त की शिनाख्त न की गई हो । यह स्वयं सिद्ध है कि साक्ष्य की गणना नहीं की जाती है बल्कि उसके महत्व को देखा जाता है और साक्ष की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि मामले में उसकी गुणता को देखा जाना चाहिए । एकल साक्षी का परिसाक्ष्य यदि पूर्णतया विश्वसनीय है, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में अभियुक्त की शिनाख्त सिद्ध करने के लिए

पर्याप्त है तब वह पूर्णतया विश्वसनीय है । इसी भांति जब विधिविरुद्ध जमाव का आकार पूर्णतया बड़ा है (जैसाकि इस मामले में) तब कई व्यक्तियों ने घटना देखी होगी ....." ।

8. अब हम इस बारे में परीक्षा करेंगे कि क्या नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) का साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय है तथा दोषसिद्धि का आधार हो सकता है ?

9. नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक तीजराम उसका पुत्र था, मृतका ननबाई उसकी पुत्रवधू थी (मृतक तीजराम की पत्नी) और कुमारी लक्ष्मी (अभि. सा. 2) दोनों मृतकों की पुत्री हैं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक तीजराम कोयला खान में नियोजित था । अपीलार्थी मति रात्रे ने मृतक तीजराम से कुमारी लक्ष्मी (अभि. सा. 2) के साथ अपना विवाह अनुष्ठापित करवाने के लिए कहा था किंतु मृतक तीजराम ने अपीलार्थी मति रात्रे के इस प्रस्ताव से इनकार किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को मृतक तीजराम और ननबाई प्रांगण में सो रहे थे । लगभग 3.00 बजे पूर्वाह्न (रात्रि में) अपीलार्थी मृतक तीजराम के मकान के प्रांगण में घुसे और दोनों मृतकों पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उन्होंने उनकी हत्या कर दी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह धनेश राम (अभि. सा. 14) को बुलाने के लिए गई थी और धनेश राम (अभि. सा. 14) उसके मकान पर पहुंचा और उसको घटना के बारे में बताया । धनेश राम (अभि. सा. 14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 22 मई, 2008 को वह अपने मकान पर सो रहा था । लगभग 4.10 बजे पूर्वाह्न नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) उसके मकान पर आई और उसे बताया कि उसकी पुत्रवधू ननबाई बीमार है और तड़प रही है तब वह नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के मकान पर गया । उसने देखा कि तीजराम और ननबाई की गर्दन कटी हुई थी और ननबाई कराह रही थी । उसने बरतराम (अभि. सा. 1) सखी राम (अभि. सा. 16) को बुलाया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने घटना के बारे में पुलिस थाना मल्खाराउदा को सूचना दी ।

10. बरतराम (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग 4.00 बजे पूर्वाह्न धनेश राम (अभि. सा. 14) उसके मकान पर आया और उसने उसे यह बताया कि किसी व्यक्ति ने तीजराम और ननबाई की हत्या कर दी है और वे खून से लतपथ पड़े हुए हैं । वह तीजराम के मकान पर गया और उसने देखा कि तीजराम चारपाई पर खून से लतपथ होकर पड़ा हुआ

है और ननबाई कराह रही थी । ननबाई की गर्दन और सिर पर क्षतियां कारित हुई थीं और उन भागों से रक्त टपक रहा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृत्यु सूचनाएं (प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-2) पुलिस थाना मल्खाराउदा में दर्ज कराई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) पुलिस थाना मल्खाराउदा में अभिलिखित की गई थी ।

11. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार वर्तमान मामले में नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसका केस डायरी कथन तारीख 25 मई, 2008 को अभिलिखित किया गया था । नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने धनेश राम (अभि. सा. 14) और बरतराम (अभि. सा. 1) को हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया था, धनेश राम (अभि. सा. 14) और बरतराम (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे यह नहीं जानते हैं कि किसने मृतक तीजराम और ननबाई की हत्या की । उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने उन्हें हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया था । बरतराम (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह सही है कि उसने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) दर्ज की । यह प्रकट हुआ है कि बरतराम (अभि. सा. 1) और धनेश राम (अभि. सा. 14) मृतक तीजराम के मकान पर पहुंचे और उस समय नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने उन्हें हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया । क्या नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने हमलावरों की पहचान की थी और उसने बरतराम (अभि. सा. 1) धनेश राम (अभि. सा. 14) को उनकी पहचान या नामों के बारे में कथन किया होगा और बरतराम (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) दर्ज करते समय अपीलार्थियों के नामों का उल्लेख किया होगा । यह प्रकट हुआ है कि नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने बरतराम (अभि. सा. 1) को अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया, इसलिए, अपीलार्थियों के नामों का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हमलावरों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) में यह उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

(स्थानीय बोली को छोड़ दिया गया है ..... संपादक)

12. नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन घटना के 3 दिन पश्चात् अभिलिखित किया गया था । यह सही है कि दांडिक न्यायालय यह आशा करता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन को तत्काल या विलंब की कम से कम संभावना के अंतर्गत

अभिलिखित किया जाना चाहिए । कथनों को यथाशीघ्र अभिलिखित किए जाने से ऐसे साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता बनी रहती है । परंतु यह मूल्यांकन का पूर्ण नियम नहीं है कि जहां कथन विलंब से अभिलिखित किया जाता है तब साक्षी को मिथ्या साक्षी या गढ़ा हुआ साक्षी माना जाता हो । यह बात साक्षी के साक्ष्य की गुणता पर निर्भर करेगी ।

13. **बालाकृष्णा स्वैन** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के मामले के अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तात्विक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन को अभिलिखित करने में अन्वेषक अधिकारी की ओर से अनुचित और अत्यधिक अस्पष्टीकृत विलंब ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है क्योंकि विलंब से भिन्न-भिन्न वृत्तांत को गढ़ने का अवसर देना होता है तब क्या ऐसे साक्ष्य को वास्तव में लिया जाना चाहिए ।

14. **उड़ीसा राज्य** बनाम **श्री ब्रह्मानन्दा**[2] वाले मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने 1-1/2 दिन तक हमलावर के नाम को नहीं बताया । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां हत्या के मामले में सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन किसी एक व्यक्ति के साक्ष्य पर निर्भर है जिसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है और ऐसा साक्षी घटना के पश्चात् 1-1/2 दिन तक हमलावर के नाम को नहीं बताता है और अप्रकटीकरण का स्पष्टीकरण देता है तब विश्वासयोग्य नहीं है । ऐसा अप्रकटीकरण एक गंभीर कमी है जो ऐसे साक्ष्य के साक्षी की विश्वसनीयता को नष्ट करता है तथा उच्च न्यायालय ने अविश्वासयोग्य होने के कारण उसके साक्ष्य को खारिज करके ठीक किया था और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था ।

15. **बच्चू नारायण सिंह** बनाम **नरेश यादव और अन्य**[3] वाले मामले में जब अन्वेषक अधिकारी मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार कर रहा था तब एक घंटे की अवधि बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्षदर्शी होने तथा घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने का दावा नहीं किया, यद्यपि वहां पर 10 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का अभिकथन किया गया था और रिपोर्ट अन्वेषक अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने के 1-1/2 घंटे से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् रिपोर्ट दर्ज की गई । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त

---

[1] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 804.
[2] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2488.
[3] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3055.

किया कि घटना के समय पर इत्तिलाकर्ता तथा अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मौजूदगी संदेहपूर्ण प्रतीत होती है । घटना के समय पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मौजूदगी के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है ।

16. हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा विलंब से किए गए प्रकटीकरण के सभी मामलों में कोई कठोर सूत्र लागू नहीं किया जा सकता और साक्षियों की विश्वसनीयता प्रत्येक मामले के अभिभावी तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय निर्णय किया जाना चाहिए । तथापि, निर्णय देते समय सामान्य मानव आचरण को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और संभव परिस्थितियां जिसमें ऐसे किसी घृणित अपराध के किए जाने के संबंध के बारे में तथ्यों के अप्रकटीकरण के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण भी सम्मिलित है ।

17. वर्तमान मामले में, बरतराम (अभि. सा. 1), धनेश राम (अभि. सा. 14) और अन्य गांववासी नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के मकान पर पहुंचे परंतु नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने किसी भी व्यक्ति को हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नामों को नहीं बताया । नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) पुलिस से भी मिली थी परंतु उनको घटना के बारे में नहीं बताया । हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नाम तत्काल नहीं बताए गए थे और इस बारे में नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था ।

18. सखीराम (अभि. सा. 16) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह बात सही है कि तीजराम की पुत्री का नाम लक्ष्मी (अभि. सा. 2) है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे यह पता नहीं है कि लक्ष्मी (अभि. सा. 2) का अपीलार्थी मति रात्रे से प्रेम प्रसंग चल रहा था । उसे यह भी पता नहीं है कि लक्ष्मी (अभि. सा. 2) अपीलार्थी मति रात्रे के साथ विवाह करने की इच्छा रखती थी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तीजराम और ननबाई ने अपीलार्थी मति रात्रे के साथ लक्ष्मी (अभि. सा. 2) के विवाह किए जाने का विरोध किया था । उसे यह भी पता नहीं है कि अपीलार्थी मति रात्रे और मृतक तीजराम के बीच संबंध तनावपूर्ण और ईर्ष्यापूर्ण थे । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि तीजराम का गांव में किसी व्यक्ति से कोई विवाद नहीं था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि उसे इस बात का संदेह था कि उक्त विवाह के विवाद के कारण अपीलार्थी मति रात्रे ने तीजराम और ननबाई की हत्या की ।

19. नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि जब उसके पुत्र और पुत्रवधू के साथ मारपीट की जा रही थी तब उजाला नहीं था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात मिथ्या है कि वह अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ अंधेरे में किसने मारपीट की वह देख नहीं सकी । उसने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी मति रात्रे ने तीजराम को पीटा था और अपीलार्थी संजय ने तीजराम की गर्दन पर धारदार काटने वाले आयुध से प्रहार किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस को धारदार आयुध के बारे में अपीलार्थी संजय द्वारा तीजराम की गर्दन पर प्रहार करने की घटना के बारे में बताया था परंतु इसे (प्रदर्श पी-3) में लिखा नहीं गया था, उसे इस बात का कारण पता नहीं है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 मई, 2008 को वह पुलिस से मिली और उन्हें अपना कथन दिया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दो दिन पश्चात् वह पुलिस थाने पर गई थी और उसी दिन उसने कथन भी किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात मिथ्या है कि उसने घटना की तारीख को पुलिस के समक्ष कोई कथन नहीं किया था । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि कथन करने के पश्चात् वह तारीख 24 मई, 2008 को अपना घर ग्राम छोटे सिपत को वापस लौट आई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह पुलिस थाने गई तब उसे अपीलार्थी मति रात्रे और संजय नहीं मिले । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वृद्ध अवस्था होने के कारण उसके आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सायं होने की वजह से वह कुछ भी नहीं देख सकी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि यह बात सही है कि घटना रात्रि में 3.00 बजे पूर्वाह्न घटी थी । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने वैसा ही अभिसाक्ष्य दिया जैसाकि अधिवक्ता श्री धृतलहरे द्वारा उसे बताया गया था ।

20. नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह प्रकट हुआ है कि वह घटना की साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमलावरों के रूप में अपीलार्थियों के नाम का अप्रकटीकरण करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । ऐसे अप्रकटीकरण से अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर खामी प्रकट होती है जिससे नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के साक्ष्य की विश्वसनीयता नष्ट हो गई है और हम उसके आचरण की वजह से उसके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लेते हैं ।

21. पूर्वगामी कारणों को देखते हुए हमारा विचारित मत यह है कि

अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा नन्द कुंवर (अभि. सा. 3) के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर पूर्वोक्त अपराधों को किए जाने के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्यायसंगत नहीं था । उसका साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय नहीं है और दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है ।

22. परिणामस्वरूप, अपील मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 460 और 302/34 के अधीन अपीलार्थियों के लिए अधिनिर्णीत किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । उन्हें उनके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी 22 मई, 2008 से निरंतर कारागार में हैं । यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2013) 1 दा. नि. प. 239 **पटना**

जटाधर झा और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 6 नवंबर, 2012

न्यायमूर्ति (श्रीमती) सीमा अली खान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 146 और 353 – बल्वा और लोक-सेवक के कार्य में बाधा डालना – जहां 1400-1500 लोगों की उत्तेजित भीड़ ने इत्तिला देने वाले के मकान को तोड़ा, पत्थरबाजी की और शांति भंग किया तथा पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में बाधा डाला वहां मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को गोली चलाने का आदेश देने के परिणामस्वरूप छः लोगों की मृत्यु होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

इन दो दांडिक अपीलों में 26 अपीलार्थी हैं जिन्हें 1983 के सेशन विचारण सं. 57 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा दंड संहिता

की धारा 147, 353, 323 और 120-ख के अधीन दोषी पाया गया था तथा धारा 353 और 120-ख के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 147 और 323 के अधीन छह मास का कारावास का दंडादेश दिया गया । इन मामलों में अपीलार्थियों ने इन अपीलों में हाजिर होने वाले काउंसेल को पहले नियुक्त नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वे ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे इस बारे में इस न्यायालय को सूचित करें कि क्या अपीलों के लंबित रहने के दौरान किसी अपीलार्थी की मृत्यु हुई है । निष्कर्ष निकाले जाने से पूर्व यह समुचित होगा कि अभियोजन पक्षकथन का संक्षेप में वर्णन किया जाए जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । भूवनेश्वर ठाकुर ने यह रिपोर्ट दी है कि लगभग 1400-1500 व्यक्ति इकट्ठा हुए थे जो लाठी, भाला, गंडासा, तीर और लाइसेंसशुदा बंदूक और टार्च (मशाल) से लैस थे और उन्होंने उसके मकान को चारों तरफ से घेर रखा था । यह निवेदन किया गया कि उत्तेजित भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं । वे जोर से नारे लगा रहे थे "इन्कलाब जिन्दाबाद, जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा मुखिया के घर को लूट लो, जो उसके घर में मिले उसको मार दो कामरेड सुखदेव शर्मा को मुखिया वापस करो" भूवनेश्वर ठाकुर ने अपने को बचाने के लिए मजिस्ट्रेट के कैंप में शरण ली थी और पुलिस बल उसके घर के नजदीक तैनात था । उसने उत्तेजित भीड़ के सदस्य के रूप में लगभग 14 व्यक्तियों को नामित किया है और जिससे अलग प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उत्तेजित भीड़ पर पुलिस दल द्वारा मध्यक्षेप किया गया था जिन्होंने उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश की और हवा में गोलियां चलाईं ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके और बाद में उन्होंने उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाई थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । उत्तेजित भीड़ ने पुलिस दल पर अपने भाले फेंक कर उन पर हमला करने की कोशिश की तथा ईंट मारने में भी सम्मिलित हुए थे । तत्पश्चात् पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उत्तेजित भीड़ घटनास्थल से तितर-बितर हो गई । प्रतिरक्षा वृत्तांत यह है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी बल्कि वे लोग बैठक कर रहे थे और पुलिस कार्मिकों ने उन पर हमला किया । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों और इत्तिलाकर्ता के बीच जमीन संबंधी विवाद है और इस कारण से अपीलार्थी इस मामले में शामिल थे । अभियुक्तों ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध अपीलें की । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह दलील दी गई कि पुलिस द्वारा इकट्ठे हुए व्यक्तियों पर जो शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे बिना किसी कारण के गोली चलाई गई थीं और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है । यह दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रखी जा सकती है कि रामू शाह, बौना देवी, कुसुम पासवान, महेन्द्र मंडल और बाबू लाल मंडल के शव घटनास्थल से बरामद किए गए थे जो परमेश्वर ठाकुर के मकान के नजदीक था । अन्वेषक अधिकारी ने मामले के इस पहलू का समर्थन किया है । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पुलिस दल था जिसने शांतिपूर्वक एकत्र हुए व्यक्तियों पर बिना किसी कारण गोली चलाई थी । मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी पर था, को ग्राम भटसीमार तोला बलुआ में कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था । यह प्रकट हुआ है कि शांति व्यवस्था के भंग होने और खतरे की आशंका को देखते हुए गांव में पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया था । अभि. सा. 18 घटना के दौरान घायल हुआ था और क्षतियां पहुंचने के पश्चात् उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए उसने गोली चलाने का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । गोलियां दो बार चलाई गईं । पहले अवसर पर पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश करते हुए गोलियां चलाईं तत्पश्चात् जब उत्तेजित भीड़ दृढ़ होकर लगातार तबाही मचा रहे थे और पुलिस कार्मिकों पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप दूसरा आदेश जारी करने पर गोलियां चलाईं । इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप-खंड अधिकारी घटना के स्थान पर घटना के बारे में जांच करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया । अभि. सा. 10 पुलिस कार्मिक है जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय तैनात किया गया था जब घटना घटी । उसने घटना के अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया और यह कथन किया है कि उत्तेजित भीड़ ने इत्तिलाकर्ता के मकान के अहाते को घेर कर नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया था और पुलिस कार्मिकों पर भी हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्मिकों की ओर से उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं । जिन पुलिस कार्मिकों की इस मामले में परीक्षा की गई वे अभि. सा. 6, 10, 13, 14 और 18 हैं जिन्होंने यह कथन किया है कि मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का तब सहारा लिया जब यह विदित हुआ कि उत्तेजित भीड़ द्वारा उन पर हमला कर दिया जाएगा तथा उनकी हत्या कर दी जाएगी । पूर्वोक्त साक्ष्य पर विचार करने

के पश्चात् हम मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह प्रतीत होता है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां विशिष्ट राजनैतिक दल के सदस्य उत्तेजित भीड़ के प्रभाव में थे और इत्तिलाकर्ता के मकान पर हमला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे । पुलिस कार्मिकों द्वारा चलाई गई गोलियां जिससे जीवन को अनावश्यक रूप से हानि हुई । (पैरा 9, 10 और 11)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 333.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, दुर्गेश कुमार सिंह, राजेश कुमार और इब्राहिम कबीर

राज्य की ओर से श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक-अभियोजक

न्यायमूर्ति (श्रीमती) सीमा अली खान – इन दो दांडिक अपीलों में 26 अपीलार्थी हैं जिन्हें 1983 के सेशन विचारण सं. 57 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा दंड संहिता की धारा 147, 353, 323 और 120-ख के अधीन दोषी पाया गया था तथा धारा 353 और 120-ख के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 147 और 323 के अधीन छह मास के कारावास का दंडादेश दिया गया । इन मामलों में अपीलार्थियों ने इन अपीलों में हाजिर होने वाले काउंसेल को पहले नियुक्त नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वे ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे इस बारे में इस न्यायालय को सूचित करें कि क्या अपीलों के लंबित रहने के दौरान किसी अपीलार्थी की मृत्यु हुई है ।

2. यह एक बल्वे का मामला है जिसमें 1400-1500 व्यक्तियों की उत्तेजित भीड़ थी जिनके बारे में राजनैतिक कारणों से लूटने के लिए भूवनेश्वर ठाकुर और उसका भाई परमेश्वर ठाकुर के मकान को चारों तरफ से घेरना अभिकथित है । घटना का कारण यह था कि वे कामरेड सुखदेव शर्मा को मुखिया बनाना चाहते थे जिससे यह दर्शित हुआ है कि अपीलार्थी विशिष्ट पार्टी से संबंधित थे और पुलिस को जब ऐसे लोगों के उत्तेजित भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना मिली तो पुलिस ने उन्हें नियंत्रण करने

और उन्हें चेतावनी देकर तितर-बितर करने की कोशिश की और विफल होने पर गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जिस पर 2000 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 349, का सखी चन्द पासवान अपीलार्थी सं. 13 द्वारा प्रति मामला फाइल किया गया ।

3. कुल मिलाकर इन मामलों में 29 साक्षियों की परीक्षा की गई जिसमें से अभि. सा. 4, 5, 8, 9 और 12 को प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किया गया जबकि अभि. सा. 7, 11, 16, 25, 26 और 29 इन मामलों में औपचारिक साक्षी हैं । अभि. सा. 22, 23 और 27 डाक्टर हैं, अभि. सा. 15 और 24 अन्वेषक अधिकारी हैं और अभि. सा. 18 मजिस्ट्रेट है और अभि. सा. 22 ने रामू शाह, बौना देवी, कुसुम पासवान, महेन्द्र मंडल और बाबू लाल मंडल के शव का शव-परीक्षण किया और जबकि अभि. सा. 13 ने करी शाह के शव का शव-परीक्षण किया । अभि. सा. 27 ने घटना के दौरान आहत व्यक्तियों की परीक्षा की । चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि आहत व्यक्तियों को अत्यधिक साधारण क्षतियां पहुंची थीं वे लोगों के समूह द्वारा ईंटें फेंकने के परिणामस्वरूप कारित हुई थीं ।

4. 2000 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 333 के अपीलार्थियों की ओर से अपीलार्थियों के काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी सं. 1 जटाधर झा को अभि.सा. 2 और अभि. सा. 17 द्वारा बैठक रखने के प्रयोजन के लिए और उत्तेजित भीड़ को इकट्ठा कर गतिमान किया । उस व्यक्ति के रूप में उसे नामित किया गया है जिस पर अंततः इकट्ठी उत्तेजित भीड़ उसके नियंत्रण से बाहर हो गई । यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उत्तेजित भीड़ के सदस्य के रूप में उसे नामित नहीं किया गया था । अपीलार्थी सं. 3 और 4 की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उन्होंने केवल व्यक्ति की पहचान की है । इस प्रकार न्यायालय के लिए यह सुरक्षित नहीं है कि उन्हें दोषसिद्ध करें ।

5. निष्कर्ष निकाले जाने से पूर्व यह समुचित होगा कि अभियोजन पक्षकथन का संक्षेप में वर्णन किया जाए जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । भूवनेश्वर ठाकुर ने यह रिपोर्ट दी है कि लगभग 1400-1500 व्यक्ति इकट्ठा हुए थे जो लाठी, भाला, गंडासा, तीर और लाइसेंसशुदा बंदूक और टार्च (मशाल) से लैस थे और उन्होंने उसके मकान को चारों तरफ से घेर रखा था । यह निवेदन किया गया कि उत्तेजित भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं । वे जोर से नारे लगा रहे थे "इन्कलाब जिन्दाबाद, जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा मुखिया के

घर को लूट लो, जो उसके घर में मिले उसको मार दो कामरेड सुखदेव शर्मा को मुखिया वापस करो" भूवनेश्वर ठाकुर ने अपने को बचाने के लिए मजिस्ट्रेट के कैंप में शरण ली थी और पुलिस बल उसके घर के नजदीक तैनात था । उसने उत्तेजित भीड़ के सदस्य के रूप में लगभग 14 व्यक्तियों को नामित किया है और जिससे अलग प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उत्तेजित भीड़ पर पुलिस दल द्वारा मध्यक्षेप किया गया था जिन्होंने उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश की और हवा में गोलियां चलाईं ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके और बाद में उन्होंने उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाई थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । उत्तेजित भीड़ ने पुलिस दल पर अपने भाले फेक कर उन पर हमला करने की कोशिश की तथा ईंट मारने में भी सम्मिलित हुए थे । तत्पश्चात् पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उत्तेजित भीड़ घटनास्थल से तितर-बितर हो गई । प्रतिरक्षा वृत्तांत यह है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी बल्कि वे लोग बैठक कर रहे थे और पुलिस कार्मिकों ने उन पर हमला किया । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों और इत्तिलाकर्ता के बीच जमीन संबंधी विवाद है और इस कारण से अपीलार्थी इस मामले में शामिल थे ।

6. अभियोजन साक्षी 17 इस मामले का इत्तिलाकर्ता है । उसने अपने साक्ष्य में संपूर्ण रूप से अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है और उस रीति के बारे में बताया है जिसमें उत्तेजित भीड़ ने उसके घर पर हमला किया और अन्ततोगत्वा पुलिस दल के हस्तक्षेप करने के कारण उत्तेजित भीड़ तितर-बितर हो गई तथा मजिस्ट्रेट जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था । इत्तिलाकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि उत्तेजित भीड़ के सदस्य अनाज को लूटने के लिए उसके प्रांगण में घुसे थे जो उसके मकान में एकत्रित किया हुआ था । परमेश्वर ठाकुर (अभि. सा. 21) जो इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 17) का भाई है, ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और यह कथन किया है कि उत्तेजित भीड़ उसके भाई के मकान की ओर गतिमान हुई थी और दरवाजे तोड़ कर खोले गए थे और अनाज के लूटने के लिए प्रांगण में प्रविष्ट हुई थी । उसने यह स्वीकार किया है कि अन्ततः पुलिस ने गोली चलाई थी क्योंकि उत्तेजित भीड़ उसके हाथों के नियंत्रण से बाहर हो गई थी और इस तथ्य के बावजूद भी उन्होंने तितर-बितर होने से मना कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने उत्तेजित भीड़ को तितस-बितर करने के लिए हवा में कुछ गोलियां चलवाई थीं । अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि दो व्यक्ति अर्थात्

इत्तिलाकर्ता और उसका भाई ने उन व्यक्तियों को शामिल करने की कोशिश की जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी, परंतु वे मामले के इस पहलू को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुए और इस प्रकार यह न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 17 और 21 के साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकता ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने वृत्तांत के समर्थन में अभि. सा. 1, 2, 3, 6, 10, 13, 14, 19, 20, 21 और 28 की परीक्षा की । यदि इस न्यायालय ने साक्षियों के कथनों को दोहराया था जिस पर उनमें से अधिकांश ने घटना के क्रम को एक सा ही दोहराया है । उन सभी ने उत्तेजित भीड़ के एकत्रित होने का तथा उनमें से कई लोगों का आयुधों से लैस होने का समर्थन किया है जिन्होंने भूवनेश्वर ठाकुर के मकान पर हमला किया था ।

8. यह दलील दी गई कि अभि. सा. 2 एक हितबद्ध साक्षी है क्योंकि वह इत्तिलाकर्ता का कर्मचारी है । तथापि, कर्मचारी के लिए यह स्वाभाविक होगा कि वह घटना के स्थान पर मौजूद हो जब घटना घटी और इसलिए अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं हो सकता । अभि.सा. 1 स्वतंत्र साक्षी है । उसने यह कथन किया है कि उसने उत्तेजित भीड़ को इत्तिलाकर्ता के मकान में जाते हुए देखा था तथा दरवाजों को तोड़ कर खोलते हुए भी देखा और उन्होंने अनाज को लूटने की कोशिश की । उसने ऋजुतापूर्वक यह कथन किया है कि उसने यह देखा कि महेन्द्र मंडल और बाबू लाल मंडल की भुजाओं पर गोली की क्षतियां पहुंची थीं क्योंकि पुलिस ने गोलियां चलाई थीं । इस रीति में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 19 ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है और यह कथन किया है कि भीड़ ने हिंसात्मक रूप धारण किया था और इत्तिलाकर्ता के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे । सकलदेव भारती (अभि. सा. 20) ने अभियोजन पक्षकथन का भी समर्थन किया है । उन्होंने इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि उत्तेजित भीड़ ने पुलिस दल पर ईंट और पत्थर आदि भी फेंके थे ।

9. यह दलील दी गई कि पुलिस द्वारा इकट्ठे हुए व्यक्तियों पर जो शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे बिना किसी कारण के गोली चलाई गई थीं और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है । यह दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रखी जा सकती है कि रामू शाह, बौना देवी, कुसुम पासवान, महेन्द्र मंडल और बाबू लाल मंडल के शव घटनास्थल से बरामद किए गए थे जो परमेश्वर

ठाकुर के मकान के नजदीक था । अन्वेषक अधिकारी ने मामले के इस पहलू का समर्थन किया है । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पुलिस दल था जिसने शांतिपूर्वक एकत्र हुए व्यक्तियों पर बिना किसी कारण गोली चलाई थी । मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू. 18) जो ड्यूटी पर था, को ग्राम भटसीमार तोला बलुआ में कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था । यह प्रकट हुआ है कि शांति व्यवस्था के भंग होने और खतरे की आशंका को देखते हुए गांव में पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया था ।

10. अभि. सा. 18 घटना के दौरान घायल हुआ था और क्षतियां पहुंचने के पश्चात् उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए उसने गोली चलाने का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । गोलियां दो बार चलाई गईं । पहले अवसर पर पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश करते हुए गोलियां चलाईं तत्पश्चात् जब उत्तेजित भीड़ दृढ़ होकर लगातार तबाही मचा रहे थे और पुलिस कार्मिकों पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप दूसरा आदेश जारी करने पर गोलियां चलाईं । इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप-खंड अधिकारी घटना के स्थान पर घटना के बारे में जांच करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया । अभि. सा. 10 पुलिस कार्मिक है जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय तैनात किया गया था जब घटना घटी । उसने घटना के अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया और यह कथन किया है कि उत्तेजित भीड़ ने इत्तिलाकर्ता के मकान के अहाते को घेर कर नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया था और पुलिस कार्मिकों पर भी हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्मिकों की ओर से उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं । जिन पुलिस कार्मिकों की इस मामले में परीक्षा की गई वे अभि. सा. 6, 10, 13, 14 और 18 हैं जिन्होंने यह कथन किया है कि मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का तब सहारा लिया जब यह विदित हुआ कि उत्तेजित भीड़ द्वारा उन पर हमला कर दिया जाएगा तथा उनकी हत्या कर दी जाएगी ।

11. पूर्वोक्त साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हम मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह प्रतीत होता है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां विशिष्ट राजनैतिक दल के सदस्य उत्तेजित भीड़ के प्रभाव में थे और इत्तिलाकर्ता के मकान पर हमला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार

थे । पुलिस कार्मिकों द्वारा चलाई गई गोलियां जिससे जीवन को अनावश्यक रूप से हानि हुई ।

12. यह घटना लगभग 3 दशक पूर्व घटी थी और इस प्रकार यह न्यायालय यह उचित नहीं समझता है कि अपराधियों को दंडादेश भोगने के लिए वापस कारागार भेजा जाए । इसलिए, अपीलें दोषसिद्धि को कायम रखते हुए खारिज की जाती हैं और अपीलार्थियों को आगे यह निदेश दिया जाता है कि नोटिस के विधिमान्य तामीली के चार माह की अवधि के अंतर्गत जुर्माने के रूप में अलग-अलग 300/- रुपए की राशि जमा करें और इसके विफल होने पर वे तीन मास का साधारण कारावास भोगेंगे । अपीलार्थी जुर्माने को जमा करने के पश्चात् ही जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मुक्त किए जाएंगे ।

13. इस प्रकार ये अपीलें दंड के पूर्वोक्त परिवर्तन के साथ खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

आर्य

(2013) 1 दा. नि. प. 247 **मुंबई**

यामिनी एस. भगवानजी (श्रीमती)

बनाम

भारत संघ

तारीख 27 जुलाई, 2011

न्यायमूर्ति बी. एच. मरलापल्ले और न्यायमूर्ति यू. डी. साल्वी

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) – धारा 4 और 7 – सम्पत्ति का समपहरण – भारत से प्रस्थान के समय अघोषित विदेशी मुद्रा का पाया जाना – अघोषित विदेशी मुद्रा का सम्पत्तियों की खरीद की बाबत आय के स्त्रोतों का प्रकटन न किया जाना – यह विश्वास किए जाने का पर्याप्त आधार है कि याची द्वारा उक्त सम्पत्तियों में दूषित राशि का विनिधान किया गया, अतः सम्पत्तियों का समपहरण न्यायोचित था ।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) – धारा 6 और 21 – सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही – कब्जे से अघोषित विदेशी करेंसी का अभिग्रहण – विदेशी मुद्रा का मोचन किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी और 1974 के विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम के अधीन पारित निरोधादेश सरकार द्वारा प्रतिसंहृत कर दिया गया था, का यह अर्थ नहीं है कि याची के विरुद्ध सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची विवाह के पश्चात् बहरीन चली गई थी और अपने पति के साथ वहां निवास करती थी । वह तारीख 4 अक्तूबर, 2000 को मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन हवाई अड्डे पर उपस्थित थी तभी सीमा शुल्क विभाग द्वारा उससे 70.54 लाख रुपए की भारतीय करेंसी के समतुल्य विदेशी करेंसी बरामद और उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई जिसका निपटारा उसके द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को भारत सरकार द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2004 को पारित आदेश द्वारा निर्णीत किए जाने के साथ हो गया तथा याची से अभिगृहीत विदेशी करेंसी के आत्यंतिक रूप से अधिहरण को 10 लाख रुपए के मोचन जुर्माना और 4 लाख रुपए की शास्ति के संदाय पर अभिहरण में परिवर्तित कर दिया गया । 61,60,992/- रुपए की शेष रकम सीमा शुल्क विभाग द्वारा रिमांड आदेश संख्या ए. आई. आर. कस्टम/18/05 द्वारा याची को लौटा दिया गया । इसी दौरान तारीख 25 मई, 2001 को याची के विरुद्ध निरोधादेश जारी किया गया और इसके परिणामस्वरूप उसके और उसके पिता पर तारीख 13 मार्च, 2002 को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था जिसके द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मुंबई स्थित साईं मिलाप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तीन फ्लैटों और भारतीय स्टेट बैंक और सिटी बैंक के खातों और साथ ही 61,60,992/- रुपए की रकम का समपहरण किया जाना प्रस्तावित था । चूंकि निरोधादेश तारीख 28 दिसंबर, 2005 को प्रतिसंहृत कर दिया गया था, तारीख 13 मार्च, 2002 का कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया था । साईं मिलाप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी और इस सोसाइटी में स्थित तीनों फ्लैटों के संबंध में आरंभिक जांच से यह ज्ञात हुआ कि फ्लैट संख्या बी. 17 श्रीमती यामिनी अशोक शर्मा के नाम में खरीदा गया

था । फिर भी याची के पिता ने पत्र जो तारीख 6 मई, 2002 को प्राप्त हुआ, द्वारा अभिकथित किया कि याची और डा. अशोक शर्मा का विवाह तारीख 4 अप्रैल, 1998 को पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो गया था और साईं मिलाप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का फ्लैट सं. बी-17 याची के पूर्व पति अशोक शर्मा द्वारा जुलाई, 1987 में खरीदा गया था और प्रतिफल का सम्पूर्ण संदाय डा. अशोक शर्मा द्वारा अपनी आय, जो उनके लीबिया से भारत आने के पश्चात् जमा की गई थी, से किया गया था । आगे यह अभिकथित किया गया कि याची ने विवाह-विच्छेद के पश्चात् उक्त फ्लैट का कब्जा अपने भाई कैलाश को सौंप दिया था । तारीख 10 अक्तूबर, 1987 के करार से यह प्रकट होता है कि याची उक्त फ्लैट, जिसका निर्माण मैसर्स एक्सप्रेस नेशनल बिल्डर्स द्वारा स्वामित्व के आधार पर किया जा रहा था, को 1,60,500/- रुपए के प्रतिफल पर खरीदने के लिए सहमत हो गया था और करार की तारीख पर मात्र 35,000/- रुपए की रकम का संदाय दो भिन्न बैंकों के माध्यम से किया गया था, जिनको भारतीय स्टेट बैंक की कांदीवली (पश्चिम) स्थित शाखा और कर्नाटक बैंक लिमिटेड की कांदीवली (पश्चिम) स्थित शाखा से जारी किया गया था । द्वितीय अचल सम्पत्ति अर्थात् 11वें तल पर स्थित फ्लैट संख्या 1106 मैसर्स अजमेरा हाउसिंग कारपोरेशन (संक्षेप में अजमेरा) ने तारीख 20 अप्रैल, 2002 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उक्त फ्लैट तारीख 12 जुलाई, 2000 के करार द्वारा याची ने बजारन आर. गुप्ता से खरीदा था । मैसर्स अजमेरा को 47,000/- रुपए की रकम का और श्री गुप्ता को 5,17,000/- रुपए की रकम का संदाय याची द्वारा किया गया था । मैसर्स अजमेरा ने 940 वर्ग फीट (अधिनिर्मित) वाले उक्त फ्लैट का आबंटन बजारन आर. गुप्ता के पक्ष में 5,64,000/- रुपए के प्रतिफल के बदले कर दिया था और बजारन आर. गुप्ता ने 5,17,000/- रुपए की रकम का संदाय तारीख 12 जुलाई, 2000 तक कर दिया था । आगे यह अभिकथित किया गया कि श्री बजारन आर. गुप्ता ने उक्त फ्लैट याची को तारीख 1 जुलाई, 2000 के करार द्वारा 22,09,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में बेचने के लिए सहमत हो गया था और याची ने 3,31,000/- रुपए की रकम का संदाय बहरीन इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आहरित चैक द्वारा कर दिया था और वित्तीय संस्था से ऋण अभिप्राप्त करने के पश्चात् 18,30,000/- रुपए की अधिशेष रकम का संदाय करने के लिए सहमत हो गया था । मैसर्स अजमेरा ने तारीख 6 मई, 2002 के पश्चात्वर्ती पत्र द्वारा याची को 86,140/- रुपए का अधिशेष संदाय करके फ्लैट संख्या 1106

का कब्जा देने के लिए सूचित किया था । मैसर्स अजमेरा ने तारीख 20 अप्रैल, 2002 के पत्र द्वारा उसी भवन के फ्लैट संख्या 1105 के विवरण सूचित किए । यह अभिकथित किया गया कि उक्त फ्लैट श्रीमती पुष्पा देवी बी. गुप्ता द्वारा 3,66,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले खरीदा गया था और उन्होंने 3,20,000/- रुपए की रकम का संदाय कर दिया था । तथापि, तारीख 12 जुलाई, 2002 के करार द्वारा उक्त श्रीमती गुप्ता ने उक्त फ्लैट याची को 14,33,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में बेच दिया था । याची ने श्रीमती गुप्ता को 2,15,000/- रुपए की रकम का संदाय चैक द्वारा जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आहरित था और मैसर्स अजमेरा को 46,000/- रुपए की रकम का संदाय किया था । वह वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करके 11,72,500/- रुपए की अधिशेष रकम का संदाय करने के लिए सहमत हो गई थी । उसको तारीख 6 मई, 2002 के पत्र द्वारा 57,910/- रुपए की अधिशेष रकम का संदाय करके फ्लैट संख्या 1105 का कब्जा देने की राय दी गई थी । अतः, अभियुक्त याची ने सिल्वर आर्क के भवन संख्या 29 में दोनों फ्लैट खरीदे जाने के लिए 33.12 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करने का दावा किया था । जांच के दौरान इस बात का भी प्रकटीकरण किया गया था कि याची पर तारीख 30 सितंबर, 2003 को 49,34,264/- रुपए के ऋण की रकम अधिशेष थी जिसका संदाय हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन को किया जाना था । तारीख 17 जनवरी, 2006 को 40,08,285/- रुपए की कुल रकम का पुनर्संदाय उक्त ऋण की रकम के बाबत कर दिया गया था और भारतीय स्टेट बैंक, कांदीवली में बचत बैंक खाता (एन. आर. ई.) संख्या 01192/084184 से उपदर्शित होता है कि 5,39,900/- रुपए की पूर्ण रकम जमा कर दी गई थी जिसमें से 3,24,000/- रुपए की रकम का अंतरण बहरीन से किया गया था और उक्त खाते में तारीख 1 फरवरी, 2006 तक अधिशेष रकम मात्र 4,840/- रुपए थी । जबकि सिटी बैंक, मुंबई का बचत खाता (एन. आर. ई.) संख्या 5-897400-113 प्रदर्शित करता है कि 4,98,200/- रुपए की रकम तारीख 26 मई, 2005 को जमा की गई थी और उस खाते में अधिशेष रकम मात्र 17,031/- रुपए थी । याची को तारीख 29 नवंबर, 2006 का नवीनतम कारण बताओ नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम की धारा 64 के अधीन जारी किया गया था और उसका उत्तर तारीख 20 फरवरी, 2007 को दिया गया था । याची को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया था और उसने अपने लिखित निवेदनों को दोहराया था । तीनों

अचल सम्पत्तियों का समपहरण करते हुए तारीख 7 दिसंबर, 2007 का आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि वे सम्पत्तियां तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम की धारा 39(1)(ग) के निबंधनों के अनुसार अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियां थीं । याची ने उक्त आदेश को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम की धारा 12(4) के अधीन फाइल की गई अपील में चुनौती दी जिसको अपीली अधिकरण द्वारा तारीख 11 जनवरी, 2011 को खारिज कर दिया गया । याची ने इस आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई प्रस्तुत याचिका में चुनौती दी । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन दोनों फ्लैटों के संबंध में ऋण लौटाए जाने के लिए एच. डी. एफ. सी. को किए गए सारभूत संदायों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया था कि इन सम्पत्तियों के लिए किए गए सारभूत विनिधानों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके द्वारा सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही की गई थी । अपीली अधिकरण ने इन निष्कर्षों की पुष्टि न्यायतः की थी । अभियुक्त-याची अपने द्वितीय पति श्री सुरेन्द्र भगवानजी के भारत और विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा लाई गई राशि का अवलंब लेते हुए इन विनिधानों का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया । अभिलेखों से यह दर्शित होता है कि वह भारत तारीख 13 जुलाई, 2005 को द्वितीय अवसर पर पहुंचा था और तारीख 22 जुलाई, 2005 को उसने भारत से प्रस्थान किया था । उसने विमानपत्तन (एयरपोर्ट) पर आगमन पर नकद में 35,000 पाउंड स्टर्लिंग की रकम घोषित की थी और यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ तारीख 16 मार्च, 2005 का एक अन्य घोषणा पत्र फाइल किया था कि उसने मार्च, 2005 में भारत आगमन के समय 14,000 पाउंड घोषित किए थे और उसको तारीख 22 मार्च, 2005 को वापस जाना था किंतु एच. डी. एफ. सी. को किए गए किसी भी संदाय के साथ इन दोनों नकद घोषणा प्रपत्रों को शृंखलाबद्ध किए जाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था । इसलिए, दोनों निचले प्राधिकारियों ने एच. डी. एफ. सी. को किए गए संदायों के साथ इन संदायों को शृंखलाबद्ध किए जाने के प्रयास को ठीक नामंजूर किया था । अभिलेख यह भी उपदर्शित करते हैं कि अभियुक्त-याची को दो प्रतिदाय मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा तारीख 4 मई, 2006 और 8 मई, 2006 को दिए गए थे और वे (प्रतिदाय) 1,50,000/- रुपए की रकम के थे । जबकि एच. डी. एफ. सी. को मार्च,

2006 तक लगभग 40 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय अभियुक्त-याची द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त को प्राधिकारी के तारीख 29 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा किया गया था किंतु अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस रकम का संदाय उसके द्वारा किया गया था । अभियुक्त-याची के पक्षकथन पर दोनों निचले प्राधिकारियों द्वारा इस पृष्ठभूमि में विचार किया गया था कि वह अघोषित विदेशी मुद्रा, जो अक्तूबर, 2000 से भारत से उसके प्रस्थान के समय 70.54 लाख रुपए के समतुल्य थी, के कब्जे में पाई गई थी और उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने बिना घोषणा के विदेशी मुद्रा क्रय की थी जिस तथ्य से यह साबित हो जाता है कि वह सारभूत मात्र में अघोषित विदेशी मुद्रा के संव्यवहार में संलिप्त थी । न्यायालय के सुविचार में दोनों निचले प्राधिकारियों ने अभिलेख और उन तीनों फ्लैटों के बाबत विनिधानों के संबंध में अभियुक्त-याची द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण बहुत बारीकी से किया और न्याय अभिनिर्धारित किया है कि वे फ्लैट अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियां हैं । परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया समपहरण अक्षुण्ण बना रहा और उसको किसी भी आधार पर दोषपूर्ण नहीं पाया जा सका । दस्तावेजी साक्ष्य और साथ ही अभियुक्त-याची द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के आधार पर ये समवर्ती निष्कर्ष किसी शैथिल्य से ग्रसित नहीं हैं और इसलिए इस मामले में मध्यक्षेप किए जाने और कोई भिन्न विचार व्यक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई मामला नहीं बनता । इसलिए, याचिका असफल होती है और खारिज की जाती है । (पैरा 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 14 एस. सी. सी. 186 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 536 : **असलम मोहम्मद मर्चेंट** बनाम **सक्षम प्राधिकारी और अन्य** ;	14
[2003]	(2003) 7 एस. सी. सी. 427 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4195 : **केसर देवी** बनाम **भारत संघ** ;	14

[1994] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2179 =
1994 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2652 :
महाधिवक्ता बनाम **अमृत लाल प्रजीवनदास और अन्य** । 14

रिट (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक रिट याचिका सं. 868.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याचियों की ओर से सर्वश्री बी. शेषगोपालन और गिरीश आर. अग्रवाल

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री एस. के. भिंडे, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. एच. मरलापल्ले ने दिया ।

न्या. मरलापल्ले – प्रक्रिया जारी की गई । अपीलार्थी की सहमति से निदेशित किया जाता है कि प्रक्रिया की तामीली के पश्चात् तुरंत वापस भेजा जाए ।

2. याची ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई इस याचिका में तारीख 7 दिसंबर, 2007 को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित समपहरण के आदेश और उस आदेश के अधीन तीन अचल सम्पत्तियों का समपहरण किए जाने वाले आदेश जिसकी पुष्टि नई दिल्ली स्थित समपहृत सम्पत्तियों के अधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अधीन फाइल की गई । अपील सं. एफ. पी. ए 2/मुंबई/2008 में तारीख 11 जनवरी, 2011 के आदेश द्वारा की गई, को चुनौती देने की ईप्सा की है ।

3. याची का विवाह डा. अशोक शर्मा के साथ तारीख 14 दिसंबर, 1985 को सम्पन्न हुआ था और उक्त विवाह से उसने दो बच्चों, पुत्र कुणाल शर्मा और पुत्री रुचि शर्मा को जन्म दिया था । तथापि, याची ने डा. अशोक शर्मा से तलाक ले लिया और बहरीन के सुरेन्द्र भगवानजी नामक व्यक्ति से तारीख 22 फरवरी, 1999 को विवाह कर लिया था । विवाह के परिणामस्वरूप वह बहरीन चली गई । जब वह तारीख 4 अक्तूबर, 2000 को मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (हवाई अड्डे) पर थी, तो सीमा-शुल्क

विभाग द्वारा उससे 70.54 लाख रुपए के भारतीय करेंसी के समतुल्य विदेशी करेंसी बरामद और अभिगृहीत की गई थी और उसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई थी । जब उसके द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को भारत सरकार द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2004 के आदेश द्वारा निर्णीत किया गया तो इस कार्यवाही का निपटारा हो गया । याची से अभिगृहीत विदेशी करेंसी के आत्यंतिक रूप से अधिहरण (जब्ती) को तारीख 29 अक्तूबर, 2004 के उक्त आदेश के अधीन 10 लाख रुपए के मोचन जुर्माना और 4 लाख रुपए की शास्ति के संदाय पर अधिहरण (जब्ती) में परिवर्तित कर दिया गया था । 61,60,992/- रुपए की शेष रकम को सीमा शुल्क विभाग द्वारा रिमांड आदेश सं. ए. आई. आर.-कस्टम/18/05 द्वारा याची को लौटा दिया गया था ।

4. इसी दौरान तारीख 25 मई, 2001 का निरोध आदेश याची (जिसको इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति या ए. पी. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के विरुद्ध जारी किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उसके और उसके पिता पर तारीख 13 मार्च, 2002 को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था जिसके द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का समपहरण किया जाना प्रस्तावित था :–

> "(i) फ्लैट सं. बी.17 साईं मिलाप सी. एच. एस. लिमिटेड की बी. विंग, साईं बाबा काम्पलेक्स, सीबा माइजी रोड, गोरेगांव (पूर्व) - 400063.
>
> (ii) फ्लैट सं. 1105, 11वां तल, भवन सं. बी-29, सिल्वर आर्क, शास्त्री नगर, डीलक्स फेज जे. पी. रोड, ग्राम ओशीवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053.
>
> (iii) फ्लैट सं. 1106, 11वां तल, भवन सं. बी-29, सिल्वर आर्क, शास्त्री नगर, डीलक्स फेज जे. पी. रोड, ग्राम ओशीवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053.
>
> (iv) भारतीय स्टेट बैंक कांडीवली (पश्चिम) मुंबई का बचत बैंक खाता (एन. आर. ई.) सं. 01192084184.
>
> (v) सिटी बैंक, मुंबई का बचत बैंक खाता (एन. आर. ई.) सं. 5-897400-113.

(vi) 61,60,992/- रुपए की रकम (मोचन जुर्माना और शास्ति को समायोजित करने के पश्चात् सीमा-शुल्क विभाग द्वारा वापस लौटाए गए अभिगृहीत करेंसी के विक्रम आगम की रकम) ।

चूंकि निरोध आदेश को तारीख 28 दिसंबर, 2005 को प्रतिसंहृत कर दिया गया था, तारीख 13 मार्च, 2002 का कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया था ।"

5. 2004 के दांडिक मामला संख्या 37/सी. डब्ल्यू./2004 में याची अभियुक्त को 1962 के सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 135(i)(क) सपठित धारा 135(ii) के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उसको 14 दिनों का साधारण कारावास भोगने और 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना था । उसको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा किया गया था । दोषसिद्धि का यह आदेश और मुंबई के विद्वान् मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंडादेश अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के समपहरण के लिए नई कार्यवाही आरंभ किए जाने का आधार था और धारा 2(2)(क)(i) के उपबंध उसके ऊपर लागू हो गए थे ।

6. ऊपर अभिलिखित अचल संपत्तियों और साईं मिलाप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के संबंध में आरंभिक जांच से यह ज्ञात हुआ कि फ्लैट सं. बी-17 श्रीमती यामिनी अशोक शर्मा के नाम में था । फिर भी याची के पिता ने अपने पत्र जो तारीख 6 मई, 2002 को प्राप्त हुआ था, द्वारा अभिकथित किया कि याची और डा. अशोक शर्मा का विवाह तारीख 4 अप्रैल, 1998 की विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो गया था और गोरेगांव (पूर्व) स्थित साईं मिलाप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का फ्लैट सं. बी-17 अशोक शर्मा, अभियुक्त-याची के पूर्ववर्ती पति द्वारा जुलाई, 1987 में खरीदा गया था और प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम का संदाय डा. शर्मा द्वारा अपनी आय जो उनके लीबिया से भारत वापस आने के पश्चात् जमा की गई थी, से किया गया था । आगे यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त-याची द्वारा विवाह-विच्छेद के पश्चात् उक्त फ्लैट का कब्जा अपने भाई श्री कैलाश वियाल को सौंप दिया गया । तारीख 10 अक्तूबर, 1987 के करार से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-याची उक्त फ्लैट जिसका निर्माण मैसर्स एक्सप्रैस नेशनल बिलडर्स द्वारा स्वामित्व के आधार पर किया जा रहा था, को 1,60,500/- रुपए के प्रतिफल पर

खरीदने के लिए सहमत हो गया था और करार की तारीख पर मात्र 35,000/- रुपए की रकम का संदाय दो भिन्न चैकों के माध्यम से किया गया था, जिनको भारतीय स्टेट बैंक की कांदीवली (पश्चिम) शाखा और कर्नाटक बैंक लिमिटेड की कांदीवली (पश्चिम) शाखा से जारी किया गया था ।

जहां तक द्वितीय अचल सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट सं. 1106, 11वां तल, भवन सं. 29, सिल्वर आर्क, का संबंध है, मैसर्स अजमेरा हाउसिंग कारपोरेशन (संक्षेप में मैसर्स अजमेरा) ने अपने तारीख 20 अप्रैल, 2002 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उक्त फ्लैट तारीख 12 जुलाई, 2000 के करार के अनुसार श्रीमती यामिनी सुरेन्द्र भगवानजी द्वारा श्री बजारन आर. गुप्ता से खरीदा गया था । मैसर्स अजमेरा को 47,000/- रुपए की रकम का संदाय किया गया था और श्री गुप्ता को 5,17,000/- रुपए की रकम का संदाय किया गया था । मैसर्स अजमेरा ने 940 वर्ग फीट (अधिनिर्मित) वाले उक्त फ्लैट का आबंटन बजरंग आर. गुप्ता के पक्ष में 5,64,000/- रुपए के प्रतिफल के बदले में कर दिया था और उसने (श्री गुप्ता ने) 5,17,000/- रुपए की रकम का संदाय तारीख 12 जुलाई, 2000 तक कर दिया था । आगे यह अभिकथित किया गया कि श्री गुप्ता उक्त फ्लैट अभियुक्त-याची को तारीख 12 जुलाई, 2000 के करार द्वारा 22,09,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में बेचने के लिए सहमत हो गए थे और अभियुक्त-याची ने 3,31,400/- रुपए की रकम का संदाय बहरीन इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आहरित चैक द्वारा कर दिया था और वित्तीय संस्था से ऋण अभिप्राप्त करने के पश्चात् 18,30,000/- रुपए की अधिशेष रकम का संदाय करने के लिए सहमत हो गए थे । मैसर्स अजमेरा ने तारीख 6 मई, 2002 के पश्चात्वर्ती पत्र द्वारा अभियुक्त-याची को 86,140/- रुपए का अधिशेष संदाय करके फ्लैट सं. 1106 का कब्जा लेने के लिए सूचित कर दिया था । मैसर्स अजमेरा ने तारीख 20 अप्रैल, 2002 के पत्र द्वारा उसी भवन के फ्लैट सं. 1105 स्थित 11वां तल (अधिनिर्मित) के बाबत विवरण सूचित किए । यह अभिकथित किया गया कि उक्त फ्लैट श्रीमती पुष्पा देवी बी. गुप्ता द्वारा 3,66,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में खरीदा गया था और उन्होंने 3,20,000/- रुपए की रकम का संदाय कर दिया था । तथापि, तारीख 12 जुलाई, 2002 के करार द्वारा उक्त श्रीमती गुप्ता ने उक्त फ्लैट अभियुक्त-याची को 14,33,500/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में बेच दिया था । अभियुक्त-याची ने श्रीमती गुप्ता को 2,15,000/- रुपए की

रकम का संदाय एक चैक द्वारा, जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आहरित था, और मैसर्स अजमेरा को 46,000/- रुपए की रकम का संदाय किया था । वह वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करके 11,72,500/- रुपए की अधिशेष रकम का संदाय करने के लिए सहमत हो गई थी । उसको तारीख 6 मई, 2002 के पत्र द्वारा 57,910/- रुपए का अधिशेष रकम का संदाय करके फ्लैट सं. 1105 का कब्जा देने की राय दी गई थी । अतः अभियुक्त-याची ने सिल्वर आर्क के भवन सं. 29 में दोनों फ्लैट खरीदे जाने के लिए 33.12 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करने का दावा किया था । जांच के दौरान इस बात का भी प्रकटीकरण किया गया था कि अभियुक्त-याची पर तारीख 30 सितंबर, 2003 को 49,34,264/- रुपए के ऋण की रकम अधिशेष थी जिसका संदाय हाउसिंग डेवल्पमेंट फाइनेंस कारपोरेशन को किया जाना था और तारीख 17 जनवरी, 2006 को 40,08,285/- रुपए की कुल रकम का पुनर्संदाय उक्त ऋण की रकम के बाबत कर दिया गया था । भारतीय स्टेट बैंक, कांदीवली में बचत बैंक खाता (एन. आर. ई.) सं. 01192084184 से उपदर्शित होता है कि 5,39,900/- रुपए की पूर्ण रकम जमा कर दी गई थी जिसमें से 3,24,000/- रुपए की रकम का अंतरण बहरीन से किया गया था और उक्त खाते में तारीख 1 फरवरी, 2006 तक अधिशेष रकम मात्र 4,840/- रुपए थी । जबकि सिटी बैंक मुंबई का बचत खाता (एन. आर. ई.) सं. 5-897400-113 उपदर्शित करता है कि 4,98,200/- रुपए की रकम तारीख 26 मई, 2005 को जमा की गई थी । इस खाते में अधिशेष रकम मात्र 17,031/- रुपए थी ।

7. अभियुक्त-याची को तारीख 29 नवंबर, 2006 की नवीनतम कारण बताओ नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 64 के अधीन जारी की गई थी और उसका उत्तर तारीख 20 फरवरी, 2007 को दिया गया था । अभियुक्त-याची को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और उसने अपने लिखित निवेदनों को दोहराया था । निम्नलिखित तीन अचल सम्पत्तियों का समपहरण करते हुए तारीख 7 दिसंबर, 2007 का आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि वे संपत्तियां तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(i)(ग) के निबंधनों के अनुसार अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां थीं :–

"(i) फ्लैट सं. बी-17, बी. विंग, साईं मिलाप कोआपरेटिव

हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, साईं बाबा काम्पलेक्स, सीबा गाइजी रोड, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-400063.

(ii) फ्लैट सं. 1105, 11वां तल, भवन सं. बी-29, सिल्वर आर्क, शास्त्री नगर, डीलक्स फेस, जे. पी. रोड, ग्राम ओशीवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053.

(iii) फ्लैट सं. 1106, 11वां तल, भवन सं. बी-29, सिल्वर आर्क, शास्त्री नगर, डीलक्स फेस, जे. पी. रोड, ग्राम ओशीवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053.

अभियुक्त-याची ने उक्त आदेश को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12(4) के अधीन फाइल की गई अपील संख्या एप. पी. ए. 2/बाम्बे/2008 में चुनौती दी और इस अपील को अपीली अधिकरण द्वारा तारीख 11 जनवरी, 2011 को खारिज कर दिया गया ।"

8. याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी और साथ ही अपीली अधिकरण ने सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन तारीख 29 अक्तूबर, 2004 को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की उपेक्षा कर दी थी, अभियुक्त-याची द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया था, नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों का अतिक्रमण किया गया है । यह अभिव्यक्त किया गया है कि तारीख 11 जनवरी, 2011 को अपीली अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश सदस्य श्री एस. सी. गुप्ता द्वारा तारीख 11 जनवरी, 2001 को हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है किंतु उन्होंने उस आदेश को 18 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षरित किया किंतु पहले ही तारीख 13 जनवरी, 2011 को सेवानिवृत्त हो गया था । यह निवेदन भी किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था और यह दावा किया गया है कि तारीख 29 नवंबर, 2011 के कारण बताओ नोटिस को अवैध अभिनिर्धारित कर दिया जाना चाहिए था । सक्षम प्राधिकारी और अपीली अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अनुचित हैं । अपीली अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कि भावी और उसके पति के अनिवासी अस्तित्व के खाते के बजाय याची के व्यक्तिगत खाते से संपत्ति के अर्जन के लिए निधियां और समपहरण आदेश पारित किए जाते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर विचारण अनुचित निष्कर्ष हैं । यह दावा भी किया गया है कि अपीली अधिकरण का एक सदस्य

अर्थात् श्री दिनेश केकर ने पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई की थी और तारीख 29 अक्तूबर, 2004 का आदेश पारित किया था । उसी के विनिश्चय को याची द्वारा उद्धृत किया गया था और इसलिए अधिकरण उक्त आदेश द्वारा बाध्य था । अधिकरण का निष्कर्ष कि याची के एच. डी. एफ. सी. वाले ऋण खाते को अंतरण के पूर्व डा. अशोक शर्मा के अनिवासी अस्तित्व वाले खाते से अनिवासी संगठन वाले खाते को 20 लाख रुपए का अंतरण और उक्त रकमों का तीन चैकों वाली रकमों द्वारा अंतरित किया जाना और कुछ नहीं बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध अनुचित निष्कर्ष है । आगे यह निवेदन किया गया है कि डा. अशोक शर्मा के अनिवासी अस्तित्व खाते में क्रेडिट (जमा) किए जाने के पश्चात् अनिवासी संगठन वाले खाते से निधियों के अंतरण से यह दर्शित होता है कि अंतरण के साथ किसी प्रकार की अनियमितता को नहीं जोड़ा जा सकता । यह भी अभिकथित किया गया है कि आक्षेपित आदेश मनमानेपन से ग्रसित हैं क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया था । अपीली अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि याची से उस तथ्य को साबित करने के भार का निर्वहन किया जाना अपेक्षित था जो उसके ऊपर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 8 के अधीन अधिरोपित किया गया था यद्यपि उसके ऊपर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरंभिक रूप से साबित किए जाने का भार का निर्वहन किए जाने का दायित्व नहीं था । इन सभी आधारों पर याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अवैध, विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के साथ अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

9. इसके विपरीत भारत संघ के विद्वान् स्थायी काउंसेल श्री शिंडे ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री पर समपहरण आदेश पारित करते समय विचार किया गया था । अपीली अधिकरण ने साक्ष्य का पुनः पुनर्मूल्यांकन किया और विस्तारपूर्वक निर्णय पारित करते हुए और तीनों अचल संपत्तियों के संबंध में पारित किए गए समपहरण आदेश की पुष्टि कर दी । श्री शिंडे के अनुसार अभिलेख पर प्रकट रूप से ऐसी कोई त्रुटि विद्यमान नहीं थी जिसके कारण दोनों निचले प्राधिकारियों द्वारा लिखित समवर्ती निष्कर्ष में मध्यक्षेप कारित हो और इसलिए याचिका

खारिज किए जाने योग्य है ।

10. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां धारित किए जाने को प्रतिषिद्ध करती है और यह इस प्रकार है :–

"4. अवैध रूप से धारित संपत्ति के धारण पर प्रतिषेध –

(1) इस अधिनियम के आरंभ से किसी व्यक्ति जिसको यह अधिनियम लागू होता है, के लिए यह विधिमान्य नहीं होगा कि वह किसी अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कारित करे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति साधारण (1) के उपबंध के अतिलंघन में किसी अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को धारित करता है, तो वह सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा समपहरण किए जाने योग्य होगी ।"

शब्द "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति" को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(1)(ग) के अधीन परिभाषित किया गया है और इसका यह अर्थ है, कि –

(i) इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले या पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी या आय के साधन, उपार्जन या आस्ति जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप से व्युत्पन्न या अभिप्रात या आरोप्य हो, में से किसी ऐसे मामले जिसके संबंध में संसद विधियां बनाने के लिए सशक्त है, से संबंधित अर्जित कोई सम्पत्ति ; या

(ii) इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले या पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी आय या आय के साधन, उपार्जन या आस्ति, जिसके संबंध में किसी विधि का अतिलंघन किया गया हो ; या

(iii) इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले या पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी आय या आय के साधन, उपार्जन या आस्ति जिसके स्रोत को साबित नहीं किया जा सकता और जिसको किसी कार्य या बात जिसको किसी के मामले के संबंध में किया गया है जिसके संबंध में संसद विधियां बनाने के लिए सशक्त नहीं है, के प्रति आरोप्य दर्शित नहीं किया जा सकता ; या

(iv) इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले या पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के लिए या किसी साधन द्वारा पूर्णतः या भागतः उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट अर्जित कोई सम्पत्ति जो किसी सम्पत्ति से अनुभागर्णीय हो, या ऐसी संपत्ति से होने वाली आय या कमाई,

और इसमें सम्मिलित हैं :–

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई सम्पत्ति जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में इस खंड के अधीन अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति हो यदि ऐसे पूर्ववर्ती धारक उसको धारित करने से प्रविरत हो गया हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने सम्पत्ति को ऐसे पूर्ववर्ती धारक के पश्चात् किसी भी समय पर धारित किया था या जहां ऐसे पूर्ववर्ती धारक हो या अधिक हो तो उन पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावना में अंतिरिती है या था ।

(ख) इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले या पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के लिए या किसी साधन द्वारा पूर्णतः या भागतः मद (क) के अधीन आने वाली कोई सम्पत्ति जो किसी सम्पत्ति से अनुभागर्णीय हो या उससे होने वाली आय या कमाई :"

11. अधिनयम की धारा 6 समपहरण के नोटिस के लिए उपबंध करती है और उक्त धारा की उपधारा (i) इस प्रकार है :–

"6. समपहरण की सूचना – यदि किसी व्यक्ति जिसको यह अधिनियम लागू होता है द्वारा स्वयं या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित सम्पत्तियों, उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए धारा 18 या किसी अन्य उपबंध के अधीन की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप कोई अन्य सूचना या सामग्री उपलब्ध हो जाती है, सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण मौजूद है (विश्वास के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाए) कि समस्त या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है तो वह ऐसे व्यक्ति पर उस समय के भीतर जिसको नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए और जो सामान्यतया 30 दिनों से कम की नहीं होगी, यह अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकता है कि वह अपनी आय कमाई या शास्तियों के स्रोतों को निर्दिष्ट करे जिनमें से या जिनके

द्वारा उसने उस सम्पत्ति को अर्जित किया है, साक्ष्य जिसका वह अवलंब लेता है और अन्य (सुसंगत सूचना और विवरणों को निर्दिष्ट करें और इस बाबत कारण दर्शित करे कि सभी सम्पत्तियों या उन सम्पत्तियों में किसी सम्पत्ति को, जैसा भी मामला हो, को अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां क्यों न घोषित कर दिया जाए और इस अधिनियम के अंतर्गत उनका समपहरण क्यों न कर लिया जाए (इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति कह कर निर्दिष्ट किया गया है) ।'

12. अधिनियम की धारा 21 अभिकथित करती है कि किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य विधि के अंतर्गत निकाला गया कोई निष्कर्ष इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ निश्चायक नहीं होगा । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया विवाद्यक यह था कि क्या अभिगृहीत विदेशी मुद्रा को सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिहरित किया जाना अपेक्षित था या मोचन जुर्माना और शास्ति के संदाय के आधार पर उसका मोचन कर दिए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जानी चाहिए थी । पुनरीक्षण प्राधिकारी से इस विवाद्यक को निर्णीत किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई थी कि क्या अपीलार्थी-याची अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति धारित करता है जैसा कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और क्या उक्त सम्पत्ति का समपहरण किया जाना अपेक्षित था । यह तथ्य कि विदेशी मुद्रा का मोचन कराए जाने की अनुज्ञा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा पारित आदेश में वर्णित कारणों के आधार पर प्रदान कर दी गई थी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाने के द्वारा समपहरण कार्यवाही आरंभ किए जाने का आधार नहीं हो सकता । समान रूप से यह तथ्य कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफिपोसा) के अंतर्गत पारित निरोध आदेश को सरकार द्वारा प्रतिसंहृत (त्वरित) कर दिया गया था, अपीलार्थी-याची के विरुद्ध समपहरण कार्यवाही आरंभ करने का कारण नहीं हो सकता और वह भी तब जब कि उसको एक लाख रुपए से अधिक मूल्य के माल के संबंध में सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया गया था । सक्षम प्राधिकारी द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6(i) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सक्षम

प्राधिकारी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष कार्यवाही से भिन्न की । इसलिए अपीली अधिकरण ने पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर याची के अवलंब को न्यायतः अस्वीकृत किया ।

13. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 7(i) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी स्पष्टीकरण यदि धारा 6 के अधीन कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचारोपरांत और प्रभावित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है कि क्या सभी प्रश्नगत सम्पत्तियां या उनमें से कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियां हैं । जबकि उक्त अधिनियम की धारा 7(2) अभिकथित करती है कि जहां सक्षम प्राधिकारी इस बाबत कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकेगा कि उक्त सम्पत्तियों का समपहरण सभी विल्लंगमों (भारों) से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के पक्ष में हो गया है । तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 8 अभिकथित करती है कि किसी कार्यवाही जिसके अंतर्गत यह साबित करने का भार कि धारा 6 के अधीन तामील नोटिस में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर होगा । अतः अपीलार्थी-याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किए जाने और अपने पक्षकथन की प्रतिरक्षा किए जाने का प्रयास किए जिसके पश्चात् तीन अचल सम्पत्तियां जिसका समपहरण किए जाने की अपेक्षा की गई थी, को उसमें अर्थात् कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अभिकथित कारणों के आधार पर अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां नहीं कहा जा सकता उन आधारों को साबित करने का भार प्रत्यक्षतः उसी के ऊपर था । उदाहरणार्थ, यदि वह इस प्रतिरक्षा का आश्रय लेती कि उसने बैंक से ऋण लिए थे या उसके पूर्ववर्ती पति ने राशि उधार ली थी और उसने उसको (पूर्ववर्ती पति को) पुनर्संदाय कर दिया था या विवाह-विच्छेद के बावजूद वह उसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था, उसके लिए इन विनिधानों और ऋणों के पुनर्संदाय के स्रोतों को स्पष्ट करना अनिवार्य है । यद्यपि बैंकों से धन उधार देने वाले तथ्य को उसके द्वारा साबित कर दिया गया था, तो भी यह तथ्य सम्पत्ति को "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति" पद की परिधि के बाहर लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि वह बैंक ऋण के पुनर्संदाय

के लिए धन से स्रोत को स्पष्ट नहीं कर देती । हमारे विचार में यह विचार दोनों निचले प्राधिकारियों द्वारा न्यायतः व्यक्त किया गया है ।

14. **महाधिवक्ता** बनाम **अमृत लाल प्रजीवनदास और अन्य**[1] वाले मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ ने तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति" की परिभाषा का निर्वचन निम्नलिखित शब्दों में किया है :–

> " 'अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों' की परिभाषा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के खंड (ग) में दी गई है जो निःसंदेह रूप से अत्यधिक व्यापक है । इसका अर्थ है और इसमें उस व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति सम्मिलित है चाहे उसका अर्जन, पूर्ण सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का, इस अधिनियम के आरंभ के पहले किया गया हो या पश्चात् उस व्यक्ति की किसी आय, उपार्जन या आस्तियों से जिनको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध किसी ऐसे मामले जिसके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है (उसकी परिधि को अधिक व्यापक और विस्तृत बनाने के लिए खंड (ग) के उपखंड (i), (ii), (iii) और (iv) । अतः यह परिभाषा न केवल अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् अर्जित सम्पत्तियों पर लागू होती है, बल्कि अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् अर्जित सम्पत्तियों पर भी लागू होती है चाहे समय की अवधि कुछ भी हो । द्वितीयतः, यह अधिनियम उन सम्पत्तियों पर भी लागू होता है जिसको भागतः अवैध क्रियाकलापों द्वारा अर्जित किया गया और जिस मामले में धारा 9 के उपबंध लागू होंगे । धारा 2 में उल्लिखित अवैध क्रियाकलाप मात्र विधि [तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976] के अतिक्रमण तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन सभी विधियों को आकर्षित करते हैं जिनको बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है....."

केसर देवी बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो अभिकथित किया वह इस प्रकार है :–

---

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2179 = 1974 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2652.
[2] (2003) 7 एस. सी. सी. 427 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4195.

"धारा 6(i) और धारा 8 का सम्मिलित प्रभाव यह है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण (जिन कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाना चाहिए) होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के नाम में दृश्यमान रूप से दर्ज सम्पत्तियां, जिन पर यह अधिनियम (तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां हैं, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है । तत्पश्चात्, इस बात को साबित करने का भार कि वह सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसको यह नोटिस जारी किया गया है....."

असलम मोहम्मद मर्चेंट बनाम **सक्षम प्राधिकारी और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथित किया :–

"22. यदि एक बार कारण बताओ नोटिस को कानूनी अपेक्षाओं को संयुक्त करने वाला पाया जाता है, जो पुरोभाव्य शर्त हैं, तो यह कहा जा सकता है कि सम्पत्ति के समपहरण के लिए विधिमान्य कार्यवाही आरंभ कर दी गई है । केवल उसी मामले में जहां कोई विधिमान्य कार्यवाही आरंभ कर दी गई है तो इस बात को साबित करने का भार कि नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति नहीं है, प्रभावित 'व्यक्ति' पर होगा ।

28. तथापि, इसके पहले कि समपहरण का कोई आदेश पारित किया जा सके, प्राधिकारी को न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए बल्कि उससे उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार किया जाना भी अपेक्षित होता है । यह आवश्यक नहीं है कि यह निष्कर्ष कि सभी प्रश्नगत सम्पत्तियां या उनमें से कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है, अभिलिखित किया गया है ।"

15. अतः हम आक्षेपित आदेशों की परीक्षा ऊपरवर्णित सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के आधार पर करने के लिए अग्रसर होते हैं और तीनों सम्पत्तियों में से प्रत्येक के अर्जन का परीक्षण करते हैं :–

"साईं मिलाप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्थित फ्लैट सं.

---

[1] (2008) 14 एस. सी. सी. 186 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 536.

बी-17, बी विंग : जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है, अभियुक्त-याची के पिता श्री विश्वनाथ वियाला ने अपने तारीख 6 मई, 2002 के पत्र द्वारा अभिकथित किया था कि यह फ्लैट तारीख 10 अक्तूबर, 1987 के पत्र द्वारा डा. अशोक शर्मा द्वारा अभियुक्त-याची के नाम में 11,60,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में खरीदा गया था और करार के दिवस को 35,000/- रुपए की रकम का संदाय, किया गया था । 1,25,000/- रुपए की बकाया रकम के संदाय का दावा डा. अशोक शर्मा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के नारीमन प्वाइंट शाखा से किए जिसका दावा किया गया था । इस बात का भी दावा किया गया था कि डा. अशोक शर्मा जुलाई, 1980 से मई, 1987 तक लीबिया में था और डा. शर्मा और अभियुक्त-याची का विवाह तारीख 14 दिसंबर, 1985 को हुआ था । अतः भारतीय स्टेट बैंक की नारीमन प्वाइंट शाखा खाते में राशि का अंतरण डा. शर्मा द्वारा लीबिया (त्रिपोली) से किए जाने का दावा किया गया था । दोनों निचले प्राधिकारियों ने स्वीकार किया है कि भारतीय स्टेट बैंक की कांदीवली शाखा से 25,000/- रुपए की रकम का तारीख 10 अक्तूबर, 1987 की चैक सं. 471827 और कर्नाटक बैंक की कांदीवली शाखा पर आहरित 10,000/- रुपए की तारीख 10 दिसंबर, 1987 की चैक सं. 268231 आहरित की और भवन निर्माता द्वारा संदाय फ्लैट के क्रय के प्रयोजनार्थ आरंभिक संदाय के रूप में स्वीकार किया गया था । भारतीय स्टेट बैंक की कांदीवली शाखा द्वारा जारी किए गए तारीख 27 दिसंबर, 2010 के प्रमाणपत्र के अनुसार एन. आर. ई. खाता सं. 16312 तारीख 17 फरवरी, 1987 को अशोक कुमार शर्मा और यामिनी शर्मा के नामों में खोला गया था । आगे यह प्रमाणित किया कि चैक सं. 471826 से 471850 वाले चैक बुक तारीख 9 अक्तूबर, 1987 को जारी की गई थी । यह भी प्रमाणित किया गया कि उक्त खाते में फरवरी 1987 से मार्च, 1988 की अवधि के लिए संव्यवहार विवरण उपलब्ध नहीं थे । फिर भी, दोनों प्राधिकारी इस बाबत सहमत थे कि अभियुक्त-याची के पक्ष में यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसने 25,000/- रुपए की रकम का संदाय एन. आर. ई. खाते से किया था जो वह अपने पति के साथ संयुक्त रूप से अक्तूबर, 1987 में धारित करती थी । तथापि, जहां तक कर्नाटक बैंक खाते का संबंध था, अभियुक्त-याची के पिता ने तारीख 21 अप्रैल, 2003 को अभिकथित किया था कि यह उसके नाम का बचत बैंक खाता है

और यह खाता उसके विवाह के पहले खोला गया था किंतु उसने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस खाते में राशि कैसे एकत्रित हुई थी और इसलिए 10,000/- रुपए के विनिधान के स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । हम इस निष्कर्ष में भी कोई त्रुटि नहीं पाते ।

यह दावा किया गया कि 1,25,500/- रुपए की रकम के शेष रकम में से 70,000/- रुपए की रकम का विनिधान भारतीय स्टेट बैंक की नारीमन प्वाइंट शाखा के एन. आर. ई. खाते से किया गया था और इसके समर्थन में एकमात्र साक्ष्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया तारीख 24 दिसंबर, 2010 का प्रमाणपत्र था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि डा. अशोक शर्मा और यामिनी शर्मा ने तारीख 8 दिसंबर, 1989 को एन. आर. ई. खाता सं. एस. बी. आई./एन. आर. ई./425 खोला था और 1989 से 1994 की अवधि के लिए उक्त खाते के संव्यवहार विवरण उपलब्ध नहीं थे । करार के अनुसार 35,000/- रुपए का विनिधान आरंभिक रूप से किया जाना था, 66,000/- रुपए के विनिधान का संदाय तारीख 10 नवंबर, 1987 तक किया जाना था, 45,000/- रुपए का संदाय तारीख 10 दिसंबर तक किया जाना था और 15,000/- रुपए की शेष रकम का संदाय भवन निर्माता को फ्लैट की सुपुर्दगी के समय पर किया जाना था । यह दर्शित किए जाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपस्थित नहीं है कि पश्चात्वर्ती संदाय करार में उल्लिखित इस अनुसूची के अनुसार नहीं किए गए थे और उसी समय भारतीय स्टेट बैंक की नारीमन प्वाइंट शाखा में एन. आर. ई. खाता तारीख 8 दिसंबर, 1989 को खोला गया था और यदि ऐसा हुआ था तो 66,000/- रुपए और 45,500/- रुपए की किस्तों का संदाय उक्त खाते से नहीं किया गया था जैसाकि दावा अभियुक्त-याची के पिता द्वारा किया गया है । इस बात की पुष्टि अभियुक्त-याची के पूर्व पति से भी नहीं की गई थी कि उसने उक्त फ्लैट को खरीदे जाने के प्रयोजनार्थ उसकी तत्कालीन पत्नी या भवन-निर्माता को उसके द्वारा स्पष्ट की गई आय में से 10,000/- रुपए, 66,000/- रुपए, 45,500/- रुपए और 15,000/- रुपए के संदाय किए थे । इसके अतिरिक्त अभियुक्त-याची के पिता द्वारा उपरोक्त तरीके में 70,000/- रुपए के संदाय का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किए जाने के पश्चात्

55,500/- रुपए की बकाया रकम के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था । अतः, अभियुक्त-याची अधिक से अधिक 1,60,500/- रुपए के इस फ्लैट के लिए कुछ प्रतिफल में से 25,000/- रुपए के संदाय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता था, संतोषप्रद स्पष्टीकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस फ्लैट के बाबत दोनों निचले प्राधिकारियों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है ।"

16. फ्लैट सं. 1105 और 1106, 11वां तल, भवन सं. बी-29, सिल्वर आर्क इन फ्लैटों के संबंध में अभियुक्त-याची ने अपना उत्तर तारीख 20 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत किया था और अभिकथित किया था कि इन फ्लैटों को तारीख 12 जुलाई, 2000 को करारों के आधार पर खरीदा गया था । फ्लैट सं. 1105 श्रीमती पुष्पा देवी बी. गुप्ता से 14,33,500/- रुपए के कुछ प्रतिफल के बदले में खरीदा गया था और फ्लैट सं. 1106 श्री बजरंगलाल आर. गुप्ता से 22,09,000/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में खरीदा गया था । इन दोनों फ्लैटों के बाबत संदाय निम्नलिखित प्रकार से किए जाने का दावा किया गया :–

विवरण	फ्लैट सं. 1105	फ्लैट सं. 1106
आरंभिक संदाय	2,15,000/- रुपए	3,31,400/- रुपए
द्वितीय संदाय	46,00,000/- रुपए	47,000/- रुपए
शेष	11,72,000/- रुपए	18,30,000/- रुपए

अभियुक्त-याची ने गुप्ता परिवार को शेष प्रतिफल का संदाय करने के लिए एच. डी. एफ. सी. से 33.12 लाख रुपए का ऋण लिया था । अभिलेख से दर्शित होता है कि अभियुक्त-याची ने उपरोक्त फ्लैटों के लिए अभिप्राप्त इस ऋण के पुनर्संदाय के बाबत तारीख 21 मार्च, 2006 तक 40,08,285/- रुपए के कुल ऋण का संदाय ब्याज सहित कर दिया था और इन संदायों की विवरणी नीचे दर्शित किए गए हैं :–

क्र. सं.	संदाय की तारीख	चैक/ डी.डी. सं.	रकम (रुपए में)	बैंक का नाम
1.	26.9.2000	डी.डी. सं. 10227386	14,750	भारतीय स्टेट बैंक (विदेशी

				शाखा)
2.	22.1.2001	चैक सं. 493257	1,22,878/-	भारतीय स्टेट बैंक कांदीवली (पश्चिम)
3.	27.9.2004	डी.डी. सं. 177147	20,00,000/-	भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर
4.	12.4.2005	डी.डी. सं. 602629	5,00,000/-	भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई सेंट्रल
5.	26.5.2005	चैक सं. 313979	5,00,000/-	सिटी बैंक, मुंबई
6.	7.10.2005	-	5,00,000/-	नकद संदाय
7.	10.1.2006	चैक सं. 313978	3,70,657/-	सिटी बैंक, मुंबई
		कुल	40,08,285/-	

अभियुक्त-याची ने आगे दावा किया है कि 40,08,285/- रुपए की रकम में से 20,00,000/- रुपए की रकम का संदाय उसके पूर्व पति डा. अशोक शर्मा द्वारा एच. डी. एफ. सी. को उसके भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर शाखा से डी. डी. सं. 177147 तारीख 27 सितंबर, 2004 द्वारा किया गया था । उसने यह दावा भी किया है कि वह एक फर्म, जिसका नाम सुरेश भगवानजी क्रिएशन है, की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रही थी और वह तारीख 13 मार्च, 2000 को 1400 बेहरीनी दिनार के मासिक वेतन का आहरण कर रही थी । उसने यह अभिकथित भी किया है कि एच. डी. एफ. सी. को 20,00,000/- रुपए के ऋण रकम का पुनर्संदाय 15,00,000/- रुपए (तारीख 4 मई, 2006) के चैक द्वारा संदाय और 61,60,992/- रुपए (तारीख 8 मई, 2006) के सी. बी. ई. सी. संदाय द्वारा समर्थित था ।

एच. डी. एफ. सी. से ऋण अभिप्राप्त किए जाने की तारीख और विक्रेताओं को अधिशेष संदायों की तारीखें प्रस्तुत नहीं की गई

थीं यद्यपि यह उल्लेख किया था कि ये संदाय अक्तूबर, 2000 में ही अर्थात् फ्लैटों को खरीदे जाने के चार माह के भीतर और वह भी जब अभियुक्त-याची को 70.54 लाख रुपए के समतुल्य आक्षेपित विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था । उसने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था कि वह विदेशी मुद्रा फ्लैटों को खरीदने के लिए लाई थी किंतु संव्यवहार को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सका । यह स्पष्टीकरण निधियों के स्रोतों जैसाकि स्पष्टीकरण अभियुक्त-याची द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत किए गए उत्तर में दिए जाने की ईप्सा की गई है, के विपरीत था । एच. डी. एफ. सी. को पुनर्संदाय की गई ऋण की रकम के संबंध में अपीली कार्यवाहियों में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से उपदर्शित हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक की जयपुर शाखा में एक अनिवासी अस्तित्व खाता डा. अशोक शर्मा के नाम में तारीख 19 अगस्त, 2004 को खोला गया था और उक्त खाते में निम्नलिखित तीन अंतरण प्रविष्टियां की गई थीं ।

(1)	चैक सं. 01590007083	9,60,000/- रुपए
(2)	चैक सं. 0159000708300	4,40,000/- रुपए
(3)	चैक सं. 01192007083	6,05,000/- रुपए
	कुल योग	20,05,000/- रुपए

यह सभी तीनों अंतरण इस खाते में तारीख 22 सितंबर, 2004 को जमा किए गए थे और उसी दिन 20,03,750/- रुपए की रकम एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड के पक्ष में 20,00,000/- रुपए का ड्राफ्ट जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ इस खाते में से निकाल ली गई थी और तद्नुसार इस खाते में 1,250/- रुपए की रकम शेष रह गई थी । इस खाते में जनवरी, 2005 और जुलाई, 2006 में अलग-अलग 7.66 रुपए और 15.41 रुपए की जमा की दो प्रविष्टियों के अतिरिक्त कोई अन्य संव्यवहार नहीं किया गया था । यह स्पष्ट नहीं किया गया कि डा. शर्मा के खाते से अभियुक्त-याची को 20,00,000/- रुपए की रकम का संदाय क्यों किया गया था और डा. शर्मा द्वारा भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई कि उसने अपनी पूर्ववर्ती पत्नी को 20,00,000/- रुपए की रकम का संदाय क्यों किया गया था और डा. शर्मा द्वारा भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि उसने अपनी पूर्ववर्ती पत्नी को 20,00,000/- रुपए का संदाय किया

है । उसके बैंक खाते में इन तीन जमा प्रविष्टियों के अंतरण के बाबत आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह पता नहीं चला था कि क्या अनिवासी अस्तित्व के खाते में अंतरण अभियुक्त-याची द्वारा स्वयमेव उक्त रकम के प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ कराए गए थे जिससे कि वह उक्त रकम का प्रयोग एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड को 20,00,000/- रुपए का संदाय किए जाने के लिए अनिवासी अस्तित्व के खाते का प्रयोग ..... के रूप में कर सके । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि ये संदाय अभियुक्त-याची द्वारा प्रथम कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् किए गए थे और प्रकटतः जब समपहरण की कार्यवाहियां लंबित थीं और कोफेपोसा के अधीन निरोधादेश भी निरस्त नहीं किया गया था । इसके बावजूद अभियुक्त-याची 20,00,000/- रुपए के स्रोत को स्पष्ट नहीं कर सकी और इस प्रकार वह उसके ऊपर डाले गए साबित करने के भार का निर्वहन कर पाने में विफल रही थी । उन परिस्थितियों में इस समवर्ती दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती थी कि 20,000,000/- रुपए की सीमा तक विनिधान के स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और उसने उसके द्वारा निदेशित राशि को दर्शित किया था ।

अभिलेख से यह भी उपदर्शित हुआ कि 5,00,000/- रुपए का एक अन्य संदाय एच. डी. एफ. सी. को बाद में तारीख 7 अक्तूबर, 2005 को किया गया था किंतु इस नकद संदाय के स्रोत को स्पष्ट नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त 5,00,000/- रुपए की रकम का सिटी बैंक मुंबई पर आहरित चैक सं. 313979 तारीख 26 मई, 2005 द्वारा संदाय किए जाने का दावा किया गया था । उक्त खाते के खाता विवरण से दर्शित होता है कि यह सितंबर, 2004 में खोला गया अनिवासी अस्तित्व खाता था और इस खाते से दो अंतरण प्रविष्टियां कीं अर्थात् सितंबर, 2004 और मई, 2005 में 28,959.59 रुपए और 4,98,200/- रुपए की अलग-अलग अंतरण प्रविष्टियां इन क्रेडिट प्रविष्टियों को स्रोतों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । 5,00,000/- रुपए की चैक सं. 313979 उक्त खाते में तारीख 28 मई, 2005 को डेबिट की गई थी और चूंकि यह खाता अनिवासी अस्तित्व खाता था, इस खाते में निधियां केवल विदेशी मुद्रा में आई थीं । 3,70,657/- रुपए की एक अन्य रकम सिटी बैंक में डेबिट की गई थी और इस रकम का संदाय एच. डी. एफ. सी. बैंक को जनवरी, 2006 में किया गया था किंतु चैक का भुगतान नहीं

हुआ क्योंकि इस खाते में पर्याप्त रकम नहीं थी और रकम सिटी बैंक खाते में उसी दिन पुनः क्रेडिट हो गई थी । अतः यह स्पष्टीकरण कि 3,70,657/- रुपए का संदाय सिटी बैंक से एच. डी. एफ. सी. को किया गया था, साबित नहीं किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त 61,434/- रुपए का एक अन्य चैक एच. डी. एफ. सी. बैंक के पक्ष में जारी की गई थी किंतु वह भी वापस लौट आई थी क्योंकि उक्त खाते में पर्याप्त अधिशेष नहीं था ।

5,00,000/- रुपए की एक अन्य राशि का संदाय भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई सेंट्रल शाखा से एच. डी. एफ. सी. को तारीख 12 अप्रैल, 2005 को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाने का दावा किया गया था और इसको न्यायोचित ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई सेंट्रल शाखा में नरेन्द्र कुमार एल. शर्मा और वी. एल. शर्मा के संयुक्त नामों में खाता सं. 01190025772 का खाता विवरण 6 मार्च, 1979 से 1 दिसंबर, 2004 की अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया था । 5,00,000/- रुपए की इस रकम की प्रविष्टि, जैसाकि दावा किया गया है कि इस रकम का संदाय अप्रैल, 2005 में किया गया था, उक्त खाते में नहीं पाई गई । अतः, 5,00,000/- रुपए की सीमा तक विनिधान के स्रोत का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । आगे किए गए 1,22,878/- रुपए के संदाय जनवरी, 2011 में किए जाने का दावा भारतीय स्टेट बैंक, कांडीवली (पश्चिम) शाखा से किया गया था जैसाकि प्रस्तुत किए गए खाते से परावर्तित होता है किंतु यह अवेक्षित किया गया था कि यह अभियुक्त-याची के नाम में खोला गया अनिवासी अस्तित्व का खाता है और 1,22,878/- रुपए का संदाय 1,24,000/- रुपए की क्रेडिट प्रविष्टि, जो भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित अंतरराष्ट्रीय एम. आई. सी. आर. चैक का प्रतिनिधित्व करती है, के पहले दर्ज की गई थी । अभियुक्त-याची इस क्रेडिट प्रविष्टि का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकती थी और इसलिए 1,22,878/- रुपए के विनिधान का स्रोत का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था । भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखा से जारी किए गए तारीख 26 जुलाई, 2000 के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा एच. डी. एफ. सी. को किया गया 14,750/- रुपए का संदाय भी किए जाने का दावा किया गया था किंतु उक्त रकम का स्रोत के विवरण को भी प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

17. अतः इन दोनों फ्लैटों के संबंध में ऋण लौटाए जाने के लिए एच. डी. एफ. सी. को किए गए सारभूत संदायों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया था कि इन सम्पत्तियों के लिए किए गए सारभूत विनिधानों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके द्वारा सम्पत्तियों के समपहरण की कार्यवाही की गई थी । अपीली अधिकरण ने इन निष्कर्षों की पुष्टि न्यायतः की थी ।

18. अभियुक्त-याची अपने द्वितीय पति श्री सुरेन्द्र भगवानजी के भारत और विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा लाई गई राशि का अवलंब लेते हुए इन विनिधानों का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया । अभिलेखों से यह दर्शित होता है कि वह भारत तारीख 13 जुलाई, 2005 को द्वितीय अवसर पर पहुंचा था और तारीख 22 जुलाई, 2005 को उसने भारत से प्रस्थान किया था । उसने विमानपत्तन (एयरपोर्ट) पर आगमन पर नकद में 35,000 पाउंड स्टर्लिंग की रकम घोषित की थी और यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ तारीख 16 मार्च, 2005 का एक अन्य घोषणा पत्र फाइल किया था कि उसने मार्च, 2005 में भारत आगमन के समय 14,000 पाउंड घोषित किए थे और उसको तारीख 22 मार्च, 2005 को वापस जाना था किंतु एच. डी. एफ. सी. को किए गए किसी भी संदाय के साथ इन दोनों नकद घोषणा प्रपत्रों को शृंखलाबद्ध किए जाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था । इसलिए, दोनों निचले प्राधिकारियों ने एच. डी. एफ. सी. को किए गए संदायों के साथ इन संदायों को शृंखलाबद्ध किए जाने के प्रयास को ठीक नामंजूर किया था । अभिलेख यह भी उपदर्शित करते हैं कि अभियुक्त-याची को दो प्रतिदाय मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा तारीख 4 मई, 2006 और 8 मई, 2006 को दिए गए थे और वे (प्रतिदाय) 1,50,000/- रुपए की रकम के थे । जबकि एच. डी. एफ. सी. को मार्च, 2006 तक लगभग 40 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय अभियुक्त-याची द्वारा सीमा-शुल्क आयुक्त को प्राधिकारी के तारीख 29 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा किया गया था किंतु अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस रकम का संदाय उसके द्वारा किया गया था । अभियुक्त-याची के पक्षकथन पर दोनों निचले प्राधिकारियों द्वारा इस पृष्ठभूमि में विचार किया गया था कि वह अघोषित विदेशी मुद्रा, जो अक्तूबर, 2000 से भारत से उसके प्रस्थान के समय 70.54 लाख रुपए के समतुल्य थी, के कब्जे में पाई गई थी और उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने बिना

घोषणा के विदेशी मुद्रा क्रय की थी जिस तथ्य से यह साबित हो जाता है कि वह सारभूत मात्र में अघोषित विदेशी मुद्रा के संव्यवहार में संलिप्त थी ।

19. हमारे सुविचार में दोनों निचले प्राधिकारियों ने अभिलेख और उन तीनों फ्लैटों के बाबत विनिधानों के संबंध में अभियुक्त-याची द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण बहुत बारीकी से किया और न्यायतः अभिनिर्धारित किया है कि वे फ्लैट अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियां हैं । परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया समपहरण अक्षुण्ण बना रहा और उसको किसी भी आधार पर दोषपूर्ण नहीं पाया जा सका । दस्तावेजी साक्ष्य और साथ ही अभियुक्त-याची द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के आधार पर ये समवर्ती निष्कर्ष किसी शैथिल्य से ग्रसित नहीं हैं और इसलिए इस मामले में मध्यक्षेप किए जाने और कोई भिन्न विचार व्यक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई मामला नहीं बनता । इसलिए, याचिका असफल होती है और खारिज की जाती है ।

20. जारी की गई सूचना का मोचन किया जाता है ।

21. श्री अग्रवाल ने इस न्यायालय द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2011 को यथास्थिति बनाए रखे जाने के प्रयोजनार्थ पारित किए गए पूर्ववर्ती आदेश को बनाए रखे जाने के लिए मौखिक रूप से आवेदन किया । विद्वान् स्थायी काउंसेल की शिंडे ने इस प्रार्थना का विरोध किया है । हमने उल्लेख किया है कि तीन फ्लैट जिसका समपहरण किया जाना है, वर्तमान में, याची के अधिभोग में नहीं हैं और वह विदेश में रह रही है । इसलिए, हम इस मामले के विलक्षण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी को निदेशित करते हैं कि समपहरण के अधीन सम्पत्ति का निस्तारण किए जाने के लिए आज से आठ सप्ताह की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

कांति ग्रोवर और अन्य

तारीख 26 जून, 2012

न्यायमूर्ति देवदर्शन सूद

दंडात्मक प्रणाली – दंड की मात्रा – व्यस्त राजमार्ग पर आपराधिक अभित्रास/बल का प्रयोग किया जाना – दंडात्मक प्रणाली का लक्ष्य अपराधियों से बदला लेना नहीं बल्कि समाज का संरक्षण करना भी है, इसलिए, दंडादेशों को क्रमशः भुगते जाने का आदेश दिया जाना सामाजिक हित और दंड की पर्याप्तता की दृष्टि से उचित होने के कारण न्यायसंगत और उचित है ।

तारीख 1 जुलाई, 2001 रात लगभग 9.30 बजे परिवादी अनिल कुमार बंसल, जो गांव धौला कुंआ का निवासी है, कार सं. एचपी-17-1590 में अपने कारबार के विक्रय आगमों के साथ अपने घर जा रहा था । अभियोजन का पक्षकथन है कि जब कार मलवा काटन मिल्स, सूरजपुर के नजदीक पहुंची तो लाल रंग की मारूति कार सं. डीएल-आईसीसी-1821 में यात्रा कर रहे सभी अभियुक्तों ने अपनी कार आगे बढ़ा दी और उसे दूरभाष केन्द्र, मिलियोन के समीप रोकने के लिए मजबूर कर दिया । उन लोगों ने परिवादी को कार से बाहर खींचा और 3.5 लाख रुपए लूट लिए जो रैक्सीन थैले में परिवादी ने रखे थे । अभियोजन के अनुसार अभियुक्त देशी रिवाल्वर और चाकू से लैस था । उन लोगों ने परिवादी को कार से बाहर खींचा और उसे नजदीक पेड़ से बांध दिया और उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर दिया । लगभग 5 मिनट के पश्चात् राकेश कुमार घटनास्थल पर आया और उसने परिवादी को पेड़ से बंधा और उसका मुंह टेप से बंद देखकर शोर मचाया । कई ग्रामवासी घटनास्थल पर एकत्र हो गए और परिवादी को बंधन से मुक्त किया । पोंटा साहिब के उप खंड मजिस्ट्रेट अभि. सा. 7 श्री एम. पी. सूद जो अपनी सरकारी कार से यात्रा कर रहे थे, घटनास्थल पर पहुंचे । अभियुक्तों को काला एम्ब बैरियर पर पुलिस द्वारा रोका और गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा ले जा रहे एक थैले से 2,27,815/- रुपए बरामद किए गए । अभियुक्तों का विचारण

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 392 और धारा 394 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों के लिए किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख के सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पूर्वोक्त अपराधों से सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया । दंडादेश की मात्रा पर विचार करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायहित का प्रयोजन पूरा हो जाएगा यदि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 394/34 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रत्येक को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाए । जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में उनमें से प्रत्येक को 6 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 3,000/- रुपए के जुर्माने से भी दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 3 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना था । दंडादेश क्रमश: चलने का आदेश दिया गया । दूसरे शब्दों में, उन्हें 6 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध राज्य ने अपील की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – राज्य ने इस आधार पर दंडादेश को बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अपील फाइल की है कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त ने विधि के किसी भय के बिना राज मार्ग पर अपराध किया । अधिरोपित कारावास का दंडादेश इस तथ्य पर विचार करते हुए अपराध के अनुकूल नहीं है ; यह कि अपराध व्यस्त राजमार्ग पर किया गया था और अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास/बल का प्रयोग किया गया था ; न केवल उन्होंने उसके परिवादी के धन को लूटा बल्कि उन लोगों ने उसे कार से खींचकर बाहर निकाला और इस तथ्य को भूलते हुए उसके मुंह को बंद करने के पश्चात् उसे पेड़ से बांधा कि ऐसे कार्य से उसके प्राण को खतरा हो सकता था और यह कि उन लोगों का विधि के प्रति कोई सम्मान नहीं है । दंडादेश अधिरोपित करने के लिए मात्रा के लिए लागू सिद्धांत बेहतर तरीके से अवधारित किए गए हैं । दंडात्मक प्रणाली न केवल अपराधियों से बदला लेने बल्कि समाज का संरक्षण करने के लिए भी है । यह सही है कि अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्तियों ने दुस्साहसी की तरह बरताव किया । न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निचले विद्वान् न्यायालयों ने पर्याप्त दंड देकर सामाजिक हित को संतुलित किया है जब उसने यह अभिनिर्धारित किया कि दंडादेश क्रमश: चलेंगे । (पैरा 4, 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 3435 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सलीम** उर्फ **चमरु और एक अन्य** ; 6

[2000] (2000) 6 एस. सी. सी. 168 :
टी. के. गोपाल उर्फ **गोपी** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 7

[2000] (2000) 1 एस. सी. सी. 498 :
गुरदीप सिंह उर्फ **दीप** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**। 8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 385.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. के. शर्मा, अपर महाधिवक्ता के साथ श्री आर. पी. सिंह सहायक महाधिवक्ता

परिवादी की ओर से श्री रमाकांत शर्मा

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री विमल गुप्ता, 10 अधिवक्ता

न्यायमूर्ति देवदर्शन सूद – राज्य ने विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोंटा साहिब के भारतीय दंड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 392 और 394 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यर्थियों को दोषसिद्ध करने वाले निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 1 जुलाई, 2001 रात लगभग 9.30 बजे परिवादी अनिल कुमार बंसल, जो गांव धौला कुंआ का निवासी है, कार सं. एचपी-17-1590 में अपने कारबार के विक्रय आगमों के साथ अपने घर जा रहा था । अभियोजन का पक्षकथन है कि जब कार मलवा काटन मिल्स, सूरजपुर के नजदीक पहुंची तो लाल रंग की मारूति कार सं. डीएल-आईसीसी-1821 में यात्रा कर रहे सभी अभियुक्तों ने अपनी कार आगे बढ़ा दी और उसे दूरभाष केन्द्र, मिलियोन के समीप रोकने के लिए मजबूर कर दिया । उन लोगों ने परिवादी को कार से बाहर खींचा और 3.5 लाख रुपए लूट लिए जो रैक्सीन थैले में परिवादी ने रखे थे । अभियोजन के अनुसार अभियुक्त देशी रिवाल्वर और चाकू से लैस

था । उन लोगों ने परिवादी को कार से बाहर खींचा और उसे नजदीक पेड़ से बांध दिया और उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर दिया । लगभग 5 मिनट के पश्चात् राकेश कुमार (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर आया और उसने परिवादी को पेड़ से बंधा और उसका का मुंह टेप से बंद देखकर शोर मचाया । कई ग्रामवासी घटनास्थल पर एकत्र हो गए और परिवादी को बंधन से मुक्त किया । पोंटा साहिब के उप खंड मजिस्ट्रेट अभि. सा. 7 श्री एम. पी. सूद जो अपनी सरकारी कार से यात्रा कर रहे थे, घटनास्थल पर पहुंचे ।

3. अभियुक्तों को काला एम्ब बैरियर पर पुलिस द्वारा रोका गया और गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा ले जा रहे एक थैले से 2,27,815/- रुपए बरामद किए गए । अभियुक्तों का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 392 और धारा 394 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों के लिए किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख के सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पूर्वोक्त अपराधों से सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया । दंडादेश की मात्रा पर विचार करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायहित का प्रयोजन पूरा हो जाएगा यदि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 394/34 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रत्येक को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाए । जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में उनमें से प्रत्येक को 6 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 3,000/- रुपए के जुर्माने से भी दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 3 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना था । दंडादेश क्रमश: चलने का आदेश दिया गया । दूसरे शब्दों में, उन्हें 6 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

4. राज्य ने इस आधार पर दंडादेश को बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अपील फाइल की है कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त ने विधि के किसी भय के बिना राज मार्ग पर अपराध किया । अधिरोपित कारावास का दंडादेश इस तथ्य पर विचार करते हुए अपराध के अनुकूल नहीं है ; (क) यह कि अपराध व्यस्त राज मार्ग पर किया गया था और अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास/बल का प्रयोग किया गया था ; (ख) न केवल उन्होंने परिवादी के धन को लूटा बल्कि उन लोगों ने उसे कार से

खींचकर बाहर निकाला और इस तथ्य को भूलते हुए उसके मुंह को बंद करने के पश्चात् उसे पेड़ से बांधा कि ऐसे कार्य से उसके प्राण को खतरा हो सकता था और यह कि उन लोगों का विधि के प्रति कोई सम्मान नहीं है ।

5. मैंने विद्वान् अपर महाधिवक्ता को सुना और अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

6. आरंभ में ही मैंने यह पाया कि वे दंडादेश जो प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं, क्रमश: चलने के निदेश दिए गए हैं । दूसरे शब्दों में कुल दंडादेश मिलाकर 6 वर्ष का कठोर कारावास होता है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें विधि के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम दंडादेश दिया जाना चाहिए । उन्होंने **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सलीम** उर्फ **चमरु और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

> "8. समुचित दंडादेश आधिरोपित कर विधि के स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज को संरक्षित करने और अपराधियों को दूर रखने का उद्देश्य होना चाहिए । यह प्रत्याशा की जाती है कि न्यायालयों को ऐसी दंडात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कि ऐसा दंड अधिरोपित किया जा सके जो समाज की अंतरआत्मा प्रतिबिम्बित करता हो और दंडात्मक प्रणाली कठोर होनी चाहिए जहां ऐसी आवश्यकता हो.....।"
>
> 10. न्यायालय अपने कर्तव्य में असफल हो जाएगा यदि ऐसे अपराध के लिए समुचित दंड अधिनिर्णीत नहीं किया जाता है जो न केवल एक पीड़ित के विरुद्ध किया गया है बल्कि ऐसे समाज के विरुद्ध किया गया है जिसके अपराधी और पीड़ित सदस्य हैं । किसी अपराध के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाला दंड असंगत नहीं होना चाहिए बल्कि यह उस नृशंसता और बर्बरता के अनुरूप तथा संगत होना चाहिए जिस आशय से अपराध किया गया है । अपराध की पातकता सार्वजनिक घृणा की अपेक्षा करती है और यह अपराधी के विरुद्ध न्याय के लिए समाज की गुहार के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए ।

7. **टी. के. गोपाल** उर्फ **गोपी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में

---

[1] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 3435.

[2] (2000) 6 एस. सी. सी. 168.

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

"13. किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड के मामले में समस्या के कई दृष्टिकोण हैं । अपराध होने पर तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं ; सार्वजनिक प्रकृति की पारंपरिक प्रतिक्रिया जिसे दंडात्मक दृष्टिकोण कहा गया है । यह अपराधी को ऐसे कुख्यात व्यक्ति के रूप में अपराधी को मानता है जिसे समाज को उसके आपराधिक हमले से संरक्षित करने के लिए कठोर दंड दिया जाए । दूसरा दृष्टिकोण चिकित्सीय दृष्टिकोण है । यह अपराधी को एक बीमार व्यक्ति के रूप में मानता है जिसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है जबकि तीसरा निवारात्मक दृष्टिकोण है जो समाज से उन दशाओं को समाप्त करने की ईप्सा करते हैं जो अपराध किए जाने के लिए उत्तरदायी थे ।

14. निवारात्मक दंडात्मक दृष्टिकोण के अधीन दंड का तर्कणावाद प्रतिशोधात्मक और उपयोगितावादी सिद्धांतों पर आधारित है । निवारक सिद्धांत जो दंडात्मक दृष्टिकोण का भी भाग है । इस आधार पर निर्भर है कि दंड न केवल अपराधी के लिए बल्कि समुदाय के अन्य लोगों के लिए भी निवारक के रूप में कार्य करने वाला होना चाहिए ।

15. चिकित्सीय दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों का उपचार करना है जो रोगग्रस्त, मनोवैज्ञानिकता की देन थे । वे पारिवारिक समस्याओं समेत कई कारकों के कारण हो सकते हैं । हम उन कारकों पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि चिकित्सीय दृष्टिकोण अब दंड के प्रभावी तरीके के रूप में माना जाने लगा है जो न केवल विधि की अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है कि अपराधी को दंडित किया जाए और विहित दंड उसे दिया जाए बल्कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इस अपराधी को सुधारता है जिसका सर्वाधिक मूल आधार यह है कि कोई अपराध चाहे यह जघन्य अपराध ही क्यों न हो, किए जाने के बावजूद उसे सभी आधारभूत मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और मानवीय सहानुभूति का हकदार मानते हुए उसके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए । इस सिद्धांत के अधीन इस न्यायालय ने अनेक विनिश्चयों में कारागार सुधार की आवश्यकता, इस महत्वपूर्ण तथ्य को स्वीकारने की आवश्यकता कि कैदी जेल में डालने के पश्चात् अपने मूल अधिकारों या आधारभूत मानवीय अधिकारों को नहीं खो देता और

उसके साथ अनुकंपा और सहानुभूति का बर्ताव किया जाना चाहिए । कारागार के सुधार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है । सुनील बत्रा (I) **बनाम** दिल्ली प्रशासन, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1675 = (1978) 4 एस. सी. सी. 494 = [1979] 1 एस. सी. आर. 392 ; सुनील बत्रा (II) **बनाम** दिल्ली प्रशासन, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1579 = (1980) 3 एस. सी. सी. 488 = [1980] 2 एस. सी. आर. 557 ; चार्ल्स शोभराज **बनाम** अधीक्षक, सेंट्रल जेल, तिहाड़, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1514 और फ्रेंसिस कोरालिय मुलिन **बनाम** दी एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, (1981) 1 एस. सी. सी. 608 = ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 746 = [1981] 2 एस. सी. आर. 516 (देखिए) ।

8. **गुरदीप सिंह** उर्फ **दीप** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1987 के अधीन मामले में दंड के प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :–

"25. समाप्त करने के पूर्व विधान-मंडल द्वारा विचारार्थ अपनी सार्थक भावना को अभिलिखित करना चाहते हैं यदि ये ठीक और उचित हो । आपराधिक न्यायशास्त्र किसी अभियुक्त को दिए जाने वाला दंड न केवल दोषकर्ता को दंडित करने के लिए है बल्कि उन लोगों को सचेत करने के लिए भी है, जो अपराध के उसी क्षेत्र के हैं या जो ऐसे अपराध में शामिल होने का आशय रखते हैं । यह दंड ऐसे दोषकर्ताओं को सुधारने के लिए भी है कि भविष्य में वे ऐसे अपराध न करे । सम्पूर्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए अभियोजन की लंबी प्रक्रिया और दुर्भर यात्रा कभी-कभी अभियुक्त को मुखबिर बनाकर प्राप्त किया जाता है । यह अभियुक्त को दोषसिद्धि के भय के बिना सच बोलने का प्रोत्साहन देता है । अब हम संस्वीकृति कथन पर आते हैं क्योंकि यह पश्चाताप के कारण हृदय की अंतर आत्मा से निकलता है जहां ऐसे अभियुक्त विधि के अधीन परिणामी दंड को भुगतने के लिए भी तैयार हैं । यह ऐसा क्षेत्र है जहां ऐसे अभियुक्त को कुछ राहत देकर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, चाहे यह दंड की विधि को कम करके ही क्यों न हो । ऐसा प्रोत्साहन आने वाले ऐसे

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 498.

अभियुक्त को संस्वीकृति करने और सच बोलने के लिए प्रेरित करेगा । यह सच्चाई पर पहुंचने और मामले के अभियोजन को सफलतापूर्वक समाप्त करने में अभियुक्त को बदलने में भी सहायता प्रदान करेगा ।"

9. दंडादेश अधिरोपित करने के लिए मात्रा के लिए लागू सिद्धांत बेहतर तरीके से अवधारित किए गए हैं । दंडात्मक प्रणाली न केवल अपराधियों से बदला लेने बल्कि समाज का संरक्षण करने के लिए भी है ।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों के परस्पर प्रतिकूल दलीलों पर विचार किया । यह सही है कि अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्तियों ने दुस्साहसी की तरह बर्ताव किया । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निचले विद्वान् न्यायालयों ने पर्याप्त दंड देते समय सामाजिक हित को संतुलित किया है जब उसने यह अभिनिर्धारित किया कि दंडादेश क्रमश: चलेंगे ।

11. इन परिस्थितियों में, मैं इस अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता हूं जो तदनुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

पां.

(2013) 1 दा. नि. प. 282 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रतन लाल

तारीख 23 जुलाई, 2012

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख – दहेज मृत्यु – जहां अभियोजन दहेज मृत्यु के मामले में परिस्थितियों और साक्षियों के साक्ष्यों से दहेज की मांग के लिए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार या तंग किए जाने के बारे में साबित करने में असफल रहता है वहां अभियुक्त को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना न्यायोचित और युक्तिसंगत नहीं है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – प्रथम मृत्युकालिक कथन में सास को फंसाया गया और पिता से मिलने के पश्चात् पश्चात्वर्ती मृत्युकालिक कथन में पति को भी फंसाया गया, इसलिए, अभियुक्त से तनावपूर्ण संबंध होने के कारण सिखाने-पढ़ाने और मिथ्या फंसाने की संभाव्यता वाले दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता होने पर मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती मीना देवी पुत्री चन्द्रमणी और श्रीमती हरदेई का तारीख 15 फरवरी, 1996 को अभियुक्त रतन लाल से विवाह हुआ था । वह अभियुक्त के साथ अपने ससुराल में रह रही थी । श्रीमती मीना देवी ने माह जून/जुलाई, 1996 को प्रथम बार अपने पिता से यह कहा कि अभियुक्त दहेज की अवैध मांग कर रहे हैं क्योंकि वे गोदरेज की आलमारी, रंगीन टी. वी. और वाशिंग मशीन आदि की मांग कर रहे हैं । इसके पश्चात्, अभियुक्त ने दहेज की अपनी अवैध मांगों को पूरा करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार और तंग करना प्रारंभ कर दिया । उसके द्वारा इस तथ्य को अपनी माता हरदेई, चाचा जीवन वर्मा और रवि वर्मा को भी बताया था । तारीख 10 जुलाई, 1996 को श्री चन्द्रमणी ने पुलिस के माध्यम से यह सूचना प्राप्त की कि श्रीमती मीना देवी को तारीख 9 जुलाई, 1996 को दाह क्षतियां पहुंची हैं और उसे चत्रोखारी, सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में भर्ती किया गया । इसके पश्चात्, रेवती लाल के साथ सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर गया । उसकी पुत्री वहां पर नहीं थी । उसे यह बताया गया कि श्रीमती मीना देवी को या तो शिमला या उसके ससुराल के मकान पर ले जाया गया है । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने अपना कथन दिया जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/क के माध्यम से अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क श्री नारायण सिंह द्वारा अभिलिखित किया गया था । चिकित्सा अधिकारी श्री रमेश गुप्ता ने दूरभाष से पुलिस को यह सूचना दी जिसके आधार पर रपट को श्री भेद सिंह द्वारा दैनिक डायरी में प्रविष्ट किया गया था । इसके पश्चात् श्री भेद सिंह ने श्रीमती मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया किंतु उसे 9.00 बजे अपराह्न कथन देने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था । अभि. सा. 11 ने पुनः डाक्टर से पूछताछ की और डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि रोगी मौखिक रूप से बातचीत करने के लिए होशो-हवाश में थी । इसके पश्चात्, अभि. सा. 11 ने डाक्टर हरिप्रिया की मौजूदगी में

श्रीमती मीना देवी का कथन अभिलिखित किया । कथन पर श्रीमती मीना देवी के अंगूठे का निशान लगाया गया और उसे अभि. सा. 18 द्वारा अभिप्रमाणित किया गया । श्रीमती मीना देवी की चिकित्सा परीक्षा डा. अरुण कुमार मिश्रा द्वारा की गई थी । उन्होंने एम. एल. सी. जारी की जिसके अनुसार श्रीमती मीना देवी 92 प्रतिशत दाह क्षतियों से ग्रसित थी जो गंभीर प्रकृति की थीं । तारीख 23 जुलाई, 1996 को लगभग 5.15 बजे पूर्वाह्न दाह क्षतियों के कारण श्रीमती मीना देवी की बाद में मृत्यु हो गई । अम्बा दत्त तत्कालीन अपर थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सुन्दर नगर ने मामले में अन्वेषण किया और उसने स्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । घटनास्थल के फोटो भी लिए थे । उसने अपने कब्जे में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/छ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ज, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/घ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ङ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/च, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ग के माध्यम से कैन, मिट्टी का तेल, स्टोव, माचिस की डिब्बी के अंदर के भाग सहित माचिस की तिल्ली, मिट्टी का नमूना, कैन के ढक्कन का अन्दर का भाग, जले हुए कागज के टुकड़े, चूड़ियों के टुकड़े, जले हुए बाल, दुपट्टा और जले हुए कपड़े लिए । अभियुक्त तारा देवी द्वारा पत्र प्रदर्श पी-1 पेश किया गया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/क के माध्यम से अपने कब्जे में लिया गया था । उसके द्वारा विवाद सम्पत्ति मोहर्रिर हेड कांस्टेबल के पास जमा की गई थी और जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषण पूरा करने के तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान पेश किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा 22 साक्षियों की परीक्षा की गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे । उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, राज्य द्वारा यह अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से दहेज की अवैध मांग तथा पीड़िता मीना देवी को तंग किए जाने को साबित करने के लिए पेश किए गए तात्विक साक्षियों का उल्लेख किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट श्री चन्द्रमणी जो मृतका का पिता है, के कहने पर दर्ज

की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रकथनों के अनुसार चन्द्रमणी महादेव स्थान पर मीना देवी के कहने पर गया था जहां श्रीमती तारा देवी ने उसे यह बताया कि वह मीना देवी को यह समझाए कि उसे खुले हाथों से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए । आगे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि कुछ दिनों के पश्चात् उसकी पत्नी श्रीमती हरदेई मीना देवी के मकान पर गई । उस समय मीना देवी के ससुराल वालों ने पुनः यह शिकायत की कि मीना देवी खुले हाथों से पैसा खर्च कर रही है । यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ दिनों के पश्चात् वह मीना देवी के मकान पर गया तथा उस समय मीना देवी ने अपने पैर और आमाशय में दर्द बताया था और उसने मीना देवी के ससुराल वालों से यह कहा कि उसे अस्पताल से उपचार दिलाया जाए । इसके पश्चात्, उसके भांजे ने उसे यह बताया कि मीना देवी गंभीर रूप से बीमार है । उसकी पत्नी मीना देवी के मकान पर गई और लौटने पर उसने यह बताया कि अभियुक्त तारा देवी, केसर सिंह, रतन लाल और उसकी बड़ी बहन तथा भाई जो कमरे के अंदर बैठे हुए थे उससे कुछ कहा था । इसके पश्चात्, उन सभी ने उसे गालियां दीं कि उन्हें विवाह के समय पर कोई दहेज नहीं दिया गया था । हरदेई चीखते हुए अभियुक्त के कमरे से बाहर आई और यही बात रत्ती देवी को बताई । ऐसा सुनकर अभि. सा. 2 अपने साले के साथ मीना देवी के मकान पर गया और उसने माफी मांगी और वापस लौट आया । तारीख 5 जुलाई, 1996 को मीना देवी को अभि. सा. 2 द्वारा अपने पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर अपने मकान पर बुलाया था परंतु उसे अपने माता-पिता के मकान पर जाने की इजाजत नहीं दी गई । बाद में मीना देवी ने उसे यह बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों की तुच्छ बातों पर उसे परेशान करने की आदत है । जब अभि. सा. 2 न्यायालय में हाजिर हुआ तब उसने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी के ससुराल वाले हमेशा या तो उससे या उसकी पत्नी से यह शिकायत किया करते थे कि मीना देवी ने तारीख 22 फरवरी, 1996 को खुले हाथों से पैसा खर्च किया था इसलिए, उन्होंने उससे यह भी कहा था कि वो मीना देवी को समझाए । उसके कथन में यह बात भी प्रकट नहीं हुई है कि वह मीना देवी के मकान पर गया था जब वह दर्द से परेशान थी तथा उसने मीना देवी के ससुराल वालों से यह कहा कि उसे अस्पताल से उपचार दिलाएं । उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसकी पत्नी मीना देवी के ससुराल वालों के पास गई तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा इस बहाने से मृतका को गालियां दी गईं कि उसने विवाह के समय पर कोई पर्याप्त दहेज नहीं दिया है ।

उसने यह भी कथन नहीं किया है कि मीना देवी को तारीख 5 जुलाई, 1996 को अभियुक्तों द्वारा उसके पुत्र के जन्म दिवस पर सम्मिलित होने के लिए इजाजत नहीं दी थी तथा उसने कहीं भी यह बात नहीं कही है कि मीना देवी ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त तुच्छ बातों पर उसे तंग किया करते थे । इसी तरह शिकायतकर्ता की पत्नी ने अपने कथन में इन तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । उसने केवल यह कथन किया है कि मीना देवी केवल यह कहती थी कि उसे उसके पति के साथ उसके पुत्र के जन्म दिवस पर आमंत्रित किया गया था । अभि. सा. 2 के अनुसार मीना देवी ने 1996 के मास जून और जुलाई में उसे प्रथम बार यह बताया था कि मीना देवी की सास, ननद और देवर ने गोदरेज की आलमारी, रंगीन टी. वी. तथा वाशिंग मशीन की मांग की थी किंतु इस तथ्य का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । उसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों ने दहेज की अवैध मांग को पूरा करवाने के लिए उसे प्रपीड़न करने के लिए दुर्व्यवहार तथा तंग किया जाना आरंभ किया था किंतु ऐसे तथ्यों का अभि. सा. 2 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह तथ्य कि अभि. सा. 2 वैयक्तिक रूप से अभियुक्त के मकान पर गया और उन्होंने यह कहा कि वह दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक गरीब आदमी है, इस बात का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में उल्लेख नहीं किया गया है । श्रीमती हरदेई के अनुसार मीना देवी लगभग 2-3 मास से शांतिपूर्वक अपने वैवाहिक मकान में रह रही थी तथा इसके पश्चात् जब मीना देवी उसके मकान पर आई तब उसने यह बताया कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग के कारण उसे तंग किया करते हैं क्योंकि वे लोग गोदरेज की आलमारी, फ्रिज तथा रंगीन टी. वी. आदि की मांग कर रहे थे । उसने आगे यह भी कथन किया है कि मीना देवी ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त तारा देवी जो मीना देवी की सास है, ने आभूषण बनाने के लिए "शगुन" के रूप में विवाह के समय पर कुछ पैसों की मांग की थी । उसके अनुसार, उसने इन तथ्यों के बारे अपने पति अभि. सा. 2 को बताया था । तथापि, अभि. सा. 2 ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 4 ने इस तथ्य के बारे में उसको अवगत कराया । अभि. सा. 4 की प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि मीना देवी और अभियुक्त रतन लाल का विवाह ग्राम महादेव पर श्रीमती रत्ती देवी के माध्यम से संपन्न हुआ था और उसने दहेज की मांग के संबंध के बारे में सूचित भी किया था परंतु रत्ती देवी को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया । श्री जीवन वर्मा जो मृतका मीना

देवी का चाचा है, ने यह कथन किया है कि मीना देवी ने अपने विवाह के लगभग 1-1/2 मास पूर्व उसे यह बताया था कि सभी अभियुक्त व्यक्ति अपर्याप्त दहेज लाने के कारण उसे तंग कर रहे थे । इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के अनुसार कि जून/जुलाई, 1996 माह के मास में मीना देवी ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की अवैध मांग के बारे में प्रथम बार बताया था । श्री रवि वर्मा ने यह कथन किया है कि मीना देवी उसके पास आया करती थी और उससे यह शिकायत किया करती थी कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग खासतौर पर रंगीन टी. वी., गोदरेज की आलमारी, वाशिंग मशीन आदि की मांग कर रहे हैं । अभि. सा. 15 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके विवाह के लगभग 1-1/2 मास का समय व्यतीत हुआ था कि मीना देवी ने उसे दहेज की मांग के बारे में बताया था । इस बात का अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के कथनों में विचलन हुआ है । ग्राम पंचायत महादेव की वार्ड सदस्य श्रीमती कांता देवी ने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी हमेशा अभियुक्तों द्वारा किसी दहेज की मांग के बारे में या अभियुक्तों द्वारा उसे दुर्व्यवहार किए जाने या उसे तंग किए जाने के बारे में शिकायत किया करती थी । श्रीमती कृष्णा देवी के कथन में यह प्रकट हुआ है कि मृतका के पिता मीना देवी के जीवनपर्यन्त पीए हुए हालात में प्रायः अभियुक्त के घर जाया करते थे और उसके ससुराल वालों से झगड़ा किया करते थे । उसने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी हमेशा अभियुक्त की ओर से दहेज की मांग के बारे में बताया करती थी । अभि. सा. 4 के कथन में यह भी प्रकट हुआ है कि विवाह के दौरान और विवाह के समय पर भी अभियुक्त ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी । अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 द्वारा किए गए कथनों में अंतर्निहित विभेद है जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई है । अभि. सा. 2 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है । उसके द्वारा इन तथ्यों के बारे में प्रथम बार न्यायालय में कथन किया गया है जब वह अभि. सा. 2 के रूप में न्यायालय में हाजिर हुआ । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि मृतका मीना देवी को अभियुक्तों द्वारा अपर्याप्त दहेज मिलने पर तंग किया गया था । (पैरा 33 से 40)

श्री भेद सिंह द्वारा तारीख 9 जुलाई, 1996 को लगभग 11.15 बजे अपराह्न सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में कथन अभिलिखित किया गया

था और यह कथन डा. हरिप्रिया की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । कथन का परिशीलन इस प्रकार है "यह कथन किया गया कि मैं महादेव की निवासी हूं परंतु मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं कैसे जली । मैंने स्टोव जलाया और चाय तैयार की थी तथा उस समय मेरी ननदें मकान के बाहर बैठी हुई थीं, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि कैसे मुझे आग लगी । मुझे इस बारे में भी पता नहीं है कि कौन मुझे अस्पताल लाया था ।" यह घटना तारीख 9 जुलाई, 1996 को घटी थी और इस कथन को तारीख 9 जुलाई, 1996 को 11.15 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था जब डा. हरिप्रिया ने यह अभिप्रमाणित किया कि पीड़िता का कथन अभिलिखित किया जा सकता है । श्री भेद सिंह के अनुसार उसने पीड़िता के कथन अभिलिखित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया था किंतु मृतका को 9.00 बजे अपराह्न कथन करने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था । 11.15 बजे अपराह्न उसने डाक्टर से पुनः यह पूछताछ की तब डाक्टर ने यह राय दी कि रोगी मौखिक रूप से बोलने के लिए होशो-हवास में है । तत्पश्चात् मीना देवी का कथन अभिलिखित किया गया था । इस कथन पर मीना देवी के अंगूठे का निशान लगाया गया और उसे साक्षी के रूप में डाक्टर द्वारा साक्ष्यांकित किया गया है । डा. हरिप्रिया ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतका मीना देवी की 11.15 बजे अपराह्न परीक्षा की और उस समय वह मौखिक रूप से जवाब देने के लिए उपयुक्त पाई गई थी । उसने अपनी राय परिधि "ख" में दी है । इसके पश्चात् मीना देवी (मृतका) का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग के माध्यम से अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग मीना देवी द्वारा स्वेच्छया से किया गया है और अन्वेषक अधिकारी द्वारा उसकी मौजूदगी में सही रूप से अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, यह सिद्ध किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 1996 को मीना देवी द्वारा कथन स्वैच्छिक रूप से किया गया था और अन्वेषक अधिकारी द्वारा सही रूप से अभिलिखित किया गया था । डा. हरिप्रिया ने यह अभिप्रमाणित किया है कि उसने मौखिक आदेशों का पालन किया । उसके कथन के अनुसार उसने अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त को नहीं फंसाया है । उसने यह कथन किया है कि वह उस वक्त जली थी जब वह चाय बना रही थी और उस समय उसकी ननदें मकान के बाहर बैठी हुई थीं । श्री कादिर अली द्वारा तारीख 11 जुलाई, 1996 को दूसरा कथन आई. जी. एम. सी., शिमला में अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 9 के अनुसार

उसने उस चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया जो मीना देवी (मृतका) का उपचार कर रहा था । डा. रजत गुप्ता द्वारा उसे कथन करने के लिए उपयुक्त घोषित किया था । उसने अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पर परिधि "क" में व्यक्त की है । इसके पश्चात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख के माध्यम से मीना देवी का कथन अभिलिखित किया जिस पर उसके द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया था और जिसे साक्षी के रूप में डा. रजत गुप्ता द्वारा साक्ष्यांकित किया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रोगी के अंगूठे के निशान पर उसका पृष्ठांकन परिधि "ख" के रूप में है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख अभिलिखित करते समय मीना देवी के पिता अर्थात् चन्द्रमणी और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति भी मौजूद थे । कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख का परिशीलन करने पर इस प्रकार है "मैं ग्राम महादेव की निवासी हूं । मेरा विवाह अभियुक्त रतन लाल के साथ तारीख 15 फरवरी, 1996 को अनुष्ठान के साथ सम्पन्न हुआ था । तारीख 9 जुलाई, 1996 को 7.00 बजे अपराह्न मैं चाय बनाने के लिए स्टोव जलाने के लिए जा रही थी परंतु अचानक मुझे आग लग गई । मैंने माचिस की तिल्ली नहीं जलाई थी परंतु मेरे सम्पूर्ण शरीर पर आग लग गई । तथापि, मैं इस बारे में नहीं जानती की मुझे आग कैसे लगी । मैं इस बारे में यह भी नहीं जानती हूं कि कैसे मिट्टी का तेल मुझ पर गिर पड़ा । यह मेरा कथन है जिसे मेरे द्वारा सुना गया और यह सही है ।" अभि. सा. 9 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि मृतका होशो-हवास में थी और होशो-हवास में उसने कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख किया । कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख डा. रजत गुप्ता की मौजूदगी में किया था । इस कथन में भी उसने यह कहा है कि वह चाय बनाने के लिए स्टोव जलाने के लिए जा रही थी परंतु अचानक उसे आग पकड़ गई । उसे यह पता नहीं है कि उसे आग कैसे लगी । इस प्रकार, कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख से यह सुव्यक्त है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को फंसाया नहीं है । तीसरा कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख तारीख 17 जुलाई, 1996 को 4.45 बजे अपराह्न डा. बिहारी लाल राघव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा श्री चन्द्रमणी और श्री राकेश तेजपाल की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । उसे डा. रमेश भारती द्वारा साक्ष्यांकित किया गया था । अभि. सा. 3 के अनुसार, वह आई. जी. एम. सी., शिमला की ओर अग्रसर हुआ । उसने डा. रमेश भारती से सम्पर्क किया । उसने डाक्टर से इस बारे में पूछताछ की कि क्या रोगी कथन करने की स्वस्थ स्थिति में थी । उसकी डा.

तेजपाल की मौजूदगी में चन्द्रमणी द्वारा शिनाख्त की गई थी । इसके पश्चात् अभि. सा. 3 ने उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख 4.45 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने वैयक्तिक रूप से रोगी की मानसिक स्थिति को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया । उसने डाक्टर की राय के अनुसार विश्वास के साथ कार्य किया । उसने यह भी कथन किया कि उसे यह भी याद नहीं है कि क्या उसने रोगी को अपना परिचय दिया या नहीं या उसके पास आने का अपना प्रयोजन उसे बताया हो । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके बोलने और सुनने की शक्ति एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तरह नहीं थी, तथापि, वह उन बातों को सुनकर समझने के योग्य थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने स्पष्टीकरण प्ररूप में उसका कथन अभिलिखित किया था । डा. रमेश भारती ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में सर्जरी यूनिट III आई. जी. एम. सी., शिमला में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात था । उसके अनुसार तारीख 17 जुलाई, 1996 को श्रीमती मीना देवी के कथन श्री बी. एल. राघव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिमला द्वारा उसकी मौजूदगी में तथा चन्द्रमणी और श्री तेजपाल की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी अभिप्रमाणित किया कि वह 4.45 अपराह्न में कथन देने के लिए सही हालात में थी । तारीख 17 जुलाई, 1996 को कथन अभिलिखित किया गया था जिसका परिशीलन इस प्रकार है "यह कथन किया गया है कि मेरे दो हत्यारे हैं । मेरी ननद सुमन और मेरा देवर केशर सिंह । वे लाडोल के निवासी हैं । मेरी सास तारा देवी और देवर नरेश कुमार दहेज के कारण मुझसे दुर्व्यवहार किया करते थे । पिछले मंगलवार को जब मैं चाय बना रही थी तब मेरी ननद और देवर वहां पर आए । मुझे इस बारे में पता नहीं कि किसने मिट्टी का तेल छिड़का था परंतु मेरी ननद ने माचिस की तिल्ली जलाई थी और उसे मेरे ऊपर फैंक दिया जिस कारण मुझे तुरंत आग पकड़ गई । मैं नीचे आई और बेहोश हो गई तथा इसके पश्चात् मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या घटित हुआ । मैं अपनी सास को अपनी माता की अपेक्षा अत्यधिक प्यार करती थी, परंतु मुझे इस बारे में पता नहीं है कि क्यों वह मेरी शत्रु बन गई थी ।" यह केवल तीसरा मृत्यु कालिक कथन है जिसे तारीख 17 जुलाई, 1996 को मृतका द्वारा अपने चाचा और पिता से मिलने के पश्चात् अभिलिखित कराया गया था कि मीना देवी (मृतका) ने अभियुक्त व्यक्तियों के नामों को प्रकट किया था । मृतका के चाचा श्री जीवन वर्मा ने मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए डी. सी.

शिमला से आवेदन किया था । अभि. सा. 2 ने मीना देवी (मृतका) पर दबाव डाला था कि वह तारीख 10 जुलाई, 1996 से आगे के कारणों को प्रकट करें । अभि. सा. 2 तारीख 10 जुलाई, 1996 से अस्पताल में रहा था । उसकी पुत्री की मृत्यु की तारीख 23 जुलाई, 1996 है । 17 जुलाई, 1996 को केवल यह हुआ था कि मीना देवी ने मृत्युकालिक कथन किया था जिसके द्वारा उसने सुमन, केशर सिंह, तारा देवी और नरेश कुमार को फंसाया था । श्री हरदेई के कथन में यह प्रकट हुआ है कि जब वह आई. जी. एम. सी., शिमला गई तब उसने दाह क्षतियों के बारे में अपनी पुत्री से पूछताछ की । मीना देवी ने उसे यह बताया कि उसे उसकी ननद द्वारा चाय बनाने के लिए भेजा गया था । जब उसने स्टोव जलाया तभी किसी व्यक्ति ने पीछे से उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी । इस प्रकार, तारीख 10 जुलाई, 1996 को उसने इस बात पर अनभिज्ञता प्रकट की है कि किसने उसे आग लगाई थी और उसने इस घटना के बारे में अपनी मां को तारीख 10 जुलाई, 1996 को बताते हुए किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को फंसाया नहीं था । यद्यपि तारीख 11 जुलाई, 1996 को दिए गए अपने कथन में उसने किसी अभियुक्त व्यक्ति को फंसाया नहीं है तब भी मीना देवी ने श्रीमती कांता देवी को अपने आग लगाए जाने की रीति के बारे में बताया नहीं था । श्रीमती कृष्णा देवी भी अभियुक्त के मकान पर गई थी । उसके अनुसार, वह अपने देवर तथा ननद के साथ लेकर मीना देवी को अस्पताल ले गई और पूछताछ करने पर मीना देवी ने उस रीति के बारे में व्यापक अवसर प्रकट किए हैं जिसमें उसे तारीख 9 जुलाई, 1996 तथा 17 जुलाई, 1996 के बीच आग लगी थी । इस प्रकार, मृतका ने तीन वृत्तांत दिए हैं जो आग लगने की रीति के बारे में हैं जो वृत्तांत प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.- 2/ख में दिए हैं । वह 10 जुलाई, 1996 को अपनी माता से मिली और तारीख 10 जुलाई, 1996 से उसके पिता उसकी माता के साथ थे । उसके पूर्ववर्ती कथन तारीख 9 जुलाई, 1996 तथा 11 जुलाई, 1996 को अभिलिखित किए गए थे । तीसरा कथन अभि. सा. 20 के कथनानुसार श्री चन्द्रमणी और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, मृतका के पिता, चाचा और राकेश तेजपाल के द्वारा उसे सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इस मामले में श्री राकेश तेजपाल की भूमिका भी संदेहास्पद है । वह आई. जी. एम. सी., शिमला में क्या कर रहा था, स्पष्ट नहीं है । श्रीमती कृष्णा देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार

किया है कि अभियुक्त तारा देवी, रतन लाल और नरेश कुमार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मीना देवी को हर तरह की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई । उसके कथन में यह प्रकट हुआ है कि किसी व्यक्ति ने मानव अधिकार आयोग पर कार्यालय संदेशवाहक के रूप में होने का दावा किया है और घटना के 10-12 दिन पश्चात् उसके मकान पर गया था तथा पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कथन करने के लिए मृतका को राजी करने की कोशिश की । उसने उससे दहेज की मांग और तंग किए जाने तथा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मृतका मीना देवी को आग लगाए जाने के बारे में आरोप लगाने के लिए आग्रह किया था । उसने उसकी इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया । श्री राकेश तेजपाल ने यह भी स्वीकार किया है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडी के समक्ष अभियुक्तों की जमानत मंजूर किए जाने के विरुद्ध आक्षेप याचिका फाइल की थी । उसके अनुसार, सिविल लिबर्टीज और ह्यूमेन राइट संघ एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे भारतीय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उसे जनरल हाउस आफ सोसायटी में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया था । उसके अनुसार, उसने उपरोक्त संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपनी हैसियत के समर्थन में पुलिस के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है क्योंकि पुलिस ने कभी भी उससे इस बारे में नहीं पूछा । उसने यह भी कथन किया है कि संघठनात्मक खर्चे प्राइवेट सदस्यों के अंशदानों और लोगों के चंदे से पूरे किए गए थे । उसके अनुसार, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् मृतका के पिता ने सहायता के लिए उनसे समावेदन किया और उन्होंने पीड़िता पक्षकार से कुछ भी प्रभार नहीं लिए थे । श्री राकेश तेजपाल ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख में भी हस्ताक्षर किया था । डा. रजत गुप्ता के कथन में यह प्रकट हुआ है कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख चन्द्रमणी और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । तथापि, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि मीना देवी का कथन उसकी मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । इसमें ऊपर किए गए मताभिव्यक्तियों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मीना देवी द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख के माध्यम से किया गया तीसरा मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त केशर सिंह, सोमा देवी और नर्बदा देवी मकान के बाहर मौजूद थे और उन्होंने पानी डालकर तथा रजाइयों की मदद से भी

आग बुझाई । इसके पश्चात्, मृतका को अभियुक्त द्वारा आई. जी. एम. सी., शिमला ले जाया गया था । अभियुक्त के उक्त आचरण को भी विचार में लिया जाना चाहिए । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/ङ के अनुसार यद्यपि मृतका की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों तथा जले हुए दुपट्टे के टुकड़ों पर मिट्टी के तेल का पाए जाने का पता लगा है परंतु मृतका की जली हुई सलवार तथा कमीज में किसी तरह के मिट्टी का तेल नहीं पाया गया था । इससे अभियोजन वृत्तांत संदेहपूर्ण भी हो जाता है । (पैरा 42 से 50)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 6 एस. सी. सी. 506 :
पूरन चंद बनाम **हरियाणा राज्य** ; 55

[2010] (2010) 9 एस. सी. सी. 1 :
अतबीर बनाम **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार** ; 56

[2007] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2666 :
मेहबूब साहब अब्बासाबी नदाफ बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 54

[2006] (2006) 13 एस. सी. सी. 130 :
रंजीत सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य** ; 52

[1994] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1641 :
गुजरात राज्य बनाम **खुमानसिंह करसन सिंह और अन्य** । 51

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 404.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री विवेक ठाकुर, अपर महाधिवक्ता साथ में राजेश मंधोत्रा, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री वरुण राना, अधिवक्ता साथ में श्री एम. एस. गुलेरिया, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील सेशन विचारण सं. 1/98, 38/2004 में विद्वान् पीठासीन अधिकारी (त्वरित निपटान न्यायालय), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 28 मई, 2004 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी जिन्हें दंड संहिता की धारा 302 और 498क के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था, उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती मीना देवी पुत्री चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) और श्रीमती हरदेई (अभि. सा. 4) का तारीख 15 फरवरी, 1996 को अभियुक्त रतन लाल से विवाह हुआ था । वह अभियुक्त के साथ अपने ससुराल में रह रही थी । श्रीमती मीना देवी ने माह जून/जुलाई, 1996 को प्रथम बार अपने पिता (अभि. सा. 2) से यह कहा कि अभियुक्त दहेज की अवैध मांग कर रहे हैं क्योंकि वे गोदरेज की आलमारी, रंगीन टी. वी. और वाशिंग मशीन आदि की मांग कर रहे हैं । इसके पश्चात्, अभियुक्त ने दहेज की अपनी अवैध मांगों को पूरा करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार और तंग करना प्रारंभ कर दिया । उसके द्वारा इस तथ्य को अपनी माता हरदेई (अभि. सा. 4), चाचा जीवन वर्मा (अभि. सा. 8) और रवि वर्मा (अभि. सा. 15) को भी बताया था ।

3. तारीख 10 जुलाई, 1996 को श्री चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) ने पुलिस के माध्यम से यह सूचना प्राप्त की कि श्रीमती मीना देवी को तारीख 9 जुलाई, 1996 को दाह क्षतियां पहुंची हैं और उसे चत्रोखारी, सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में भर्ती किया गया । इसके पश्चात्, (अभि. सा. 2) रेवती लाल के साथ सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर गया । उसकी पुत्री वहां पर नहीं थी । उसे यह बताया गया कि श्रीमती मीना देवी को या तो शिमला या उसके ससुराल के मकान पर ले जाया गया है । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने अपना कथन दिया जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/क के माध्यम से अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क श्री नारायण सिंह (अभि. सा. 12) द्वारा अभिलिखित किया गया था । चिकित्सा अधिकारी श्री रमेश गुप्ता ने दूरभाष से पुलिस को यह सूचना दी जिसके आधार पर रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/क को श्री भेद सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा दैनिक डायरी में प्रविष्ट किया गया था । इसके पश्चात् श्री भेद सिंह (अभि. सा. 11) ने श्रीमती मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख प्रस्तुत किया

किंतु उसे 9.00 बजे अपराह्न कथन देने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था । अभि. सा. 11 ने पुनः डाक्टर से पूछताछ की और डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि रोगी मौखिक रूप से बातचीत करने के लिए होशो-हवाश में थी । इसके पश्चात्, अभि. सा. 11 ने डाक्टर हरिप्रिया (अभि. सा. 18) की मौजूदगी में श्रीमती मीना देवी के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग अभिलिखित किया । कथन पर श्रीमती मीना देवी के अंगूठे का निशान लगाया गया और उसे अभि. सा. 18 द्वारा अभिप्रमाणित किया गया । श्रीमती मीना देवी की चिकित्सा परीक्षा डा. अरुण कुमार मिश्रा (अभि. सा. 19) द्वारा की गई थी । उन्होंने एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-19/क जारी की जिसके अनुसार श्रीमती मीना देवी 92 प्रतिशत दाह क्षतियों से ग्रसित थीं जो गंभीर प्रकृति की थीं । इसके पश्चात्, मीना देवी को आई. जी. एम. सी., शिमला भेजा गया था । अभि. सा. 2 को अभियुक्त तारा देवी से इन बातों के बारे में पता चला । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 श्रीमती हरदेई (अभि. सा. 4) और रेवती लाल के साथ शिमला गया और उन्होंने श्रीमती मीना देवी को गंभीर हालात में देखा ।

4. तारीख 11 जुलाई, 1996 को केदीर अली (अभि. सा. 9) तत्कालीन अन्वेषक अधिकारी, पुलिस थाना सुन्दर नगर श्रीमती मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए आई. जी. एम. सी., शिमला गया और उसने चिकित्सा अधिकारी नामित रजत गुप्ता के समक्ष आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पेश किया । उसने अपनी यह राय व्यक्त की कि मीना देवी कथन करने के लिए उपयुक्त है । इस पर अभि. सा. 9 ने श्रीमती मीना देवी के कथन प्रदर्श प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख अभिलिखित किया जिस पर मृतका मीना देवी द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया था और जिसे डा. रजत गुप्ता (अभि. सा. 20) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया था ।

5. तारीख 15 अक्तूबर, 1996 को जीवन वर्मा (अभि. सा. 8) मीना देवी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए आई. जी एम. सी., शिमला गया । उसने मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शिमला के समक्ष आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क के साथ शपथपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-8/क पेश किया । तारीख 17 जुलाई, 1996 को इस आवेदन को श्री बी. एल. राघव (अभि. सा. 3) तत्कालीन तहसीलदार शहरी, शिमला को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन भेजा गया था । इसके पश्चात् (अभि. सा. 3) आई. जी. एम. सी., शिमला को अग्रसर हुआ और उसने डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) से सम्पर्क किया जो श्रीमती मीना

देवी का उपचार कर रहा था । उसने डा. रमेश भारती से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछे कि क्या श्रीमती मीना देवी कथन देने के लिए उपयुक्त दशा में है । अभि. सा. 16 ने यह स्पष्टीकरण दिया कि मीना देवी लगभग 4.45 बजे अपराह्न कथन देने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी । इसके पश्चात् अभि. सा. 3 ने राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5), डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) और श्रीमती मीना देवी के पिता चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) की मौजूदगी में श्रीमती मीना देवी के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख अभिलिखित किया जिस पर अभि. सा. 2 और श्री राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5) द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे । तारीख 23 जुलाई, 1996 को लगभग 5.15 बजे पूर्वाह्न दाह क्षतियों के कारण श्रीमती मीना देवी की बाद में मृत्यु हो गई ।

6. मोहिन्दर पाल (अभि. सा. 21) ने मृत्युसमीक्षा कार्यवाही की । डा. बी. के. मिश्रा (अभि. सा. 17) द्वारा शवपरीक्षण किया गया था । उन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-17/क जारी की । शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती मीना देवी की मृत्यु श्वासावरोध और एसपिरेशन आफ गैस्ट्रीक कन्टेंट्स सेकेन्डरी टू एंटी मार्टम बर्न इन्जरी के कारण हुई थी ।

7. अम्बा दत्त (अभि. सा. 22) तत्कालीन अपर थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सुन्दर नगर ने मामले में अन्वेषण किया और उसने स्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/ग तैयार किया । घटनास्थल के फोटो भी लिए थे । उसने अपने कब्जे में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/छ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ज, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/घ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ङ; प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/च, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ग के माध्यम से कैन, मिट्टी का तेल, स्टोव, माचिस की डिब्बी के अंदर के भाग सहित माचिस की तिल्ली, मिट्टी का नमूना, कैन के ढक्कन का अन्दर का भाग, जले हुए कागज के टुकड़े, चूड़ियों के टुकड़े, जले हुए बाल, दुपट्टा और जले हुए कपड़े लिए । अभियुक्त तारा देवी द्वारा पत्र प्रदर्श पी-1 पेश किया गया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/क के माध्यम से अपने कब्जे में लिया गया था । उसके द्वारा विवाद सम्पत्ति मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा की गई थी और जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषण पूरा करने के तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चालान पेश किया गया था ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा 22 साक्षियों की परीक्षा की गई । दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे । उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, राज्य द्वारा यह अपील फाइल की गई ।

9. श्री विवेक सिंह ठाकुर विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने पुरजोर यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है । उसके अनुसार विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है ।

10. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री वरुण राना ने तारीख 28 मई, 2004 के निर्णय का समर्थन किया है ।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेखों का परिशीलन किया ।

12. तारीख 15 फरवरी, 1996 को मीना देवी का विवाह अभियुक्त रतन लाल से अनुष्ठान के साथ सम्पन्न हुआ था । श्रीमती कांती देवी (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में ग्राम पंचायत महादेव की वार्ड सदस्या थी । वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों को जानती है । उसे पुलिस द्वारा कृष्णा, हरिराम और दौलत राम के साथ अन्वेषण के दौरान सहबद्ध किया गया था । उसके अनुसार अभियुक्त तारा देवी ने पत्र प्रदर्श पी-1 पेश किया था जिसे पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ग द्वारा कब्जे में लिया गया था । चूड़ियों के टुकड़े, जले हुए बाल और दुपट्टा भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ ख के माध्यम से कब्जे में लिए गए थे और उन्हें पैकेट में बंद किया गया था । जले हुए कपड़े ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/क के माध्यम से भी कब्जे में लिए गए थे और उन्हें अलग पार्सल में मोहरबंद किया गया था । माचिस डिब्बी के साथ माचिस की तिल्लियां भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. -1/घ के माध्यम से कब्जे में लिए गए थे और उन्हें अलग पार्सल में मोहरबंद किया गया था । मिट्टी के तेल के साथ सादा मिट्टी भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू./ङ के माध्यम से कब्जे में लिए गए थे और उन्हें दो अलग-अलग पार्सलों में मोहरबंद किया गया था । कुछ कागजों के जले हुए टुकड़े तथा ढक्कन में लगे कागज का टुकड़ा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/च के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और उन्हें अलग-अलग पैकेटों में मोहरबंद किया गया था । मिट्टी के तेल का कैन ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/छ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और लोहे का स्टोव ज्ञापन प्रदर्श पी.

डब्ल्यू.-1/ज के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और उसके पश्चात् उन्हें अलग-अलग पार्सलों में मोहरबंद किया गया था । सभी ज्ञापनों पर उसके हस्ताक्षर कराए गए थे । इन वस्तुओं को मकान के द्वितीय मंजिल से कब्जे में लिया गया था । उसके अनुसार उस दिन रतन लाल की पत्नी जली थी, हरिराम लगभग 7.00 या 7.30 बजे अपराह्न उसके पास आया था और उसे बताया कि रतन लाल की पत्नी जली हुई है । वह उसके साथ अभियुक्त व्यक्ति के मकान पर गई । जब वह उनके मकान पर पहुंची तो उसने रतन लाल की पत्नी को देखा जिसका नाम उसे याद नहीं है कि प्रांगण में जली हुई हालत में खड़ी हुई थी । इसके पश्चात् उसे गांववासी और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा चारपाई पर अस्पताल ले जाया गया था । उससे विशेष प्रश्न यह पूछा गया तब उसने यह बताया कि जब वह स्टोव पर चाय बना रही थी तब उसे आग लग गई परंतु उसे यह याद नहीं है कि उसे आग कैसे लगी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पत्र प्रदर्श पी-1 तारा देवी द्वारा इस घटना के एक दिन पूर्व उसके पास लाया गया था । उसी दिन वह अभियुक्त के मकान पर गई और पत्र प्रदर्श पी-1 के बारे में पूछताछ की । मृतका मीना देवी ने लिखित पत्र प्रदर्श पी-1 के तथ्य को स्वीकार किया । उसने उसे यह अवगत कराया कि उसके पिता सामान्यतया उसके ससुराल के मकान में पिए हुए हालात में आया करते थे और उससे ससुराल के मकान को छोड़ने के लिए आग्रह करते थे तथा माता-पिता के मकान में रहने के लिए कहते थे । उसके अनुसार एक या दो अवसरों पर अभियुक्त तारा देवी ने उनके मामले में मध्यक्षेप करना चाहा क्योंकि मृतका मीना देवी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी । उसने मृतका मीना देवी को यह राय दी थी कि वह शांति से जीवन जिए और आत्महत्या न करे । उसके अनुसार मृतक ने उसे यह बताया कि उसके पिता उसके वैवाहिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करते थे और इस प्रकार वह अपने जीवन से दुखी थी और अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी । उसने यह भी कथन किया कि अभिकथित घटना के समय पर अभियुक्त तारा देवी और अभियुक्त रतन लाल मकान में मौजूद नहीं थे और वे बाद में मकान में पहुंचे । उसके अनुसार अभियुक्त सोमा देवी, नर्बदा देवी और केसर सिंह घटना के समय पर घर के बाहर मौजूद थे उन्होंने पानी डालकर तथा रजाई की सहायता से आग बुझाई थी । उसके अनुसार कैन प्रदर्श पी-2 मकान के रसोईघर से भी बरामद किया गया था जो स्टोव के नजदीक पड़ा हुआ था ।

13. मृतका मीना देवी के पिता श्री चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) ने यह सिद्ध किया है कि मृतका 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी । तारीख 15 फरवरी, 1996 को उसकी अभियुक्त रतन लाल से विवाह हुआ था और वह तारीख 23 फरवरी, 1996 को अभियुक्त के मकान पर गया हुआ था और तब उसने वहां पर हर तरह से सामान्य स्थिति पाई थी । उसकी पुत्री उससे तथा कुटुंब के अन्य सदस्यों से निरन्तर मिला करती थी और उसने पहली बार जून/जुलाई, 1996 के माह में जब वह अपने पिता से मिली थी तब उसने यह बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उससे अवैध दहेज की मांग की थी । उसकी पुत्री ने उसे यह बताया कि उसकी सास, ननद और देवर उससे गोदरेज की आलमारी, रंगीन टी. वी. और वाशिंग मशीन आदि की मांग कर रहे हैं । उसके अनुसार उसने दहेज मांग के बारे में अपने पति का नाम नहीं बताया । इसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने अवैध दहेज की मांग पूरी करने के लिए उसकी पुत्री पर दबाव डाला तथा उससे दुर्व्यवहार किया और तंग किया । वह गरीब होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका । वह स्वयं अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गया और उनसे उसने यह प्रार्थना की कि वह उसकी पुत्री को परेशान न करें क्योंकि उसकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह उनकी अवैध दहेज की मांग को पूरी कर सके । तारीख 10 जुलाई, 1996 को उसे पुलिस के माध्यम से यह सूचना मिली थी कि तारीख 9 जुलाई, 1996 को उसकी पुत्री को दाह क्षतियां पहुंची हैं । उसे यह भी बताया गया था कि उसकी पुत्री छत्रोखारी, सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में भर्ती है । किसी भी अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी पुत्री के दाह क्षतियों के बारे में उसे नहीं बताया । यद्यपि वे उसके निवास स्थान से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं । वह रेवती लाल के अस्पताल सुन्दर नगर अपनी पुत्री के हालचाल जानने के लिए गया था । परंतु वह वहां पर नहीं थी । उसने यह बताया था कि या तो उसकी पुत्री को शिमला ले जाया गया है या उसके ससुराल के मकान में ले जाया गया है । अभियुक्त तारा देवी ने महादेव पर उसे यह बताया कि उसकी पुत्री को उपचार के लिए शिमला ले जाया गया है । इसके पश्चात्, वह और उसकी पत्नी तथा रेवती लाल तत्काल शिमला के लिए गए । उसके अनुसार उसकी पत्नी और रेवती लाल अगले दिन वापस लौटे, तथापि, वह अपनी पुत्री के साथ उसकी मृत्यु होने तक अस्पताल में रहा । वह बुरी तरह से जली हुई थी और गंभीर हालात में थी । तारीख 17 जुलाई, 1996 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी पुत्री का कथन अभिलिखित किया गया था । वह मौजूद था जब उसकी पुत्री के कथन

कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया । कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा डाक्टर की मौजूदगी में कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख अभिलिखित किया गया । उसके अनुसार कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख अभिलिखित किए जाने से पूर्व पुलिस ने यह प्रयास किया कि उसकी पुत्री के कथन अभिलिखित किए जाएं परंतु इसे वह अभिलिखित नहीं कर सका क्योंकि उसकी पुत्री बेहोश थी । पुलिस ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख अभिलिखित करने के लगभग 3-4 दिन पूर्व कथन अभिलिखित करने का प्रयास किया । उसके अनुसार अस्पताल में उसकी पुत्री उसे यह बताया करती थी कि वह संपूर्ण तथ्यों को बताएगी बशर्ते कि उसके पति को संरक्षित किया जाए । प्रारंभ में उसकी पुत्री अपने को पहुंची दाह क्षतियों के बारे में उसे बताने को इच्छुक थी, तथापि, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व उसने उसे यह बताया था कि उससे अभियुक्त केसर सिंह, सोमा और नर्बदा देवी द्वारा चाय बनाने के लिए कहा गया था । जब वह चाय तैयार कर रही थी तब अभियुक्त नर्बदा मिट्टी का तेल लाई और केसर सिंह ने उसके शरीर पर छिड़क दिया तथा सोमा देवी ने माचिस की तिल्ली से उस पर आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप उसे आग लग गई और उसे दाह क्षतियां पहुंचीं । उसके अनुसार, दस्तावेज प्रदर्श पी-1 उसकी पुत्री के हस्तलेख में नहीं था । उसके अनुसार उसकी पुत्री ने जली हुई क्षतियों के बारे में अपने पति अपनी सास और देवर नरेश की भागीदारी होना नहीं बताया । तथापि, उसने उसे यह बताया कि वे अवैध दहेज की मांग के लिए उसे परेशान भी करते थे । उसकी तारीख 23 जुलाई, 1996 को लगभग 5.15 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि जून मास में प्रथम बार उसकी पुत्री ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध दहेज की मांग के बारे में बताया था । तीन दिन के पश्चात् वह अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गया और उनसे यह अनुरोध किया कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है जिससे कि दहेज की मांग को पूरी कर सकता हो । उसके अनुसार रेवती राम उसके साथ अभियुक्त व्यक्ति के मकान पर गया था । तथापि, उसने इस बारे में या तो पुलिस या पंचायत को उसकी पुत्री द्वारा उसे बताए गए तथ्यों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी । उसके अनुसार उसकी पुत्री माह जून, 1996 में केवल एक रात्रि के लिए अपने पति के साथ उनके मकान पर पहुंची थी तब उसने प्रथम बार उसे यह बताया था कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध दहेज की मांग की गई है । उसकी पुत्री जब उससे उसको पहुंची हुई क्षतियों के बारे में पूछताछ की गई तब उसने इन पूछताछों के दौरान उसे उपरोक्त बातें बताया

करती थी । उसे इस बारे में पता नहीं है कि किसके कहने पर तहसीलदार उसकी पुत्री के कथन अभिलिखित करने के लिए अस्पताल पर लाया गया था, यद्यपि उसने औपचारिक रूप से अपने भाई से यह अनुरोध किया कि उसकी पुत्री के कथन किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने चाहिए । उसके अनुसार, उसने अपनी पुत्री के कथन अभिलिखित करने के लिए किसी डाक्टर से नहीं कहा । उसने यह भी कथन किया कि तीन व्यक्ति जो मानव अधिकार आयोग के थे, आई. जी. एम. सी., शिमला में पहुंचे और उनका उसका कथन अभिलिखित करने का आशय था, तथापि, उसने उन्हें बताया कि उन्हें पीड़िता के कथन अभिलिखित करने चाहिए यदि वे तनिक भी कथन अभिलिखित करने के लिए हितबद्ध हैं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 17 जुलाई, 1996 को जब उसकी पुत्री के कथन तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था, संभवतः उसके कथन पर उसके अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया था । उसके अनुसार, उसकी पुत्री पूरी तरह से बेहोश थी और नियमित समय के अंतरालों पर वह पुनः होश में आया करती थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री की मृत्यु के पश्चात् पुलिस ने नए सिरे से जांच करनी प्रारंभ की और उसका कथन भी अभिलिखित किया था । उसने यह भी कथन किया कि वह मानव अधिकार आयोग के लोगों के साथ घटनास्थल पर गया । उसके अनुसार, उन्होंने रत्ती देवी के मकान पर भी गए तथा कृष्णा देवी साक्षी से भी मिले । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि न तो अभियुक्त व्यक्तियों ने दहेज की मांग की और न मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे परेशान किया । उसके अनुसार, उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के बारे में तथा मृतका से दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में श्रीमती रत्ती देवी को बतलाया ।

14. श्री बिहार लाल राघव (अभि. सा. 3) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में तहसीलदार (शहर) के पद पर शिमला में नियुक्त था । उसके अनुसार तारीख 17 जुलाई, 1996 को उपखंड मजिस्ट्रेट शिमला (शहर) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क भेजा । वह आई. जी. एम. सी. की ओर अग्रसर हुआ जहां मीना देवी (मृतका) भर्ती थी । उसने डा. रमेश भारती से सम्पर्क किया जिसके पास रोगी उपचाराधीन थी । वह डाक्टर के साथ रोगी के पास गया । उसने डाक्टर से इस बारे में पूछताछ की क्या रोगी अर्थात् मृतका मीना देवी कथन देने के लिए सही स्थिति में है । डाक्टर ने उसकी परीक्षा करने के पश्चात् यह

घोषणा की कि वह कथन देने की स्थिति में है । मृतका की उसके पिता श्री चन्द्रमणी द्वारा पहचान की गई थी । उसने उसी दिन 4.45 बजे अपराह्न मृतका के पिता, डाक्टर और एक अन्य व्यक्ति राकेश तेजपाल के समक्ष उसके कथन प्रदर्श प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख अभिलिखित किया और यह कथन उसके हाथ से लिखा गया था और उस पर अपने हस्ताक्षर किए गए थे । डाक्टर की राय परिधि 'क' प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख पर है । इस कथन पर भी चन्द्रमणी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और राकेश तेजपाल द्वारा उसकी पहचान भी की गई । यह कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क के साथ आवश्यक कार्यवाहियों हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट (शहर) को प्रस्तुत किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने वैयक्तिक रूप से रोगी के बारे में उसके कथन करने की मानसिक स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया । उसके अनुसार उसने डाक्टर की राय पर विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य किया । उसे यह याद नहीं है कि क्या उसने रोगी को अपना परिचय दिया या नहीं या उसके पास पहुंचने का अपना प्रयोजन उसे बताया । उसके अनुसार, उसके सुनने और बोलने की शक्ति एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तरह नहीं थी, तथापि, उसकी आवाज सुनाई देने और समझने योग्य थीं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके द्वारा कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख स्पष्टीकरण प्ररूप में प्राप्त किया गया था । इसे उसके द्वारा शब्दशः अभिलिखित किया गया था । रोगी द्वारा कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख बिना किसी रुकावट के निरंतर दिया गया था और तद्नुसार उसे उसके द्वारा लिखित में लिखा गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् मृतका के कथन केवल 5 मिनट में अभिलखित किए थे । उसके अनुसार, रोगी ने सही भाषा में कथन दिया था जिसे उसके द्वारा लिखा गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख है । डाक्टर का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख को तुरंत अभिलिखित करने के पश्चात् अभिप्राप्त किया गया किंतु उसके द्वारा रोगी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उसके कथन अभिलिखित करने से पूर्व डाक्टर द्वारा सुनिश्चित करवाया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख उसके द्वारा अपने कार्यालय में तैयार किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि जहां तक उसकी स्मरण शक्ति की बात है मृतका का अंगुलियों सहित पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और इस प्रकार वह प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख पर अंगूठे का निशान नहीं लगा सका । उसने यह स्वीकार

किया है कि उसने श्रीमती मीना देवी के अंगूठे का निशान नहीं लगाने के बारे में प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख में कोई कारण नहीं दिया है ।

15. मृतका मीना देवी की माता श्रीमती हरदेई (अभि. सा. 4) है । उसके अनुसार लगभग 6 वर्ष पूर्व उसका अभियुक्त रतन लाल से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् वह अपने वैवाहिक गृह महादेव स्थान में रहने लगी । उसके अनुसार, उसकी पुत्री के विवाह के पश्चात् वह दो-तीन बार उनके मकान पर गई और लगभग दो-तीन मास से वे लोग शांतिपूर्वक जीवन-यापन कर रहे थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह के 3-4 माह पश्चात् जब मीना उनके मकान पर आई तब उसने उसे यह बताया कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग के कारण उसे तंग किया करते हैं । उसकी पुत्री ने यह बताया कि वे लोग गोदरेज की आलमारी, टी. वी. और फ्रिज की मांग कर रहे हैं । उसने उसे यह भी बताया कि वे लोग गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और शीघ्रताशीघ्र इन वस्तुओं की व्यवस्था नहीं कर सकते तथा वे उन्हें धीरे-धीरे उनकी मांग पूरी कर देंगे । उसने यह भी कथन किया कि उसकी सास ने विवाह के समय पर सगुन के रूप में कुछ रुपए भी एकत्र किए थे । उसने उसे शांति से यह समझाया कि उसको उसकी वैवाहिक गृह पर वापस भेजा जाए । उसकी सलाह पर उसने अपने पति से उन वस्तुओं के बारे में बताया था और उसके पश्चात् उसके पति ने एक लोहे की प्रैस खरीदी और उन्हें अभियुक्त व्यक्तियों को दे दिया था । उसके अनुसार, छठवें दिन उसे उसके पति के साथ अपने पुत्र की जन्म तिथि समारोह पर निमंत्रण दिया गया था परंतु उसे उनके घर पर आने की इजाजत नहीं दी गई थी । दसवें दिन कुछ पुलिस व्यक्ति उनके मकान पर पहुंचे और उन्होंने यह बताया कि मीना देवी दाह क्षतियों से ग्रसित है और उसे शिमला ले जाया गया है । वह शिमला गई और उसने देखा कि उसे जली हुई दशा में भर्ती किया गया है । उसने इस बारे में अपनी पुत्री से पूछताछ की कि उसके साथ यह घटना कैसे घटी थी । उसने उसे यह बताया कि उसे उसकी ननद द्वारा चाय बनाने के लिए भेजा गया था और जब वह स्टोव जला रही थी तब किसी व्यक्ति ने पीछे से मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी तथा उसे इस बारे में पता नहीं चल सका कि किसने उसको आग लगाई । वह अगले दिन शिमला से वापस आ गई और उसका पति वहीं पर रहा । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उन्होंने मामले को स्थानीय पंचायत या पुलिस के पास मौखिक या लिखित रूप में नहीं भेजा था । उसके अनुसार, गांव

महादेव में श्रीमती रत्ती देवी के माध्यम से विवाह की व्यवस्था की गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि श्रीमती रत्ती देवी को उनके द्वारा दहेज की मांग के बारे में उनकी पुत्री से दुर्व्यवहार करके परेशान किए जाने के बारे में बताया था । उसने यह भी कथन किया है कि इस बाबत उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई थी । उसने अपनी पुत्री के दाह क्षतियां पहुंचने के कारण के बारे में पुलिस को नहीं बताया था और यह बात उसकी पुत्री द्वारा आई. जी. एम. सी., शिमला में बताई गई थी । अभियुक्त व्यक्तियों ने विवाह के दौरान दहेज की किसी मांग के बारे में या वैवाहिक समारोह के समय पर कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मृतका मीना देवी को उसके ससुराल वालों द्वारा उपचार के लिए सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में भर्ती किया गया था और तत्पश्चात् उनके द्वारा उसे आगे उपचार के लिए आई. जी. एम. सी., शिमला ले जाया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी रेवती लाल और उसका पति तारीख 11 जुलाई, 1996 को अस्पताल में मौजूद थे जब मीना देवी ने उसे अपनी दाह क्षतियां पहुंचने के बारे में बताया था । उसने जीवन लाल, दलीप वर्मा, रवि वर्मा और दौलत राम को यह सूचना 2-3 दिन के भीतर दे दी थी ।

16. श्री राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5) ने यह साक्ष्य दिया है कि जुलाई, 1996 के मध्य में वह फीमेल सर्जिकल यूनिट में आई. जी. एम. सी. में था । उसके अनुसार, लगभग 4.30 बजे अपराह्न श्री बी. एल. भार्गव (अभि. सा. 3) यूनिट पर पहुंचे और उससे यह अनुरोध किया कि क्योंकि वह श्रीमती मीना देवी के मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए जा रहे हैं इसलिए वह भी मौजूद रहे, उसके अनुरोध पर वह उसके साथ गया । उसके अनुसार लड़की के पिता और डाक्टर जो उसका उपचार कर रहे थे, भी वहां पर मौजूद थे । मृतका ने उनकी मौजूदगी में कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख किया और उसे श्री बी. एल. राघव द्वारा लिखा गया था । उसके अनुसार, कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख में साक्षी के रूप में उसके हस्ताक्षर भी लिए गए थे । उसके अनुसार, मीना देवी बुरी तरह जली हुई थी और वह लिखने या हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं थी । उसने यह भी कथन किया कि डाक्टर द्वारा उसकी दशा को अभिप्रमाणित किया गया था । उसके अनुसार, जहां तक उसे याद है, रोगी के कथन करने के लिए उसका मानसिक उपयुक्तता डाक्टर का प्रमाणपत्र कथन लिखने से पूर्व लिखित में प्राप्त किया गया था । उसके अनुसार,

उसे इस बारे में याद नहीं है कि क्या इसे अलग कागज पर लिखा गया था या नहीं । श्री राघव ने लड़की से यह कहा कि वह क्या कहना चाहती है और इस बारे में जो कुछ भी उसने उत्तर दिया उसे लिखित में लिखा गया था । उसके अनुसार, रोगी ने हिन्दी में अपना कथन किया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतका के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् संगठन की ओर से उसने अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में जमानत आवेदन पर आक्षेप करने के लिए विद्वान् मुख्य मजिस्ट्रेट, मंडी के न्यायालय में आक्षेप याचिका पेश की थी । उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है कि क्या रोगी के अंगूठे का निशान प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख पर प्राप्त किया गया था या नहीं । उसके अनुसार सिविल लिबर्टीज और ह्यूमेन राइट्स संघ एक गैर सरकारी संगठन है उसके अनुसार इसे हिमाचल प्रदेश सरकार में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

17. श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 6) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसके पड़ोसी थे । उसके अनुसार, लगभग 6 वर्ष पूर्व वह लगभग 7.30 बजे अपराह्न मकान में मौजूद थे । उसका पति कार्य से वापस नहीं लौटा था । उसने अभियुक्त व्यक्तियों की दिशा की ओर से रोने-चिल्लाने की आवाज सुनी । वह उनके मकान की ओर दौड़ी और उसने यह देखा कि मृतका अपने मकान के निचले तल के बरामदे में बैठी हुई थी और उसके शरीर पर दाह क्षतियां थीं । उसने यह भी कथन किया कि उसने इस बारे में मृतका से पूछा कि उसके साथ यह घटना कैसे घटी किंतु उसने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया और यह कहा कि वह यह नहीं जानती कि ऐसा कैसे उसके साथ हुआ और उससे एक गिलास पानी लाने के लिए कहा । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि इस व्यक्ति ने किसी ह्यूमेन राइट्स या मानव अधिकार आयोग में नौकरशाह के पद पर होने का दावा किया और वह घटना के 10-12 दिन के पश्चात् अपने मकान पर पहुंचा और उसे पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कथन करने के लिए राजी करने की कोशिश की गई और उसने उसके कहने पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मृतका मीना को आग लगाने, दहेज मांग तथा तंग किए जाने के आरोप लगाने के लिए मजबूर किया । उसने उसे इस कार्य के लिए मजबूर होने से इनकार कर दिया । उसके अनुसार, जब वह घटनास्थल पर पहुंची श्री केशर सिंह, सोमा और नर्बदा वहां पर मौजूद थे और वे लोग चीख-पुकार कर रहे थे । उसने आगे यह भी कथन किया है कि उसे इस बारे में पता नहीं है कि

किसने आग बुझाई थी किंतु उसने घटनास्थल पर पानी बिखरा हुआ देखा था । उसने यह स्वीकार किया है कि मृतका के जीवनपर्यन्त उसके पिता शराब पिए हुए हालात में अभियुक्त के मकान पर आया करते थे और उसके ससुराल वालों से अनावश्यक रूप से झगड़ा किया करते थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह बुरी तरह शराब पीने के अभ्यस्त थे और वह अवैध शराब के धंधे का कारोबार भी करते थे ।

18. श्री इन्दर सिंह (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क और अन्य अभिलेख तारीख 20 जुलाई, 1996 के पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट मंडी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त किए गए थे जिसकी प्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/क है । उसके अनुसार, मूल अभिलेख उनके कार्यालय से पुलिस अधीक्षक मंडी, हिमाचल प्रदेश को भेजे गए ।

19. श्री जीवन वर्मा (अभि. सा. 8) ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका मीना देवी उसकी भतीजी थी । उसका अभियुक्त रतन लाल से विवाह हुआ था । उसने अपने विवाह के एक या डेढ़ माह पश्चात् उसे यह बताया था कि अभियुक्त व्यक्ति अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसे तंग किया करते हैं । तारीख 10 जुलाई, 1996 को जब वह सुबह के समय अपने मकान में था तब लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस के माध्यम से उसे यह जानकारी मिली थी कि मीना देवी जली हुई है । इसके पश्चात् मीना के माता-पिता अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गए थे । उसके अनुसार उसे ठीक-ठीक यह याद नहीं है किंतु संभवतः वह पन्द्रहवें या सोलहवें दिन आई. जी. एम. सी., शिमला में मीना देवी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उससे मिलने के दौरान उसने (मृतका) घटना के संबंध में कथन करने की इच्छा अभिव्यक्त की । इसके पश्चात् वह मानव अधिकारों के पदधारी के पास गया और जिला मजिस्ट्रेट शिमला के पास भी गया तथा उसने मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क के साथ शपथपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-8/क पेश किया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि वह मृतका के जले हुए की जानकारी के बावजूद भी तारीख 15 जुलाई, 1996 से पूर्व मीना देवी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए आई. जी. एम. सी., शिमला नहीं गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि वह पिछले 15 वर्ष से अपने भाई चन्द्रमणी से अलग रह रहा था । उसके अनुसार, जब मृतका मीना देवी ने कथन

करने के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त की तब उसने स्थानीय पुलिस शिमला से संपर्क किया था, किंतु उन्होंने दो दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की । तब वह मानव अधिकार आयोग के लोगों के पास पहुंचा । उसके अनुसार उनमें से एक श्री राकेश तेजपाल जो सिख जाति का एक सज्जन व्यक्ति था तथा एक लड़की जिसका नाम आशु था जो मेरा मसित तहसील, सुन्दर नगर की निवासी थी जो उसकी नातेदार है । उसके अनुसार, मानव अधिकार आयोग के व्यक्ति ने आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-3/क लिखा था । इसके पश्चात् वे सभी लोग जिला न्यायालय डी. सी. शिमला के पास गए और वहां से वे सभी तहसीलदार के साथ आई. जी. एम. सी., शिमला गए । उसे आई. जी. एम. सी., शिमला पहुंचने के समय के बारे में ठीक से याद नहीं है । उसके अनुसार, तहसीलदार जो दो या तीन स्थानीय पुलिस कार्मिकों के साथ था । 15 या 16 दिन पश्चात् जब मीना देवी से पूछताछ की गई तब उसने उसे यह बताया कि उसकी ननद तथा उसके ननद के पति ने उसे आग लगाई थी । उसने इस तथ्य को स्थानीय पुलिस, मानव अधिकार आयोग के लोगों तथा तहसीलदार को बताया था । उसे इस बारे में पता नहीं है कि मीना देवी पहले ही पुलिस के समक्ष दो कथन कर चुकी है ।

20. श्री कादिर अली (अभि. सा. 9) ने मामले में अन्वेषण किया । तारीख 11 जुलाई, 1996 को अन्वेषण के दौरान वह आई. जी. एम. सी., शिमला गया जहां पर मृतका मीना देवी का कथन अभिलिखित किया गया जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले का इतिवृत्त जली हुई क्षतियों का है । उसने मृतका के इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पेश किया था । डा. रजत गुप्ता ने परिधि "क" प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क में अपनी राय दी है कि मृतका कथन करने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी । उसने उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख अभिलिखित किया था जिसमें मृतका के अंगूठे का चिह्न लगाया था और जिसे डा. रजत गुप्ता द्वारा साक्षी के रूप में साक्ष्यांकित किया गया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन चन्द्रमणी, डा. रजत गुप्ता और रेवती लाल का कथन अभिलिखित किया था ।

21. श्री गांधी राम (अभि. सा. 10) ने चिकित्सा अधिकारी, मेडिको लीगल विभाग, आई. जी. एम. सी., शिमला को मृतका मीना कुमारी के शवपरीक्षण परीक्षा किए जाने के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/क पेश किया था ।

22. श्री भेद सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने श्री रमेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर का दूरभाष संदेश प्राप्त किया था कि मीना देवी नामक महिला जो महादेव स्थान की रहने वाली है दाह क्षतियों से ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती है । वह कांस्टेबल बंसी लाल के साथ अस्पताल की ओर चला जहां मीना देवी भर्ती थी । उसने पीड़िता के कथन अभिलिखित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख पेश किया था किंतु उसने उसे 9.00 बजे अपराह्न और 11.00 बजे अपराह्न के समय पर कथन करने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया था, उसने पुनः डाक्टर से इस बारे में पूछताछ की और डाक्टर ने यह राय दी कि रोगी मौखिक रूप से कथन करने के लिए होशो-हवास में है । डाक्टर की ऐसी राय परिधि "क" और "ख" प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख में अंकित है । उसने उसकी देखभाल करने वाली डाक्टर अर्थात् डा. हरिप्रिया की मौजूदगी में मीना देवी का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग अभिलखित किया था जैसाकि मीना द्वारा वृत्तांत दिया गया । कथन पर मीना देवी द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया था और जिसे डाक्टर द्वारा साक्षी के रूप में साक्ष्यांकित किया गया था ।

23. श्री नारायन सिंह (अभि. सा. 12) ने तारीख 10 जुलाई, 1996 को रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/क के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क अभिलिखित की ।

24. श्री धनी राम (अभि. सा. 13) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में पुलिस थाना, सुन्दर नगर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था । तारीख 5 सितंबर, 1996 को मोहर्रिर हैड कांस्टेबल, रूप लाल ने उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा में इस मामले के 5 मोहरबंद पार्सल जमा करने के लिए सुपुर्द किए । उसने उसी दिन उन्हें जमा कर दिया और उनकी प्राप्ति रसीद मोहर्रिर कांस्टेबल को सौंप दी । उसके अनुसार जब तक पार्सल उसकी अभिरक्षा में रहे तो वे यथावत थे ।

25. श्री रवि वर्मा (अभि. सा. 15) ने यह कथन किया है कि मृतका मीना देवी उसकी भतीजी थी । उसकी मृत्यु से लगभग 5-6 मास पूर्व उसका विवाह हुआ था । उसके अनुसार, मीना देवी कई बार अपने माता-पिता के घर पर आया करती थी और उसे देखने भी पहुंचा करती थी । उसके अनुसार, जब कभी मृतका उसके पास आई तब उसने अपने ससुराल वालों की हमेशा उससे शिकायत की कि वे लोग दहेज की मांग कर रहे हैं और इस विषय पर उससे कहा करते हैं । उसने यह भी कथन

किया कि मृतका ने उसे यह भी बताया था कि वे खासतौर पर टी. वी. और आलमारी आदि की मांग कर रहे हैं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने या तो पंचायत या उसके समक्ष मीना देवी द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बारे में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की ।

26. डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में सर्जरी यूनिट-III, आई. जी. एम. सी., शिमला में रजिस्ट्रार के पद पर रहा । उसने यह भी कथन किया कि श्रीमती मीना देवी पत्नी रतन लाल उपचार के लिए सर्जरी यूनिट-III, आई. जी. एम. सी., शिमला में भर्ती रही थी । उसके अनुसार, तारीख 17 जुलाई, 1996 को श्री बी. एल. राघव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिमला द्वारा उसके द्वारा उस समय अर्थात् 4.45 बजे अपराह्न मृतका के कथन लेने के लिए उपयुक्तता का प्रमाणपत्र देने के पश्चात् उसको चन्द्रमणी और राकेश तेजपाल की मौजूदगी में मृतका का कथन अभिलिखत किया था । उसकी राय कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख पर परिधि "क" में है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे यह याद नहीं है कि श्रीमती मीना देवी के कथन अभिलिखित करने में कितना समय लगा था । उसके अनुसार, कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख स्पष्टीकरण प्ररूप में था । उसे यह भी याद नहीं है कि कोई शपथ रोगी द्वारा ली गई थी या नहीं । उसे यह भी याद नहीं है कि क्या रोगी ने स्थानीय लिपि या हिन्दी में कथन किया । उसे यह भी याद नहीं है कि क्या हस्ताक्षर करने वालों के अलावा कोई व्यक्ति भी वहां मौजूद था या नहीं ।

27. डा. वी. के. मिश्रा (अभि. सा. 27) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 24 जुलाई, 1996 को सुन्दर नगर, पुलिस थाने के पुलिस के अनुरोध पर डाक्टरों के एक दल ने श्रीमती मीना देवी के शव का शव परीक्षण किया । उसके अनुसार मृत्यु का कारण श्वासावरोध तथा एसपिरेशन आफ गैस्ट्रीक कन्टेंट्स सेकेंडरी टू एन्टी मार्टम बर्न इन्जरी है ।

28. डा. हरिप्रिया (अभि. सा. 18) ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका मीना देवी को जुलाई, 1996 के माह में अस्पताल में भर्ती किया गया था और तारीख 9 जुलाई, 1996 को 9.00 बजे अपराह्न अन्वेषक अधिकारी, सुन्दर नगर ने रोगी की उपयुक्तता के बारे में जानकारी लेने के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख प्रस्तुत किया । उसने 9.15 बजे अपराह्न रोगी के हालात की परीक्षा की तथा उस समय पर रोगी कथन करने की

स्थिति में नहीं थी । उसने उक्त आवेदन पर परिधि "क" में अपनी राय व्यक्त की । इसके पश्चात्, उसने 11.15 बजे अपराह्न पुनः उसकी परीक्षा की उस समय मृतका को मौखिक रूप से जवाब देने के योग्य पाया गया था । उसने उपरोक्त आवेदन पर परिधि "ख" में अपनी राय भी व्यक्त की है । इसके पश्चात्, मीना देवी के कथन उसकी मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग श्रीमती मीना देवी का स्वैच्छिक रूप से किया गया था तथा अन्वेषक अधिकारी द्वारा उसकी मौजूदगी में सही रूप से उसे अभिलिखित किया गया था और मृतका ने उसकी मौजूदगी में अंगूठे का निशान लगाया था ।

29. डा. अरुण कुमार मिश्रा (अभि. सा. 19) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1994 से उपखंड अस्पताल, सुन्दर नगर में ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था । उसके अनुसार तारीख 9 जुलाई, 1996 को 8.30 बजे अपराह्न उसने श्री रतन लाल की पत्नी श्रीमती मीना देवी की परीक्षा की जो जली हुई क्षतियों की दशा में अस्पताल में भर्ती थी । उसकी जली हुई दशा के बारे में सूचना उसके द्वारा सुन्दर नगर में पुलिस को दी गई थी । परीक्षा के पश्चात् आगे उपचार के लिए मामले को सर्जन के पास भेजा गया था । उसके अनुसार 92 प्रतिशत दाह क्षतियां कारित हुई थीं । ये क्षतियां गंभीर प्रकृति की हैं और जो 2 घंटे के भीतर कारित हुई हैं । उसने एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-19/क जारी किया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता के शरीर पर दाह क्षतियों की प्रकृति ऐसी थी कि जो उन्हें मिट्टी का तेल छिड़ककर या पीछे की ओर से शरीर पर फेंक कर कारित नहीं की जा सकती । उसने स्वयं यह कथन किया है कि 92 प्रतिशत दाह क्षतियां आगे की ओर और पीछे की ओर थीं ।

30. डा. रजत गुप्ता (अभि. सा. 20) ने यह कथन किया है कि तारीख 11 जुलाई, 1996 को अन्वेषक अधिकारी, पुलिस थाना, सुन्दर नगर ने मीना देवी के अभिकथन अभिलिखित करने के संबंध में राय लेने के लिए आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पेश किया था । उसने रोगी की परीक्षा की और कथन करने के लिए उसे उपयुक्त पाया था । उसने इस संबंध में प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पर परिधि "क" में अपनी राय व्यक्त की । इसके पश्चात्, अन्वेषक अधिकारी ने उसकी मौजूदगी में कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क अभिलिखित किया । उसने यह भी कथन किया कि उसके

द्वारा जो कुछ भी कथन किया गया है, उसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख में अभिलिखित किया गया था तथा कथन करने के पश्चात् मृतका के अंगूठे का निशान लगाया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख अभिलिखित करने के समय पर मीना देवी के पिता चन्द्रमणी और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति भी मौजूद थे ।

31. श्री मोहिन्द्र पाल (अभि. सा. 21) ने मृत्यु समीक्षा कार्यवाहियां कीं और मृत्यु समीक्षा कागजात प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-21/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-21/ख तैयार की ।

32. श्री अंबा दत्त (अभि. सा. 22) ने अन्वेषण का कार्य किया । वह अपर थाना भारसाधक अधिकारी के पद पर पुलिस थाना, सुन्दर नगर पर तैनात था । तारीख 10 जुलाई, 1996 को प्रातः वह घटनास्थल पर गया । घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् चन्द्रमणी पी. डब्ल्यू.-2/क का कथन अभिलिखित किया तथा इस पर पृष्ठांकन करने के पश्चात् इसे मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए कांस्टेबल बंसीलाल के माध्यम से पुलिस थाना भेजा । उसके अनुसार, घटनास्थल का फोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफ चिह्न एक्स-1 से एक्स-6 चिह्नित किया गया तथा उसके निगेटिव एक्स-7 से एक्स-12 हैं और अन्वेषण के पश्चात् उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/ग तैयार किया और उसने मिट्टी के तेल का कैन प्रदर्श पी-2, स्टोव प्रदर्श पी-3, माचिस की डिब्बी के अंदरूनी भाग की माचिस की तिल्लियां प्रदर्श पी-4, मिट्टी प्रदर्श पी-5, सादी मिट्टी प्रदर्श पी-8, कैन के ढक्कन के अंदर का भाग प्रदर्श पी-6 तथा कागज के जले हुए टुकड़े प्रदर्श पी-7 चूड़ियों के टुकड़े, जले हुए बाल तथा दुपट्टा प्रदर्श पी-9 तथा जले हुए कपड़े प्रदर्श पी-10 ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/छ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ज, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/घ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ङ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/च, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ख तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ग के माध्यम से घटनास्थल से कब्जे में भी लिए गए थे । उसके द्वारा वाद सम्पत्ति मोहर्रिर हेड कांस्टेबल को जमा की गई थी । तारीख 22 जुलाई, 1996 को यह सूचना मिली थी कि पीड़िता के कथन शिमला में अभिलिखित किए गए थे जहां उसे आई. जी. एम. सी., शिमला में भर्ती किया गया था, वह शिमला गया जहां जिला मजिस्ट्रेट, शिमला ने उसे मोहरबंद लिफाफा सौंपा था जिसमें मृतका का कथन होने का भी कथन किया गया है जिसे उसने जिला मजिस्ट्रेट के निदेशों के अनुसार जिला

मजिस्ट्रेट, मंडी को सौंपा था । मीना देवी की शिमला में तारीख 23 जुलाई, 1996 को मृत्यु हुई थी । उसने आगे यह कथन किया है कि हेड कांस्टेबल, गांधी राम को शव परीक्षण रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था । तारीख 4 अगस्त, 1996 को श्री गांधी राम शव परीक्षण रिपोर्ट लाया । उसके अनुसार, घटनास्थल पर सभी वस्तुओं को अभिगृहीत किया गया था तथा डाक्टर द्वारा सौंपी गईं वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा भेजा गया था और रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/घ और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/ङ तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मामला फाइल करने के लिए थाना भारसाधक अधिकारी, हंसराज (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) को सौंपी गई थी । उसके अनुसार, पीड़िता मीना देवी को अभियुक्त व्यक्तियों केशर सिंह और सोमा देवी द्वारा गांववासियों की मदद से तत्काल सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर से हटाकर आई. जी. एम. सी., शिमला भेजा गया था ।

33. अब न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से दहेज की अवैध मांग तथा पीड़िता मीना देवी को तंग किए जाने को साबित करने के लिए पेश किए गए तात्विक साक्षियों का उल्लेख करेगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क रुक्का के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट श्री चन्द्रमणी जो मृतका का पिता है, के कहने पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रकथनों के अनुसार चन्द्रमणी महादेव स्थान पर मीना देवी के कहने पर गया था जहां श्रीमती तारा देवी ने उसे यह बताया कि वह मीना देवी को यह समझाए कि उसे खुले हाथों से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए । आगे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि कुछ दिनों के पश्चात् उसकी पत्नी श्रीमती हरदेई (अभि. सा. 4) मीना देवी के मकान पर गई । उस समय मीना देवी के ससुराल वालों ने पुनः यह शिकायत की कि मीना देवी खुले हाथों से पैसा खर्च कर रही है । यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ दिनों के पश्चात् वह मीना देवी के मकान पर गया तथा उस समय मीना देवी ने अपने पैर और आमाशय में दर्द बताया था और उसने मीना देवी के ससुराल वालों से यह कहा कि उसे अस्पताल से उपचार दिलाया जाए । इसके पश्चात्, उसके भांजे ने उसे यह बताया कि मीना देवी गंभीर रूप से बीमार है । उसकी पत्नी मीना देवी के मकान पर गई और लौटने पर उसने यह बताया कि अभियुक्त तारा देवी, केसर सिंह, रतन लाल और

उसकी बड़ी बहन तथा भाई जो कमरे के अंदर बैठे हुए थे उससे कुछ कहा था । इसके पश्चात्, उन सभी ने उसे गालियां दीं कि उन्हें विवाह के समय पर कोई दहेज नहीं दिया गया था । हरदेई चीखते हुए अभियुक्त के कमरे से बाहर आई और यही बात रत्ती देवी को बताई । ऐसा सुनकर अभि. सा. 2 अपने साले के साथ मीना देवी के मकान पर गया और उसने माफी मांगी और वापस लौट आया । तारीख 5 जुलाई, 1996 को मीना देवी को अभि. सा. 2 द्वारा अपने पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर अपने मकान पर बुलाया था परंतु उसे अपने माता-पिता के मकान पर जाने की इजाजत नहीं दी गई । बाद में मीना देवी ने उसे यह बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों की तुच्छ बातों पर उसे परेशान करने की आदत है । जब अभि. सा. 2 न्यायालय में हाजिर हुआ तब उसने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी के ससुराल वाले हमेशा या तो उससे या उसकी पत्नी से यह शिकायत किया करते थे कि मीना देवी ने तारीख 22 फरवरी, 1996 को खुले हाथों से पैसा खर्च किया था इसलिए, उन्होंने उससे यह भी कहा था कि वो मीना देवी को समझाए । उसके कथन में यह बात भी प्रकट नहीं हुई है कि वह मीना देवी के मकान पर गया था जब वह दर्द से परेशान थी तथा उसने मीना देवी के ससुराल वालों से यह कहा कि उसे अस्पताल से उपचार दिलाएं । उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसकी पत्नी मीना देवी के ससुराल वालों के पास गई तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा इस बहाने से मृतका को गालियां दी गईं कि उसने विवाह के समय पर कोई पर्याप्त दहेज नहीं दिया है । उसने यह भी कथन नहीं किया है कि मीना देवी को तारीख 5 जुलाई, 1996 को अभियुक्तों द्वारा उसके पुत्र के जन्म दिवस पर सम्मिलित होने के लिए इजाजत नहीं दी थी तथा उसने कहीं भी यह बात नहीं कही है कि मीना देवी ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त तुच्छ बातों पर उसे तंग किया करते थे ।

34. इसी तरह शिकायतकर्ता की पत्नी ने अपने कथन में इन तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । उसने केवल यह कथन किया है कि मीना देवी केवल यह कहती थी कि उसे उसके पति के साथ उसके पुत्र के जन्म दिवस पर आमंत्रित किया गया था ।

35. अभि. सा. 2 के अनुसार मीना देवी ने 1996 के मास जून और जुलाई में उसे प्रथम बार यह बताया था कि मीना देवी की सास, ननद और देवर ने गोदरेज की आलमारी, रंगीन टी. वी. तथा वाशिंग मशीन की मांग की थी किंतु इस तथ्य का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में कहीं उल्लेख नहीं

किया गया है । उसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों ने दहेज की अवैध मांग को पूरा करवाने के लिए उसे प्रपीड़न करने के लिए दुर्व्यवहार तथा तंग किया जाना आरंभ किया था किंतु ऐसे तथ्यों का अभि. सा. 2 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह तथ्य कि अभि. सा. 2 वैयक्तिक रूप से अभियुक्त के मकान पर गया और उन्होंने यह कहा कि वह दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक गरीब आदमी है, इस बात का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/क में उल्लेख नहीं किया गया है ।

36. श्रीमती हरदेई (अभि. सा. 4) के अनुसार मीना देवी लगभग 2-3 मास से शांतिपूर्वक अपने वैवाहिक मकान में रह रही थी तथा इसके पश्चात् जब मीना देवी उसके मकान पर आई तब उसने यह बताया कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग के कारण उसे तंग किया करते हैं क्योंकि वे लोग गोदरेज की आलमारी, फ्रिज तथा रंगीन टी. वी. आदि की मांग कर रहे थे । उसने आगे यह भी कथन किया है कि मीना देवी ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त तारा देवी जो मीना देवी की सास है, ने आभूषण बनाने के लिए "शगुन" के रूप में विवाह के समय पर कुछ पैसों की मांग की थी । उसके अनुसार, उसने इन तथ्यों के बारे अपने पति अभि. सा. 2 को बताया था । तथापि, अभि. सा. 2 ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 4 ने इस तथ्य के बारे में उसको अवगत कराया ।

37. अभि. सा. 4 की प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि मीना देवी और अभियुक्त रतन लाल का विवाह ग्राम महादेव पर श्रीमती रत्ती देवी के माध्यम से संपन्न हुआ था और उसने दहेज की मांग के संबंध के बारे में सूचित भी किया था परंतु रत्ती देवी को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया ।

38. श्री जीवन वर्मा (अभि. सा. 8) जो मृतका मीना देवी का चाचा है, ने यह कथन किया है कि मीना देवी ने अपने विवाह के लगभग 1-1/2 मास पूर्व उसे यह बताया था कि सभी अभियुक्त व्यक्ति अपर्याप्त दहेज लाने के कारण उसे तंग कर रहे थे । इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के अनुसार कि जून/जुलाई, 1996 माह के मास में मीना देवी ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की अवैध मांग के बारे में प्रथम बार बताया था ।

39. श्री रवि वर्मा (अभि. सा. 15) ने यह कथन किया है कि मीना

देवी उसके पास आया करती थी और उससे यह शिकायत किया करती थी कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग खासतौर पर रंगीन टी. वी., गोदरेज की आलमारी, वाशिंग मशीन आदि की मांग कर रहे हैं । अभि. सा. 15 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके विवाह के लगभग 1-1/2 मास का समय व्यतीत हुआ था कि मीना देवी ने उसे दहेज की मांग के बारे में बताया था । इस बात का अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के कथनों में विचलन हुआ है ।

40. ग्राम पंचायत महादेव की वार्ड सदस्य श्रीमती कांता देवी (अभि. सा. 1) ने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी हमेशा अभियुक्तों द्वारा किसी दहेज की मांग के बारे में या अभियुक्तों द्वारा उसे दुर्व्यवहार किए जाने या उसे तंग किए जाने के बारे में शिकायत किया करती । श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 6) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि मृतका के पिता मीना देवी के जीवनपर्यन्त पीए हुए हालात में प्रायः अभियुक्त के घर जाया करते थे और उसके ससुराल वालों से झगड़ा किया करते थे । उसने यह कथन नहीं किया है कि मीना देवी हमेशा अभियुक्त की ओर से दहेज की मांग के बारे में बताया करती थी । अभि. सा. 4 के कथन में यह भी प्रकट हुआ है कि विवाह के दौरान और विवाह के समय पर भी अभियुक्त ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी । अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 15 द्वारा किए गए कथनों में अंतर्निहित विभेद है जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई है । अभि. सा. 2 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है । उसके द्वारा इन तथ्यों के बारे में प्रथम बार न्यायालय में कथन किया गया है जब वह अभि. सा. 2 के रूप में न्यायालय में हाजिर हुआ । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि मृतका मीना देवी को अभियुक्तों द्वारा अपर्याप्त दहेज मिलने पर तंग किया गया था ।

41. अब हम मृतका मीना देवी द्वारा किए गए तीन मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख तारीख 11 जुलाई, 1996, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग तारीख 9 जुलाई, 1996 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख तारीख 17 जुलाई, 1996 जिन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिमला द्वारा अभिलिखित किया गया था, पर विचार करेंगे ।

42. श्री भेद सिंह (अभि. सा. 11) द्वारा तारीख 9 जुलाई, 1996 को लगभग 11.15 बजे अपराह्न सिविल अस्पताल, सुन्दर नगर में कथन प्रदर्श

पी. डब्ल्यू.-11/ग अभिलिखित किया गया था और यह कथन डा. हरिप्रिया की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । कथन का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "यह कथन किया गया कि मैं महादेव की निवासी हूं परंतु मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं कैसे जली । मैंने स्टोव जलाया और चाय तैयार की थी तथा उस समय मेरी ननदें मकान के बाहर बैठी हुई थीं, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि कैसे मुझे आग लगी । मुझे इस बारे में भी पता नहीं है कि कौन मुझे अस्पताल लाया था ।"

43. यह घटना तारीख 9 जुलाई, 1996 को घटी थी और इस कथन को तारीख 9 जुलाई, 1996 को 11.15 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था जब डा. हरिप्रिया ने यह अभिप्रमाणित किया कि पीड़िता का कथन अभिलिखित किया जा सकता है । श्री भेद सिंह (अभि. सा. 11) के अनुसार उसने पीड़िता के कथन अभिलिखित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख पेश किया था किंतु मृतका को 9.00 बजे अपराह्न कथन करने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था । 11.15 बजे अपराह्न उसने डाक्टर से पुनः यह पूछताछ की तब डाक्टर ने यह राय दी कि रोगी मौखिक रूप से बोलने के लिए होशो-हवास में है । तत्पश्चात् मीना देवी का कथन अभिलिखित किया गया था, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग । इस कथन पर मीना देवी के अंगूठे का निशान लगाया गया और उसे साक्षी के रूप में डाक्टर द्वारा साक्ष्यांकित किया गया है ।

44. डा. हरिप्रिया (अभि. सा. 18) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतका मीना देवी की 11.15 बजे अपराह्न परीक्षा की और उस समय वह मौखिक रूप से जवाब देने के लिए उपयुक्त पाई गई थी । उसने अपनी राय परिधि "ख" में दी है । इसके पश्चात् मीना देवी (मृतका) का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग के माध्यम से अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग मीना देवी द्वारा स्वेच्छया से किया गया है और अन्वेषक अधिकारी द्वारा उसकी मौजूदगी में सही रूप से अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, यह सिद्ध किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 1996 को मीना देवी द्वारा कथन स्वैच्छिक रूप से किया गया था और अन्वेषक अधिकारी द्वारा सही रूप से अभिलिखित किया गया था । डा. हरिप्रिया (अभि. सा. 18) ने यह

अभिप्रमाणित किया है कि उसने मौखिक आदेशों का पालन किया । उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग के अनुसार उसने अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त को नहीं फंसाया है । उसने यह कथन किया है कि वह उस वक्त जली थी जब वह चाय बना रही थी और उस समय उसकी ननदें मकान के बाहर बैठी हुई थीं ।

45. श्री कादिर अली (अभि. सा. 9) द्वारा तारीख 11 जुलाई, 1996 को दूसरा कथन आई. जी. एम. सी. में अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 9 के अनुसार उसने उस चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पेश किया जो मीना देवी (मृतका) का उपचार कर रहा था । डा. रजत गुप्ता द्वारा उसे कथन करने के लिए उपयुक्त घोषित किया था । उसने अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/क पर परिधि "क" में व्यक्त की है । इसके पश्चात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख के माध्यम से मीना देवी का कथन अभिलिखित किया जिस पर उसके द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया था और जिसे साक्षी के रूप में डा. रजत गुप्ता (अभि. सा. 20) द्वारा साक्ष्यांकित किया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि रोगी के अंगूठे के निशान पर उसका पृष्ठांकन परिधि "ख" के रूप में है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख अभिलिखित करते समय मीना देवी के पिता अर्थात् चन्द्रमणी और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति भी मौजूद थे । कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "मैं ग्राम महादेव की निवासी हूं । मेरा विवाह अभियुक्त रतन लाल के साथ तारीख 15 फरवरी, 1996 को अनुष्ठान के साथ सम्पन्न हुआ था । तारीख 9 जुलाई, 1996 को 7.00 बजे अपराह्न मैं चाय बनाने के लिए स्टोव जलाने के लिए जा रही थी परंतु अचानक मुझे आग लग गई । मैंने माचिस की तिल्ली नहीं जलाई थी परंतु मेरे सम्पूर्ण शरीर पर आग लग गई । तथापि, मैं इस बारे में नहीं जानती की मुझे आग कैसे लगी । मैं इस बारे में यह भी नहीं जानती हूं कि कैसे मिट्टी का तेल मुझ पर गिर पड़ा । यह मेरा कथन है जिसे मेरे द्वारा सुना गया और यह सही है ।"

46. अभि. सा. 9 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि मृतका होशो-हवास में थी और होशो-हवास में उसने कथन प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-9/ख किया । कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख डा. रजत गुप्ता (अभि. सा. 20) की मौजूदगी में किया था । इस कथन में भी उसने यह कहा है कि वह चाय बनाने के

लिए स्टोव जलाने के लिए जा रही थी परंतु अचानक उसे आग पकड़ गई । उसे यह पता नहीं है कि उसे आग कैसे लगी । इस प्रकार, कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ख से यह सुव्यक्त है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को फंसाया नहीं है ।

47. तीसरा कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख तारीख 17 जुलाई, 1996 को 4.45 बजे अपराह्न डा. बिहारी लाल राघव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा श्री चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) और श्री राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । उसे डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) द्वारा साक्ष्यांकित किया गया था । अभि. सा. 3 के अनुसार, वह आई. जी. एम. सी. की ओर अग्रसर हुआ । उसने डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) से सम्पर्क किया । उसने डाक्टर से इस बारे में पूछताछ की कि क्या रोगी कथन करने की स्वस्थ स्थिति में थी । उसकी तथा डा. तेजपाल की मौजूदगी में चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) द्वारा शिनाख्त की गई थी । इसके पश्चात् अभि. सा. 3 ने उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख 4.45 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने वैयक्तिक रूप से रोगी की मानसिक स्थिति को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया । उसने डाक्टर की राय के अनुसार विश्वास के साथ कार्य किया । उसने यह भी कथन किया कि उसे यह भी याद नहीं है कि क्या उसने रोगी को अपना परिचय दिया या नहीं या उसके पास आने का अपना प्रयोजन उसे बताया हो । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके बोलने और सुनने की शक्ति एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तरह नहीं थी, तथापि, वह उन बातों को सुनकर समझने के योग्य थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने स्पष्टीकरण प्ररूप में उसका कथन अभिलिखित किया था ।

48. डा. रमेश भारती (अभि. सा. 16) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 1996 में सर्जरी यूनिट III आई. जी. एम. सी. शिमला में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात था । उसके अनुसार तारीख 17 जुलाई, 1996 को श्रीमती मीना देवी के कथन श्री बी. एल. राघव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिमला द्वारा उसकी मौजूदगी में तथा चन्द्रमणी और श्री तेजपाल की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी अभिप्रमाणित किया कि वह 4.45 अपराह्न में कथन देने के लिए सही हालात में थी । तारीख 17 जुलाई, 1996 को कथन अभिलिखित किया गया था जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"यह कथन किया गया है कि मेरे दो हत्यारे हैं । मेरी ननद सुमन और मेरा देवर केशर सिंह । वे लाडोल के निवासी हैं । मेरी सास तारा देवी और देवर नरेश कुमार दहेज के कारण मुझसे दुर्व्यवहार किया करते थे । पिछले मंगलवार को जब मैं चाय बना रही थी तब मेरी ननद और देवर वहां पर आए । मुझे इस बारे में पता नहीं कि किसने मिट्टी का तेल छिड़का था परंतु मेरी ननद ने माचिस की तिल्ली जलाई थी और उसे मेरे ऊपर फैंक दिया जिस कारण मुझे तुरंत आग पकड़ गई । मैं नीचे आई और बेहोश हो गई तथा इसके पश्चात् मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या घटित हुआ । मैं अपनी सास को अपनी माता की अपेक्षा अत्यधिक प्यार करती थी, परंतु मुझे इस बारे में पता नहीं है कि क्यों वह मेरी शत्रु बन गई थी।"

49. यह केवल तीसरा मृत्यु कालिक कथन है जिसे तारीख 17 जुलाई, 1996 को मृतका द्वारा अपने चाचा (अभि. सा. 8) और पिता (अभि. सा. 2) से मिलने के पश्चात् अभिलिखित कराया गया था कि मीना देवी (मृतका) ने अभियुक्त व्यक्तियों के नामों को प्रकट किया था । मृतका के चाचा श्री जीवन वर्मा (अभि. सा. 8) ने मीना देवी के कथन अभिलिखित करने के लिए डी. सी. शिमला से आवेदन किया था । अभि. सा. 2 ने मीना देवी (मृतका) पर दबाव डाला था कि वह तारीख 10 जुलाई, 1996 से आगे के कारणों को प्रकट करें । अभि. सा. 2 तारीख 10 जुलाई, 1996 से अस्पताल में रहा था । उसकी पुत्री की मृत्यु की तारीख 23 जुलाई, 1996 है । 17 जुलाई, 1996 को केवल यह हुआ था कि मीना देवी ने मृत्युकालिक कथन किया था जिसके द्वारा उसने सुमन, केशर सिंह, तारा देवी और नरेश कुमार को फंसाया था । श्री हरदेई (अभि. सा. 4) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि जब वह आई. जी. एम. सी. शिमला गई तब उसने दाह क्षतियों के बारे में अपनी पुत्री से पूछताछ की । मीना देवी ने उसे यह बताया कि उसे उसकी ननद द्वारा चाय बनाने के लिए भेजा गया था । जब उसने स्टोव जलाया तभी किसी व्यक्ति ने पीछे से उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी । इस प्रकार, तारीख 10 जुलाई, 1996 को उसने इस बात पर अनभिज्ञता प्रकट की है कि किसने उसे आग लगाई थी और उसने इस घटना के बारे में अपनी मां को तारीख 10 जुलाई, 1996 को बताते हुए किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को फंसाया नहीं था । यद्यपि तारीख 11 जुलाई, 1996 को दिए गए अपने

कथन में उसने किसी अभियुक्त व्यक्ति को फंसाया नहीं है तब भी मीना देवी ने श्रीमती कांता देवी (अभि. सा. 1) को अपने आग लगाए जाने की रीति के बारे में बताया नहीं था । श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 6) भी अभियुक्त के मकान पर गई थी । उसके अनुसार, वह अपने देवर तथा ननद को साथ लेकर मीना देवी को अस्पताल ले गई और पूछताछ करने पर मीना देवी ने उस रीति के बारे में व्यापक अवसर प्रकट किए हैं जिसमें उसे तारीख 9 जुलाई, 1996 तथा 17 जुलाई, 1996 के बीच आग लगी थी । इस प्रकार, मृतका ने तीन वृत्तांत दिए हैं जो आग लगने की रीति के बारे में हैं जो वृत्तांत प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.- 2/ख में दिए हैं । वह 10 जुलाई, 1996 को अपनी माता से मिली और तारीख 10 जुलाई, 1996 से उसके पिता उसकी माता के साथ थे । उसके पूर्ववर्ती कथन तारीख 9 जुलाई, 1996 तथा 11 जुलाई, 1996 को अभिलिखित किए गए थे । तीसरा कथन अभि. सा. 20 के कथनानुसार श्री चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, मृतका के पिता, चाचा और राकेश तेजपाल के द्वारा उसे सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

50. इस मामले में श्री राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5) की भूमिका भी संदेहास्पद है । वह आई. जी. एम. सी. में क्या कर रहा था, स्पष्ट नहीं है । श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त तारा देवी, रतन लाल और नरेश कुमार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मीना देवी को हर तरह की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई । उसके कथन में यह प्रकट हुआ है कि किसी व्यक्ति ने मानव अधिकार आयोग पर कार्यालय संदेशवाहक के रूप में होने का दावा किया है और घटना के 10-12 दिन पश्चात् उसके मकान पर गया था तथा पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कथन करने के लिए मृतका को राजी करने की कोशिश की । उसने उससे दहेज की मांग और तंग किए जाने तथा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मृतका मीना देवी को आग लगाए जाने के बारे में आरोप लगाने के लिए आग्रह किया था । उसने उसकी इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया । श्री राकेश तेजपाल (अभि. सा. 5) ने यह भी स्वीकार किया है कि विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडी के समक्ष अभियुक्तों की जमानत मंजूर किए जाने के विरुद्ध आक्षेप याचिका फाइल

की थी । उसके अनुसार, सिविल लिबर्टीज और ह्यूमेन राइट संघ एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे भारतीय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उसे जनरल हाउस आफ सोसायटी में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया था । उसके अनुसार, उसने उपरोक्त संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपनी हैसियत के समर्थन में पुलिस के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है क्योंकि पुलिस ने कभी भी उससे इस बारे में नहीं पूछा । उसने यह भी कथन किया है कि संगठनात्मक खर्चे प्राइवेट सदस्यों के अंशदानों और लोगों के चंदे से पूरे किए गए थे । उसके अनुसार, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् मृतका के पिता ने सहायता के लिए उनसे समावेदन किया और उन्होंने पीड़िता पक्षकार से कुछ भी प्रभार नहीं लिए थे । श्री राकेश तेजपाल ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख में भी हस्ताक्षर किया था । डा. रजत गुप्ता (अभि. सा. 20) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख चन्द्रमणी (अभि. सा. 2) और श्री रेवती लाल नामक व्यक्ति की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । तथापि, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि मीना देवी का कथन उसकी मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था । इसमें ऊपर किए गए मताभिव्यक्तियों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मीना देवी द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-2/ख के माध्यम से किया गया तीसरा मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त केशर सिंह, सोमा देवी और नर्बदा देवी मकान के बाहर मौजूद थे और उन्होंने पानी डालकर तथा रजाईयों की मदद से भी आग बुझाई । इसके पश्चात्, मृतका को अभियुक्त द्वारा आई. जी. एम. सी. शिमला ले जाया गया था । अभियुक्त के उक्त आचरण को भी विचार में लिया जाना चाहिए । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-22/ङ के अनुसार यद्यपि मृतका की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों तथा जले हुए दुपट्टे के टुकड़ों पर मिट्टी के तेल का पाए जाने का पता लगा है परंतु मृतका की जली हुई सलवार तथा कमीज में किसी तरह के मिट्टी के तेल नहीं पाया गया था । इससे अभियोजन वृत्तांत संदेहपूर्ण भी हो जाता है ।

51. **गुजरात राज्य** बनाम **खुमानसिंह करसन सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1641.

से सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना का संकेत मिलता है तथा अभियुक्त के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण मिथ्या अंतर्वलन पाया गया है, ऐसे असंगत मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं । इस मामले में प्रथम मृत्युकालिक कथन पर सास को फंसाया गया था, तथापि, पश्चात्वर्ती मृत्युकालिक कथन पिता से मिलने के पश्चात् किया गया था जिस पर पति को भी फंसाया गया था । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "2. इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि मृतका के एक ओर अपने पति तथा दूसरी ओर अपनी सास से तनावपूर्ण संबंध थे तथा उसने अहमदाबाद स्थित ज्योति संघ पर एक आवेदन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का अभिकथन करते हुए प्रस्तुत किया था । इस मामले के ब्यौरे पर विचार करना आवश्यक नहीं है किंतु यह कहना पर्याप्त है कि घटना से पूर्व आपसी संबंध तनावपूर्ण थे । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 4 जुलाई, 1976 की प्रातः जब मृतका रसोई घर पर काम करने के लिए खड़ी थी तो उसकी सास ने एक छोटे से लैंप से उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । प्रथम मृत्युकालिक कथन में उसने यह कथन किया है कि उसका पति घर में सोया हुआ था । निचले न्यायालयों ने प्रथम मृत्युकालिक कथन और पश्चात्वर्ती दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता को ध्यान में रखते हुए सम्पुष्टि पर विचार किया । निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त मृत्युकालिक कथनों की असंगतता तथा मृतका और उसकी सास के बीच मन-मुटाव को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं था कि किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से आश्वासन मिले बिना उसके मृत्युकालिक कथन का विवक्षित रूप से अवलंब लें । उच्च न्यायालय ने जहां तक प्रथम मृत्युकालिक कथन प्रदर्श 54 का संबंध है, कई कमियों को इंगित किया है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया था कि दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना होने की अनदेखी नहीं की जा सकती । उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त तीनों मृत्युकालिक कथनों पर एकमात्र दोषसिद्धि का आधार मान लेना असुरक्षित समझा है ।
>
> 3. हम यह नहीं समझते हैं कि निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया मत इतना गलत है जिस पर इस न्यायालय द्वारा संविधान के

अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करके हस्तक्षेप करना अपेक्षित होगा । इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रथम मृत्युकालिक कथन और पश्चात्वर्ती दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता है जिससे उसे सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना प्रकट होती है । यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मृतका और उसकी सास के बीच मन-मुटाव होने के कारण तनावपूर्ण संबंध थे । मिथ्या रूप से अंतर्वलित किए जाने की संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती है और इसलिए उच्च न्यायालय ने यह सोचा है कि सम्पुष्ट साक्ष्य के अभाव में मृत्युकालिक कथनों की असंगतता पर मुख्यतया अवलंब लेना असुरक्षित है । हम नहीं सोचते हैं कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन हमारा हस्तक्षेप करना उचित है । इसलिए, अपील असफल है और इसे खारिज किया जाता है । जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं ।"

52. **रंजीत सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि मृत्युकालिक कथन पूर्णतया विश्वसनीय है तो मात्र उसके आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यह भी सुपरिचित है कि ऐसे किसी मामले में जहां मृत्युकालिक कथनों में विसंगतियां हैं जो एक अभियुक्त या अन्य अभियुक्तों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका से संबंधित है तब विद्यमान न्यायालय दूसरे मृत्युकालिक कथन की अपेक्षा प्रथम मृत्युकालिक कथन की ओर अधिक ध्यान देगा ।

53. वर्तमान मामले में मृतका ने दो मृत्युकालिक कथन जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-11/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-9/ख में किए गए हैं, अभियुक्त को फंसाया नहीं है और इस प्रकार, हम मृतका द्वारा पहले किए गए दो मृत्युकालिक कथनों की ओर अधिक ध्यान देते हैं । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"13. यह सुस्थापित है कि यदि मृत्युकालिक कथन पूर्णतया विश्वसनीय है तब मृत्युकालिक कथन के एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है परंतु ऐसी दशा में जहां सत्यता के बारे में कोई संदेह विद्यमान है या उक्त मृत्युकालिक कथन से अन्यथा

---

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 130.

न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय के निष्कर्ष पर पहुंचता है तब उन्हें साक्ष्य की सम्पुष्टि की ओर विचार करेगा । यह भी सुविज्ञ है कि ऐसे किसी मामले में जहां मृत्युकालिक कथन में विसंगतियां हैं जो एक या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका से संबंधित है तब विद्यमान न्यायालय दूसरे मृत्युकालिक कथन की अपेक्षा प्रथम मृत्युकालिक कथन की ओर ध्यान देगा ।'

54. **मेहबूब साहब अब्बासाबी नदाफ** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने ऐसे मामले में जहां मृतका द्वारा चार मृत्युकालिक कथन किए गए थे, उन पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन मामलों में इन्हें लागू करने के लिए सावधानी अपेक्षित है । माननीय न्यायमूर्तियों ने जो कुछ अभिनिर्धारित किया है इस प्रकार है :–

"6. निर्विवादतः मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है परंतु इससे पूर्व उस पर यह कार्य किया जा सकता है कि ऐसा कथन स्वैच्छिक और सच्चाई से किया जाना चाहिए । मृत्युकालिक कथन की संगतता उसका पूर्णतया अवलंब लेने के लिए सुसंगत कारक है । इस मामले में मृतका ने स्वयं भिन्न-भिन्न मृत्युकालिक कथनों में विभेदकारी और असंगत आधार व्यक्त किया है । इसलिए उन्हें उनके महत्व को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । इस निमित्त उन्हें लागू करने के लिए सावधानी अपेक्षित है ।"

55. **पूरन चंद** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हों तब उन मृत्युकालिक कथनों में स्वाभाविक विभेद अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा एकमात्र रूप से समर्थन दिया गया है, उसे स्वीकार किया जा सकता है जबकि अन्य अहानिकर मृत्युकालिक कथन अस्वीकार कर दिए गए हों । न्यायमूर्तियों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी प्रवृत्ति अत्यधिक खतरनाक होगी । न्यायमूर्तियों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"15. निचले न्यायालयों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए

---

[1] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2666.

[2] (2010) 6 एस. सी. सी. 506.

जब वे मृत्युकालिक कथन पर विचार कर रहे हों क्योंकि इसका बनाने वाला प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं होता है जो अभियुक्त व्यक्तियों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है । मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण अपनाए जाना अत्यधिक खतरनाक होता है । न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करनी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि क्या मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक और सच्चाई पूर्ण है, मस्तिष्क की सचेत दशा में किया गया हो तथा मौजूद नातेदारों द्वारा या अन्वेषण अभिकरण के प्रभाव के बिना हो जो अन्वेषण की सफलता में हितबद्ध हो सकते हैं या मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करते समय उपेक्षा बरत सकते हों । कई अवसरों पर ऐसा हुआ है कि कोई जवान लड़की या पत्नी जो मृत्युकालिक कथन कर रही है, इस धारणा के अधीन रह सकती है कि वह अपने पति के साथ सुखद पूर्ण वैवाहिक जीवन में शांतिपूर्वक और प्रसन्नता से अपना जीवन बिताती और इसलिए, तंग करने वाले सास-ससुर या अन्य नातेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति रहती है ।

16. कई बार नातेदार मृत्युकालिक कथन के बारे में अन्वेषण अभिकरण को प्रभावित करते हैं । अन्वेषक अभिकरणों द्वारा मृत्युकालिक कथनों को बहुत कर्तव्यनिष्ठता के साथ अभिलिखित किया जाना चाहिए और न्यायालय को उस समय पर सभी उपस्थित परिस्थितियों की सक्रियता को ध्यान में रखना चाहिए जब मृत्युकालिक कथन किया जाता है । जब एक मृत्युकालिक कथन से अधिक मृत्युकालिक कथन किए गए हैं तब उन मृत्युकालिक कथनों में आंतरिक विभेदों का अत्यधिक महत्व है । यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा समर्थन किया गया है, स्वीकार किया जा सकता है जबकि अन्य अहानिकारक मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार किया जाता है । ऐसी प्रवृत्ति अत्यधिक खतरनाक होगी । तथापि, निचले न्यायालय मृत्युकालिक कथनों पर कार्य करने के लिए पूरी तरह हकदार हैं और उन्हें दोषसिद्धि का आधार बना सकते हैं जहां मृत्युकालिक कथन सभी उपरोक्त कसौटियों पर खरे उतरते हैं ।

17. पुनः, यह अत्यधिक कठिन है कि मात्र इस कारण के मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करना कि उसमें कुछ तथ्यात्मक

गलतियां की गई हैं । न्यायालय को हमेशा सभी उपस्थित परिस्थियों को महत्व देना चाहिए और इस बारे में स्वतंत्र निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या मृत्युकालिक कथन उचित रूप से अभिलिखित किया गया था और क्या यह स्वैच्छिक और सच्चाई पूर्ण है । एक बार जब न्यायालय इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन इस तरह अभिलिखित किया गया है कि इस पर कार्य किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है । न्यायालयों को इस बात को अपने विवेक में रखना चाहिए कि प्रत्येक दांडिक विचारण एक व्यक्तिगत पहलू है । यह अन्य विचारणों से किसी भी रीति में या किसी दूसरे संबंध में भिन्न हो सकता है और इसलिए, मृत्युकालिक कथन के विधि पर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से दूर रहना चाहिए । हमें अपने विवेक में रखे गए सभी इन कारकों पर मृत्युकालिक कथन की परख करनी चाहिए और हमारा यह समाधान होना चाहिए कि विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय का इस मृत्युकालिक कथन की स्वीकारिता के बारे में पूरी तरह समाधान हुआ है ।

18. अब विधि इस बारे में सुस्थापित है कि मृत्युकालिक कथन जो स्वैच्छिक और सच्चाई पूर्ण पाया जाता है और जो किन्हीं संदेहों से स्वतंत्र है अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार हो सकता है । इस न्यायालय ने श्याम शंकर कंकारिया **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2006) 13 एस. सी. सी. 165] वाले मामले में निम्नलिखित मामलों के समूह के मत को अपनाया है जहां मृत्युकालिक कथन को शासित करने वाले सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं –

(i) पानिबेन **बनाम** गुजरात राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 474 ;

(ii) मुन्नु राजा **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1976) 3 एस. सी. सी. 104 ;

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** राम सागर यादव (1985) 1 एस. सी. सी. 552 ;

(iv) रामावती देवी **बनाम** बिहार राज्य (1983) 1 एस. सी. सी. 211 ;

(v) के. रामाचन्द्रा रेड्डी **बनाम** लोक अभियोजक (1976) 3 एस. सी. सी. 618 ;

(vi) राशीद बेग **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 264 ;

(vii) काके सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1981) सप्ली. एस. सी. सी. 25 ;

(viii) राम मनोरथ **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 654 ;

(ix) महाराष्ट्र राज्य **बनाम** कृष्णामूर्ति लक्ष्मीपति नायडु (1980) सप्ली. एस. सी. सी. 455 ;

(x) सूरजदेव ओझा **बनाम** बिहार राज्य (1980) सप्ली. एस. सी. सी. 769 ;

(xi) नन्हाऊ राम **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 152 ;

(xii) उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** मदन मोहन (1989) 3 एस. सी. सी. 390 ;

(xiii) मोहनलाल गंगाराम गेहानी **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1982) 1 एस. सी. सी. 700.

19. पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 12 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युकालिक कथन केवल बिना परख किए हुए साक्ष्य का टुकड़ा है और इसे किसी दूसरे साक्ष्य की भांति न्यायालय का समाधान करना चाहिए कि इसमें जो कुछ कथन किया गया है वह विशुद्ध रूप से सत्य है और इस पर कार्य करने के लिए पूर्णतया सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । इस न्यायालय ने आगे यह भी दोहराया है कि यदि सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय का यह समाधान हुआ है कि ऐसा मृत्युकालिक कथन बिना किसी प्रयास के सत्य और स्वतंत्र रूप से किया गया है जिससे मृतक को मिथ्या कथन करने के लिए प्रेरित न किया गया हो और यदि यह संगत है तो दोषसिद्धि के आधार के रूप में इसे लिए जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है यद्यपि, इसकी किसी तरह भी सम्पुष्टि नहीं हुई है । इस निमित्त इस न्यायालय ने गंगोत्री सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1993) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 327]; गोवर्धन राउजी घ्यारे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1993) सप्ली. 4 एस. सी. सी. 316]; मीसला

रामाकृष्ण **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 182] और राजस्थान राज्य **बनाम** किशोर [(1996) 8 एस. सी. सी. 217] वाले मामलों के प्रतिनिर्दिष्ट किया है । हम अधिकथित विधि के साथ ससम्मान सहमत हैं और शीघ्रता से यह उल्लेख करते हैं कि वर्तमान मामले में संतोष का मृत्युकालिक कथन हमारे समक्ष ऊपर निर्दिष्ट सभी कसौटियों पर खरा उतरता है ।"

56. **अतबीर** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने संक्षेप में मृत्युकालिक कथन के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों का सार दिया है :–

"22. उपरोक्त विनिश्चयों का विश्लेषण करने से स्पष्ट रूप से यह दर्शित हुआ है कि –

(i) मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि यह न्यायालय को पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है ।

(ii) न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि मृतक कथन करने के समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में था और वह सिखाने-पढ़ाने या कल्पना का परिणाम नहीं था ।

(iii) जहां न्यायालय का यह समाधान हुआ है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वेच्छापूर्वक दिया गया है तब ऐसे कथन बिना किसी सम्पुष्टि के भी दोषसिद्धि का आधार हो सकता है ।

(iv) यह अधिकथित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस बारे में विधि का एक पूर्ण नियम है कि मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है जब तक कि इसकी सम्पुष्टि न हो जाए । नियम में सम्पुष्टि की अपेक्षा की गई है जो केवल प्रज्ञा का नियम है ।

(v) जहां मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद है तब इस पर बिना साक्ष्य के सम्पुष्टि की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ।

(vi) मृत्युकालिक कथन जो कमियों से ग्रसित है जैसाकि

---

[1] (2010) 9 एस. सी. सी. 1.

मृतक बेहोश था और कभी भी कोई भी कथन नहीं कर सका, दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

(vii) मृत्युकालिक कथन को मात्र इस कारण से कि उसमें घटना के बारे में सभी ब्यौरे अंतर्विष्ट नहीं हैं, अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

(viii) यद्यपि, यह एक संक्षिप्त कथन है, इसको त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(ix) जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से यह पुष्टि होती है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति और होशो-हवास में नहीं था तब चिकित्सा राय अभिभावी नहीं हो सकती ।

(x) यदि सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मृतक को मिथ्या कथन करने के लिए प्रेरित करने के किसी प्रयास से वह स्वतंत्र है और सत्य है और यदि कथन संगत है तब दोषसिद्धि का आधार मानने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं होगी । यद्यपि ऐसे मृत्युकालिक कथन की कोई सम्पुष्टि नहीं की गई हो ।'

57. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम विचारण न्यायालय के निर्णय पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इसलिए, अपील खारिज की जाती है जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाने का आदेश किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सिधुमल

तारीख 23 अगस्त, 2012

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420 – छल और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने का उत्प्रेरण – नकली सोने का बेचा जाना – जहां अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि अभियुक्त द्वारा नकली सोने के बेचे जाने का कार्य आपराधिक मनःस्थिति, जानबूझकर और आशयपूर्वक किया था, वहां अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में उक्त धारा के अधीन दंडित किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन, जैसाकि अभियोजन साक्षियों द्वारा कहा गया है, यह है कि शिकायतकर्ता कुलदीप कुमार सब्जी की दुकान चलाता था जबकि अभियुक्त मेहरे बाजार, तहसील बरसर, जिला हमीरपुर में पंसारी की दुकान चलाता था । वे एक-दूसरे की दुकान में आया-जाया करते थे । एक दिन अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से यह निवेदन किया कि कोई श्रमिक उसके संपर्क में आया है और उसने बताया है कि खोदने के दौरान उसने 2.5 किलोग्राम सोने के बिस्कुट पाए हैं और यदि अभियुक्त इसे खरीदने का आशय रखता है तो वह सस्ते दामों पर उसे बेच देगा । इस पर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया । उन दोनों ने उक्त श्रमिक से सोने के बिस्कुट खरीदने का आशय व्यक्त किया । तारीख 13 मई, 2001 को शिकायतकर्ता ने 1,10,000/- रुपए की रकम निकाली और अमरनाथ से 40,000/- रुपए की रकम ली और अभियुक्त ने पैसों का भी प्रबंध किया और उन दोनों ने गाड़ी किराए पर ली और इसके लिए उन दोनों ने बराबर रकम का संदाय किया और तलमेहरा जिला ऊना की ओर गए । जब वे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुबारकपुर से गुजरे और आटा चक्की के नजदीक भंजाल पर पहुंचे गाड़ी वहां पर रुकी अभियुक्त नीचे उतरा और लगभग 10 मिनट तक शिकायतकर्ता से इंतजार करने के लिए कहा । कुछ समय के पश्चात् अभियुक्त अपने हाथों में 2 बैग लेकर वापस

लौटा । एक उसके द्वारा रखा गया था और दूसरा उसने शिकायतकर्ता को दे दिया । उन दोनों ने अभिकथित सोने की रकम चुकाई थी । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के माध्यम से रकम चुकाई थी । इसके पश्चात् दोनों अपने-अपने स्थानों को वापस चले गए । शिकायतकर्ता ने अपने निवास स्थान पर सोने के बिस्कुट के थैले को रखा और अपने कारोबार के संबंध में कुल्लू की ओर गया और तब 20 दिनों के पश्चात् वापस लौटा । इसके पश्चात् ग्राम बदनी में सुनार को दिखाने के लिए नमूने के रूप में एक बिस्कुट निकाला जिसने यह बताया कि यह सोना नहीं है बल्कि बिस्कुट पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है । इसके पश्चात् वह मेहरे बाजार में सुनार के पास एक दूसरे बिस्कुट को लेकर गया और एक दूसरे सुनार को दिखाया । उसने भी वही बात कही कि उक्त बिस्कुट सोने का बिस्कुट नहीं है जबकि उक्त घटना को लगभग 2 महीने बीत चुके थे । अभियुक्त के बारे में उस नमूने का परीक्षण कराया जाना कहा गया है और जिसके बारे में विशुद्ध सोना होने की बात कही गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया । तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए उसे आरोप पत्रित किया गया । विचारण के अंत में अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि का कारावास तथा 1000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश देकर दोषसिद्ध किया गया । इससे व्यथित होकर अभियुक्त ने सेशन न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की जिसका विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा विनिश्चय किया गया । पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में अनियमित विलंब हुआ और यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त को किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था और सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार के कथनों का भी उल्लेख किया कि जिला ऊना में उस दौरान कुछ व्यक्ति कपटपूर्वक सोना बेचने में अंतर्वलित थे और इसी तरह ग्राम छकमोह में एक व्यक्ति किशन चन्द को इसी तरह एक व्यक्ति ने धोखा दिया था और इस प्रकार, दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त कर दिया गया और अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में प्रकट हुआ विलंब इस मामले में अत्यधिक घातक है । परिस्थितियां जो इस मामले में प्रकट हुई हैं, उनसे यह तथ्य उपदर्शित हुआ है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों के साथ धोखा किया गया था चूंकि शिकायतकर्ता ने सोना खरीदने के लिए पर्याप्त रकम खर्च की थी, इस प्रकार उसने अपनी रकम वापस लेने के लिए अभियुक्त से आग्रह किया था क्योंकि वह उक्त खरीदारी करने के लिए उसे लुभाया गया था परंतु साथ ही साथ उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने भी सोने का क्रय किया था जिसके लिए उसने रकम का संदाय किया था और जब वे घटनास्थल से वापस लौटे तब अभियुक्त द्वारा खरीदी गई सामग्री उसके द्वारा उस स्थान से लिया गया जहां एक दूसरा थैला जो उसे सौंपा गया था शिकायतकर्ता द्वारा उसे घर लाया गया था । उसने इस समाचार को भी स्वीकार किया कि जो समाचार पत्रों में प्रकट हुई थी, कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा धोखे से सोने को बेचने के संबंध में थी । उसने आगे यह कथन किया है कि ग्राम री का प्रेमदास व्यक्ति और ग्राम छकमोह का किशन चन्द नामक व्यक्ति को इसी तरह किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था । कर्मचन्द ने यह कथन किया है कि जब शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किए कि वह अभियुक्त था और अभियुक्त ही सोना खरीदने के लिए शिकायतकर्ता को ले गया था, उस समय अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से ऐसा ही अभिकथन किया था कि उसे भी धोखा दिया गया है । अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कि उसने यह स्वीकार किया है कि किसी विचित्र व्यक्ति द्वारा उन दोनों को धोखा दिया गया था जिसके अते-पते के बारे में उन्हें ज्ञात नहीं है । इस तथ्य की देशराज द्वारा भी सम्पुष्टि हुई है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी उसने यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे यह बताया था कि वह अभियुक्त के साथ उस व्यक्ति के पास गए थे जिससे उन्होंने अभिकथित सोने का क्रय किया था । अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों व्यक्तियों को किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था जिससे उन्होंने सोना क्रय किया था । अन्वेषक अधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोई गैंग जिला ऊना में धोखे से सोना बेचने का धंधा कर रहा था और कई व्यक्ति उनके धोखे का शिकार हुए थे । यह तथ्य साबित किया गया है कि अभियुक्त ने बैंक से कुछ पैसा निकालने के पश्चात् सोने का क्रय करने के लिए 1 लाख रुपए की रकम का संदाय भी किया था । उसने स्टेट बैंक आफ पटियाला

के कर्मचारी विनोद कुमार प्रतिरक्षा साक्षी 1 की परीक्षा कराई । उसने पैसा निकालने की रसीद को साबित किया । अन्वेषण के दौरान भी अभिकथित सोना जिसे अभियुक्त द्वारा क्रय किया गया था, उसके द्वारा पुलिस के समक्ष भी पेश किया गया । इसलिए न्यायालय की राय में, साक्ष्य में प्रकट होने वाले उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त ने परिवादी को कूटरचित सोना बेचकर असम्यक् फायदा प्राप्त करने के लिए नहीं लुभाया था या उसका पता लगाया था या परिवादी द्वारा यथाप्रायोजित अपराध कार्य प्रणाली अपनाकर कभी चालाकी की थी जो साक्ष्य में प्रकट हुआ है न्यायालय की यह राय है कि वह अभियुक्त ही नहीं था जिसे लुभाया गया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के उद्देश्य से दिया गया साक्ष्य संदेह के परे साबित होना चाहिए तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति होनी चाहिए । इस मामले में अभियोजन जानबूझकर और साशय कार्य को साबित करने में विफल हुआ है । (पैरा 9, 10 और 11)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 82.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. एस. बानयाल, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – मामले को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

2. राज्य ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) हमीरपुर द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए प्रत्यर्थी (इसमें इसके पश्चात् 'अभियुक्त' कहा गया है) की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया है ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभियोजन साक्षियों द्वारा कहा गया है यह है कि शिकायतकर्ता कुलदीप कुमार (अभि. सा. 1) सब्जी की दुकान चलाता था जबकि अभियुक्त मेहरे बाजार, तहसील बरसर, जिला हमीरपुर पर पंसारी की दुकान चलाता था । वे एक-दूसरे की दुकान में आया-जाया करते थे । एक दिन अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से यह निवेदन किया कि कोई श्रमिक उसके संपर्क में आया है और उसने बताया

है कि खोदने के दौरान उसने 2.5 किलोग्राम सोने के बिस्कुट पाए हैं और यदि अभियुक्त इसे खरीदने का आशय रखता है तो वह सस्ते दामों पर उसे बेच देगा । इस पर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया । उन दोनों ने उक्त श्रमिक से सोने के बिस्कुट खरीदने का आशय व्यक्त किया ।

4. तारीख 13 मई, 2001 को शिकायतकर्ता ने 1,10,000/- रुपए की रकम निकाली और अमरनाथ (अभि. सा. 5) से 40,000/- रुपए की रकम ली और अभियुक्त ने पैसों का भी प्रबंध किया और उन दोनों ने गाड़ी किराए पर ली और इसके लिए उन दोनों ने बराबर रकम का संदाय किया और तलमेहरा जिला ऊना की ओर गए । जब वे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुबारकपुर से गुजरे और आटा चक्की के नजदीक भंजाल पर पहुंचे गाड़ी वहां पर रुकी अभियुक्त नीचे उतरा और लगभग 10 मिनट तक शिकायतकर्ता से इंतजार करने के लिए कहा । कुछ समय के पश्चात् अभियुक्त अपने हाथों में 2 बैग लेकर वापस लौटा । एक उसके द्वारा रखा गया था और दूसरा उसने शिकायतकर्ता को दे दिया । उन दोनों ने अभिकथित सोने की रकम चुकाई थी । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के माध्यम से रकम चुकाई थी । इसके पश्चात् दोनों अपने-अपने स्थानों को वापस चले गए । शिकायतकर्ता ने अपने निवास स्थान पर सोने के बिस्कुट के थैले को रखा और अपने कारोबार के संबंध में कुल्लू की ओर गया और तब 20 दिनों के पश्चात् वापस लौटा । इसके पश्चात् ग्राम बदनी में सुनार को दिखाने के लिए नमूने के रूप में एक बिस्कुट निकाला जिसने यह बताया कि यह सोना नहीं है बल्कि बिस्कुट पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है । इसके पश्चात् वह मेहरे बाजार में सुनार के पास एक दूसरे बिस्कुट को लेकर गया और एक दूसरे सुनार को दिखाया । उसने भी वही बात कही कि उक्त बिस्कुट सोने का बिस्कुट नहीं है जबकि उक्त घटना को घटे हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे । अभियुक्त के बारे में उस नमूने का परीक्षण कराया जाना कहा गया है और जिसके बारे में विशुद्ध सोना होने की बात कही गई थी ।

5. शिकायतकर्ता की जानकारी में यह बात आई कि उससे धोखा किया गया है और उसने अभियुक्त से संपर्क किया । उसने उसे बताया कि उसे गाड़ी किराए पर करनी चाहिए और होशियारपुर जाना चाहिए । इसी बीच में, वह उस व्यक्ति से मिलने आ रहा था और वे उस व्यक्ति से पैसा वापस मांगना चाह रहे थे जिससे उन्होंने उक्त सोने के बिस्कुट खरीदे थे परंतु अभियुक्त उसके साथ नहीं गया । इसके पश्चात् उसने बाजार के

दुकानदारों से संपर्क किया और उक्त घटना के बारे में उनसे शिकायत की । उन्होंने अभियुक्त से उसकी रकम वापस करने का भी आग्रह किया किंतु यह प्रयास व्यर्थ रहा और अंत में उसने पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क दर्ज की थी तथा 1.480 किलोग्राम भार के सोने के बिस्कुट भी पेश किए थे । उसे पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से अपने कब्जे में लिया था ।

6. अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को यह बताया कि उसे भी धोखा दिया गया था और अभिकथित सोने की 1.95 किलोग्राम मात्रा पेश की जो उसके द्वारा खरीदा गया था । पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क के माध्यम से उसे कब्जे में लिया गया । दोनों अभिकथित सोना जिसे शिकायतकर्ता द्वारा पेश किया गया और दूसरा अभियुक्त द्वारा पेश किया गया उन्हें मोहरबंद किया गया तथा परीक्षा के लिए केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, चंडीगढ़ भेजा गया । इसकी परीक्षा करने पर (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ड) यह राय व्यक्त की गई कि परीक्षा करने के लिए भेजी गई सामग्री सोना नहीं है बल्कि पीतल है ।

7. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए उसे आरोप पत्रित किया गया था । विचारण के अंत में, अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि का कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश देकर दोषसिद्ध किया गया ।

8. इस बात से व्यथित होकर उसने सेशन न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की जिसका विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा विनिश्चय किया गया । पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में अनियमित विलंब हुआ था और यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त को किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था और सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार के कथनों का भी उल्लेख किया कि जिला ऊना में उस दौरान कुछ व्यक्ति कपटपूर्वक सोना बेचने में अंतर्वलित थे और इसी तरह ग्राम छकमोह में एक व्यक्ति किशन चन्द को इसी तरह एक व्यक्ति ने धोखा दिया और इस प्रकार, दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त

कर दिया गया और अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई ।

9. साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता हूं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में प्रकट हुआ विलंब इस मामले में अत्यधिक घातक है । परिस्थितियां जो इस मामले में प्रकट हुई हैं, उनसे यह तथ्य उपदर्शित हुआ है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों के साथ धोखा किया गया था चूंकि शिकायतकर्ता ने सोना खरीदने के लिए पर्याप्त रकम खर्च की थी, इस प्रकार उसने अपनी रकम वापस लेने के लिए अभियुक्त से आग्रह किया था क्योंकि वह उक्त खरीदारी करने के लिए उसे लुभाया गया था परंतु साथ ही साथ उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने भी सोने का क्रय किया था जिसके लिए उसने रकम का संदाय किया था और जब वे घटनास्थल से वापस लौटे तब अभियुक्त द्वारा खरीदी गई सामग्री उसके द्वारा उस स्थान से लिया गया जहां एक दूसरा थैला जो उसे सौंपा गया था शिकायतकर्ता द्वारा उसे घर लाया गया था । उसने इस समाचार को भी स्वीकार किया कि जो समाचार पत्रों में प्रकट हुई थी, कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा धोखे से सोने को बेचने के संबंध में थी । उसने आगे यह कथन किया है कि ग्राम री का प्रेमदास व्यक्ति और ग्राम छकमोह का किशन चन्द नामक व्यक्ति को इसी तरह किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था ।

10. कर्मचन्द (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि जब शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किए कि वह अभियुक्त था और अभियुक्त ही सोना खरीदने के लिए शिकायतकर्ता को ले गया था, उस समय अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से ऐसा ही अभिकथन किया था कि उसे भी धोखा दिया गया है । अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कि उसने यह स्वीकार किया है कि किसी विचित्र व्यक्ति द्वारा उन दोनों को धोखा दिया गया था जिसके अते-पते के बारे में उन्हें ज्ञात नहीं है । इस तथ्य की देशराज (अभि. सा. 4) द्वारा भी सम्पुष्टि हुई है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी उसने यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे यह बताया था कि वह अभियुक्त के साथ उस व्यक्ति के पास गए थे जिससे उन्होंने अभिकथित सोने का क्रय किया था । अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों व्यक्तियों को किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था जिससे उन्होंने सोना क्रय किया था । अन्वेषक अधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोई गैंग

जिला ऊना में धोखे से सोना बेचने का धंधा कर रहा था और कई व्यक्ति उनके धोखे का शिकार हुए थे ।

11. यह तथ्य साबित किया गया है कि अभियुक्त ने बैंक से कुछ पैसा निकालने के पश्चात् सोने का क्रय करने के लिए 1 लाख रुपए की रकम का संदाय भी किया था । उसने स्टेट बैंक आफ पटियाला के कर्मचारी विनोद कुमार प्रतिरक्षा साक्षी 1 की परीक्षा कराई । उसने पैसा निकालने की रसीद को साबित किया । अन्वेषण के दौरान भी अभिकथित सोना जिसे अभियुक्त द्वारा क्रय किया गया था, उसके द्वारा पुलिस के समक्ष भी पेश किया गया । इसलिए मेरी राय में, साक्ष्य में प्रकट होने वाले उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त ने परिवादी को कूटरचित सोना बेचकर असम्यक् फायदा प्राप्त करने के लिए नहीं लुभाया था या उसका पता लगाया था या परिवादी द्वारा यथाप्रायोजित अपराध कार्य प्रणाली अपनाकर कभी चालाकी की थी जो साक्ष्य में प्रकट हुआ है मेरी यह राय है कि वह अभियुक्त ही नहीं था जिसे लुभाया गया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के उद्देश्य से दिया गया साक्ष्य संदेह के परे साबित होना चाहिए तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति होनी चाहिए । इस मामले में अभियोजन जानबूझकर और साशय कार्य को साबित करने में विफल हुआ है ।

12. इसलिए इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित कर सका है । इस प्रकार, सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में कोई प्रतिकूलता नहीं पाता हूं जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से दोषमुक्ति का निष्कर्ष निकाला गया है । राज्य द्वारा फाइल की गई अपील में कोई सार नहीं है । इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।

13. प्रत्यर्थी को इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है ।

अभिलेख वापस भेजा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

रघुबीर उर्फ **छोटू**

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 3 दिसम्बर, 2012

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498-क – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहने पर कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए किसी भी प्रकार से उकसाया था या सहायता पहुंचायी थी या अभियुक्त द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कार्य मृतका को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की प्रकृति का था, अभियुक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतका मंजू का विवाह तारीख 4 दिसम्बर, 1999 को अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ हुआ था और मृतका अभियुक्त के साथ रह रही थी । मंजू ने तारीख 13 अप्रैल, 2002 को विष खा लिया और अभियुक्त-अपीलार्थी उसे उपचार के लिए अर्धकवारी से ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर लाया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने बडसर जाते हुए मंजू की माता को मंजू द्वारा विष खा लेने के बारे में सूचित किया । मंजू की माता और अन्य व्यक्ति अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उसी यान में ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर गए । मंजू ने अपराह्न में लगभग 9.15 बजे ठाकुर नर्सिंग होम के डा. मोहिन्दर सिंह को एक कथन किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी उसे तंग कर रहा था इसलिए उसने विष की तीन गोलियां खा लीं । मंजू कथन करते हुए बेहोश हो गई और अपराह्न में लगभग 9.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 ने अपराह्न में लगभग 10.20 बजे दूरभाष पर पुलिस को सूचित किया कि मंजू को विष खा लेने के मामले के रूप में उसके क्लीनिक में लाया गया था और उसकी मृत्यु हो गई है । मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मंजू के शव की मरणोत्तर परीक्षा कराई गई और रसायनज्ञ की रिपोर्ट भी अभिप्राप्त की गई । डाक्टर ने यह राय

व्यक्त की कि मंजू की मृत्यु एल्यूमिनियम फास्फाइड खाने से हुई थी । अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में चालान फाइल किया गया । सुपुर्दगी के पश्चात् मामला विचारण के लिए भेजा गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उसने यह अभिवाक् किया कि मृतका की माता को बचाने के लिए उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । मंजू अलसर से पीड़ित थी । वह गर्भ-धारण नहीं कर पा रही थी और इसलिए मानसिक तनाव में थी । विचारण पूर्ण होने पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय ने इस बात पर विश्वास किया है कि कथन, प्रदर्श पीए, मंजू द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व डा. मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) को किया गया कथन है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि मंजू का कथन प्रदर्श पीए पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, उसने पुनः यह कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा लिखा गया था और पुलिस को सौंपा गया था । उसने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में है जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । उसने फिर यह कथन किया कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा अभिलिखित मंजू का कथन है और इसे पुलिस को सौंपा गया था । मंजू उस समय होश में थी जब उसका कथन प्रदर्श पीए अभिलिखित किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा अपने क्लीनिक के एक कर्मचारिवृंद को बोलकर लिखाया गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में नहीं है । प्रदर्श पीए उसके श्रुतलेख पर जीत राम द्वारा लिखा गया था । प्रदर्श पीए की अंतिम पंक्ति तब लिखी गई थी जब मंजू बेहोश हो गई थी और मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि उसने मंजू की नाड़ी और रक्तचाप की जांच की थी और इन्हें अभिलिखित नहीं किया गया था । नाड़ी मंद थी और यदि किसी रोगी का रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं है और उसकी नाड़ी मंद है तो ऐसी दशा में ऐसे रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय हो जाता है । ऐसी स्थिति में रोगी की मानसिक हालत/स्वास्थ्य उपयुक्त नहीं होता है । प्रदर्श पीबी तारीख 13 अप्रैल, 2002 का मंजू का ओपीडी चार्ट है जिसे अभि. सा. 1 द्वारा साबित किया गया है । प्रदर्श पीबी में आरंभ में यह मत व्यक्त किया गया है कि

नाड़ी मंद है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । प्रदर्श पीबी में अपराह्न में 9.30 बजे यह उल्लेख किया गया है कि नाड़ी नहीं चल रही है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । पुतली बी/एल विस्तृत और स्थिर है । रोगी बच नहीं सकी और तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में 9.30 बजे मृत घोषित की गई । मंजू द्वारा किए गए कथन के बारे में अभि. सा. 1 का बयान दृढ़ नहीं है अपितु लचर है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसका कथन प्रदर्श पीए पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, फिर कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा लिखा गया था । अभि. सा. 1 ने आगे यह कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा बोलकर लिखाया गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में नहीं लिखा गया था । प्रदर्श पीए उसके श्रुतलेख पर जीत राम द्वारा लिखा गया था । जिसने प्रदर्श पीए लिखा था, इसके बारे में अभि. सा. 1 ने भिन्न-भिन्न बयान दिए हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा जीत राम की परीक्षा नहीं कराई गई और न ही उसकी परीक्षा न कराने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया । प्रदर्श पीबी ओ. पी. डी. चार्ट में यह उल्लेख किया गया है कि नाड़ी मंद है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । प्रदर्श पीबी में मंजू के होश के बारे में कोई मत नहीं है । प्रदर्श पीए में डाक्टर का अलग से और विनिर्दिष्ट मत या प्रमाणपत्र नहीं है कि मंजू कथन करने से पहले सही मानसिक हालत में थी या कथन करने की स्थिति में थी । इसके विपरीत, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब किसी रोगी का रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं होता है और उसकी नाड़ी मंद है, तो ऐसी दशा में रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय होता है । ऐसी दशा में रोगी की मानसिक हालत उपयुक्त नहीं होती है । अभि. सा. 2 श्रीराम खन्ना ने यह कथन किया कि मंजू ने यान में उससे बात नहीं की थी । अभियुक्त का पक्षकथन यह है कि मंजू अभि. सा. 1 के क्लीनिक में पहुंचने से पहले ही बेहोश थी । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि मंजू मंद-मंद बात कर रही थी और तुतला रही थी क्योंकि उसकी जीभ और होंठ सूजे हुए थे । अभि. सा. 1 ने भी यह कथन किया है कि प्रदर्श पीए की अंतिम पंक्ति तब लिखी गई थी जब मंजू बेहोश हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी । आरंभिक पंक्ति में यह लिखा है कि प्रदर्श पीए तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में 9.15 बजे आरंभ किया था । छठी पंक्ति में यह उल्लेख है कि मंजू कथन करते हुए बेहोश हो गई थी । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि डाक्टर को मंजू का कथन अभिलिखित करने में एक घंटा लगा था । अभि. सा. 1 ने मंजू का परीक्षण किया था और इस प्रक्रिया में उसके रक्तचाप और

नाड़ी की जांच की थी । यह किसी डाक्टर की किसी नाजुक हालत में रोगी का उपचार करने की सामान्य अनुक्रिया प्रतीत होती है । किसी चिन्ताजनक रोगी के उपचार में लगा डाक्टर स्वयं को ऐसे रोगी का कथन अभिलिखित करने में लगाने के बजाय उसके उपचार पर ध्यान केन्द्रित करेगा । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने मंजू का लगभग 15-20 मिनट उपचार किया था और उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । प्रदर्श पीबी में 9.15 बजे अपराह्न का समय लिखा हुआ है और यह भी उल्लेख किया गया है कि मंजू की मृत्यु 9.30 बजे अपराह्न में हुई । प्रदर्श पीए में भी मंजू की मृत्यु का समय 9.30 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया है । यदि अभि. सा. 1 ने मंजू का 15-20 मिनट उपचार किया था, तब यह बात अति संदेहास्पद हो जाती है कि अभि. सा. 1 ने इस प्रक्रिया के दौरान प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित करने का काम कैसे संभाला । अभि. सा. 1 ने न्यायालय में यह कथन किया कि मंजू उस समय होश में थी जब उसने प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित किया था । अभि. सा. 1 ने कथन में सविस्तार यह उल्लेख नहीं किया है कि क्या प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित करने के समय मंजू अपना कथन करने के लिए उपयुक्त मानसिक हालत में थी । यह बात वर्तमान मामले में सुसंगत है क्योंकि मंजू की 15-20 मिनट के भीतर मृत्यु हो गई थी और उसका रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं था तथा उसकी नाड़ी मंद थी और अभि. सा. 1 ने स्वयं यह कथन किया है कि इस दशा में ऐसे रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय हो जाता है । इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रदर्श पीए एक संदेहास्पद दस्तावेज है और यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रदर्श पीए मंजू का कथन है जो उसके द्वारा उपयुक्त मानसिक हालत में किया गया था । विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पीए का अवलंब लेते समय पूर्वोक्त चर्चा किए गए पहलुओं पर विचार नहीं किया । अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथन मंजू के साथ दुर्व्यवहार करने का है जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या की । अभियोजन पक्ष ने दुर्व्यवहार के बिंदु पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । अभियुक्त द्वारा मंजू के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के कथन साधारण हैं । मंजू की मृत्यु से 6-7 मास पूर्व अभियुक्त द्वारा उसकी पिटाई करने के संबंध में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथन संदिग्ध हैं और उनका पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है । अभियोजन पक्ष अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं लाया है कि तारीख 13 अप्रैल, 2002 से पूर्व मंजू या उसकी ओर से

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंजू के साथ अभियुक्त के दुर्व्यवहार के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकारी से कोई रिपोर्ट की थी । साक्ष्य में यह बात आई है कि मंजू अलसर और पेट के दर्द से पीड़ित थी । वह गर्भवती नहीं हुई थी । मृतका की माता, अभि. सा. 5 आशा देवी ने यह कथन किया है कि मंजू अलसर और गर्भ-धारण नहीं करने के कारण तनाव में थी । साक्ष्य में यह बात आई है कि अभियुक्त मंजू को उपचार के लिए विभिन्न स्थानों पर लेकर गया था । मंजू की बीमारी के प्रति चिंता जाहिर करने के अभियुक्त के सहायताकारी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह बात तर्कसंगत नहीं लगती कि अभियुक्त मृतका मंजू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था । अभियोजन पक्ष ने मंजू द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाने या सहायता करने में अपीलार्थी के सकारात्मक कार्य को साबित नहीं किया है । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि मंजू ने अभियुक्त के आचरण के बारे में अंतिम शिकायत अपनी मृत्यु से एक मास पूर्व की थी । इस प्रकार, तारीख 13 अप्रैल, 2002 को या इससे पूर्व ऐसा क्या घटित हुआ जिसने मंजू को अपने जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित किया, स्पष्ट नहीं है । जब मंजू का विवाह हुआ वह दसवीं कक्षा में थी और पढ़ाई में ठीक थी । अपीलार्थी ने सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है । अपीलार्थी अनियमित कार्य कर रहा था । मंजू अपनी बीमारी और गर्भ-धारण न करने के लिए तनाव में थी । इस संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई कार्य या लोप किए बिना ही मंजू ने स्वयं आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत करने का दुर्भाग्यपूर्ण विनिश्चय किया । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने के लिए साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह के फायदे का हकदार है । (पैरा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 1 एस. सी. सी. 750 :
गांगुला मोहन रेड्डी बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**; 31

[2010] (2010) 8 एस. सी. सी. 628 :
मदन मोहन सिंह बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**; 32

[2010] (2010) 9 एस. सी. सी. 73 :
दुर्गा प्रसाद और एक अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**; 33

[2010] (2010) 12 एस. सी. सी. 190 :
एस. एस. छीना बनाम **विजय कुमार महाजन और एक अन्य** । 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 147.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री टी. एस. चौहान

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रूमा कौशिक, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह – यह अपील 2004/2003 के सेशन विचारण सं. 22-7 में अपर सेशन न्यायाधीश, घुमरविन, जिला बिलासपुर द्वारा तारीख 15/18 मार्च, 2005 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को तारीख 15 मार्च, 2005 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के अधीन दोषसिद्ध और तारीख 18 मार्च, 2005 को उसे दंडादिष्ट करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का आदेश किया गया तथा यह भी मत व्यक्त किया गया कि दोनों अपराधों के लिए दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतका मंजू का विवाह तारीख 4 दिसम्बर, 1999 को अपीलार्थी के साथ हुआ था और मृतका अपीलार्थी के साथ रह रही थी । मंजू ने तारीख 13 अप्रैल, 2002 को विष खा लिया और अपीलार्थी उसे उपचार के लिए अर्धकवारी से ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर लाया । अपीलार्थी ने बडसर जाते हुए मंजू की माता श्रीमती आशा देवी को मंजू द्वारा विष खा लेने के बारे में सूचित किया । श्रीमती आशा देवी (अभि. सा. 5), श्रीराम (अभि. सा. 2), श्रीमती बिमला देवी और बिशन दास (अभि. सा. 3) अपीलार्थी के साथ उसी यान में ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर गए ।

3. अभियोजन का आगे यह पक्षकथन है कि मंजू ने अपराह्न में

लगभग 9.15 बजे ठाकुर नर्सिंग होम के डा. मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) को एक कथन, प्रदर्श पीए किया कि अपीलार्थी उसे तंग कर रहा था इसलिए उसने विष की तीन गोलियां खा लीं । मंजू कथन करते हुए बेहोश हो गई और अपराह्न में लगभग 9.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 ने अपराह्न में लगभग 10.20 बजे दूरभाष पर पुलिस को सूचित किया कि मंजू को विष खा लेने के मामले के रूप में उसके क्लीनिक में लाया गया था और उसकी मृत्यु हो गई है ।

4. अभि. सा. 12 निधि सिंह महिला कांस्टेबल सरस्वती देवी और ड्राइवर मनोज कुमार के साथ ठाकुर नर्सिंग होम गया, जहां अभि. सा. 1 ने उसे कथन, प्रदर्श पीए सौंपा । अभि. सा. 12 ने प्रदर्श पीए पर अपना पृष्ठांकन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/ए किया और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना, तलाई भेजा और उसके उपरांत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए रजिस्ट्रीकृत की गई ।

5. मंजू के शव की मरणोत्तर परीक्षा कराई गई और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/बी अभिप्राप्त की गई और रसायनज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/ए भी अभिप्राप्त की गई । अभि. सा. 7 डा. एस. पी. भांगल ने यह राय व्यक्त की कि मंजू की मृत्यु एल्यूमिनियम फास्फाइड खाने से हुई थी । अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में चालान फाइल किया गया । सुपुर्दगी के पश्चात् मामला विचारण के लिए भेजा गया ।

6. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई । उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया कि मृतका की माता को बचाने के लिए उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । मंजू अलसर से पीड़ित थी । वह गर्भ-धारण नहीं कर पा रही थी और इसलिए मानसिक तनाव में थी । मंजू तारीख 13 अप्रैल, 2002 को 'बैसाखी' मेले में बछरेटू गई थी और वह अपराह्न में 7.30 बजे लौटी थी । मंजू अर्धकवारी में अपीलार्थी की दुकान के सामने बस से उतरी । मंजू ने बताया कि उसका भलाथ में अपनी माता के साथ झगड़ा हो गया था और इसलिए उसने विष खा लिया । मंजू ने अपीलार्थी से उसकी जान बचाने के लिए कहा । अपीलार्थी ने एक टैक्सी किराए पर ली और तलाई

अस्पताल गया, किंतु अस्पताल बंद था । अपीलार्थी मंजू को बडसर ले गया । रास्ते में अपीलार्थी ने मंजू के माता-पिता को सूचित किया कि मंजू ने विष खा लिया है । मंजू की माता और दादी उसी यान में उनके साथ बडसर तक आई । मंजू ठाकुर नर्सिंग होम पहुंचने से पहले ही बडसर के रास्ते में बेहोश हो चुकी थी । डाक्टर ने जांच-पड़ताल करने पर बताया कि मंजू की मृत्यु हो गई है । अपीलार्थी ने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उसने प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा कराई ।

7. विचारण पूर्ण होने पर अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, इसलिए सिद्धदोष द्वारा यह अपील की गई ।

8. पक्षकारों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है । विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा प्रदर्श पीए का गलत रूप से अवलंब लिया गया है । प्रदर्श पीए एक बहुत ही संदेहास्पद दस्तावेज है । मंजू ने विष अपनी माता के साथ झगड़ा होने के कारण खाया था न कि अपीलार्थी की अभिकथित क्रूरता के कारण । मंजू द्वारा की गई आत्महत्या को गलत रूप से अपीलार्थी पर आरोपित किया गया है । मंजू गर्भ-धारण नहीं कर पा रही थी । अपीलार्थी ने कई स्थानों पर उसका उपचार कराया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके गलती की है । अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया । यह दलील दी गई कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख की सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन किया है । अपीलार्थी और मृतका का विवाह तारीख 4 दिसम्बर, 1999 को हुआ था और विवाह के पश्चात् अढ़ाई वर्ष से भी कम अवधि में मंजू ने अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली । अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

9. अभि. सा. 1 डा. मोहिन्दर सिंह ने यह कथन किया कि अभियुक्त तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपनी पत्नी मंजू को चिकित्सीय उपचार के लिए उसके क्लीनिक में लाया था । उसके पूछने पर मंजू ने बताया कि उसने विष की गोलियां खा ली हैं क्योंकि उसे उसके पति द्वारा तंग किया जा रहा था और यातना दी जा रही थी । उसके पश्चात् मंजू बेहोश हो गई और अपराह्न में 9.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई । उसने दूरभाष पर पुलिस

को सूचित किया । उसने कहा कि पुलिस द्वारा उसका कथन प्रदर्श पीए अभिलिखित किया गया था, उसने पुनः यह कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा लिखा गया था और पुलिस को सौंपा गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में है जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित है । इस साक्षी ने फिर यह कहा कि प्रदर्श पीए मंजू का कथन है जो उसके द्वारा अभिलिखित किया गया था और पुलिस को सौंपा गया था । मंजू उस समय होश में थी जब उसका कथन प्रदर्श पीए अभिलिखित किया गया था । उसने यह कथन ठीक प्रकार से अभिलिखित किया था ।

10. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपने नर्सिंग होम में रोगी का अभिलेख बनाए रखा था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा को आस्थगित किया गया था और उसकी पुनः प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने यह कथन किया कि वह अभिलेख नहीं लाया है क्योंकि उसे नष्ट कर दिया गया है । मंजू का पति और एक अन्य व्यक्ति जिसे ड्राइवर बताया गया था मंजू के साथ थे । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसने रोगी की नाड़ी और रक्तचाप की जांच की थी । रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया था । नाड़ी मन्द थी । अभि. सा. 1 ने यह कहा कि यदि किसी रोगी का रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं है और उसकी नाड़ी मन्द है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय हो जाता है । ऐसी स्थिति में रोगी की मानसिक दशा/स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है । अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा उसके क्लीनिक के एक कर्मचारिवृंद को बोलकर लिखाया गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में नहीं लिखा गया है । प्रदर्श पीए उसके श्रुतलेख के आधार पर जीत राम द्वारा लिखा गया था । पुलिस उसके क्लीनिक पर पूर्वाह्न में लगभग 12.00 या 12.30 बजे आई थी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि मंजू पेट के दर्द के उपचार के लिए उसके क्लीनिक पर आती रहती थी । मंजू जठर-शोथ से पीड़ित थी जिसे स्थानीय भाषा में अलसर कहते हैं । अभि. सा. 1 ने इस बात से इनकार किया कि मंजू उस समय बेहोश थी जब उसने उसका उपचार किया था । वह अर्ध-चेतन की दशा में थी । प्रदर्श पीए की अंतिम पंक्ति तब लिखी गई थी जब मंजू बेहोश और उसकी मृत्यु हो गई थी ।

11. अभि. सा. 2 श्रीराम खन्ना मृतका मंजू का दादा है । उसने यह कथन किया है कि मंजू का अभियुक्त के साथ विवाह वर्ष 1999 में हुआ था । मंजू अभि. सा. 2 के भाई के पुत्र की पुत्री थी । उसने यह कथन

किया कि मंजू ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त उसकी पिटाई करता रहता है, यातना देता है और दुर्व्यवहार करता है । तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अभियुक्त एक यान में मंजू के साथ अस्पताल जाते हुए आया । अभियुक्त ने बताया कि मंजू ने विष खा लिया है । यह साक्षी और उसकी पत्नी तथा मंजू की माता आशा देवी और बिशन दास अभियुक्त के साथ ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर गए । वे अपराह्न में लगभग 9.00 बजे नर्सिंग होम पहुंचे । डा. मोहिन्दर सिंह ने उनकी मौजूदगी में मंजू का कथन अभिलिखित किया । मंजू ने अपने विवाह के पश्चात् और वर्तमान घटना से पूर्व पहले भी एक बार विष खा लिया था, किंतु इस साक्षी ने कहा कि उसने विष इसलिए खाया था क्योंकि उसे अभियुक्त द्वारा तंग किया जा रहा था । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि तारीख 13 अप्रैल, 2002 को वे एक ही यान में अस्पताल गए थे जो अभियुक्त द्वारा लाया गया था । डाक्टर ने तत्काल मंजू का कथन अभिलिखित किया था और उसने उस समय कोई उपचार नहीं किया था । मंजू का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् डाक्टर ने उसका उपचार आरंभ किया था । मंजू की मृत्यु कथन करने के पश्चात् अपराह्न में लगभग 9.30 बजे हुई थी । मंजू ने यान में इस साक्षी से बात नहीं की थी ।

12. अभि. सा. 3 बिशन दास ने यह कथन किया है कि मंजू ने विवाह के पश्चात् उसे यह बताया कि उसे अभियुक्त द्वारा तंग किया जा रहा है । मंजू अपनी मृत्यु से लगभग सात मास पहले अपने माता-पिता के के घर आई थी और एक दिन जब यह साक्षी अपने मकान पर जा रहा था तब उसे शोर सुनाई दिया और पीछे की तरफ गया । उसने देखा कि अभियुक्त जूते से मंजू की पिटाई कर रहा था । मंजू की माता आशा भी वहां थी जो मंजू को बचाने की कोशिश कर रही थी ।

13. अभि. सा. 3 ने आगे यह कहा कि अभियुक्त तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में 8.00 बजे मंजू को बाल किशन के मकान पर लाया था । वह, आशा देवी और श्रीराम उसी वैन में अस्पताल गए । डा. मोहिन्दर सिंह ने मंजू का कथन अभिलिखित किया था । मंजू ने विष इसलिए खाया था क्योंकि अभियुक्त द्वारा उसे यातना दी जा रही थी । अभि. सा. 3 ने यह भी कहा कि उसके बाल किशन के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है । उसका अभियुक्त के साथ कोई संबंध नहीं है । मंजू अस्पताल जाते हुए वैन में बातचीत कर रही थी । उनके पूछने पर मंजू ने मंद और तुतलाती हुई आवाज में यह बताया कि उसे अभियुक्त द्वारा तंग किया जा

रहा था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि मंजू उस समय बेहोश थी जब उसे वैन में लाया गया था ।

14. अभि. सा. 4 तरसेम लाल है । उसने यह कथन किया है कि मंजू उसके चचेरे भाई बाल किशन की पुत्री थी । वह उनसे यह बताती रहती थी कि अभियुक्त उसकी पिटाई और तंग करता है । यह साक्षी तारीख 13 अप्रैल, 2002 को हमीरपुर से आया और अपराह्न में 8.45 बजे बडसर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि मंजू ने विष खा लिया है । वह ठाकुर नर्सिंग होम, बडसर गया । उसने देखा कि डा. मनोहर सिंह मंजू का कथन अभिलिखित कर रहा था । उसके बाद मंजू बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई । उसने दिल्ली में बालकिशन को दूरभाष पर सूचना दी ।

15. अभि. सा. 5 श्रीमती आशा देवी मंजू की माता है । उसने यह कथन किया है कि विवाह के पश्चात् अभियुक्त ने मंजू से झगड़ा करना आरंभ कर दिया । यह बात उसे मंजू द्वारा बताई गई थी । अभियुक्त मंजू की मृत्यु से छह मास पूर्व इस साक्षी के घर आया था और सड़क पर मंजू की पिटाई की थी । बिशन दास भी उस समय मौजूद था । अभियुक्त तारीख 13 अप्रैल, 2002 को सायंकाल में लगभग 8.00 बजे मंजू को एक यान में उनके गांव लाया था और बताया कि मंजू ने विष खा लिया है । यह साक्षी, बिशन दास, बिमला और श्रीराम उसी वैन में एक प्राइवेट क्लीनिक में गए । मंजू उस समय नाजुक हालत में थी । डा. मोहिन्दर सिंह ने मंजू का कथन अभिलिखित किया । उसके पश्चात् मंजू बेहोश हो गई और मृत्यु हो गई ।

16. अभि. सा. 5 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि मंजू गर्भवती नहीं हुई थी । वह किसी संक्रमण (अलसर प्रकार के) से पीड़ित थी । अभियुक्त उसे उपचार के लिए नंगल, हमीरपुर और बडसर इत्यादि स्थानों पर लेकर गया था । उसे अलसर के कारण गंभीर दर्द होता रहता था । मंजू अलसर के कारण और गर्भ-धारण न करने के कारण तनाव में रहती थी । उसने अभियुक्त द्वारा मंजू की पिटाई करने के बारे में किसी प्राधिकारी से कोई रिपोर्ट नहीं की थी । उन्होंने अभियुक्त द्वारा मंजू को तंग करने के बारे में पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी । उसे वह तारीख, मास और वर्ष स्मरण नहीं हैं जब मंजू ने उनसे शिकायत की थी । मंजू ने उनसे ऐसी शिकायत अंतिम बार अपनी मृत्यु से लगभग एक मास पूर्व की थी । अभियुक्त ने इस साक्षी को बताया था कि मंजू ने विष खा

लिया है । अभि. सा. 5 ने आगे यह कथन किया कि डाक्टर ने पहले मंजू का कथन अभिलिखित किया था और उसके बाद उपचार आरंभ किया था । डाक्टर को उसका कथन अभिलिखित करने में एक घंटा लगा था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि मंजू उस समय बेहोश थी जब उसे अस्पताल लाया गया था । मंजू उस समय मंद-मंद बात कर रही थी और तुतला रही थी क्योंकि उसकी जीभ और होंठ सूजे हुए थे ।

17. अभि. सा. 6 बाल किशन मृतका मंजू का पिता है । उसने यह कथन किया कि मंजू अपने विवाह के 3-4 मास के पश्चात् से अपनी माता और इस साक्षी को यह शिकायत करती रहती थी कि अभियुक्त उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है और उसकी पिटाई भी करता है । उसे तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में लगभग 9.00 बजे दूरभाष पर संदेह प्राप्त हुआ कि मंजू ने विष खा लिया है और महेन्द्रा अस्पताल, बडसर ले जाया गया है । उसे 10-15 मिनट के पश्चात् तरसेम लाल से एक अन्य कॉल आई कि मंजू की अस्पताल में मृत्यु हो गई है । मंजू की मृत्यु अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण हुई थी ।

18. अभि. सा. 7 डा. एस. पी. भांगल ने मृतका मंजू के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी । उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/बी और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/ए को साबित किया । उसने यह राय व्यक्त की कि मृतका की मृत्यु फास्फाइड विष के कारण हुई थी । अभि. सा. 8 कांस्टेबल रवि कुमार ने रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-8/ए साबित की । अभि. सा. 9, हैड कांस्टेबल विपिन कुमार ने मुहरबंद पैकेट प्राप्त किए थे और इन्हें एचएचसी जोगिन्दर की मार्फत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, शिमला में जमा किया था । अभि. सा. 10, उप निरीक्षक शमशेर सिंह ने यह कथन किया कि प्रदर्श पीए प्राप्त होने पर उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए अभिलिखित की थी । अभि. सा. 11 हैड कांस्टेबल जोगिन्दर सिंह ने मुहरबंद पार्सल न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में सौंपे थे ।

19. अभि. सा. 12, उप निरीक्षक निधि सिंह अन्वेषक अधिकारी है । उसने यह कथन किया कि डा. मोहिन्दर सिंह से सूचना प्राप्त होने पर रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-8/ए अभिलिखित की गई थी । क्लीनिक पहुंचने पर डाक्टर ने मंजू का कथन प्रदर्श पीए सौंपा । उसने प्रदर्श पीए पर अपना पृष्ठांकन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/ए किया । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह अपराह्न में 11.00 बजे अस्पताल पहुंचा था । उसने यह पूछताछ

नहीं की थी कि मृतका मंजू को ठाकुर नर्सिंग होम किस यान में लाया गया था । उसने उक्त यान के ड्राइवर का कथन अभिलिखित नहीं किया था । वह यह पता नहीं लगा सका कि मंजू ने विष कहां से उपाप्त किया था । उसने केवल डा. मोहिन्दर सिंह का कथन अभिलिखित किया था, किसी अन्य कर्मचारिवृंद का नहीं ।

20. अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह कहा कि पुलिस ने केवल मृतका मंजू की माता को बचाने के लिए मिथ्या मामला बनाया है, जो अलसर से पीड़ित थी और बच्चे के लिए गर्भ-धारण नहीं कर पा रही थी और इस कारण वह मानसिक तनाव में थी । मंजू रास्ते में बेहोश हो गई थी । जब डाक्टर ने उसकी नाड़ी की जांच की तो उसने बताया कि वह जीवित नहीं है । उसने मंजू का अलसर और बच्चा गर्भ-धारण न करने के लिए उपचार विभिन्न स्थानों जैसे बडसर, हमीरपुर, जालंधर, बिलासपुर में कराया था ।

21. प्रति. सा. 1 किशोर कुमार ने यह कथन किया कि वह मारुति वैन एचपी-23-3587 पर ड्राइवर था । तारीख 13 अप्रैल, 2002 को संकेत मिलने पर उसने वैन रोकी । रघुबीर ने उसे बताया कि एक महिला ने कुछ खा लिया है और उसे उस महिला को तलाई स्थित अस्पताल ले जाने के लिए कहा । तलाई जाते हुए रास्ते में महिला कह रही थी कि उसका अपनी माता के साथ झगड़ा हो गया था और उसने विष खा लिया । तलाई में अस्पताल बंद पाया । रघुबीर ने उसे अपनी पत्नी को बडसर ले जाने के लिए कहा किंतु तब तक वह बेहोश हो चुकी थी । रास्ते में वे अभियुक्त के ससुराल वालों के मकान पर रुके । महिला को एक प्राइवेट क्लीनिक में ले जाया गया । डाक्टर ने जांच करने पर बताया कि वह जीवित नहीं है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि राम किशन खन्ना, बिमला और आशा बडसर गए थे ।

22. अपीलार्थी ने यह बात विवादग्रस्त नहीं की है कि मंजू ने विष खाया था और उसकी मृत्यु हो गई । तथापि, उसने यह मामला पेश किया है कि मंजू पेट के रोग से पीड़ित थी और वह गर्भ-धारण भी नहीं कर पा रही थी हालांकि उनका विवाह दिसम्बर, 1999 में सम्पन्न हुआ था । अपीलार्थी के अनुसार, मृतका की माता का व्यवहार, मृतका की बीमारी, उसका गर्भ-धारण न करना मृतका द्वारा अपनी जीवन-लीला समाप्त करने में योगदायी कारक थे । दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी मंजू के साथ दुर्व्यवहार करता था जो उसकी आत्महत्या का कारण था ।

इन परिस्थितियों में, अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 12 और प्रति. सा. 1 के कथन सुसंगत हैं । अभि. सा. 8 रवि कुमार, अभि. सा. 9 विपिन कुमार, अभि. सा. 10 शमशेर सिंह और अभि. सा. 11 जोगिन्दर सिंह के कथन औपचारिक हैं । अभि. सा. 7 डा. एस. पी. भांगल ने मंजू के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी और उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-7/बी को साबित किया है । उसने मृत्यु का कारण फास्फाइड विषाक्तता दिया है ।

23. प्रति. सा. 1 किशोर कुमार ने यह दावा किया कि उसने तारीख 13 अप्रैल, 2002 को वैन एचपी-23-3587 चलाई थी जिसमें अभियुक्त और मंजू को बडसर ले जाया गया था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि रामकिशन खन्ना, बिमला और आशा वैन में बडसर गए थे । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह कहा है कि उसने मृतका की माता और दादी को वैन में लिया था । अभि. सा. 5 श्रीमती आशा देवी मृतका मंजू की माता है । उसने यह कथन किया है कि वह, बिमला, बिशन दास और श्रीराम उसी यान में अस्पताल गए थे । प्रति. सा. 1 का इस बात से इनकार करना कि बिमला और आशा वैन में बडसर नहीं गए थे, प्रति. सा. 1 के तारीख 13 अप्रैल, 2002 को वह यान चलाने की बात पर संदेह पैदा करता है जिसमें मंजू को अस्पताल ले जाया गया था । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह नहीं कहा है कि किशोर कुमार वह यान चला रहा था जिसमें तारीख 13 अप्रैल, 2002 को मंजू को अस्पताल ले जाया गया था । इस प्रकार, प्रति. सा. 1 किशोर कुमार का कथन इस बिंदु पर विश्वसनीय नहीं है कि उसने तारीख 13 अप्रैल, 2002 को वह यान चलाया था जिसमें मंजू को उसके विष खा लेने के बाद बडसर ले जाया गया था ।

24. अभिलेख पर यह बात आई है कि अभियुक्त और मृतका का विवाह दिसम्बर, 1999 में सम्पन्न हुआ था । तारीख 13 अप्रैल, 2002 से पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतका की पिटाई करने और यातना देने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा कोई विनिर्दिष्ट तारीख नहीं बताई गई है । अभि. सा. 3 बिशन दास ने यह कथन किया है कि मंजू अपनी मृत्यु से लगभग सात मास पूर्व अपने माता-पिता के घर आई थी, जहां उसने अभियुक्त को मंजू की माता श्रीमती आशा की मौजूदगी में जूते से मंजू की

पिटाई करते हुए देखा । अभि. सा. 5 श्रीमती आशा देवी ने यह कथन किया कि मंजू की मृत्यु से लगभग छह मास पूर्व अभियुक्त उसके घर आया था और बिशन दास की मौजूदगी में मंजू की पिटाई की थी । यह कथन नहीं किया गया है कि क्या कारण था जिसके लिए अभियुक्त ने मंजू की पिटाई की थी, जैसा कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा कथन किया गया है । अभि. सा. 3 ने यह घटना मंजू की मृत्यु से सात मास पूर्व की बताई है जबकि अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि यह घटना मंजू की मृत्यु से छह मास पूर्व घटी थी । घटना कब घटी थी इस बारे में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने परस्पर विरोधी कथन किया है । ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा मंजू की इस प्रकार पिटाई करने की रिपोर्ट किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी को क्यों नहीं की गई । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं कि अभियुक्त द्वारा मंजू की उसकी मृत्यु से छह या सात मास पूर्व पिटाई की गई थी ।

25. विचारण न्यायालय ने इस बात पर विश्वास किया है कि प्रदर्श पीए मंजू द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व अभि. सा. 1 को किया गया कथन है । अभि. सा. 1 डा. मोहिन्दर सिंह ने यह कथन किया कि मंजू का कथन प्रदर्श पीए पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, उसने पुनः यह कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा लिखा गया था और पुलिस को सौंपा गया था । उसने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में है जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । उसने फिर यह कथन किया कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा अभिलिखित मंजू का कथन है और इसे पुलिस को सौंपा गया था । मंजू उस समय होश में थी जब उसका कथन प्रदर्श पीए अभिलिखित किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा अपने क्लीनिक के एक कर्मचारिवृंद को बोलकर लिखाया गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में नहीं है । प्रदर्श पीए उसके श्रुतलेख पर जीत राम द्वारा लिखा गया था । प्रदर्श पीए की अंतिम पंक्ति तब लिखी गई थी जब मंजू बेहोश हो गई थी और मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि उसने मंजू की नाड़ी और रक्तचाप की जांच की थी और इन्हें अभिलिखित नहीं किया गया था । नाड़ी मंद थी और यदि किसी रोगी का रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं है और उसकी नाड़ी मंद है तो ऐसी दशा में ऐसे रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय हो जाता है । ऐसी स्थिति में रोगी की

मानसिक हालत/स्वास्थ्य उपयुक्त नहीं होता है ।

26. प्रदर्श पीबी तारीख 13 अप्रैल, 2002 का मंजू का ओ. पी. डी चार्ट है जिसे अभि. सा. 1 द्वारा साबित किया गया है । प्रदर्श पीबी में आरंभ में यह मत व्यक्त किया गया है कि नाड़ी मंद है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । प्रदर्श पीबी में अपराह्न में 9.30 बजे यह उल्लेख किया गया है कि नाड़ी नहीं चल रही है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । पुतली बी/एल विस्तृत और स्थिर है । रोगी बच नहीं सकी और तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में 9.30 बजे मृत घोषित की गई । प्रदर्श पीए में मंजू का कथन निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "मरीज मंजू ने 9.15 बजे शाम 13/4/2002 को मेरे सामने ब्यान किया है कि मेरे को मेरा घरवाला तंग करता है, इसलिए मैंने गेंहू में डालने वाली तीन गोलियां खा लीं हैं । और बोलते-बोलते बेहोश हो गई । और समय करीब 9.30 बजे रात मंजू की मौत हो गई ।
>
> हस्ता/-
> 13/4/2012
> डा. मोहिन्दर सिंह
> एम. बी. बी. एस. एक्स एच. पी. एच. एस.
> ठाकुर नर्सिंग होम,
> बडसर, हमीरपुर (हि. प्र.)
>
> रजि. सं. 14027."

27. मंजू द्वारा किए गए कथन के बारे में अभि. सा. 1 का बयान दृढ़ नहीं है अपितु लचर है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसका कथन प्रदर्श पीए पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, फिर कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा लिखा गया था । अभि. सा. 1 ने आगे यह कहा कि प्रदर्श पीए उसके द्वारा बोलकर लिखाया गया था । प्रदर्श पीए उसके हस्तलेख में नहीं लिखा गया था । प्रदर्श पीए उसके श्रुतलेख पर जीत राम द्वारा लिखा गया था । जिसने प्रदर्श पीए लिखा था, इसके बारे में अभि. सा. 1 ने भिन्न-भिन्न बयान दिए हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा जीत राम की परीक्षा नहीं कराई गई और न ही उसकी परीक्षा न कराने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया । प्रदर्श पीबी ओ. पी. डी. चार्ट में यह उल्लेख किया गया है कि नाड़ी मंद है, रक्तचाप अभिलिखित नहीं किया गया । प्रदर्श

पीबी में मंजू के होश के बारे में कोई मत नहीं है । प्रदर्श पीए में डाक्टर का अलग से और विनिर्दिष्ट मत या प्रमाणपत्र नहीं है कि मंजू कथन करने से पहले सही मानसिक हालत में थी या कथन करने की स्थिति में थी । इसके विपरीत, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब किसी रोगी का रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं होता है और उसकी नाड़ी मंद है, तो ऐसी दशा में रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय होता है । ऐसी दशा में रोगी की मानसिक हालत उपयुक्त नहीं होती है ।

28. अभि. सा. 2 श्रीराम खन्ना ने यह कथन किया कि मंजू ने यान में उससे बात नहीं की थी । अभियुक्त का पक्षकथन यह है कि मंजू अभि. सा. 1 के क्लीनिक में पहुंचने से पहले ही बेहोश थी । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि मंजू मंद-मंद बात कर रही थी और तुतला रही थी क्योंकि उसकी जीभ और होंठ सूजे हुए थे । अभि. सा. 1 ने भी यह कथन किया है कि प्रदर्श पीए की अंतिम पंक्ति तब लिखी गई थी जब मंजू बेहोश हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी । आरंभिक पंक्ति में यह लिखा है कि प्रदर्श पीए तारीख 13 अप्रैल, 2002 को अपराह्न में 9.15 बजे आरंभ किया था । छठी पंक्ति में यह उल्लेख है कि मंजू कथन करते हुए बेहोश हो गई थी । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि डाक्टर को मंजू का कथन अभिलिखित करने में एक घंटा लगा था ।

29. अभि. सा. 1 ने मंजू का परीक्षण किया था और इस प्रक्रिया में उसके रक्तचाप और नाड़ी की जांच की थी । यह किसी डाक्टर की किसी नाजुक हालत में रोगी का उपचार करने की सामान्य अनुक्रिया प्रतीत होती है । किसी चिन्ताजनक रोगी के उपचार में लगा डाक्टर स्वयं को ऐसे रोगी का कथन अभिलिखित करने में लगाने के बजाय उसके उपचार पर ध्यान केन्द्रित करेगा । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने मंजू का लगभग 15-20 मिनट उपचार किया था और उसके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । प्रदर्श पीबी में 9.15 बजे अपराह्न का समय लिखा हुआ है और यह भी उल्लेख किया गया है कि मंजू की मृत्यु 9.30 बजे अपराह्न में हुई । प्रदर्श पीए में भी मंजू की मृत्यु का समय 9.30 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया है । यदि अभि. सा. 1 ने मंजू का 15-20 मिनट उपचार किया था, तब यह बात अति संदेहास्पद हो जाती है कि अभि. सा. 1 ने इस प्रक्रिया के दौरान प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित करने का काम कैसे संभाला ।

30. अभि. सा. 1 ने न्यायालय में यह कथन किया कि मंजू उस

समय होश में थी जब उसने प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित किया था । अभि. सा. 1 ने कथन में सविस्तार यह उल्लेख नहीं किया है कि क्या प्रदर्श पीए कथन अभिलिखित करने के समय मंजू अपना कथन करने के लिए उपयुक्त मानसिक हालत में थी । यह बात वर्तमान मामले में सुसंगत है क्योंकि मंजू की 15-20 मिनट के भीतर मृत्यु हो गई थी और उसका रक्तचाप अभिलिखित करने योग्य नहीं था तथा उसकी नाड़ी मंद थी और अभि. सा. 1 ने स्वयं यह कथन किया है कि इस दशा में ऐसे रोगी का हृदय और तंत्रिका तंत्र लगभग मृतप्राय हो जाता है । इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रदर्श पीए एक संदेहास्पद दस्तावेज है और यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रदर्श पीए मंजू का कथन है जो उसके द्वारा उपयुक्त मानसिक हालत में किया गया था । विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पीए का अवलंब लेते समय पूर्वोक्त चर्चा किए गए पहलुओं पर विचार नहीं किया ।

31. **गांगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "16. चित्रेश कुमार चोपड़ा **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) [(2009) 16 एस. सी. सी. 605 = (2009) 11 स्केल 24] वाले मामले में इस न्यायालय को दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करना था । न्यायालय ने 'उकसाना' और 'उत्तेजित करना' शब्दों के शब्दकोषीय अर्थ पर विचार किया । न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने, भड़काने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति की आत्मवधीय प्रवृत्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होती है । स्वाभिमान और आत्म-सम्मान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना विचार होता है । इसलिए ऐसे मामले पर विचार करने के लिए कोई कठोर सिद्धांत अधिकथित करना असंभव है । प्रत्येक मामला उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए ।
>
> 17. दुष्प्रेरण के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाने या साशय सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्वलित होती है । अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 750.

उकसाने या सहायता करने के किसी सकारात्मक कार्य के बिना दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है । विधान-मण्डल के आशय और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों के विनिश्चयाधार से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अपराध कारित करने की स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होनी चाहिए । इसके लिए ऐसे किसी सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य का होना भी आवश्यक है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प दिखाई न देकर आत्महत्या करनी पड़ी और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के ऐसे आशय से किया गया होना चाहिए कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी ।'

32. **मदन मोहन सिंह** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित आत्महत्या का टिप्पण निम्नलिखित है :–

"मैं उसकी कार्य करने की शैली के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूं । केवल एम. एम. सिंह, डीईटी, माइक्रोवेव प्रोजेक्ट, मेरी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है । मैं विभाग के अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मानवीयता के नाते एम. एम. सिंह को बचाने के लिए सहयोग न किया जाए । एम. एम. सिंह ने अनुशासन के सन्नियमों की अवहेलना करते हुए अनुशासन का अतिक्रमण करते हुए कार्य किया है । मैं जांच अधिकारी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी पत्नी और पुत्र को तंग न किया जाए । एम. एम. सिंह द्वारा मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया है ।'

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"11. हमारे द्वारा आत्महत्या के टिप्पण और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की भरसक प्रयास और सूक्ष्म परीक्षा के बावजूद हमने जो कुछ पाया है वह यह है कि आत्महत्या का टिप्पण एक विभागीय शिकायत की प्रकृति में अत्युक्तिपूर्ण दस्तावेज है । इससे मृतक के किसी मानसिक असंतुलन का भी पता चलता है जिसे उसने स्वयं अवसाद कहा है । इस तथाकथित आत्महत्या के टिप्पण से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का कदापि यह आशय रहा था और उस निमित्त कोई कार्य किया था कि उसके अधीन कार्यरत ड्राइवर आत्महत्या कर ले

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 628.

या अपने जीवन का अंत कर ले । यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि अभियुक्त ने ड्राइवर की ड्यूटी बदल दी थी या अभियुक्त ने उससे कहा था कि कार की चाबी न ले और कार की चाबी कार्यालय में ही रखे, इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियुक्त का यह आशय था या वह जानता था कि ड्राइवर इस कारण आत्महत्या कर लेगा ।

12. किसी अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन लाने के लिए अभियुक्त की ओर से संबंधित व्यक्ति को ऐसा विनिर्दिष्ट दुष्प्रेरण, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में अनुध्यात है, दिया जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ले । भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन इस विशिष्ट अपराध के लिए अभियुक्त का मृतक को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने या उकसाने या उत्प्रेरित करने का आशय होना आवश्यक है । हमारी यह स्पष्ट राय है कि इस मामले में न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न ही तथाकथित आत्महत्या के टिप्पण में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए कोई सामग्री होने का प्रश्न ही नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि आत्महत्या का टिप्पण और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती । इन दस्तावेजों को अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साशय बात प्रदर्शित करने वाला नहीं कहा जा सकता है कि मृतक आत्महत्या कर ले ।"

33. **दुर्गा प्रसाद और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, जहां अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 304-ख के अधीन दोषसिद्ध किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"संबंधित पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हम अपीलार्थियों को संदेह का फायदा विशिष्ट रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञात करने के लिए तैयार हैं कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा यह अभिकथन करते हुए, कि विपदग्रस्त के साथ उसकी मृत्यु के पूर्व क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था, किए गए निरस कथनों के सिवाय यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि

[1] (2010) 9 एस. सी. सी. 73.

विपदग्रस्त ने आत्महत्या ऐसी क्रूरता और तंग किए जाने के कारण की थी जो उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व की गई जो कि वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध दोष को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख से संबंधित साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले संघटक हैं ।"

34. **एस. एस. छीना** बनाम **विजय कुमार महाजन और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"24. चित्रेश कुमार चोपड़ा **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) [(2009) 16 एस. सी. सी. 605 = (2009) 11 स्केल 24] वाले मामले में इस न्यायालय को दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करना था । न्यायालय ने 'उकसाना' और 'उत्तेजित करना' शब्दों के शब्दकोषीय अर्थ पर विचार किया । न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने, भड़काने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति की आत्मवधीय प्रवृत्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होती है । स्वाभिमान और आत्म-सम्मान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना विचार होता है । इसलिए ऐसे मामले पर विचार करने के लिए कोई कठोर सिद्धांत अधिकथित करना असंभव है । प्रत्येक मामला उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए ।

25. दुष्प्रेरण के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाने या साशय सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्वलित होती है । अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के किसी सकारात्मक कार्य के बिना दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है । विधान-मण्डल के आशय और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों के विनिश्चयाधार से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अपराध कारित करने की स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होनी चाहिए । इसके लिए ऐसे किसी सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य का होना भी आवश्यक है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प दिखाई न देकर आत्महत्या

---

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 190.

करनी पड़ी और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के ऐसे आशय से किया गया होना चाहिए कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी ।

26. वर्तमान मामले में मृतक सामान्य चिड़चिड़पने, मनमुटाव और मतभेद जो हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में घटते रहते हैं, के प्रति निस्संदेह अतिसंवेदनशील था । प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय संवेदनशीलता अलग-अलग होती है । भिन्न-भिन्न लोग एक जैसी स्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं ।"

35. अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथन मंजू के साथ दुर्व्यवहार करने का है जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या की । अभियोजन पक्ष ने दुर्व्यवहार के बिंदु पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । अभियुक्त द्वारा मंजू के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के कथन साधारण हैं । मंजू की मृत्यु से 6-7 मास पूर्व अभियुक्त द्वारा उसकी पिटाई करने के संबंध में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथन संदिग्ध हैं और उनका पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है । अभियोजन पक्ष अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं लाया है कि तारीख 13 अप्रैल, 2002 से पूर्व मंजू या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंजू के साथ अभियुक्त के दुर्व्यवहार के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकारी से कोई रिपोर्ट की थी ।

36. साक्ष्य में यह बात आई है कि मंजू अलसर और पेट के दर्द से पीड़ित थी । वह गर्भवती नहीं हुई थी । मृतका की माता, अभि. सा. 5 आशा देवी ने यह कथन किया है कि मंजू अलसर और गर्भ-धारण नहीं करने के कारण तनाव में थी । साक्ष्य में यह बात आई है कि अभियुक्त मंजू को उपचार के लिए विभिन्न स्थानों पर लेकर गया था । मंजू की बीमारी के प्रति चिंता जाहिर करने के अभियुक्त के सहायताकारी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह बात तर्कसंगत नहीं लगती कि अभियुक्त मृतका मंजू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था । अभियोजन पक्ष ने मंजू द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाने या सहायता करने में अपीलार्थी के सकारात्मक कार्य को साबित नहीं किया है । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि मंजू ने अभियुक्त के आचरण के बारे में अंतिम शिकायत अपनी मृत्यु से एक मास पूर्व की थी । इस प्रकार, तारीख 13 अप्रैल, 2002 को या इससे पूर्व ऐसा क्या घटित हुआ जिसने मंजू को अपने जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित किया, स्पष्ट नहीं है । जब मंजू का विवाह हुआ वह दसवीं कक्षा में थी और पढ़ाई में ठीक थी । अपीलार्थी ने

सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है । अपीलार्थी अनियमित कार्य कर रहा था । **एस. एस. छीना** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की मानव आत्महत्या करने संबंधी प्रवृत्ति अलग-अलग होती है । एक जैसी स्थिति में अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं । मंजू अपनी बीमारी और गर्भ-धारण न करने के लिए तनाव में थी । इस संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई कार्य या लोप किए बिना ही मंजू ने स्वयं आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत करने का दुर्भाग्यपूर्ण विनिश्चय किया । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने के लिए साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह के फायदे का हकदार है ।

37. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह अपील मंजूर की जाती है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, घुमरविन, जिला बिलासपुर द्वारा 2004/2003 के सेशन विचारण सं. 22-7 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के अधीन तारीख 15 मार्च, 2005 को दोषसिद्ध और तारीख 18 मार्च, 2005 को दंडादिष्ट करते हुए तारीख 15/18 मार्च, 2005 को पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और जुर्माने की कोई रकम, यदि अपीलार्थी द्वारा जमा की गई है, तो उसका प्रतिदाय कर दिया जाए तथा उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

राजेश कुमार

तारीख 19 दिसम्बर, 2012

न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा और न्यायमूर्ति वी. के. शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग 2 – अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी के भोंथरे भाग की ओर से सिर पर क्षतियां पहुंचाना – मृत्यु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से दर्शित होता है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था किंतु उसने क्षतियां इस ज्ञान के साथ पहुंचाईं कि ऐसी क्षतियों से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, इसलिए, अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन अपराध का दोषी ठहराए जाने का दायी है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 161 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – पुलिस के समक्ष कथन – मृत्युकालिक कथन – जहां विपदग्रस्त ने पुलिस के समक्ष चिकित्सक के इस प्रमाणपत्र के अभाव में कि वह कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में है, कथन किया हो किंतु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख से ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता हो कि वह कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में नहीं थी, वहां उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसे कथन को मृत्युकालिक कथन मानकर की गई दोषसिद्धि उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता रोशन लाल ने तारीख 16 फरवरी, 2005 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन एक शिकायत यह कथन करते हुए फाइल की कि तारीख 16 फरवरी, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.45 बजे जब वह अपने कार्य पर कार्यरत था तब उसका पुत्र लक्की कुमार उसके पास आया और उसे सूचित किया कि राजेश कुमार (अभियुक्त) द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है । घर आने के पश्चात् रोशन लाल ने यह देखा कि उसकी पत्नी (मृतका) खाट पर पड़ी हुई थी और उसके सिर पर क्षतियां थीं । उसे अचेत अवस्था में आंचलिक अस्पताल, धर्मशाला लाया गया, जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया । उसे तीन

दिन पश्चात् पीजीआई, चंडीगढ़ में होश आया और उसने अपने पति (शिकायतकर्ता) को बताया कि राजेश कुमार द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी पिटाई की गई थी । आहत का अपराह्न में लगभग 5.00 बजे चिकित्सीय परीक्षण किया गया । इस संदर्भ में उसी दिन अपराह्न में लगभग 6.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई, तथापि, एक मास आठ दिन पश्चात् मृतका गायत्री देवी की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । मृतका/गायत्री देवी की मरणोत्तर परीक्षा की गई और अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त राजेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन और अभियोजन साक्षियों का भी विश्लेषण किया है । यद्यपि, वर्तमान मामले में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी को आहत/मृतका (गायत्री देवी) पर हमला करते हुए नहीं देखा था । तथापि, अभि. सा. 5 डा. समंजु धीमान ने कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3 के कुंद भाग से कारित की गई क्षतियां पाई थीं और उसने यह कथन किया है कि चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी में उल्लिखित क्षतियां कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की जा सकती हैं । अभि. सा. 6 डा. डी. पी. स्वामी ने भी मरणोत्तर परीक्षा करते समय क्षतियां पाई थीं और यह राय भी व्यक्त की थी कि आहत/मृतका की मृत्यु कुंद आयुध से सिर पर पहुंची मृत्यु-पूर्व की क्षतियों के कारण हुई । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया कि प्रहार-क्षति से मृत्यु का कारण 80 प्रतिशत था और रक्त-अल्पतता के कारण 20 प्रतिशत था । यद्यपि अभि. सा. 1, जो आहत/मृतका का पति है, ने घटना नहीं देखी थी, तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन की गई शिकायत में अभियुक्त/प्रत्यर्थी का नाम अभिलिखित था । इतना ही नहीं, रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ए में प्रथम इत्तिला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई थी और उसमें हमलावर के रूप में अभियुक्त/प्रत्यर्थी का नाम अभिलिखित है । अभियुक्त/प्रत्यर्थी के मकान से कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3 की बरामदगी और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पीए के अनुसार कुल्हाड़ी पर पाया गया मृतका का रक्त-समूह भी पारिस्थितिक साक्ष्य को मजबूत करने के लिए यह एक अतिरिक्त कारक है

कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी हमलावर था । अभियुक्त/प्रत्यर्थी, जो आहत का भतीजा है, आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया और मुसीबत में आहत की सहायता नहीं की तथा उसके परिवार पर आए हुए संकट में अभियुक्त/प्रत्यर्थी तथा उसके पिता ने आहत/मृतका को चिकित्सीय उपचार दिलाने में सहायता नहीं की । वर्तमान मामले में, दोनों परिवारों की बोलचाल नहीं थी, तथापि, हेतु का अभाव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा तथा अन्वेषक अधिकारी की ओर से की गई कोई कमी भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगी । न्यायालय के सुविचारित मत में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया आहत का कथन, यद्यपि इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है । अभिलेख से ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता है कि आहत/मृतका स्वेच्छया ऐसा कथन करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं थी । इतना ही नहीं, जब आहत/मृतका को अस्पताल में होश आया था तो उसने पहले अभि. सा. 1 (रोशन लाल) को यह बताया था कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था । चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की गई क्षतियां आहत की मृत्यु की कारण थीं और इसकी संपुष्टि आहत/मृतका के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए कथन तथा आहत/मृतका द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना से होती है । तथापि, तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का वास्तविक आशय मृतका की कुल्हाड़ी से हत्या कारित करने का नहीं था, अन्यथा अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा कुल्हाड़ी का धारदार भाग प्रयुक्त किया जा सकता था । तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसी प्रकृति की क्षतियां, जिनसे आहत/मृतका की मृत्यु हुई, कारित करते समय अभियुक्त/प्रत्यर्थी इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि क्षतियां ऐसी प्रकृति की हैं कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है । इसलिए न्यायालय सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आहत/मृतका के शरीर पर क्षतियां इस ज्ञान के साथ, किंतु मृत्यु कारित करने के आशय के बिना, पहुंचाईं कि ऐसी क्षतियों से मृत्यु कारित होना संभाव्य है । ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के अधीन किया गया अपराध लागू होता है । न्यायालय के सुविचारित मत में, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला ने अभियोजन साक्षियों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं

किया है और सही निष्कर्ष नहीं निकाला है, इसलिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 30 दिसम्बर, 2006 को निकाला गया निष्कर्ष अपास्त किया जाता है और न्यायालय अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराता है । चूंकि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आहत/मृतका को उपहति कारित करने/हमला करने की तैयारी के पश्चात् कुल्हाड़ी लेकर गृह अतिचार करके प्रश्नगत क्षतियां पहुंचाई थीं, इसलिए अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जाता है । (पैरा 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 12 एस. सी. सी. 224 : **मुकेशभाई गोपालभाई बरोत** बनाम **गुजरात राज्य**;	16, 20
[2008]	(2008) 4 एस. सी. सी. 265 : **शेर सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**;	23
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3106 : **गिरजा प्रसाद (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की** मार्फत बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**;	19
[2007]	(2007) एस. सी. सी. 465 : **नालापति सिवैया** बनाम **उप-मण्डल अधिकारी, गुंटूर**;	22
[2004]	(2004) 13 एस. सी. सी. 134 : **राम स्वरूप और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**;	17
[2003]	(2003) 1 एस. सी. सी. 534 : **सहदेवन** उर्फ **सगादेवन** बनाम **राज्य**;	16, 21
[2001]	(2001) 6 एस. सी. सी. 118 : **लक्ष्मी (श्रीमती)** बनाम **प्रकाश और अन्य** ।	18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 140.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता/ ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता और उनके साथ श्री जे. एस. राणा, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रमेश वर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – वर्तमान अपील 2005 के सेशन मामला सं. 50-के में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी को तारीख 16 फरवरी, 2005 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53/05 के संदर्भ में अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करते हुए तारीख 30 दिसम्बर, 2006 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन अपील के लिए इजाजत प्रदान करने के पश्चात् विचार के लिए आई है ।

2. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि शिकायतकर्ता रोशन लाल ने तारीख 16 फरवरी, 2005 को अपराह्न में 5.00 बजे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन एक शिकायत यह कथन करते हुए फाइल की कि उसके चार पुत्रियों और एक पुत्र सहित पांच बच्चे हैं और वह श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है । तारीख 16 फरवरी, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.45 बजे जब वह कार्यरत था तब उसका पुत्र लक्की कुमार (अभि. सा. 7) उसके पास आया और उसे सूचित किया कि राजेश कुमार द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है । घर आने के पश्चात् रोशन लाल (अभि. सा. 1) ने यह देखा कि उसकी पत्नी (गायत्री देवी) खाट पर पड़ी हुई थी और उसके सिर पर क्षतियां थीं । उसे अचेत अवस्था में आंचलिक अस्पताल, धर्मशाला लाया गया, जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ए अभिलिखित किया गया । उसे तीन दिन पश्चात् पीजीआई, चंडीगढ़ में होश आया और उसने अभि. सा. 1 को बताया कि राजेश कुमार द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी पिटाई की गई थी । आहत का अपराह्न में लगभग 5.00 बजे चिकित्सीय परीक्षण किया गया । इस संदर्भ में उसी दिन अपराह्न में लगभग 6.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई, तथापि, एक मास आठ दिन पश्चात् गायत्री देवी की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । मृतका/गायत्री देवी की मरणोत्तर परीक्षा की गई और अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त राजेश

कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 18 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराई, जबकि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया ।

4. आहत/मृतका के पति अभि. सा. 1 (रोशन लाल) ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने पुलिस के पास यह कथन अभिलिखित कराया था कि उसके पुत्र लक्की कुमार (अभि. सा. 7) ने उसे बताया कि अभियुक्त राजेश कुमार ने आहत को क्षतियां पहुचांई थीं, तथापि, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ए से सामना कराए जाने पर ऐसा अभिलिखित नहीं पाया गया । अभि. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया कि वह पीजीआई में तारीख 22 फरवरी, 2005 तक रहा था और पुलिस ने पीजीआई, चंडीगढ़ में उसका कथन अभिलिखित किया था । घर पर पुनः अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया गया था और आहत को तारीख 21 मार्च, 2005 को पुनः पीजीआई ले जाया गया था । तथापि, अभि. सा. 1 ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने तारीख 16 फरवरी, 2005 के पश्चात् उसका अलग कथन अभिलिखित नहीं किया था और उसने इस बात से भी इनकार किया कि आहत ने उसे यह नहीं बताया था कि अभियुक्त द्वारा उसकी पिटाई की गई थी । अभि. सा. 1 ने इस बात से भी इनकार किया कि अभि. सा. 7 ने अभियुक्त राजेश कुमार का नाम प्रकट नहीं किया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि अभियुक्त का पिता अमर सिंह उसका सगा भाई है ।

5. अभि. सा. 2 (स्वरूप कुमार) ने यह कथन किया है कि उसे बताया गया था कि राजेश कुमार ने आहत की पिटाई की थी, तथापि, उसने न तो अभियुक्त राजेश कुमार को गांव में देखा था और न ही जब अभि. सा. 2 (स्वरूप कुमार) ने गायत्री देवी के मकान में प्रवेश किया, वहां से भागते हुए देखा था । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि पुलिस पहले ही वहां पहुंची हुई थी और उस समय क्षतिग्रस्त कुछ बुदबुदा नहीं रही थी । तथापि, अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया कि श्रीमती कांता देवी (अभि. सा. 8) और लक्की कुमार (अभि. सा. 7) ने अभियुक्त राजेश कुमार को पकड़ने के लिए कहा था क्योंकि वह घटनास्थल से भाग रहा था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि श्रीमती कांता

देवी (अभि. सा. 8) ने अभि. सा. 2 को यह बताया था कि राजेश कुमार ने आहत/गायत्री देवी पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि जब वह आहत के मकान पर पहुंचा तो वह बेहोश थी और बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी और अभि. सा. 2 इस बात से भी अनभिज्ञ था कि किसने यह अफवाह उड़ाई थी/शोर मचाया था कि अभियुक्त राजेश कुमार ने आहत की पिटाई की है ।

6. अभि. सा. 3 (संजय कुमार) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह तारीख 16 फरवरी, 2005 को अपराह्न में 4.00 बजे अपनी दुकान पर मौजूद था तो उसने सुना कि किसी महिला की पिटाई की गई है, इसलिए अभि. सा. 3 आहत को अस्पताल ले गया था और अभि. सा. 3 को महिलाओं द्वारा यह बताया गया था कि राजेश कुमार ने आहत की पिटाई की है, तथापि, अभि. सा. 3 ने अभियुक्त राजेश कुमार को न तो घटनास्थल पर और न ही वहां से मस्तपुर की ओर भागते हुए देखा था । अभि. सा. 3 ने इस बात से भी इनकार किया कि स्वयं उसने और अभि. सा. 2 ने तारीख 16 फरवरी, 2005 को अभियुक्त राजेश कुमार को मस्तपुर की ओर भागते हुए देखा था । अभि. सा. 3 ने इस बात से भी इनकार किया कि जब उसने आहत के मकान में प्रवेश किया तो वह बुदबुदा रही थी कि अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा उसकी पिटाई की गई है । तथापि, अभि. सा. 3 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह उन महिलाओं का नाम नहीं जानता जो कह रही थीं कि अभियुक्त राजेश कुमार ने आहत की पिटाई की है ।

7. अभि. सा. 4 (मस्त राम) आहत के कमरे से रक्त-रंजित चादर और तकिए के कवर की बरामदगी का साक्षी था और अभि. सा. 4 ने बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-4/ए पर हस्ताक्षर भी किए हैं । अभि. सा. 4 कुल्हाड़ी की बरामदगी का भी साक्षी है । तथापि, अभि. सा. 4 के बयान के अनुसार, कुल्हाड़ी पर रक्त के धब्बे नहीं थे । अभि. सा. 4 ने पुनः यह कथन किया कि वह कुछ दूरी पर था और देख नहीं सका था कि कुल्हाड़ी पर रक्त के धब्बे थे या नहीं । अभि. सा. 4 ने कुल्हाड़ी के पार्सल प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर किए थे । अभि. सा. 4 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि वह आहत के मकान पर गया था और पुलिस पहले से ही वहां पहुंची हुई थी । अभि. सा. 4 ने आगे यह भी कथन किया कि उसने कुल्हाड़ी को अभिग्रहण के समय देखा था और उस समय उसे कुल्हाड़ी दिखाई गई थी और उस समय उस पर कोई रक्त नहीं लगा था ।

8. अभि. सा. 5 (डा. समंजु धीमान), जिसने तारीख 16 फरवरी,

2005 को अपराह्न में लगभग 5.00 बजे आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसके बारे में यह बताया गया था कि अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा उसकी पिटाई की गई है, ने यह पाया था कि उस प्रकार की क्षति कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की जा सकती है । अभि. सा. 5 ने कुल्हाड़ी को देखने के पश्चात् यह उपदर्शित किया कि चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श- पी. डब्ल्यू.-5/बी में उल्लिखित क्षतियां कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की जा सकती हैं । अभि. सा. 5 आहत के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "1. खोपड़ी के बाएं पार्श्विक अनुकपाल क्षेत्र पर 7 से. मी. x 1 से. मी. x 1 से. मी. का विदिर्ण घाव था । घाव से रक्त बह रहा था । कोमलता मौजूद थी । रोगी को सिर का सी. टी. स्कैन कराने का परामर्श दिया गया ।
>
> 2. दाईं आंख पर कालस थी, नासिका से रक्तस्राव मौजूद था । सिर की क्षति के और प्रबंधन के लिए रोगी को महिला शल्य-क्रिया वार्ड में भर्ती किया गया ।
>
> सी. टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-5/ए का परिशीलन करने पर पाया गया कि क्षति सं. 1 गंभीर प्रकृति की थी और 12 घंटे की अधिसंभाव्य अवधि के भीतर कुंद आयुध से कारित की गई थी । क्षति सं. 1 जीवन के लिए खतरनाक है और मृत्यु कारित कर सकती है । मैंने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-5/बी जारी किया जो मेरे हस्तलेख में है और उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।"

अभि. सा. 5 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने प्रथम बार न्यायालय में यह बात कही थी कि क्षति सं. 1 जीवन के लिए खतरनाक है ।

9. अभि. सा. 6 (डा. डी. पी. गोस्वामी) ने आहत की मरणोत्तर परीक्षा की थी और मृत्यु-पूर्व की निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "1. बाएं मध्य पार्श्विक क्षेत्र पर 20 काले रेशमी धागे के साथ टांके लगा हुआ 21 से. मी. लम्बा घाव जो लगभग भर गया था ।
>
> 2. रेखाचित्र में दिखाए अनुसार मध्य पार्श्विक क्षेत्र में भरे हुए घाव का 3 ईंच x 3 ईंच का सफेद रंग का धब्बा (15 दिन से अधिक पुरानी क्षति का साक्ष्य) ।

3. उदर के मध्य निचले भाग पर दाईं तरफ सामने 6 से. मी. लम्बा 7 संख्या के काले रेशमी धागे से तिर्यक सिला हुआ घाव ।

4. मध्य पार्श्विक क्षेत्र में खोपड़ी की बाईं तरफ की चमड़ी हटाने पर 3-1/2 से. मी. x 1 से. मी. क्षेत्र में टांके लगे हुए घाव के नीचे लालिमायुक्त खरोंच, जैसा कि रेखाचित्र में दिखाया गया है । बाईं तरफ और कपाल-पार्श्विक क्षेत्र पर कपाल-छेदन किया गया (शल्य-क्रिया के द्वारा किया गया, 28 से. मी. लम्बे तीक्ष्ण किनारे)"

अभि. सा. 6 ने यह भी राय दी है कि आहत की मृत्यु मृत्यु-पूर्व की सिर की क्षति के कारण तन्त्रिकाजनित सदमे और श्वासोवरुद्ध की वजह से रक्त-अल्पतता की दशा में हुई थी । अभि. सा. 6 ने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी/ए का परिशीलन करने के पश्चात् यह भी अंतिम राय दी कि आहत/मृतका की मृत्यु कुंद आयुध से कारित की गई मृत्यु-पूर्व की सिर पर की क्षति के कारण हुई थी । अभि. सा. 6 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसकी अंतिम राय में मृतका की मृत्यु के लिए रक्त-अल्पतता भी एक सहायक कारण था और अनन्य रूप से सिर की क्षति की वजह से मृत्यु होने के कारण के संबंध में कोई राय नहीं थी । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि ऐसी राय नहीं है कि सिर की क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थी । अभि. सा. 6 ने स्वयं यह कथन किया कि वर्तमान मामले में सिर की क्षति मृत्यु का 80 प्रतिशत कारण था और रक्त-अल्पतता 20 प्रतिशत और अभि. सा. 6 की राय के अनुसार यदि मामले को उलटा किया जाए तो सिर पर क्षति पहुंचने पर मृत्यु तुरंत कारित हो सकती थी ।

10. आहत के पुत्र अभि. सा. 7 (लक्की) ने अभियोजन के पक्षकथन के समर्थन में यह कथन किया कि तारीख 16 फरवरी, 2005 को अपराह्न में 3.00 बजे जब वह विद्यालय से घर पहुंचा तो उसकी माता नीचे पड़ी हुई थी और उसके सिर से रक्त बह रहा था । उसकी माता/आहत ने उससे कहा कि अपने पिता को बुलाओ और यह बताया कि राजेश कुमार द्वारा उसकी पिटाई की गई है । अभि. सा. 7 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि जब वह विद्यालय से वापस आया तो उसके मकान में 10-11 महिलाएं मौजूद थीं और उन महिलाओं ने उसे बताया कि उसकी माता/आहत बेहोश हो गई है और उन्होंने उसे कहा कि अपने पिता को कहो कि आ जाएं । अभि. सा. 7 ने यह भी कथन किया कि उसने अपने

पिता को जब उसने उसे बुलाया था तब यह भी बताया था कि आहत बेहोश पड़ी हुई है । इसके सिवाय, अभि. सा. 7 ने अपने पिता अभि. सा. 1 (रोशन लाल) को और कुछ नहीं बताया था । अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में निष्कपटता से यह कथन किया कि उसके पिता ने उसे यह निदेश दिया था कि न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है, तथापि, अभि. सा. 7 ने इस बात से इनकार किया कि घटना के दिन उसकी माता बेहोश पड़ी हुई थी और घर पहुंचने पर उसकी माता ने उसे कुछ नहीं बताया था । अभि. सा. 7 ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मामले में हमलावर के रूप में राजेश कुमार को नामित करने के लिए उसे उसके पिता ने कहा था ।

11. अभि. सा. 8 (कांता देवी) ने अभियोजन के पक्षकथन के समर्थन में यह कथन किया कि जब उसने रोशन लाल के कमरे में प्रवेश किया, उस समय आहत भूमि पर पड़ी हुई थी । अभि. सा. 8 ने भूमि पर रक्त पड़ा हुआ देखा था और उस समय अभियुक्त की साली भी कमरे में थी और कमरे से रक्त साफ कर रही थी । अभियुक्त की माता ने रक्त के साथ कुछ नहीं किया था और उस समय वहां केवल तीन महिलाएं थीं । अभि. सा. 8 ने भी इस बात को स्वीकार किया कि आहत कमरे में क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई थी, किंतु इस बात से इनकार किया कि वह यह बुदबुदा रही थी कि अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी पिटाई की गई है ।

12. अभि. सा. 9 (प्रकाश चंद) कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3, चादर प्रदर्श पी-4 और तकिए के कवर प्रदर्श पी-5 का साक्षी है ।

13. अभि. सा. 10 (हैड कांस्टेबल रुपिन्द्र सिंह) ने यह कथन किया कि तारीख 16 फरवरी, 2005 को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी जिसे उसके द्वारा रपट रोजनामचा प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए में लेखबद्ध किया गया था ।

14. अभि. सा. 11 (भगवान दास), अभि. सा. 12 (भवानी सिंह), अभि. सा. 13 (कांस्टेबल सुशील कुमार), अभि. सा. 14 (हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार), अभि. सा. 15 (उप-निरीक्षक प्रेम चंद), अभि. सा. 16 (थाना भारसाधक अधिकारी संजीव चौहान), अभि. सा. 17 (उप-निरीक्षक श्रेष्ठ) और अभि. सा. 18 (डा. भानु प्रकाश) ने उनकी शासकीय हैसियत में उन्हें सौंपी गई भूमिका की सीमा तक अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है ।

15. अभि. सा. 15 (उप-निरीक्षक प्रेम चंद) ने मामले का अन्वेषण किया था और उसने यह कथन किया कि उसने तारीख 4 मार्च, 2005 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन आहत/गायत्री देवी का कथन अभिलिखित किया था, तथापि, तारीख 24 मार्च, 2005 को आहत की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी । उसके बाद मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-15/डी तैयार की गई थी । अभि. सा. 15 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-15/ए में भेदिए का नाम अभिलिखित नहीं किया गया था क्योंकि उसने अपना नाम प्रकट नहीं किया था । अभि. सा. 15 ने यह भी कथन किया कि आहत का कथन अभिलिखित नहीं किया जा सका था क्योंकि चिकित्सा अधिकारी ने उसे कथन करने के लिए अयोग्य घोषित किया था और अभि. सा. 1 (रोशन लाल) का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अलग-से अभिलिखित नहीं किया गया था, बावजूद इसके दंड संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/ए के रूप में अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 15 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना की तारीख से लेकर आहत की मृत्यु होने की तारीख तक एक मास और आठ दिन का समय व्यतीत हुआ था, तथापि, इस अवधि के दौरान अभि. सा. 15 ने आहत का कथन अभिलिखित करने के लिए डाक्टर की सेवाएं नहीं ली थीं । अभि. सा. 15 ने यह भी कथन किया है कि इस अवधि के दौरान आहत का कथन अभिलिखित करने के लिए कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता भी नहीं ली गई थी जो कि अन्यथा धर्मशाला में उपलब्ध थे । अभि. सा. 15 द्वारा यह कथन किया गया है कि आहत के कथन पर उसके हस्ताक्षर या उसके अंगूठे की छाप नहीं है ।

16. राज्य/अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियोजन साक्षियों और अभिलेख पर की सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के प्रयास की अनदेखी की गई है । राज्य की ओर से निम्नलिखित दलीलें दी गई हैं :–

(i) अभि. सा. 15 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन आहत/मृतका का कथन अभिलिखित किया था, यद्यपि प्रदर्शित नहीं किया गया है, तथापि, मुकेशभाई गोपालभाई बरोत **बनाम** गुजरात राज्य [(2010) 12 एस. सी. सी. 224] वाले मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए ऐसे आहत के कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में समझा जाए ।

(ii) रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-15/ए अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना पर आधारित थी, किंतु हमलावर/अभियुक्त का नाम उल्लिखित था ।

(iii) शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 (रोशन लाल), जो आहत का पति है, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपने कथन में अभियुक्त को हमलावर के रूप में नामित किया है ।

(iv) कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3 हमलावर/अभियुक्त के मकान से बरामद की गई थी ।

(v) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-ए के अनुसार कुल्हाड़ी पर पाया गया मृतका का रक्त-समूह मृतका के रक्त से मेल खाता है ।

(vi) आहत/मृतका ने अपने पति (अभि. सा. 1) को हमलावर के रूप में अभियुक्त का नाम बताया था ।

(vii) अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि अभि. सा. 15, जो अन्वेषक अधिकारी था, अभियुक्त के प्रति वैर-भाव रखता था ।

(viii) अभि. सा. 15 एक मास आठ दिन की अवधि के दौरान आहत/मृतका का कथन अभिलिखित करने के लिए हालांकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता लेने में असफल रहा था, तथापि, यह चूक अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकती है, क्योंकि सहदेवन **उर्फ** सगादेवन **बनाम** राज्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 534] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए अन्वेषक अभिकरण के किसी कार्य या लोप का फायदा न्याय के हित में अभियुक्त को नहीं दिया जाना चाहिए ।

(ix) अभि सा. 15 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए आहत/मृतका के कथन की अनदेखी नहीं की जा सकती है ।

17. प्रतिरक्षा पक्ष/प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई है कि घटना तारीख 16 फरवरी, 2005 को घटी थी, जबकि अन्वेषक अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन आहत/मृतका का कथन तारीख 3 मार्च, 2005 को अभिलिखित किया था, तथापि, आहत की मृत्यु तारीख 24 मार्च, 2005 को हुई थी और उस समय के दौरान अन्वेषक अधिकारी ने आहत की मानसिक दशा का उल्लेख करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलाने या आहत के मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुलाने का कष्ट तक नहीं किया, इसलिए **राम स्वरूप और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत करते हुए पुलिस पदधारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन को असम्यक् महत्व नहीं दिया जा सकता है और केवल किसी साक्षी की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त करने के सीमित प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है और इस आधार को पुष्ट करने के लिए अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने **राम स्वरूप** (उपर्युक्त) वाले मामले के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया है और अवलंब लिया है । सुसंगत पैरा 23 और 24 नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "23. हमने यह भी अवेक्षा की है कि उच्च न्यायालय ने अन्वेषण के अनुक्रम में किए गए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथनों को असम्यक् महत्व दिया है । यह सुस्थिर है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन को दांडिक विचारण में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, किंतु किसी साक्षी की विश्वसनीय को अधिक्षिप्त करने के सीमित प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है । हम निर्णय के पैरा 16 में यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 7 के साक्ष्य पर विचार करते समय अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए अभि. सा. 7 के कथन को इस मामले में सारभूत साक्ष्य के रूप में माना है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है –

---

[1] (2004) 13 एस. सी. सी. 134.

'वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए अपने इस कथन में अविचल रहा है कि जब वह किशोर (अभि. सा. 10) के साथ किशोर के मकान, जो शिव मंदिर के निकट है, के सामने बैठा हुआ था, राम स्वरूप, उसका पुत्र राम कल्याण और हीरा लाल लाठी से लैस होकर आए और भंवर लाल की पिटाई की और विनिर्दिष्ट रूप से सिर पर क्षति राम स्वरूप ने कारित की । उसने न्यायालय में किए गए अपने कथन में सिर की क्षति को केवल हीरा लाल और राम कल्याण के साथ संपृक्त किया । वह इस तथ्य पर भी अविचल रहा है कि जब मदन लाल और उसकी माता आए और भंवर लाल को इन व्यक्तियों से बचाने की कोशिश की, तो दखन और राम कान्या ने मदन लाल और उसकी माता की पिटाई की ।'

24. हमारे मत में, उच्च न्यायालय को उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए कथन के बजाय उसके अभिसाक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए था । दोनों बयानों के बीच असंगति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया है । इसलिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है ।"

18. अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि पुलिस पदधारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए आहत/मृतका के कथन को, जिसे विनिर्दिष्टतः प्रदर्शित भी नहीं किया गया है, मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं समझा जा सकता है और विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आहत का कथन लेने के समय आहत/मृतका की मानसिक और शारीरिक योग्यता तथा समर्थता को प्रमाणित करने का कोई अवसर नहीं था । इस बाबत **लक्ष्मी (श्रीमती)** बनाम **प्रकाश और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति के प्रति निर्देश किया गया है । **लक्ष्मी** (उपर्युक्त) वाले मामले के पैरा 29 और 30 को यहां नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"29. मृत्युकालिक कथन, जो न्यायालय में दिया गया अभिसाक्ष्य नहीं है, न तो यह शपथ पर किया जाता है और न ही अभियुक्त की

[1](2001) 6 एस. सी. सी. 118.

मौजूदगी में किया जाता है और इसलिए प्रतिपरीक्षा में परखा नहीं जाता है, फिर भी अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता के विरुद्ध साधारण नियम के अपवाद के रूप मे साक्ष्य में ग्राह्य है । यह ग्राह्यता आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है । किसी मृत्युकालिक कथन के कमजोर बिन्दु इसकी विश्वसनीयता की जांच करते समय न्यायालय को सचेत करने का काम करते हैं और न्यायालय पर सभी सुसंगत विद्यमान परिस्थितियों की गहराई से संवीक्षा करने की बाध्यता अधिरोपित करते हैं । तपिन्दर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1970) 2 एस. सी. सी. 113 = 1970 एस. सी. सी. (क्रि.) 328 = (1971) 1 एस. सी. जे. 751] । मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की एक महत्वपूर्ण जांच न्यायालय द्वारा यह समाधान करने के लिए निकाला गया निष्कर्ष है कि जब मृत्युकालिक कथन तात्पर्यित रूप से किया गया था और/या अभिलिखित किया गया था, तब सुसंगत समय पर मृतक की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी और कथन करने के लिए योग्य था या नहीं । कथन संक्षिप्त या विस्तृत हो सकता है । जो बात मायने रखती है वह कथन की व्यापकता नहीं, अपितु घटना के तथ्यों का वर्णन करने के लिए आहत की उपयुक्त मानसिक स्थिति है । यदि न्यायालय यह पाता है कि कथन करने वाले का सामर्थ्य कथन करने के लिए क्षीण था या न्यायालय को यह गंभीर संदेह होता है कि कथन करने के लिए मृतक की शारीरिक और मानसिक स्थिति उपयुक्त थी या नहीं, तो न्यायालय कथन की अंतर्वस्तुओं पर विश्वास दिलाने वाले संपुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में इस पर कार्यवाही करने से इनकार कर सकता है । भगवान दास **बनाम** राजस्थान राज्य (ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 589 = 1957 क्रि. ला. जर्नल 889) वाले मामले में सेशन न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि यह बात अनधिसंभाव्य है कि मृत्युकालिक कथन करने वाला बातचीत करने योग्य था ताकि कोई कथन कर सकता । इस न्यायालय ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष को कायम रखते हुए हत्या के आरोप पर दोषसिद्धि को संधार्य करने के लिए मृत्युकालिक कथन को अपर्याप्त ठहराया । काके सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(1981) सप्ली. एस. सी. सी. 25 = 1981 एस. सी. सी. (क्रि.) 645 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1021] वाले मामले में मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही करने से इसलिए इनकार कर दिया गया था क्योंकि डाक्टर द्वारा किया गया

ऐसा कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं था कि मृतका जलने के पश्चात् होश में थी या कोई संगत कथन कर सकती थी । दर्शन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1983) 2 एस. सी. सी. 411 = (1983) एस. सी. सी. (क्रि.) 523 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 554] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह पाया कि मृतक संभवतः ऐसी स्थिति में नहीं थी कि किसी प्रकार का बोधगम्य कथन कर सके और इसलिए यह मत व्यक्त किया गया कि मृत्युकालिक कथन का किसी प्रयोजन के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था और इसे विचार में नहीं लिया जाना चाहिए था । मोहर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1981) सप्ली. एस. सी. सी. 18 = (1981) एस. सी. सी. (क्रि.) 638 = ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1578] वाले मामले में मृत्युकालिक कथन अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था । इस न्यायालय ने अन्वेषक अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन को डाक्टर से, जो अभिकथित रूप से अस्पताल में मौजूद था या वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति से सत्यापित कराने में असफल रहने पर उस मृत्युकालिक कथन को विचार में लेने से अपवर्जित कर दिया था ।

30. किसी पुलिस अधिकारी को किया गया कोई मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, तथापि, अन्वेषक अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने की परिपाटी को हतोत्साहित किया गया है और इस न्यायालय ने अन्वेषक अधिकारियों से आग्रह किया कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए, यदि ऐसा करना संभव हो, किसी मजिस्ट्रेट की सेवाएं ली जाएं तथा इसका अपवाद केवल यह है कि जब मृतक ऐसी नाजुक स्थिति में हो कि अन्वेषक अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा कथन अभिलिखित करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प शेष न हो जिसका बाद में मृत्युकालिक कथन के रूप में अवलंब लिया जाए । मन्नु राजा **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(1976) 3 एस. सी. सी. 104 = (1976) एस. सी. सी. (क्रि.) 376 = ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2199] वाले मामले में (एस. सी. सी. पृष्ठ 108 पैरा 11) इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है –

> 'अन्वेषक अधिकारी स्वाभाविक रूप से अभियोजन की सफलता में हितबद्ध रहते हैं और अन्वेषण के दौरान स्वयं अन्वेषक अधिकारी द्वारा कोई मृत्युकालिक कथन अभिलिखित

करने की परिपाटी को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए ।'

अन्वेषक अधिकारी द्वारा डाक्टर और मृतका के कुछ मित्रों तथा नातेदारों की मौजूदगी में अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन को विचार में लेने से अपवर्जित कर दिया गया था क्योंकि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की सेवाएं लेने में असफल रहने की बात को स्पष्ट नहीं किया गया था । दलीप सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1979) 4 एस. सी. सी. 332 = (1979) एस. सी. सी. (क्रि.) 968 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1173] वाले मामले में इस न्यायालय ने अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया और इस सबूत पर "कि समय या उपलब्ध सुविधा के अभाव में क्षतिग्रस्त का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए बेहतर और अधिक विश्वसनीय पद्धतियां साध्य नहीं थीं । यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी हत्या के मामले में मृत्युकालिक कथन को हालांकि इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है कि इसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था क्योंकि मृतक नाजुक स्थिति में था और मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए गांव में कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, तो भी मृत्युकालिक कथन पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसमें ऐसी बात अंतर्विष्ट थी जो तनिक संदेहास्पद थी ।"

19. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पुलिस पदधारी ने अन्वेषण के दौरान पूरी ऋजुतापूर्वक,किसी द्वेष और शत्रुता के बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन आहत का कथन अभिलिखित किया था, इसलिए आहत/मृतका के ऐसे बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और इस संदर्भ में राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि ईमानदारी से व्यवहार करने की उपधारणा समान रूप से पुलिस साक्षियों पर भी लागू होती है और पुलिस साक्षी के परिसाक्ष्य को सदैव अविश्वसीय नहीं कहा जा सकता है तथा **गिरजा प्रसाद (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए पुलिस पदधारी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की

[1] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3106.

जा सकती है । **गिरजा प्रसाद** (उपरोक्त) वाले मामले का सुसंगत पैरा 24 नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "24.....यह सुस्थिर है कि साक्षी की विश्वसनीयता को सत्यता और भरोसे की कसौटी पर परखा जाना चाहिए । यह पूर्णतया संभव है कि किसी प्रस्तुत मामले में कोई न्यायालय शिकायतकर्ता या किसी पुलिस पदधारी के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि न करे किंतु यह विधि नहीं है कि पुलिस साक्षियों पर विश्वास न किया जाए और उनके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सके जब तक तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा न की जाए । यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, किसी पुलिस पदधारी के पक्ष में भी उतनी ही लागू होती है जितनी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में । पुलिस पदधारियों के परिसाक्ष्य में केवल मात्र इस कारण खामी नहीं आ जाती है कि वे पुलिस बल से संबंधित हैं । प्रज्ञा का नियम उनके साक्ष्य की संवीक्षा अधिक सावधान होकर करने की अपेक्षा कर सकता है । किंतु यदि न्यायालय आश्वस्त है कि किसी साक्षी द्वारा जो कथन किया गया है उसमें सत्यता है, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।"

20. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान **मुकेशभाई गोपालभाई बरोत** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियों की ओर भी आकृष्ट किया और यह दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन को कथन करने वाले की मृत्यु होने के पश्चात् मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है । **मुकेशभाई गोपालभाई** वाले मामले के सुसंगत पैरा नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "16. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है । प्रारंभ में, हम उच्च न्यायालय की इन मताभिव्यक्तियों पर विचार करेंगे कि मृत्युकालिक कथन प्रदर्श 44 और 48 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 के उपबंधों को, जब इन्हें संचयी रूप से पढ़ा जाए, दृष्टिगत करते हुए साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है । तथापि, ये निष्कर्ष गलत हैं । साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का खंड (1) कई परिस्थितियों से संबंधित है

---

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 224.

जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की सुसंगतता भी सम्मिलित है जो मर गया है । यह उपबंध निम्नलिखित है –

> '32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है –
>
> जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है – (1) जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ।
>
> ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो ।'

हम देखते हैं कि पूर्वोक्त मृत्युकालिक कथन उपरोक्त उपबंध को दृष्टिगत करते हुए सुसंगत है । अन्यथा भी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए कथनों का स्वीकृततः निर्बंधनात्मक प्रयोग करने का उपबंध करती है किंतु धारा 162 की उपधारा (2) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां कथन करने वाले की मृत्यु हो जाती है । यह धारा निम्नलिखित है –

> '162(2). इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खण्ड (1) के उपबंधों के अन्दर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबन्धों पर प्रभाव डालती है ।'

17. पूर्वोक्त उपबंध, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के साथ पढ़ा जाए, के परिशीलन मात्र से यह प्रकट होता है कि धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया किसी व्यक्ति का कथन उसकी मृत्यु के पश्चात् मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जाएगा । इसलिए उच्च न्यायालय की यह मताभिव्यक्ति कि मृत्युकालिक कथन प्रदर्श 44 और 48 का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है, गलत है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, तारीख 14 सितम्बर, 1993 को मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया प्रथम मृत्युकालिक कथन वस्तुतः इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट होगी ।"

21. राज्य की ओर विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि पारिस्थितिक साक्ष्य में यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों को संदेह के परे साबित किया जाता है, तब हेतु का अभाव, **सहदेवन** उर्फ **सगादेवन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत करते हुए, दोषसिद्धि में रुकावट नहीं बनेगा और इस संदर्भ में पैरा 24 का अवलंब लिया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"24. .....इस न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंबित परिस्थितियों को संदेह के परे साबित किया जाता है, तब हेतु का अभाव दोषसिद्धि में रुकावट नहीं बनेगा । (मणी कुमार थापा **बनाम** सिक्किम राज्य (2002) 7 एस. सी. सी. 157 = 2002 एस. सी. सी. (क्रि.) 1637.)"

22. **नालापति सिवैया** बनाम **उप-मण्डल अधिकारी, गुंटूर**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन की बाबत पैरा 26 में बहुत ही स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया है । **नालापति सिवैया** (उपरोक्त) वाले मामले का पैरा 25 और 26 यहां नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

"25. न्यायालय को प्रत्येक मामले पर मामले की परिस्थितियों में विचार करना चाहिए । किसी मृत्युकालिक कथन को क्या महत्व दिया जाए, यह न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए जो परिस्थितियों और अभिलेख के साक्ष्य और सामग्री का अवधारण करके बयान, चाहे यह

[1](2007) एस. सी. सी. 465.

लिखित, मौखिक, शाब्दिक या चिह्न या अंगविक्षेप द्वारा हो, की सत्यता या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचेगा ।

26. विधि का यह भी एक स्थिर सिद्धांत है कि मृत्युकालिक कथन एक सारभूत साक्ष्य है और मृत्युकालिक कथन के आधार पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है बशर्ते न्यायालय का पूरी तरह से यह समाधान होता हो कि मृतक द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक और विश्वसनीय है तथा लेखक ने मृत्युकालिक कथन को वैसा ही अभिलिखित किया था जैसा कि मृतक द्वारा कथन किया गया था । इस न्यायालय ने यह सिद्धांत अधिकथित किया है कि मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के लिए न्यायालय को इस बात के प्रति अवश्य सचेत रहना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक था और यह भी कि इसे ठीक प्रकार से अभिलिखित किया गया था और सबसे बढ़कर बात यह है कि कथन करने वाले व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा कथन करने के लिए उपयुक्त थी ।"

23. **शेर सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत करते हुए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन किए गए मृत्युकालिक कथन को डाक्टर के प्रमाणपत्र के अभाव में भी विश्वसनीय माना जा सकता है यदि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले व्यक्ति का यह समाधान हो गया था कि मृतक की मानसिक स्थिति उपयुक्त है । यह न्यायालय का कार्य है कि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह अभिनिश्चित करे कि मृतक की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी और अपराधी को देखने और पहचानने का पर्याप्त अवसर था । सुसंगत पैरा 16 नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"16. किसी मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता इसलिए अधिक है क्योंकि ऐसा कथन परम संकट की स्थिति में किया जाता है । जब पक्षकार मृत्यु के कगार पर है, तो कोई मुश्किल से ही झूठ बोलने के लिए हेतु रखता है और यही कारण है कि मृत्युकालिक कथन के मामले में शपथ और प्रतिपरीक्षा का परित्याग किया गया है । चूंकि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होती है,

---

[1] (2008) 4 एस. सी. सी. 265.

इसलिए न्यायालय इस बात पर जोर देगा कि मृत्युकालिक कथन ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे कि इसकी सत्यता और शुद्धता के प्रति न्यायालय का पूर्ण विश्वास प्रेरित हो सके । न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कथन सिखाने-पढ़ाने उकसाने के परिणामस्वरूप तो नहीं किया गया था या कल्पना की उपज तो नहीं है । यह न्यायालय का कार्य है कि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह अभिनिश्चित करे कि मृतक की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी और अपराधी को देखने और पहचानने का पर्याप्त अवसर था । सामान्यतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य का अवलंब लेते हैं कि मृत्युकालिक कथन करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी या नहीं, किंतु जहां कथन अभिलिखित करने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि मृतक उपयुक्त और होश की स्थिति में था, वहां चिकित्सीय राय अभिभावी नहीं होगी और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि कथन करने वाले की मानसिक उपयुक्तता के बारे में डाक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है । अनिवार्य यह है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले व्यक्ति का अवश्य यह समाधान हो जाना चाहिए कि मृतक की मानसिक स्थिति उपयुक्त है । जहां मजिस्ट्रेट के परिसाक्ष्य द्वारा यह साबित हो जाता है कि कथन करने वाला कथन करने के लिए डाक्टर की इस आशय की राय के बिना योग्य था, तो इस कथन पर कार्यवाही की जा सकती है बशर्ते न्यायालय द्वारा ऐसे कथन को स्वेच्छया किया गया और सत्य होना ठहराया जाए । सावधानी के नियम के तौर पर डाक्टर द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाना अनिवार्य है, इसलिए किसी कथन की स्वेच्छया और सत्यता की प्रकृति को अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है ।"

24. हमने सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया और अभियोजन साक्षियों का भी विश्लेषण किया । यद्यपि, वर्तमान मामले में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी को आहत/मृतका (गायत्री देवी) पर हमला करते हुए नहीं देखा था । तथापि, अभि. सा. 5 डा. समंजु धीमान ने कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3 के कुंद भाग से कारित की गई क्षतियां पाई थीं और उसने यह कथन किया है कि चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी में उल्लिखित क्षतियां कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की जा सकती हैं । अभि. सा. 6 डा. डी. पी. स्वामी ने भी मरणोत्तर परीक्षा

करते समय क्षतियां पाई थीं और यह राय भी व्यक्त की थी कि आहत/मृतका की मृत्यु कुंद आयुध से सिर पर पहुंची मृत्यु-पूर्व की क्षतियों के कारण हुई । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया कि प्रहार-क्षति से मृत्यु का कारण 80 प्रतिशत था और रक्त-अल्पता के कारण 20 प्रतिशत था । यद्यपि अभि. सा. 1, जो आहत/मृतका का पति है, ने घटना नहीं देखी थी, तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन की गई शिकायत में अभियुक्त/प्रत्यर्थी का नाम अभिलिखित था । इतना ही नहीं, रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ए में प्रथम इत्तिला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई थी और उसमें हमलावर के रूप में अभियुक्त/प्रत्यर्थी का नाम अभिलिखित है । अभियुक्त/प्रत्यर्थी के मकान से कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-3 की बरामदगी और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पीए के अनुसार कुल्हाड़ी पर पाया गया मृतका का रक्त-समूह भी पारिस्थितिक साक्ष्य को मजबूत करने के लिए यह एक अतिरिक्त कारक है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी हमलावर था । अभियुक्त/प्रत्यर्थी, जो आहत का भतीजा है, आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया और मुसीबत में आहत की सहायता नहीं की तथा उसके परिवार पर आए हुए संकट में अभियुक्त/प्रत्यर्थी तथा उसके पिता ने आहत/मृतका को चिकित्सीय उपचार दिलाने में सहायता नहीं की । वर्तमान मामले में, दोनों परिवारों की बोलचाल नहीं थी, तथापि, हेतु का अभाव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा तथा अन्वेषक अधिकारी की ओर से की गई कोई कमी भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगी । हमारे सुविचारित मत में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया आहत का कथन, यद्यपि इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है ।

25. अभिलेख से ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता है कि आहत/मृतका स्वेच्छया ऐसा कथन करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं थी । इतना ही नहीं, जब आहत/मृतका को अस्पताल में होश आया था तो उसने पहले ही अभि. सा. 1 (रोशन लाल) को यह बताया था कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था । चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कुल्हाड़ी के कुंद भाग से कारित की गई क्षतियां आहत की मृत्यु की कारण थीं और इसकी संपुष्टि आहत/मृतका के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए कथन तथा आहत/मृतका द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना से होती है । तथापि,

तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का वास्तविक आशय मृतका की कुल्हाड़ी से हत्या कारित करने का नहीं था, अन्यथा अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा कुल्हाड़ी का धारदार भाग प्रयुक्त किया जा सकता था । तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसी प्रकृति की क्षतियां, जिनसे आहत/मृतका की मृत्यु हुई, कारित करते समय अभियुक्त/प्रत्यर्थी इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि क्षतियां ऐसी प्रकृति की हैं कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है । इसलिए हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आहत/मृतका के शरीर पर क्षतियां इस ज्ञान के साथ, किंतु मृत्यु कारित करने के आशय के बिना, पहुंचाईं कि ऐसी क्षतियों से मृत्यु कारित होना संभाव्य है । ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के अधीन किया गया अपराध लागू होता है ।

26. हमारे सुविचारित राय में, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला ने अभियोजन साक्षियों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और सही निष्कर्ष नहीं निकाला है, इसलिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 30 दिसम्बर, 2006 को निकाला गया निष्कर्ष अपास्त किया जाता है और हम अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं । चूंकि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने आहत/मृतका को उपहति कारित करने/हमला करने की तैयारी के पश्चात् कुल्हाड़ी लेकर गृह अतिचार करके प्रश्नगत क्षतियां पहुंचाई थीं, इसलिए अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जाता है । इसलिए उपरोक्त अपराधों की बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 और धारा 452 के अधीन दंड अधिनिर्णीत करने से पहले अभियुक्त/प्रत्यर्थी को दंड की मात्रा पर सुने जाने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए । अभियुक्त को दंड की मात्रा पर सुने जाने के लिए मामले को तारीख 10 जनवरी, 2013 के लिए सूचीबद्ध किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.